ISSN-0974-0118

मेकल मीमांसा

अंतर-अनुशासनात्मक डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड यूजीसी केयर सूचीबद्ध अर्धवार्षिक शोध पत्रिका
वर्ष-15, अंक-02 जुलाई-दिसम्बर - 2023

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
अमरकंटक (म.प्र.)

कुलगीत

तपोभूमि यह ऋषि मुनियों की अति पावन अभिराम।
विद्या के आलोक पुंज को शत शत बार प्रणाम।।
यहाँ नर्मदा की लहरों में संस्कृति का अनुप्रास।
यह भारत की अमर संपदा का पूरा इतिहास।।
यह स्कंदपुराण निरूपित अद्भुत रेवाखण्ड।
युग युग से महिमामंडित यह वंदित और अखंड।।
जनजातीय समाज यहाँ पर कर्मशील निष्काम।
विद्या के आलोक पुंज को शत शत बार प्रणाम....।।
यहाँ नर्मदा, सोन, जोहिला और अरण्डि प्रवाहित।
विद्या की देवी की पावन वीणा यहाँ स्वरासित।।
आदि शंकराचार्य, कपिल ने यहीं किया था ध्यान।
साधक, संत, कबीर पा रहे प्रज्ञा का वरदान।।
यहीं विश्व की मानवता को मिल पाता विश्राम।
विद्या के आलोक पुंज को शत शत बार प्रणाम....।।
यहाँ सुलभ है जनजीवन की परिपाटी का ज्ञान।
भारत की भाषा परिभाषा का अद्भुत अनुमान।।
यहाँ सूक्ष्म स्थूल दीखता, कण-कण ऊर्जावान।
मेघदूत सर्वदा निहारे साल, चीड़, वट, आम।।
सदा अमरकण्टक में गुंजित दिव्य सदाशिव नाम।
विद्या के आलोक पुंज को शत शत बार प्रणाम....।।
इस अंचल से जुड़ी हुई हैं जन-जीवन की आशा।
पूर्ण करेगा विद्यासागर जन-जन की अभिलाषा।।
वन औषधि की प्रचुर संपदा का यह सुंदर कोष।
संस्कृति और जीवन मूल्यों का यह करता उदघोष।।
यहाँ सिद्धि की सतत् चेतना बहती है अविराम।
विद्या के आलोक पुंज को शत शत बार प्रणाम....।।
यह धर्म भूमि, यह कर्म भूमि, जीवन दर्शन की मर्म भूमि।
यह ज्ञान भूमि, यह ध्यान भूमि, यह सतत् लक्ष्य संधान भूमि।।
यह बोध भूमि, यह शोध भूमि, यह ''चरैवेति'' अनुरोध भूमि।
यह तत्व भूमि, यह सत्व भूमि, यह मेधा की अमरत्व भूमि।।
गुप्त नर्मदा से अभिसिंचित विश्व विदित गुरुधाम.......
तपोभूमि यह ऋषि मुनियों की अति पावन अभिराम।
विद्या के आलोक पुंज को शत शत बार प्रणाम....।।

प्रोफेसर श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी
कुलपति
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक
(म.प्र.)

वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा (बुद्ध पूर्णिमा)

ISSN-0974-0118

मेकल मीमांसा

अंतर-अनुशासनात्मक डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड यूजीसी केयर सूचीबद्ध अर्धवार्षिक शोध पत्रिका
वर्ष-15, अंक-02 जुलाई-दिसम्बर - 2023

संरक्षक

प्रोफेसर श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी
कुलपति
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश

प्रधान सम्पादक

डॉ. राघवेन्द्र मिश्रा, प्रोफ़ेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग

कार्यकारी सम्पादक

डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार राउत, प्रोफ़ेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग

सम्पादक मण्डल

डॉ. एन सुरजीत कुमार, प्रोफ़ेसर, राजनीति विज्ञान और मानवाधिकार विभाग
डॉ. गौरी शंकर महापात्र, सह-प्राध्यापक, जनजातीय अध्ययन विभाग
डॉ. ललित कुमार मिश्र, सह-प्राध्यापक, मनोविज्ञान विभाग
डॉ. नीरज कुमार राठौर, सह-प्राध्यापक, संगणक विज्ञान विभाग
डॉ. ऋषि पालीवाल, सह-प्राध्यापक, भैषजिक विज्ञान विभाग
डॉ. राहिल यूसुफ ज़ई, सह-प्राध्यापक, व्यवसाय प्रबंध विभाग
डॉ. बिमलेश सिंह, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग
डॉ. हरजीत सिंह, सहायक प्राध्यापक, भाषाविज्ञान विभाग
डॉ. पूनम पांडेय, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग
डॉ. आशुतोष कुमार, सहायक प्राध्यापक, भूविज्ञान विभाग

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
अमरकंटक, मध्य प्रदेश

© इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश- 484887

सहयोग राशि: 300.00

प्रकाशक :
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय,
अमरकंटक, मध्य प्रदेश- 484887
http://www.igntu.ac.in/mekalmimansa.aspx

मुद्रक:
वाइकिंग बुक्स
G-13, एस.एस. टावर
धम्मानी स्ट्रीट, चौरा रास्ता
जयपुर, राजस्थान- 302003

डिज़ाईन:
न्यू विजन एंटरप्राइजेज

ध्यानार्थ:

मेकल मीमांसा राष्ट्रभाषा हिंदी में गुणवत्तापरक एवं मौलिक शोधपत्रों के प्रकाशन के माध्यम से ज्ञान के प्रदीपन और विस्तार हेतु संकल्पित है। मेकल मीमांसा डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति का अनुसरण करती है। पत्रिका लेखकीय गरिमा का सम्मान करती है। पत्रिका में प्रकाशित विचार और विश्लेषण लेखकों द्वारा प्रस्तुत हैं जो विषयवस्तु की मौलिकता एवं प्रमाणिकता हेतु उत्तरदायी हैं।

कुलपति जी का सन्देश

माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प विकसित भारत@2047 से हम सभी उत्साहपूर्वक समर्पित भाव से संबन्ध हो रहे हैं। देश और व्यक्ति का विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' जैसे संकल्प के साथ एक भारत-श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को स्वतंत्रता आन्दोलन से उपजे तथा हमारी सनातन संस्कृति में समाहित एकता तथा सामाजिक समरसता जैसे मूल्यों के साथ साकार करने की दिशा में स्वावलंबन, उद्यमशीलता, समावेशी विकास, सशक्तिकरण एवं निर्बलतम के उत्थान जैसे उद्देश्यों से परिपूर्ण नवोन्मेषी नीतियों,योजनाओं तथा कार्यक्रमों के माध्यम से साकार करने का कार्य किया है। सरकार का यह प्रयास धरातल पर भी परिलक्षित हो रहा है एवं इससे विकास की असमानता को दूर करने में भी सहायता मिल रही है। देश को विकसित करने का संकल्प शोध एवं नवोन्मेष को बढ़ाना, सामाजिक विकास, विभेदों के निर्मूलन, मानव विकास सूचकांक में सुधार और सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना से सिद्ध होगा। शोध और उच्च शिक्षा का संवर्धन विकास के दो महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं। शोध पत्रिकाएं नवोन्मेष को बढ़ावा देने, स्तरीय शोध को प्रोत्साहित करने एवं विश्लेषणात्मक दृष्टि को विकसित करने का काम करती हैं और शोधार्थियों को अपने शोध से दुनिया को परिचित कराने का मंच प्रदान करती हैं।

मेकल मीमांसा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रभाषा हिंदी में प्रकाशित होने वाली अर्धवार्षिक शोध पत्रिका है जिसका उद्देश्य जनजातीय, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विमर्श को वैविध्य के साथ विस्तार देना है। पत्रिका ने निरंतरता के साथ ज्ञान की विविध शाखाओं में हो रहे शोध को प्रकाशित करने का महत्वपूर्ण कार्य मानक के अनुरूप किया है। मेकल मीमांसा राष्ट्रभाषा हिंदी में बहुविषयक, अंतर्विषयक शोध को बढ़ावा देती है एवं मौलिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, कला, दर्शन, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, प्रबंधन एवं वाणिज्य, संचार आदि सभी विषयों से शोध पत्रों को स्वीकार करती है। पत्रिका द्वारा पीयर रिव्यू पद्धति का अनुपालन किया जाता है एवं शोध पत्रों का मूल्यांकन निर्धारित मानदंडों के अनुरूप होता है। इस प्रकार पत्रिका में शोधपत्रों के चयन एवं प्रकाशन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तय मानकों के अनुरूप है। प्रस्तुत अंक में भी अनेक विषयों से लेख आए हैं और मुझे विश्वास है कि प्रकाशित शोध पत्र ज्ञान के क्षेत्र में रचनात्मक एवं उपयोगी योगदान करने में सक्षम होंगे। मेकल मीमांसा शोध पत्रिका के संपादक मंडल को समर्पित भाव से इसके निरंतर प्रकाशन के लिए मैं बधाई देता हूँ एवं आशा करता हूँ कि जुलाई-दिसम्बर 2023 अंक पठनीय तथा संग्रहणीय होने के साथ ही विमर्श को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगा।

समस्त संपादक मंडल को आगामी अंकों हेतु शुभकामना सहित

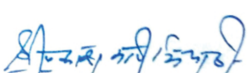

प्रोफेसर श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी
कुलपति
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
अमरकंटक, मध्य प्रदेश

सम्पादकीय

मेकल मीमांसा का जुलाई-दिसम्बर 2023 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। एक बहुविषयक, अंतरानुशासनात्मक शोध पत्रिका के रूप में मेकल मीमांसा की यह यात्रा निरंतरता के साथ जारी है और विविध विषयों पर हो रहे शोध कार्यों का प्रकाशन निर्बाध रूप से चल रहा है। पत्रिका को बड़ी संख्या में प्राप्त हो रहे शोधपत्र इस बात के संकेतक हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। चूंकि मेकल मीमांसा अध्ययन की सभी शाखाओं से शोध पत्रों का प्रकाशन करती है अतः हमारी प्रतिबद्धता मौलिक, उपयोगी, ज्ञान के भंडार में कुछ नया देने वाले शोधपत्रों के प्रकाशन के प्रति है। यह पत्रिका का उद्देश्य भी है तथा संपादकीय श्रम की सार्थकता भी। पत्रिका का प्रयास इसके अंतरानुशासनात्मक स्वरुप के अनुरूप ज्यादा से ज्यादा विषयों पर होने वाले शोध के परिणामों को प्रमुखता से स्थान देना है।

मेकल मीमांसा के प्रस्तुत अंक में भी ज्ञान की विविध शाखाओं से प्राप्त शोध पत्रों का चयन किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, संचार, जनजातीय विमर्श, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, महिला विमर्श, विरासतों के संरक्षण से लेकर हमारी ऊर्जा नीति की सम्यक मीमांसा अनेक जैसे विषय आपको इस अंक के लेखों में दृष्टिगोचर होंगे। इनमें से अधिकांश लेख विषय की सीमाओं तक सीमित नहीं हैं और प्रकृति से बहुविषयक हैं। इस तरह यह लेख चयनित विषय को नए परिप्रेक्ष्य में देखने और विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं। लेख प्रकृति से विश्लेषणात्मक भी हैं, प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित हैं, साहित्यिक विमर्श की शैली के अनुरूप हैं तथा इस प्रकार पद्धतिगत दृष्टि से भी वैविध्य की पूर्ति इन लेखों से होती है। इस प्रकार विषय-वैविध्य की दृष्टि से, शोध शैली की दृष्टि से, विश्लेषण की दृष्टि से भी पत्रिका एक संतुलन बनाने का प्रयास करती है।

शोध पत्रिकाओं के लिए समयबद्ध रूप में, निरंतरता के साथ प्रकाशित होते रहना श्रमसाध्य लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। मेकल मीमांसा संपादक मंडल ने निरंतर इस कार्य को तन्मयता से और कुशलतापूर्वक पूर्ण किया है। समय और स्थान की चुनौतियों ने प्रेरणा का कार्य किया है और माननीय कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी जी की व्यक्तिगत रूचि और प्रेरणा हर समय उत्प्रेरक के रूप में सहायक रही है। आशा है यह अंक ज्ञान के क्षेत्र में नए शोध, नूतन विमर्श और नए दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध होगा।

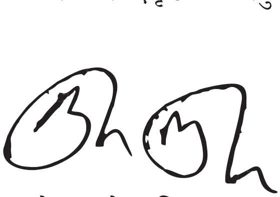

प्रो. राघवेन्द्र मिश्रा
मुख्य संपादक - मेकल मीमांसा
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
अमरकंटक, मध्य प्रदेश

मेकल मीमांसा

अंतर-अनुशासनात्मक डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड यूजीसी केयर सूचीबद्ध अर्धवार्षिक शोध पत्रिका

वर्ष 15, अंक-02 जुलाई-दिसम्बर - 2023

इस अंक में

क्रम संख्या	लेख का शीर्षक	योगदानकर्ता	पृष्ठ संख्या
1.	भारत छोड़ो आंदोलन में बैतूल जिले का अवदान	डॉ. संकेत कुमार चौकसे	1-5
2.	अहोम जनजाति की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन (1526-1707)	डॉ रामेश्वर मिश्र	6-14
3.	भारत की G20 और ब्रिक्स में भूमिका	डॉ. ब्रजेश कुमार मिश्र डॉ. आलोक कुमार	15-24
4.	भारतीय अर्थव्यवस्था में जीएसटी का प्रभाव: पूर्व और पश्चात की राजस्व वृद्धि का अध्ययन	अमित गुप्ता प्रो. शैलेन्द्र सिंह भदौरिया	25-30
5.	कोविड-19 का जनमाध्यमों की भाषा एवं संचार पर प्रभाव (समाचारपत्रों के सन्दर्भ में)	अरविंद कुमार सिंह	31-45
6.	भारत में ओटीटी मनोरंजन विस्तार का विश्लेषणात्मक अध्ययन	विनोद वर्मा प्रो. राघवेंद्र मिश्रा	46-56
7.	शिक्षा सूचकांक (माता-पिता की शिक्षा) का स्नातक स्तर के छात्रों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन	आदित्य प्रकाश डॉ. आर. हरिहरन	57-65
8.	संथाल जनजाति के सशक्तिकरण में सामुदायिक रेडियो का योगदान	डॉ. अख्तर आलम उमेश शर्मा	66-77
9.	भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरण का विश्लेषण	अक्षत चोपड़ा डॉ. आशिमा	78-92
10.	स्वातंत्र्योत्तर भारत में राष्ट्रीय अस्मिता का मूर्त विकास: पुरातत्व, कलाकृति एवं धरोहर	आकाश कुमार श्रीवास्तव डॉ. विनीता चंद्रा	93-100
11.	सतपुड़ा मेकल प्रदेश की जनजातीय परम्पराएँ : चिकित्सा पद्धतियाँ एवं स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में	डॉ. आशीष चाचौंदिया डॉ. दुर्गेश कुर्मी	101-109
12.	समाज में विकास की संभावनाएँ : विशेष संदर्भ- रामकथा और कृष्णकथा	प्रो. रेनू सिंह	110-116

13.	सामाजिक चेतना का कवि धूमिल	अंकिता सिंह डॉ. जितेन्द्र कुमार सिंह	117-125
14.	आयुष चिकित्सा पद्धतियाँ और लोक चिकित्सा: एक मानवशास्त्रीय विवेचना	महेंद्र कुमार जायसवाल	126-136
15.	भारत में जल संकट का महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव : एक विश्लेषण	अनु डॉ रमेश कुमार	137-144
16.	ऊर्जा कूटनीतिः भारत के आर्थिक विकास की कुंजी	स्निग्धा त्रिपाठी	145-158
17.	वनाश्रित जनजातीय जीवन में महिलाओ की भूमिका	मंजुला वर्मा भगवंता सिंह बघेल चिंतामणि टांडिया शिवाजी चौधरी	159-170

भारत छोड़ो आंदोलन में बैतूल जिले का अवदान

डॉ. संकेत कुमार चौकसे*

सारांश

1942 का भारत छोड़ो आंदोलन विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान क्रिप्स मिशन के प्रावधानों से उत्पन्न निराशा एवं जापान की निरंतर सफलताओं ने महात्मा गांधी को एक निर्णायक आंदोलन 'भारत छोड़ो आंदोलन' करने पर विवश कर दिया। इस आंदोलन के आरंभ होते ही गांधीजी समेत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए जिससे एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन का आरंभ हो गया। यह भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के लिए किया गया बृहत् प्रयास थाजिसमें सभी वर्गों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। मध्यप्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित बैतूल जिले के निवासियों ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। इसी आंदोलन के दौरान बैतूल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं जनजातीय नेता विष्णुसिंह द्वारा हजारों ग्रामीणों को संगठित कर ब्रिटिश शासन के समक्ष सशक्त चुनौती प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत शोधपत्र में भारत छोड़ो आंदोलन में बैतूल जिले की भूमिका तथा उसमें स्वाधीनता सेनानी विष्णुसिंह के अवदान को बतलाने का प्रयास किया गया है।

बीज शब्द : द्वितीय विश्वयुद्ध, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतःस्फूर्त आंदोलन, घोड़ाडोंगरी गोलीकाण्ड

प्रस्तावना

द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होते ही ब्रिटेन ने भारत को मित्रराष्ट्रों की ओर से युद्ध में जोड़ दिया किंतु इस सम्बंध में भारतीय नेताओं से विचार-विमर्श करना भी उचित नहीं समझा। कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन से भारत के सम्बंध में भावी नीति स्पष्ट करने एवं युद्धोपरांत भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा करने की मांग की गयी किंतु ब्रिटिश शासन द्वारा अनिश्चित एवं सुदूर भविष्य में दी जाने वाली डोमिनियन स्टेटस संबंधी पुरानी पेशकश को दोहराया गया(पट्टाभि. 1948)। इससे महात्मा गांधी द्वारा 1940 में नैतिक विरोध स्वरूप व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया जो सीमित स्तर पर आरंभ किए जाने के बावजूद भी व्यापक रूप से प्रभावी रहा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की व्यापकता और संकटपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा मार्च 1942 में एक योजना सहित स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा किंतु क्रिप्स अपने साथ जिस घोषणा पत्र का मसविदा लाये थे वह अत्यंत निराशाजनक था। भारत को पूर्ण स्वराज्य के स्थान पर औपनिवेशिक स्वराज्य देने का प्रावधान था और उसकी कोई तिथि भी निश्चित नहीं की गई थी(ठाकुर, 1998)।

1. एक ओर क्रिप्स मिशन के निराशाजनक प्रावधानों तथा दूसरी ओर द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान द्वारा सफलतापूर्वक सिंगापुर, मलाया, वर्मा इत्यादि को अधिकृत कर भारत की ओर बढ़ने की घटना ने महात्मा गांधी के विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। अब वे एक संगठित जन-आंदोलन

*सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर, कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा म.प्र.

'भारत छोड़ो आंदोलन' का विचार करने लगे जिस पर विचार-विमर्श करने के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक 14 जुलाई 1942 वर्धा में आयोजित की गई (तेंदुलकर,1953)। वर्धा की कार्यकारिणी बैठक में प्रस्तावित भारत छोड़ो प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की कार्यकारिणी का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। मौलाना आजाद के अध्यक्षीय उद्घाटन भाषण के बाद पं. नेहरू ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अगले दिन 8 अगस्त को कुछ संशोधनों के साथ यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। इस ऐतिहासिक अधिवेशन के अंत में महात्मा गांधी ने लगभग 70 मिनट का भाषण प्रस्तुत किया जिसके दौरान उन्होंने भारतवासियों को 'करो या मरो' का मूलमंत्र दिया (हरिजन, 1942)।

9 अगस्त 1942 को प्रातः काल महात्मा गांधी सहित कांग्रेस कार्य-समिति के सभी महत्वपूर्ण सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये। कांग्रेस को अवैधानिक संस्था घोषित कर उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया, जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया एवं समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण लगा दिया गया (मिश्र, 2001)। प्रथम पंक्ति के नेताओं की गिरफ्तारी के कारण आंदोलन का क्रमिक स्वरूप क्या हो, इस विषय में नेताओं द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए जा सके थे। अतएव एक स्वतः स्फूर्त देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ हो गया। इसे अगस्त क्रांति नाम से भी संबोधित किया जाता है। सरकार की दमन नीति के विरोध में भारत के अधिकांश भू-भाग में सार्वजनिक सभाएं एवं हड़तालें आयोजित की गई। इससे सरकार ने दमनचक्र को तीव्र कर दिया तथा गिरफ्तारियाँ व्यापक पैमाने पर की जाने लगीं, लाठीचार्ज का उपयोग किया गया, अनेक स्थानों पर गोली चालन भी हुआ। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप आंदोलनकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर सार्वजनिक भवनों, रेलवे स्टेशनों, डाकघरों, पुलिस स्टेशनों इत्यादि को ध्वस्त करने, शासकीय अभिलेखों को जलाने एवं टेलीफोन के तार काटने इत्यादि कार्य किए (माहेश्वरी,1955)।

बैतूल जिले में भारत छोड़ो आंदोलन

बैतूल जिला मध्यप्रदेश के दक्षिणी सीमांत पर स्थित जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन में इस जिले के निवासियों सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया गया। जिले में भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ 9 अगस्त से सभाओं तथा भाषणों के रूप से प्रारंभ हुआ (श्रीवास्तव, 1990)। इसी दिन जिले में 'फिरंगियों वापस जाओ' एवं 'इंकलाब जिंदाबाद' जैसे नारे लगाते हुए जुलूस निकाले गये। बैतूल जिले के आंदोलनकारियों ने 9 अगस्त 1942 की संध्या को प्रभातपट्टन में बिहारीलाल पटेल के निवास पर एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में बालकिसन पटेल, बकाराम खाड़े, मारोतीराव देशमुख, रामेश्वरम खाड़े इत्यादि कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बैठक में समस्त सदस्यों ने अंतिम सांस तक अंग्रेजों से संघर्ष करने का निर्णय लिया (देशमुख, 2019)। 9 अगस्त की रात्रि में जिले के प्रमुख नेताओं बिहारीलाल पटेल, दीपचंद गोठी, जेठमल तांतेड़, रमाशंकर मिश्र, गोविंदराव, भैरवलाल तांतेड़ एवं जनजातीय नेता मोहकम सिंह इत्यादि को गिरफ्तार कर लिया गया (सक्सेना,1999)।

2. ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन की इन घटनाओं से बैतूल जिले का जनमानस आक्रोशित हो गया तथा मुल्ताई, प्रभातपट्टन, चिचोली, जवाहरखण्ड, देवगांव, आमला, नाहिया, घोड़ाडोंगरी आदि स्थानों में उग्र प्रदर्शन किया गया। जिले में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि ओजपूर्ण राष्ट्रीय भाषणों के कारण कुछ स्थानों पर पुलिस भी विश्वसनीय नहीं रह गयी थी (श्रीवास्तव,63)। अतएव आंदोलन का दमन करने के लिए नागपुर से पुलिस का विशेष हथियारबंद दस्ता बुलाया गया। पुलिस द्वारा जिले के अनेक स्थानों पर

लाठीचार्ज एवं गोलीचालन किया गया। आंदोलन के दौरान नाहिया गांव में दो व्यक्ति पुलिस गोलीचालन के शिकार हुए (ठाकुर, 256)। शहीद हुए दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी केला किरार एवं उदय किरार पिता-पुत्र थे (देशमुख, 137)।

3. प्रभातपट्टन में उग्र आंदोलन के कारण वहां के प्रमुख सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तब राधाबाई एवं लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में महिलाओं ने सत्याग्रहियों का आरती एवं फूल मालाओं से स्वागत किया। इसी दौरान सरकारी गाड़ियों पर पथराव भी किया गया। प्रतिक्रियास्वरूप पुलिस की ओर से गोलीचालन किया गया जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महादेव रेवतकर शहीद हो गए (देशमुख, 132-133)। आंदोलन के दौरान जिले के अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गिरफ्तार कर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया जिससे मुंशी गोंड (बेहाड़ी), पन्नासिंह गोंड (महेन्द्रवाड़ी), जिर्रा गोंड (सालीवाड़ा) एवं गोलमन हिरामन सेठ (चिचोली) इत्यादि कारावास के दौरान शहीद हो गये (देशमुख, 145)।

स्वाधीनता संग्राम सेनानी विष्णु सिंह का योगदान

भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बैतूल जिले के अंतर्गत नागपुर-इटारसी रेलवे लाईन पर स्थित घोड़ाडोंगरी नगर की जनता ने उग्र आंदोलन किया। फारवर्ड ब्लाक के कार्यकर्ताओं ने, जिनका कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव था, जन सहयोग प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। 19 अगस्त 1942 को उन्होंने घोड़ाडोंगरी में एक अनौपचारिक सभा आयोजित की जिसमें इमारती लकड़ी का स्थानीय डिपो जलाने, सुरंगो के पास रेल की पटरिया उखाड़ने, रेल पटरियों के किनारे स्थित टेलीग्राफ तथा अन्य तारों के काटने, रेलवे स्टेशन तथा रानीपुर पुलिस थाने को जलाने का निर्णय लियागया (फाईल 287/1942)।

वस्तुतः इस योजना के सूत्रधार सरदार विष्णुसिंह थे। उन्होंने लगभग 5,000 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ 21 अगस्त को घोड़ाडोंगरी का इमारती लकड़ी डिपो जला दिया गया, टेलीफोन के तार काटने एवं घोड़ाडोंगरी रेलवे स्टेशन में आग लगाने जैसी कार्यवाहियां की गयी। 22 अगस्त को आंदोलनकारियों के एक समुह दल ने धाराकोह रेलवे स्टेशन और रानीपुर के पुलिस थाने पर अधिकार कर लिया (देशमुख,2019, पृ. 140)। घोड़ाडोगरी क्षेत्र में हुई इन घटनाओं की जानकारी मिलते ही नागपुर और जबलपुर से सेना को वहां भेजा गया। ब्रिटिश अधिकारियों के निर्देशानुसार इस क्षेत्र में भीषण गोलीचालन किया गया जिसमें अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घायल हुए तथा स्वाधीनता सेनानी वीरसा गोंड घटनास्थल पर ही शहीद हो गये (सेनानी,1984)। इसके बाद लगभग एक सप्ताह तीव्र दमन तथा गिरफ्तारियों की नीति अपनाई गयी जिसमें लगभग 100 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गिरफ्तार कर लिएगये (मिश्र, 1998)।

घोड़ाडोंगरी गोलीकाण्ड के पश्चात् वहाँ तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में पुलिस का आतंक इतना फैल गया था कि ग्रामीण अपने ग्रामों को छोड़कर निकट के वनों में छिप गये थे। सरकारी दमन की कार्यवाही को देखते हुए कांग्रेस ने सेठ गोविंददास की अध्यक्षता में अत्याचार जांच समिति बनायी गयी, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हालांकि घोड़ाडोंगरी में पुलिस फायरिंग के वक्त डिप्टी कमिश्नर स्वयं उपस्थित थे किंतु गोली चलाने का आदेश संभागीय वन अधिकारी, बैतूल द्वारा दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप वीर सिंह (वीरसा) नामक गोंड की मृत्यु हो गयी थी। यही दुखद घटना की समाप्ति नहीं हुई, उस संभागीय

वन अधिकारी द्वारा घायल वीरसा पर उस समय तक पद-प्रहार किए गए जब तक कि चोटों के कारण उनकी मृत्यु नहीं नहीं हो गयी (श्रीवास्तव,1990, पृ. 63)।

घोड़ाडोंगरी की घटना के लगभग एक सप्ताह बाद विष्णुसिंह गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी के बाद उनके साथ पुलिस ने बहुत कठोर व्यवहार किया। उन्हें उस समय तक शारीरिक प्रताड़ना दी गयी जब तक कि वे मूर्छित होकर मृत प्रायः नहीं हो गये (देशमुख,2019, पृ. १४०)। ब्रिटिश सरकार द्वारा उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर उन्हें मृत्युदण्ड दिया गया (मिश्र, 2001)। उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई को सात वर्ष के कारावास का दण्ड दिया गया (देशमुख,2019, पृ. 195)। विष्णुसिंह बैतूल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय थे। उनमें जनजातीय समाज को संगठित करने की अद्भुत क्षमता थी। उनको मृत्युदण्ड सुनाए जाने की घटना ने जिले की जनता को विचलित कर दिया था। अंततः बैतूल के पुरूषोत्तम शास्त्री एवं डॉ. शारदा प्रसाद निगम ने इस निर्णय के विरूद्ध पहले हाईकोर्ट में तत्पश्चात् लंदन की प्रिवी कौंसिल में अपील की जिसके फलस्वरूप उनका मृत्युदण्ड आजीवन कारावास में परिवर्तित हो गया (सेनानी,1984, पृ. 139)। यद्यपि भारतीय स्वतंत्रता के साथ ही विष्णुसिंह को जेल से मुक्त कर दिया गया (मिश्र, 2001, पृ. 488)। स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में उनका नाम तथा योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा।

निष्कर्ष

इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन में बैतूल जिले के निवासियों विशेषतः ग्रामीण एवं जनजातीय जनता का बहुमूल्य योगदान रहा तथा आंदोलन के दौरान यहां की जनता ने अद्भुत त्याग एवं शौर्य का परिचय दिया। उल्लेखनीय है कि भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 1942 के अंत तक भाग लेने वाले कुल 155 सवतंत्रता संग्राम सेनानियों को दण्डित किया गया था (सेनानी,1984, पृ. 138)। यद्यपि यह केवल सरकारी रिकार्ड है, इसके अतिरिक्त अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसे थे जिन्होंने भूमिगत रहकर आंदोलन किया तथा ब्रिटिश शासन की पकड़ में नहीं आए जबकि अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गिरफ्तार कर केवल हिदायत देकर छोड़ दिया गया। इस कारण उनके नाम सरकारी सूची में नहीं मिलते, परंतु भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में उनके योगदान को न तो कम आंका जा सकता है और न ही विस्मृत किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

सीतारमैया, पट्टाभि. (1948).कांग्रेस का इतिहास खण्ड-2 (1935-42).नई दिल्ली : सस्ता साहित्य मण्डल. 143

ठाकुर, एग्नेश. (1998).मध्यप्रांत एवं बरार में दलीय राजनीति तथा स्वाधीनता आंदोलन.नई दिल्ली : शारदा पब्लिशिंग हाउस. 238

तेंदुलकर, डी.जी.(1953). महात्मा वॉल्यूम-6 (1940-1945).नई दिल्ली : प्रकाशन प्रभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय. 179

हरिजन, 9 अगस्त 1942

मिश्र, द्वारका प्रसाद (सं.). (2001). मध्यप्रदेश के स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास.भोपाल : स्वराज संस्थान संचालनालय. 485

माहेश्वरी आर.जी. (सं). (1955).शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ, इतिहास खण्ड.नागपुर. 160

श्रीवास्तव, पी. एन. (1990).बैतूल जिला गजेटियर. भोपाल: संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश.63

देशमुख, डी. डी. (2019). मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में स्वतंत्रता आंदोलन (1920-1947 ई.).नागपुर : श्री मंगेश प्रकाशन. 124

सक्सेना, शालिनी.(1999). स्वाधीनता आंदोलन में मध्यप्रांत की महिलाएं.भोपाल स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन. 124

बैतूल डिस्ट्रिक्ट केस फाईल 287/1942

मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खण्ड-पांच. (1984).भोपाल :संस्कृति विभाग मध्यप्रदेश.138

मिश्र, द्वारका प्रसाद. (1998).मेरा जिया हुआ युग, प्रथम खण्ड - स्वाधीनता की ओर भारतवर्ष के बढ़ते कदम.सत्येन्द्र प्रसाद मिश्र (हिन्दी अनुवादक).नई दिल्ली :शारदा पब्लिशिंग हाउस.331

मिश्र, द्वारका प्रसाद (सं.). (2001).मध्यप्रदेश के स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास.भोपाल : स्वराज संस्थान संचालनालय. 488

अहोम जनजाति की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन (1526-1707)

डॉ. रामेश्वर मिश्र*

सारांश

अहोम जनजाति की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन 1526-1707 के अंतर्गत असम से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं का अवलोकन करना है जिसमें असम की जलवायु, असम क्षेत्र विस्तार, उत्पादन, असम के लोग, असम कीआर्थिक व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, शहरीकरण आदि पहलुओं का मूल्यांकन करना है। 1526-1707 के काल में अनेक मुगल आक्रमण असम पर किया गया जिससे उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रही और अंततः 1681 ई. में अहोम लोगों को विजय मिली। मुगल काल में जो मुगल और असमी सम्पर्क स्थापित हुआ इससे अनेक नये तथ्य सामने आये जिसमें असमी प्रशासन, सैन्य शक्ति, अस्त्र-शस्त्र, युद्ध की अनेक परिस्थितियॉ जो असम की भौगोलिक बनावट एवं प्राकृतिक जलवायु के कारण बनती है, का अवलोकन प्राप्त हुआ। मुगल काल में असम-मुगल सम्बन्ध के अवलोकन से जुड़े-तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए 1526-1707 के काल के असम से जुड़े समस्त तथ्यों का अवलोकन महत्वपूर्ण है।

बीज शब्द : अहोम जनजाति, आर्थिक नीति, कृषि व्यवस्था, बाजार व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था

प्रस्तावना

अहोम जनजातीय क्षेत्र असम1526-1707 के मध्य बहुत ही विहंगम प्रदेश थाजहाँ अनेक नदियां बहती थीं जोअसम के भू-स्थल को तीन तरफ से घेर कर रखती थीं। स्पष्ट शब्दों में ययहनदियां तीन तरफ से असम की सीमा का निर्माण करती थीं और एक तरफ उंचा पहाड़ असम की सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाए असम के विजय का गान करता था। यहां वर्षा साल-भर होती थी जिससे झाडियां तथा वनों की अधिकता थी जो इस प्रदेश को डरावना और खतरों का मैदान बनाती थीं जिससे सरलता से इस देश की तरफ रुख करना मुश्किल होता था। इस देश की सीमा के पास में अनेक जनजातियॉ निवास करती थी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती थी, "असम की लंबाई पश्चिम से पूरब की तरफ गौहाटी से सादियां तक 200 कोश तथा चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की तरफ गारो, मीरी, मिसमी, डफला और लद्दाख की पहाड़ी से नागा जनजाति की पहाड़ी तक लगभग 7 या 8 दिन की यात्रा के बराबर है, इसकी दक्षिणी पहाड़ी लंबाई में खाशियां, कछार और गोन्शेर पहाड़ी क्षेत्र से तथा चौड़ाई में नागा जनजाति से मिलती है"(सरकार जदुनाथ, 1921)। इस प्रकार 1526-1707 मध्य असम की सीमा का विस्तार लद्दाख पहाड़ी और गोन्शेर पहाड़ी की सीमा तक फैला था, असम सीमा क्षेत्र के पास में गारो, मीरी, मिसमी, डाफला, नागा जनजातियों का निवास क्षेत्र था, असम में पर्वत की ऊंचाई काफी अधिक थी। ''असम में बंगाल के उत्तर पश्चिम तक उंचे पहाड़ हैं जिसकी लंबाई 100 जरीबी करोह है''(सईद अनीस जहान, 1977)। इस प्रकार असम की सीमा बंगाल राज्य तक लगी हुई थी। ब्रह्मपुत्र से कुछ ही दूर पर यहां

*सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, संजीव अग्रवाल ग्लोबल एजुकेशनल यूनिवर्सिटी, भोपाल

की जलवायु आने वाले विदेशी योद्धाओं एवं आगन्तुकों के लिए बहुत ही विषैली थी। असम में रहने वाले लोग तो यहां की प्राकृतिक जलवायु में रहने के तौर-तरीके से परिचित थे, जिसमें असमी लोग एक सैनिक की तरह रहते थे और वहां का हर व्यक्ति सिपाही की तरह दिखता था। प्रकृति की प्रतिकूलता ने असमियों के जीजिविषा को बहुत ही सशक्त बनाया था जिससे उनके लिए जलवायु तो लाभदायक थी परन्तु अन्य बाहरी व्यक्तियों के लिए बहुत ही जहरीली थी। ''ब्रह्मपुत्र नदी से कुछ दूरी पर जलवायु विदेशियों के लिए जहरीली थी, यहां वर्ष के आठ महीनो में वर्षा होती थी और यहां तक कि ठण्ड के चार महीनो में भी वर्षा होती थी''(गैट ई. ए., 1933)। 1526-1707 के मध्य के असम में पर्याप्त वर्षा होने से जमीन हमेशा फिसलन भरी बनी रहती थी। पर्याप्त वर्षा होने से जलवायु में हमेशा एक नमी बनी रहती थी जो विदेशियों के लिए बहुत ही हानिकारक होती थी। अतिवृष्टि से जमीन में झाडियों का जमाव हो जाता था और असम में एक घने जंगल का निर्माण हुआ था जिससे यहां प्रवेश का मार्ग बहुत ही कठिनाईयों से भरा रहता था, जिससे यह 300 साल से बाह्य आक्रमण से सुरक्षित रहा।

अध्ययन उद्देश्य

अहोम जनजाति की आर्थिक स्थिति 1526 से 1707 के मध्य दर्शाने का शोधकर्ता का यह उद्देश्य है कि वर्तमान में पिछड़े एवं बर्बर समुदाय का पर्याय बन चुके इस उपेक्षित समाज का मूल्यांकन कर अनेक भ्रान्तियों को दूर किया जा सकता है। आदिवासी इतिहास को उपेक्षा की स्थिति में देखा जाता है परन्तु ''जब तक शेर का अपना इतिहास नहीं होता शिकारी का इतिहास शिकारों को गौरवान्वित करता है'' उक्त कथन सही प्रतीत होता है। शीर्षक को विषय वस्तु बनाने का शोधकर्ता का निम्नांकित उद्देश्य है-

1 अहोम जनजाति का आर्थिक विकास राजपूतो एवं मुगलो के समान था, इसपर प्रकाश डालना।

2 बहुधा यह माना जाता है कि आदिवासी लोग बाहरी समाज के लोगों को अपना शत्रु समझते हैं एवं बाह्य जगत से सम्बन्ध स्थापित करने से बचना चाहते हैं जबकि अहोम लोगों का व्यापारिक सम्बन्ध अनेक देशों में था,यह तथ्य स्पष्ट करना।

3 आदिवासी लोगों का लेन-देन साधारण वस्तुओं के आदान-प्रदान पर निर्भर होता है ऐसी धारणा बनी हुई है परन्तु अहोम लोगों के द्वारा व्यापार के माध्यम के रूप में मुद्रा एवं सिक्कों का प्रयोग देखने को मिलता है, इसे स्पष्ट कर उक्त मान्यता का खंडन करना।

4 अहोम जनजाति का मूल आदिवासी स्वरूप टूट रहा था एवं आर्थिक विकास हो रहा था, इसपर प्रकाश डालना।

5 अहोम जनजाति कृषि परम्परा में नये रीति रिवाजों को आत्मसात करती हुई दिखाई देती है जिसके परिणामस्वरूप कृषि परम्परा में नये-नये प्रयोग करती हैंएवं कृषि परम्परा से अन्य जाति समूहों को जोड़ती है, इसको प्रकाश में लाना है। अहोमों द्वारा कृषि में नई परम्पराओं का विकास, कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग एवं अहोमों की कृषि परम्पराओं का अन्य जनजातीय कृषि व्यवस्था से सह्सम्बंध का मूल्यांकन।

6 अहोम जनजाति द्वारा 1526 से 1707 के मध्य आत्मनिर्भर गांवों के विकास,फलस्वरूप विस्तृत शहरीकरण के विकास का अध्ययन।

साहित्यिक सर्वेक्षण

अहोम लोगों को सन्दर्भ में रखकर अलग-अलग इतिहासकारों ने इसे विषयवस्तु बनाया। इन इतिहासकारों द्वारा जो मूल्यांकन किया गया वह 1526 से 1707 के मध्य के संक्रमण काल के दौरान अहोमों की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना पर प्रकाश डालने में कमतर रहा है। इन इतिहासकारों द्वारा अहोम लोगों की राजनैतिक गतिविधियों के विषय को केन्द्र में रखकर कार्य किया गया जिसके फलस्वरूप अहोम लोगों से जुड़ी हुई सम्पूर्ण स्थिति का अवलोकन नहीं हो पाता और अहोम लोगों से जुड़ा हुआ इनका मूल्यांकन एक कमजोर कड़ी के रूप में हमारे सामने आता है।

अहोम लोगों को विषय वस्तु के रूप में रखकर देखने का कार्य सर्व प्रथम डब्लू रावेन्सन ने, ''ए डिस्क्रिपटीव एकाउन्ट आफ असम'' (1841) में किया। उन्होंने असम एवं अहोम लोगों पर 15 साल तक समय देने के बाद अहोम लोगों के राजनैतिक, प्रशासिक एवं आर्थिक इतिहास पर प्रकाश डाला है। इस पुस्तक के सम्पादक डॉ. रमेश चन्द्र कालिका (सेवानिवृत प्रो., तेजपुर कॉलेज असम) हैं। इसके बाद ई. ए. गैट ने 1933 में अपनी पुस्तक ''ए हिस्ट्री आफ असम'' में अहोम लोगों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों का मूल्यांकन किया है परन्तु यह किताब भी राजनैतिक घटनाक्रम को रेखांकित करती है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें तिथि को महत्व नहीं दिया गया है। इसके साथ-साथ 1970 में एन.के. वसु ने ''असम इन अहोम एज'' पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में अहोम लोगों की राज्य स्थापना से लेकर अहोम लोगों की भाषा पर प्रकाश डालने के साथ ही साथ असम के इतिहास पर भी प्रकाश डाला गया है। 1974 में सूर्य कुमार भुइया ने ''एग्लो आसमीज रिलेशन'' पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक हमें हिन्दू धर्म या आर्यन सम्भ्यता के असम में विकास को दर्शाने के साथ-साथ अहोमों के अन्य आदिवासी लोगों से सम्बंधों को दर्शाती है।

1984 में डॉ. एन.एन. आचार्य ने ''हिस्ट्री आफ मेडिवल असम'' पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक असमकी भौगोलिक स्थिति एवं असम का अन्य सीमावर्ती देशों से व्यापारिक सम्बन्ध को उजागर करती है। एस.एल. बरूआ ने 1995 ई. में ''ए कम्प्रेटिव हिस्ट्री आफ असम'' की रचना की, इस पुस्तक में भी असम के राजनैतिक विकास को रेखांकित किया गया है। इन्होंने इस पुस्तक में अहोम शासकों के राजनैतिक कार्यो को महत्वपूर्ण स्थान दिया है।इन कार्यो के बाद भी हमें 1526 से 1707 के मध्य अहोम जनजाति के आर्थिक विकास में परिवर्तन से जुड़े हुए तथ्यों की सम्पूर्ण जानकारी नही मिलती है जिससे अहोम जनजाति का समाजशास्त्रीय ऐतिहासिक मूल्यांकन अधूरा प्रतीत होता है।

परिकल्पना

अहोम जनजातीय समाज द्वारा आर्थिक व्यवस्था में अनेक भारतीय विधि-विधानों को अपनाया गया जिससे अहोम आदिवासी समाज का स्वरुप अवश्य ही प्रभावित हुआ होगा और फलस्वरूप अहोम का आदिवासी स्वरूप टूटने लगा एवं अन्य जाति के लोगों का अहोम जनजातीय क्षेत्र में प्रवेश हुआ।

अहोम जनजातीय क्षेत्र में कृषि व्यवस्था का स्वरुप बदलने लगा जिससे अन्य जाति समुदाय के लोगों के संपर्क के फलस्वरूप अहोम लोग कबीलाई समाज एवं उसकी परम्पराओं से निकलकर विस्तारवादी परम्परा के प्रभाव में आये होगे और उनके रीति-रिवाजों को अपनाया होगा।

अहोम आदिवासी मुखियों की व्यापारिक एवं आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ थी जिसके परिणामस्वरूप

अहोम मुखियों द्वारा निम्नवर्ग के अहोमों के हित के लिए अवश्य ही कार्य किया गया होगा जिससे अहोम क्षेत्र में शहरीकरण देखने को मिलता है। व्यापारिक गतिविधियों में उच्च एवं मध्यवर्ग के अहोमों के साथ-साथ निम्नवर्ग के अहोमों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन में जहाँ राजतंत्र से जुड़े लोगों की भूमिका आवश्यक रही, वही छोटे-छोटे जागीरों में अहोम मुखिया के सहयोग से ग्रामीण अँचलों के अहोमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध सम्बंधी तथ्य प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों से लिए गए हैं। ऐतिहासिक विधि को आधार बनाकर प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण की सामाजिक उपयोगिता के सन्दर्भ में अनुसंधान की व्यवहारिक पद्धति का प्रयोग किया गया है जिसमें-

1 प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त तथ्यों को आपस में सम्बद्ध करना।

2 क्षेत्रीय स्रोतों एवं तत्कालीन फारसी स्रोतों से प्राप्त तथ्यों को आपस में सम्बद्ध करना।

प्राथमिक स्रोत:- प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक स्रोत के रूप में तत्कालीन क्षेत्रीय शिलालेख, बरुँजी, समसामयिक मुगल इतिहासकारों की कृति तथा विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तान्त का भी प्रयोग किया गया है। इसके अलावा मुगल बादशाहों द्वारा लिखित ग्रन्थों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। इस शोध प्रबन्ध में भिन्न-भिन्न क्षेत्रीय साहित्यों यथा बंगाली, असमी, हिन्दी, संस्कृत आदि से सहायता लीगयी है।

अहोम जनजाति की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन (1526-1707)

अहोम जनजाति की आर्थिक स्थिति 1526-1707 के मध्य का अंतर्निरीक्षण करने पर स्पष्ट होता है किअहोम जनजातीय क्षेत्र असम सुनहरी भूमि (सुवर्ण भूमि) का देश था। यहां अनेक प्राकृतिक भण्डारों का उपहार असम वासियों को प्रकृति की ओर से निःशुल्क मिला था जो असम के लोगों को स्वाबलंबी बनाए हुए था। यहां किसी भी मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक समस्त वस्तुओं का पर्याप्त भण्डार उपस्थित था। ''उत्पादन के दृष्टिकोण से असम एशिया का सबसे अच्छा देश है जहाँ मनुष्य के जीवन की सारी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध थीं। असम में सोना, चाँदी, इस्पात, शीशा, लोहा की बहुत खानें और बहुत अधिक रेशम मिलता था और जो रेशम होता था वह पेड़ों एवं जानवरों से बनाया जाता था''(ट्रेवेनियर, 2007)। ट्रेवेनियर ने इस देश को एशिया का सबसे अच्छा देश कहा। यहां पर प्राप्त होने वाले सोना, चाँदी की खाने जो कि किसी भी देश की उन्नति के लिए आवश्यक होती हैं, मौजूद थीं जिससे असम बहुत ही समृद्ध देश के रूप में औरंगजेब के समय में विद्यमान था। यही प्रकृति का पर्याप्त भण्डार औरंगजेब के समय में भी असम की शक्ति के लिए उत्तरदायी था जिससे मुगल शासकों ने पूर्वात्तर सीमान्त नीति को बनाया और असम में अनेक मुगल धावे मारे गए। ''रेशम, सोना और चाँदी असम के दक्षिणी भाग में मिलता था। औरंगजेब के मुगल सुबेदार मीर जुमला ने 20 हजार लोगों की लिखित सूची तैयार की थी जिसमें ज्यादातर जमींदार थे, सोने को इकट्ठा करने के काम में लगाये गए थे''(जहान, 1977)। मुगल सुबेदार मीर जुमला ने असम आक्रमण के समय इस देश में सोने और चाँदी को इकट्ठा करने के काम में 20 हजार लोगो को लगे देखा जिनकी सूची मीर जुमला ने बनाई थी। इस देश में इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को इस कार्य में संलग्न होने का तात्पर्य यही रहा कि इस क्षेत्र में सोने एवं चाँदी की कितनी प्रचुर मात्रा उपलब्ध

थी।

अहोम जनजति की आर्थिक स्थिति को सुदृह बनाने में अहोम राज्य की प्रकृति प्रदत्त, वनोपज एवं कृषि की फसलें थीं ।असम में अनेक प्रकार के फलों का उत्पादन होता था। वर्षा की अधिकता के कारण गन्ने की अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था जो कि अलग-अलग रंगों में उत्पादित होती थीं। "1526-1707 के मध्य असम में नीबूं, सुपाड़ी, पीपल, गन्ने की अलग-अलग किस्में, केला, आम, अन्नाश के पेड़ बिना किसी सीमा के जमीन पर उगे थे, गन्ना, काला, सफेद, लाल प्रकार का पाया जाता था''(जहान, 1977)। इस प्रकार अहोम जनजाति से जुड़े तथ्यों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि प्राकृतिक जलवायु की अनुकूलता के चलते असम में जंगलों का विकास हुआ जिससे अनेक प्रकार के फलों के पेड़ों की सघनता असम में विद्यमान थी और असम फलोद्यान की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल जलवायु वाला देश था।

अहोम जनजति की आर्थिक स्थिति से जुड़े तथ्यों का अंतर्निरीक्षण करने पर स्पष्ट होता है कि असम के लोग अनेक प्रकार के सामानों को स्वयं बनाते थे और उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं व्यापार भी करते थे। औरंगजेब के काल के आसमी लोग बड़े ही मेहनती थे और प्रकृति द्वारा दिये गये प्राकृतिक उपहारों का बड़ी सावधानीपूर्वक प्रयोग करके अपने जीविका को उन्नत बनाए हुए थे। असम में प्रचुर मात्रा में लाख उत्पादित होता था, जो दो प्रकार का होता था और पेड़ों से लाल रंग का बनाया जाता था। इसकी सहायता से असमी बिना छपे सफेद कपड़े पर रंगाई करते थे और जब कपड़ा लाल रंग का हो जाता था तब वह लाख का प्रयोग सुनहरी कैबिनेट और विभिन्न प्रकार के वस्तुओं तथा इस्पैनिज मोम बनाने में करते थे। लाख निर्यात बड़े पैमाने पर चीन और जापान को कैबिनेट तैयार करने के लिए करते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहां एशिया की सबसे अच्छी लाख उत्पादित होती थी''(ट्रेवेनियर, 2007)। इस प्रकार असम में उच्चकोटि की लाख तैयार की जाती थी जिसका प्रयोग लकड़ी का सामान तैयार करने में किया जाता था, इसे बड़े पैमाने पर मोम निर्माण कार्य में प्रयुक्त किया जाता था। 1526-1707 बीच के अहोम जनजातीय क्षेत्र असम से जुड़े तथ्यों का अन्तर्निरीक्षण करने पर स्पष्ट होता है कि असम का व्यापारिक सम्बन्ध चीन और जापान से स्थापित था, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से व्यापारिक रूप से अन्तर्राज्यीय सम्बंध स्थापित था।

अहोम शासक अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को उन्नत बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। "अहोम शासक चक्रध्वज ने अहोम राज्य में भूमि की पैमाइश और जनगणना करने की शुरुआत की" (वसु, 1970)। यह भूमि की पैमाइश अहोम शासकों गदाधर सिंह, रूद्र सिंह, शिव सिंह के समय अनवरत चलती रही और प्रमत्त सिंहके शासन काल में पूर्ण हुई। "अहोम राज्य में भू माप की सबसे बड़ी इकाई पुरा थी जिसकी नाप 57 हजार 6 सौ वर्ग फीट या 1.32 एयर के बराबर थी। नाप की अन्य इकाई बीघा होती थी जिसकी पैमाइश 14 हजार 4 सौ वर्ग फ़ीट होती थी" (नियोग,1973)। "एक बीघा 5 कट्ठा के बराबर होता था और नाप की सबसे छोटी इकाई लीचा होती थी जिसकी पैमाइश 144 वर्ग फीट होती थी। नाप के साधन के रूप में डंडा का प्रयोग किया जाता था जिसकी नाप 4.2 सेन्टीमीटर होती थी"(नियोग,1973), यह नाप की सबसे पुरानी पद्धति थी। अहोम शासक चक्रध्वज ने अहोम राज्य की बिखरी एवं फैली हुई भूमि का बन्दोबस्त करके राज्य की कृषि व्यवस्था एवं आय को सुदृढ़ करने की योजना बनायी। अब पहले से चली आ रही भू-व्यवस्था का लेखा-जोखा तैयार करने की शुरुआत हुई। इसी व्यवस्था से कबीले पर आधारित कृषि व्यवस्था का पतन सुनिश्चित हुआ।

अहोम शासक चक्रध्वज ने पहले से चली आ रही भू प्रणाली में परिवर्तन करके पहली बार निवास की भूमि को कृषि भूमि से अलग करके जोत की भूमि की सही पैमाइश को टंकित करने का कार्य किया। चक्रध्वज ने राज्य द्वारा प्रदत्त कर मुक्त जमीन की पैमाइश कराकर उस पर भी कर लगाने का निर्णय लिया। "चक्रध्वज ने कर मुक्त जमीन पर खरीकतना नामक कर लगाया जो कि एक पुरा पर 6 आना होता था" (मिल्स,1984)। चक्रध्वज ने अहोम राज्य में नई कृषि नीति बनाकर राज्य की आय सुनिश्चित करने का कार्य किया। अन्य अहोम शासकों ने भी कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाये। अब अहोम राज्य में कृषि कार्य करने से जुड़ी संकीर्णतायें एवं जातीय बन्धन कमजोर पड़ गये फलस्वरूप "अहोम किसानों के साथ-साथ चमार, धोबी, कहार, नाई, केवट (मछली पकड़ने वाले) आदि सभी कृषि कार्य से जुड़े। इन जातियों के साथ-साथ ब्राह्मणों ने भी कृषि कार्य में हिस्सा लेना प्रारम्भ किया" (वाडे,1927;भुइया, 1974)। अहोम शासकों द्वारा उन्नत कृषि व्यवस्था के लिए समय-समय पर अनेक नीतियां अपनायी गईं जिसके फलस्वरूप ब्राह्मण वर्ग के साथ-साथ समाज के हर वर्ग ने हिस्सा लिया। उन्नत कृषि व्यवस्था ने अहोम जनजाति की आर्थिक स्थिति को श्रेष्ठ एवं सशक्त बनाने में योगदान दिया।

अहोम जनजातीय शासकों ने राज्य की श्रेष्ठ आर्थिक स्थिति के लिए समय-समय पर नीति निर्धारण करने का कार्य किया। अपनी आर्थिक नीति में व्यापार और बाजार व्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया। अहोम शासक प्रताप सिंह ने राज्य के विकास एवं सामानों के क्रय-विक्रय की सुगमता के लिए दो बाजार स्थापित किये जिनमें से "पहला डूपगढ़ और दूसरा नामचंग बोरहट था। नामचंग बोरहट में नागा लोग नमक की खदानों से नमक लाते थे उसके बदले में चावल, टिन, मोटा लाल सूत और ड्राई फिश ले जाते थे" (विलकॉक्स,1853; दत्ता,1990)। अहोम राज्य की व्यापारिक गतिविधियां जिसमें "निर्माण, उद्योग, शिल्प, वाणिज्य आदि के विकास ने शहरीकरण को बढ़ावा दिया" (बसु,1970)। बाजारों एवं हाटों के विकास ने धीरे-धीरे बिल्डरों, कलाकारों, शिल्पकारों, व्यवसायी वर्ग, निर्माता एवं अन्य संगठनों को अपनी ओर आकर्षित किया। अहोम शासक गदाधर ने "बरकोला टाउन" (भुइया, 1933) बसाया। अहोम शासक रूद्र सिंह ने "रंगपुर टाउन" (भुइया, 1933) बसाया जो 80 वर्ष तक अहोमों की राजधानी रही। "देवधाई असम बरुंजी में उल्लेख मिलता है कि राजेश्वर सिंह के मंत्री चंद्रकीर्ति बरुवा ने राहा में एक बाजार विकसित किया, इस बाजार में अलग-अलग क्षेत्रों से नागा, कछारी, कार्बिस, सिन्टेज आदि लोग आते थे जो अलग-अलग सामानों को खरीदते थे" (भुइया, 1933)। इन बाजारों के अतिरिक्त "अहोम शासक गदाधर सिंह ने चौकीहाट एवं राजहाट नामक दो बाजार स्थापित किये" (बरपुजारी, 2004)। "रूद्र सिंह ने व्यापारिक दृष्टि से गोभा में एक हाट बसाया" (भुइया, 1933)। अहोम जनजाति की हाट-बाजार व्यवस्था से जुड़े तथ्यों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि "अहोम शासक जयध्वज सिंह ने जयंतिया एवं गारो जातियों से व्यापार की सुगमता के लिए फुलगुरी हाट बसाया" (भुइया, 1933;बरपुजारी, 2004)। "रूद्र सिंह ने जंयतिया और गारो सीमा के पास राहा और जागी चौकियों की स्थापना की जहाँ से सुपारी, पान, धान, चांदी, कपास का व्यापार किया जाता था और लाभ को कछारी, मिकरी-कछारी एवं स्थानीय अधिकारियों के बीच बांटा जाता था" (भुइया, 1933; नियोग, 1973)। अहोम शासक रूद्र सिंह ने अहोम लोगों को सीमावर्ती राज्यों से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये। रूद्र सिंह व्यापार के आर्थिक महत्व को समझते थे इसलिए उन्होंने अनेक हाटों, बाजारों, मार्टों, विदेशी बाजारों की स्थापना की। अहोम जनजाति की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने में अहोम शासकों द्वारा स्थापित हाट-बाजारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन बाजारों ने बंद एवं अपरिष्कृत अर्थव्यवस्था का स्वरुप बदल दिया जिसके फलस्वरूप

अहोम जनजाति का बाहरी राज्यों से सम्पर्क हुआ। सामानों के क्रय-विक्रय ने नयी वैज्ञानिक सोच को जन्म दिया।

अहोम लोगों से जुड़े तथ्यों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि बाजारों के बदलते स्वरुप ने अहोम शासकों द्वारा एक विस्तृत और आत्मनिर्भर नगरीय योजना को जन्म दिया जहाँ अलग-अलग समुदाय एवं जाति के लोगों को बसाया गया जिसके उपरान्त सामाजिक, सांस्कृतिक, सौहार्द के साथ-साथ शान्ति, सामंजस्य को बढ़ावा मिल सके। ऐसे आत्मनिर्भर कस्बों के निर्माण के लिए अहोम शासकों द्वारा एक नीतिगत योजना बनायी गयी और इन कस्बों के लिए अहोम शासकों द्वारा भूमि आवंटित की गयी। अहोम शासक "प्रताप सिंह ने आत्मनिर्भर कस्बों को बसाया जिन्हें बासा दोयुंद्य कहा जाता था" (वाडे, 1927)। "एक पूरा गाँव जिसमें धोबी, माली, तेली, कहार, टांटी, चमार, सोनार आदि जाति समुदाय के लोग अहोम लोगों के साथ बसाये गए" (वाडे, 1927)। ऐसे आत्मनिर्भर गाँवों में ब्राह्मणों के साथ-साथ डोम, गरिया, बोरिया आदि को बसाया गया। अहोम शासकों द्वारा इस आदिवासी संस्कृति व्यवस्था के इतर सबको एक साथ बसाया गया। ऐसे आत्मनिर्भर गाँव निश्चित तौर पर अहोम लोगों के आदिवासी, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन को रेखांकित करते हैं, उपर्युक्त तथ्यों से इसकी ऐतिहासिक पुष्टि होती है।

अहोम बाजार व्यवस्था जब अन्य देशों के व्यापार से जुड़ी तो 'मुद्रा' बाजार व्यवस्था का माध्यम बनी। अब क्रय-विक्रय में लेन-देन के साथ-साथ मुद्रा का चलन बढ़ा। अहोम लोगों से जुड़े तथ्यों का अंतर्निरीक्षण करने पर स्पष्ट होता है कि पहले व्यापार का माध्यम आदान-प्रदान पर आधारित था। "शिहाबुद्दीन तालिश लिखता है कि अहोम राज्य में मुद्रा व्यवस्था काउरिश और सोने की मोहरों पर आधारित था" (रोडेज, एवं बोस, 2004)। तत्कालीन बरुंजी में "मोहर, टका, सिक्का (रूपी), अट्ठल्ली (आधा रूपी), सिक्की या महा (क्वाटर रूपी), अड़ महा (1/8 रूपी), चरतिया (1/16 रूपी) और करा या करी (कौउरी)" (नियोग, 1973) आदि का उल्लेख है। "जयध्वज पहले अहोम शासक थे जिनके शासन काल में राजपत्रित रूप से सिक्के ढाले गए" (गोगोई, 1976)। पहले अहोम शासकों द्वारा सिक्कों का चलन बहुत ही खास उत्सवों, त्यौहारों के अवसर पर किया जाता था। "उत्सवों के अवसर पर ब्राह्मणों, साधुओं, अधिकारियों, राज घराने के सदस्यों को उपहार स्वरुप देने के लिए सिक्कों को ढाला जाता था" (चौधरी, एवं इरफान, 1982;रोडेज, एवं बोस, 2004)। अहोम जनजातीय समाज में 1526 से 1707 के मध्य सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का चलन एवं मुद्रा आधारित बाजार व्यवस्था अहोम जनजाति की उन्नत आर्थिक स्थिति का द्योतक है।

अहोम लोगों की राजस्व व्यवस्था का अवलोकन करने पर अहोम राजस्व से जुड़े दो महत्वपूर्ण स्रोत की जानकारी हमें मिलती है "पहला जमीन अनुदान से जुड़े शिलालेख, दूसरा राजस्व ग्रन्थ पेराककत" (चौधरी, एवं इरफान, 1982)। अहोम राज्य के ऊपरी हिस्से वाले असम में कोई कर व्यवस्था नहीं थी, किसी राजस्व कर अधिकारी की नियुक्ति नहीं थी तथा इसके स्थान पर पाइक' व्यवस्था विद्यमान थी। अहोम राज्य में नगद कर व्यवस्था से जुड़े तथ्यों का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि 1612 ई. में कूच राजा के मुगल सेना द्वारा बन्दी बनाये जाने और हर्जाने के रूप में नगद धनराशि माँगे जाने के उपरान्त "प्रताप सिंह ने नगद कर के महत्व को भांपते हुए सर्वप्रथम कुछ कर नगद रूप में वसूलने का निर्णय लिया और नगद कर वसूलने की शुरुआत की" (मिल्स, 1984)। "प्रताप सिंह ने गृह कर, कुछ जमीनों पर कर, व्यवसाय कर, सम्पत्ति कर, व्यक्तिगत कर, कुदाल कर, लकड़ी कर आदि को लगाया" (मिल्स,1984)। "अहोम

राज्य में 'कटल' एक व्यक्तिगत कर था जो कि कलाकारों पर लगाया जाता था जिसमें सोना एवं पीतल के कारीगरों पर प्रतिवर्ष 5 रुपये और मछुवारों एवं तेल निकालने वालों पर 3 रुपया कर तथा सिल्क व्यवसायियों से 2 रुपया कर लिया जाता था" (नियोग, 1973)। अहोम राज्य में कर वसूल करने के लिए "अहोम शासक प्रताप सिंह ने कर विभाग का गठन किया जिसके संचालन के लिए दो अधिकारियों की नियुक्ति की गयी-पहला बरबरूवा और दूसरा बरफुकन। अहोम राज्य में बरबरूवा मुख्य कार्यकारी राजस्व अधिकारी होता था तथा साथ में ऊपरी असम का न्यायिक अधिकारी होता था" (भुइया, 1933)। "रूद्र सिंह के समय में दो केन्द्रीय राजस्व विभाग स्थापित किये गए-पहला रंगपुर (ऊपरी असम) में और दूसरा गौहाटी (निचला असम) में था" (भुइया, 1933)। अहोम शासक अब नगद कर इकट्ठा करने के लिए राज्य की सीमा को दो भागों में विभाजित किया। अहोम राजा सीमान्त क्षेत्रों में कर वसूल करने के लिए भी सीमान्त राज्यों के साथ समझौता कर लिया। अहोम राज्य में कर उगाही का माध्यम व्यक्तिगत सेवा कर और दूसरा भूमि की उपज में हिस्सा लेकर इकट्ठा किया जाता था परन्तु बदलते राजनीतिक परिस्थितियों के फलस्वरूप अहोम शासकों ने नगद कर व्यवस्था को अहोम आदिवासी क्षेत्र में स्थान दिया। अहोम शासकों द्वारा अहोम जनजातीय क्षेत्र में नगद कर व्यवस्था लागू करने से अहोम जनजाति की कर व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ जिसके फलस्वरूप अहोम जनजातीय क्षेत्र में गतिशील अर्थव्यवस्था का उदय हुआ।

निष्कर्ष

अहोम शासकों द्वारा 1526 से 1707 के मध्य अपनायी गयी आर्थिक नीति से अहोम लोगों के आदिवासी स्वरुप में परिवर्तन आया। अहोम शासकों की दूरदर्शी आर्थिक नीति के फलस्वरूप जहाँ राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई वहीं भूमि की पैमाइश, कृषि कार्य में प्रोत्साहन से हर जाति-समुदाय के लोग कृषि कार्य से जुड़े। बाजारों, हाटों, मार्टों एवं विदेशी व्यापार ने बन्द एवं अपरिष्कृत बाजार व्यवस्था एवं स्थानीय आदान-प्रदान की प्राचीन परम्परा में परिवर्तन किया जिसके फलस्वरूप बड़े-बड़े नगरों एवं आत्मनिर्भर गावों का उदय हुआ। बाजारों के बदलते स्वरुप ने मुद्रा आधारित लेन-देन को जन्म दिया जिससे अहोम राज्य का व्यापार काफी समृद्ध एवं विकासमान हुआ। इस प्रकार से अहोम शासकों की श्रेष्ठ आर्थिक नीति अहोम जनजाति के आदिवासी स्वरुप को परिवर्तित करने में सहायक हुई।

सन्दर्भ सूची

सरकार, जदुनाथ (1921) :हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब भाग-तीन, ओरियंट लॉगमैन प्रा. लि., नई दिल्ली,पृ. 95

सईद, अनीस जहान (1977) :औरंगजेब इन मुंतखब अल लुबाब, सोमैया प्रा. लि., नई दिल्ली, पृ. 179

गैट, ई. ए. (1933) :हिस्ट्री ऑफ असम, ठक्कर इस्पिनप एण्ड कं., कलकत्ता, पृ. 145

ट्रेवेनियर, जे. बी. (2007) :ट्रेवल्स इन इंडिया भाग-दो, लो प्राइज़ पब्लिकेशन, दिल्ली,पृ. 220

सईद, अनीस जहान (1977) :औरंगजेब इन मुंतखब अल लुबाब, सोमैया प्रा. लि., नई दिल्ली, पृ. 179

सईद, अनीस जहान (1977) :औरंगजेब इन मुंतखब अल लुबाब, पृ. 179

ट्रेवेनियर, जे. बी. (2007) :ट्रेवल्स इन इंडिया भाग-दो, लो प्राइज़ पब्लिकेशन, दिल्ली,पृ. 221

वशु,एन. के. (1970) :असम इन अहोम एज, संस्कृत पुस्तक भण्डार, कलकत्ता, पृ.156-157

*पुरा की उत्पत्ति पुटाका से हुई है जी कि एक संस्कृत शब्द है, पुटाका का उल्लेख हमे केशववारी के विष्णु

मन्दिर एवं हयग्रीव माधव मन्दिर के शिलालेख से होती है जिसका निर्माण प्रमत्त सिंह ने कराया था।
नियोग, महेश्वर (1973), प्राच्य-शासनावली (1206-1847), पब्लिकेशन बोर्ड ऑफ असम, पृ. 156
नियोग, महेश्वर (1973), प्राच्य-शासनावली (1206-1847), पृ. 156-157
मिल्स,ए. जे. एम. (1984) :रिपोर्ट ऑन प्राविन्सेज ऑफ असम, परिशिष्ट (24-26), पब्लिकेशन बोर्ड ऑफ असम, गुवाहाटी
वाडे,जे. पी. (1927) :एन अकाउंट ऑफ असम (सम्पादक-वेणुधर शर्मा), नॉर्थ लखीमपुर, पृ. 265; भुइया,सूर्य कुमार (1974) :एंग्लो-आसमीज रिलेशन, लायर बुक स्टाल, गौहाटी, पृ. 15
विलकॉक्सआर. (1853) :सेलेक्शन्स फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द बंगाल गवर्नमेंट, कलकत्ता, पृ. 24-25; दत्ता, अजीत (1990) :मनीराम दीवान एंड द कंटेम्पोरेरी असमीज सोसायटी, अनुपमा दत्ता डिस्ट्रीब्यूटर्स, जोरहाट, पृ. 226
वशु, एन के (1970) :असम इन अहोम एज, पृ. 180
भुइया, सूर्य कुमार-सम्पादक(1933) : तुंगखुघिया बरंजी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 24
भुइया, सूर्य कुमार-सम्पादक(1933) : तुंगखुघिया बरंजी, पृ. 31-32
भुइया, सूर्य कुमार-सम्पादक (1933) : तुंगखुघिया बरंजी, पृ. 53-54
बरपुजारी, एच. के.-सम्पादक (2004) : द कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ असम, खंड-1, पब्लिकेशन बोर्ड ऑफ़ असम, गुवाहाटी, पृ. 121-122
भुइया, सूर्य कुमार-सम्पादक (1933) :तुंगखुघिया बरंजी, पृ. 35-36
भुइया, सूर्य कुमार-सम्पादक (1933) :तुंगखुघिया बरंजी, पृ. 41; बरपुजारी, एच. के.-सम्पादक (2004) :द कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ असम, खंड-1, पृ. 121-122
भुइया, सूर्य कुमार-सम्पादक (1933) :तुंगखुघिया बरंजी, पृ. 35-36; नियोग, महेश्वर (1973) :प्राच्य-शासनावली (1206-1847), पब्लिकेशन बोर्ड ऑफ़ असम, गुवाहाटी, पृ. 156
वाडे, जे. पी. (1927) :एन अकाउंट ऑफ असम, पृ. 265
वाडे, जे. पी. (1927) :एन अकाउंट ऑफ असम, पृ. 265
रोडेज, एन. जी. एवं बोस, एस. के. (2004) :द कोइनेज ऑफ असम (भाग दो), लाइब्रेरी ऑफ नुमिस्मेटिक स्टडीज, पृ. 11
नियोग, महेश्वर (1973) :प्राच्य-शासनावली (1206-1847), पृ. 178-179
गोगोई, पी. (1976) :टाइ अहोम रिलिजन एण्ड कस्टम, पब्लिकेशन बोर्ड आफ असम, पृ. 27
चौधरी, तपन रॉय एवं हबीब, इरफान-सम्पादक (1982) :द कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 488; रोडेज, एन. जी. एवं बोस, एस. के. (2004) :द कोइनेज ऑफ असम (भाग दो), लाइब्रेरी ऑफ नुमिस्मेटिक स्टडीज, पृ. 56
चौधरी, तपन रॉय एवं हबीब, इरफान-सम्पादक (1982) :द कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पृ. 483
मिल्स, ए. जे. एम. (1984) :रिपोर्ट ऑन प्राविन्सेज ऑफ असम, पृ. 2
मिल्स, ए. जे. एम. (1984) :रिपोर्ट ऑन प्राविन्सेज ऑफ असम, पृ. 2
नियोग, महेश्वर (1973) :प्राच्य-शासनावली (1206-1847), पृ. 154
भुइया, सूर्य कुमार-सम्पादक (1933) :तुंगखुघिया बरंजी, पृ. xxviii
भुइया, सूर्य कुमार-सम्पादक (1933) :तुंगखुघिया बरंजी, पृ. 31

भारत की G20 और ब्रिक्स में भूमिका

डॉ. ब्रजेश कुमार मिश्र*
डॉ. आलोक कुमार**

सारांश

21वीं सदी के दूसरे दशक की बदलती हुई भू-राजनीतिकी, भू-सामरिक स्थिति एवं भू-आर्थिकी ने पूरी दुनिया को अपनी नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने पर विवश किया है। जब शक्ति-राजनीति के साथ ही बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्वयं को सुपर पॉवर बनाने की होड़ विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य लगी हुई है तो इस बात का आकलन करना समीचीन प्रतीत होता है कि भारत की स्थिति क्या है? वर्ष 2023 के दो बड़े आर्थिक फोरम की बैठक ने दुनिया को काफी प्रभावित किया है। यह फोरम हैं - ब्रिक्स और G-20। इन दोनों संगठनों की प्रकृति सैद्धांतिक तौर पर भले ही एक जैसी दिखाई पड़ती हो लेकिन यह दोनों अन्तर्राष्ट्रीय जगत को अपने-अपने तरीके से प्रभावित करते हैं। संयोगवश भारत इन दोनों संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के लिए दुविधा यह है कि वह ग्लोबल साउथ की आवाज इन दोनों मंचों से एक ही साथ कैसे उठाए? साथ ही इन संगठनों में अपने कद में किस प्रकार वृद्धि करे? प्रस्तुत शोध पत्र में G-20 और ब्रिक्स का वैश्विक राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव, चुनौतियों और अवसर का अवलोकन किया गया है। इस पत्र का केन्द्रीय विषय, भारत की ब्रिक्स और जी-20 में भूमिका और सम्भावनाओं पर अवलंबित है। बदलते संदर्भो में भारत इन दोनों संगठनों के साथ किस प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करते हुए अपने पुराने मित्रों (गुट-निरपेक्ष देश) के लिए किस प्रकार नए अवसर प्रदान करेगा और अपने विश्व गुरु की भावी दृष्टि से किस प्रकार न्याय कर सकेगा, का अवलोकन किया गया है।

बीज शब्द : ब्रिक्स, G-20, ग्लोबल साउथ, आर्थिक मंदी, जी.डी.पी.

प्रस्तावना

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वैश्विक राजनीति में शक्ति की राजनीति की अवधारणा में व्यापक परिवर्तन आया। यह आभासी शक्ति के रूप में प्रकट हो रहा था। सारी परिस्थितियाँ युद्ध जैसी थीं लेकिन इस तनाव के बावजूद भी स्थितियां नियंत्रण में रहीं। 1970 के दशक में "आत्मनिर्भरता के सिद्धांत" ने राष्ट्रों के मध्य सम्बंधों की नई परिभाषा गढ़ी। कोहेन और जोसफ नाई ने कहा था कि अब उच्च राजनीति की भांति निम्न राजनीति का विशिष्ट महत्व है। इसलिए सम्प्रति वैश्विक राजनीति में सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को वरीयता दी जानी चाहिए। यद्यपि इस सिद्धांत के प्रतिपादन के पूर्व ही कई क्षेत्रीय संगठन अस्तित्व में आ चुके थे,जो सिर्फ आर्थिक आधार पर एकजुट हुए थे। जिनका मूल उद्देश्य अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना था। 1990 के दशक तक आते-आते पूंजीवाद ने पूरी दुनिया में अपने पांव पसार लिए थे। सोवियत संघ के विखंडन के बाद अमेरिका एक मात्र शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका था। 1990 के दशक के मध्य में पूर्वी एशिया की आर्थिक राजनीति में भूचाल आ गया। इसी के परिणाम स्वरुप G-20 की नींवपड़ी किन्तु यह संगठन वस्तुत: अमेरिका में आयी आर्थिक मंदी के बाद ही अपना मूर्त

*सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान (मानविकी विभाग), श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
**सहायक प्राध्यापक (अतिथि), राजनीति विज्ञान (मानविकी विभाग), श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

रूप ले सका। सन 2023 में हुए दिल्ली शिखर सम्मेलन ने G-20 को G-21 की ओर मोड़ दिया। अब यह संगठन विकसित देशों के साथ ही तीसरी दुनिया के देशों अर्थात ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने के लिए उद्यमशील है।

G-20 के फोरम पर सिर्फ आर्थिक चर्चा ही नहीं होती है वरन जलवायु-परिवर्तन, ऊर्जा- संकट और आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। जी-20 की भांति ही एक और संगठन 21वीं सदी के उत्स पर उभरा जो विश्व की 40% जनसंख्या और चार महाद्वीपों के पांच देशों का प्रतिनिधित्व करता है। यह संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भविष्य में प्रभावित करने वाले अनुमान के कारण अस्तित्व में आया। दूरदर्शी जिम ओ नील ने "BRIC" की कल्पना 2001 में की और पुनःयह संगठन 2010 में ब्रिक्स के रूप में तब्दील हो गया। वर्तमान समय में यह संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था के जरिए पश्चिम के प्रभुत्व वाली वैश्विक राजनीति को चुनौती दे रहा है। ब्रिक्स देशों में बढ़ता विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी और नेतृत्व की अद्भुत क्षमता, सेवाओं और वस्तुओं के बढ़ते व्यापार की वजह से इसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा हैजिसने इसे पश्चिमी अर्थव्यवस्था और उसके प्रमुख आर्थिक संगठनों जैसे कि G-7, G-20 और यूरोपीय यूनियन की पंक्ति में ला खड़ा किया है। वर्तमान समय में जब विश्व में नए समीकरण या दूसरे शब्दों में कहें कि "नव शीत युद्ध" जैसी स्थिति बनी हुई है तो वैश्विक फलक पर "ब्रिक्स" अपनी एक अलग पहचान बनाने को आतुर है। यही कारण है कि तीसरी दुनिया के देश अपनी आर्थिक व्यवस्था और अपनी सामान्य समस्याओं (जलवायु परिवर्तन और उर्जा संकट जैसे मुद्दों) को सुलझाने हेतु ब्रिक्स से जुड़ रहे हैं (Abrams, 2022)। इसने ब्रिक्स को नए कलेवर में दुनिया के समक्ष पेश किया है। सन 2023 के जोहान्सबर्ग में हुए सम्मेलन में 6 नए सदस्य देशों को जोड़ना ब्रिक्स के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। अब यह संगठन जनवरी 2024 से ब्रिक्स प्लस के रूप में परिणत हो जाएगा (Global Times, 2023)।

ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रही है। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी दुनिया युद्ध की चपेट में हैं। अफ्रीकी महाद्वीप अशांत है। तब G-20 और ब्रिक्स जैसे संगठनों की भूमिका और भी बढ़ जाती है। भारत चूँकि दोनों संगठनों का हिस्सा है, इसलिए वर्तमान स्थिति में उसकी क्या भूमिका होगी यह विमर्श का विषय है?

वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स कि भूमिका

21 वीं सदी कि शुरूआत में ही वैश्विक फलक पर विकाशशील देशों ने आर्थिक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी आरंभ कर दी। इस क्रम में ब्राजील,भारत,चीन और रूस प्रमुख हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव हो रहा था। इनका प्रभाव स्पष्ट तौर पर इन देशों कि राजनीति के साथ ही साथ वैश्विक जगत पर भी पड़ रहा था। इन देशों के सकल घरेलू उत्पाद को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जाने लगा कि आने वाले समय में यह दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था ब्रिक्स देशों की होगी। 2010 तक आते-आते राष्ट्रों के इस क्रम में दक्षिण अफ्रीका को भी सम्मिलित कर लिया गया। इन देशों की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि कोई भी विश्लेषक इन्हें एक प्लेटफ़ॉर्म पर लाने के विषय में नहीं सोच सकता था किन्तु वस्तुतः यह संभव हो सका अमेरिकी अर्थशास्त्री जिम ओ नील की परिकल्पना के चलते जिसने "बिल्डिंग बेटर इकनॉमिक ब्रिक्स" शीर्षक से एक शोध पत्र में यह कल्पना की कि ब्राजील, भारत, चीन और रूस पश्चिम के आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती देंगे। अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने इन देशों के

लिए सम्मिलित रूप से “BRIC” कहा। 2003 में प्रस्तुत अपनी थीसिस “Dreaming with BRICs : The Pathto 2050” में उसने भविष्यवाणी की थी कि 2050 तक इनकी अर्थव्यवस्था 6 बड़ी औद्योगिक देशों से बड़े हो जाएगी, फलतः यह संघ वैश्विक-अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभुत्व जमा लेगा (Tripathi, 2021)।

इन देशों की पहली औपचारिक बैठक सन 2006 में न्यूयॉर्क में हुई, जिसमें सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। इसके बाद सन 2009 में येकातेरिनबर्ग (रूस) में पहला BRIC शिखर सम्मेलन आयोजित किया गयाजहां इस बात पर चर्चा हुई कि दूसरे देशों को भी इस संगठन में शामिल किया जाना चाहिए। फलतः दक्षिण अफ्रीका इस संगठन मे सम्मिलित हुआ और वर्ष 2011 में चीन में आयोजित होने वाले सम्मेलन में उसने भाग लिया (Sharma, 2019)। दिल्ली शिखर सम्मेलन ने इसमें 6 अन्य देशों को जोड़ने कि पेशकश की है। अब यह संगठन जनवरी 2024 से “BRICSPlus” के नाम से जाना जाएगा (Bhatt, 2023)।

ब्रिक देशों में 24 दिसम्बर 2010 को दक्षिण अफ्रीका के सम्मिलित होने के बाद इस संगठन का नाम ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स ब्राजील, भारत, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका का एक ऐसा साझा मंच है जो समान पहचान और सहयोग संस्थाकरण हेतु प्रयासरत है। यह एक ऐसा आर्थिक समूह है जिसने वैश्विक धरातल की अर्थनीति को व्यापक तौर पर प्रभावित किया है। इस संगठन कि 2009 के बाद से निरंतर बैठकें हो रही हैं। दुनिया की आबादी का लगभग 40%हिस्सा यहाँ निवास करता है। भौगोलिक दृष्टि से सात बड़े क्षेत्रफल वाले देशों मे से 4 इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व की सम्पूर्ण GDP में इनकी हिस्सेदारी लगभग 32% है। यह संगठन यद्यपि काफी तेजी से उभरता संगठन रहा है तथापि यह उभार प्रत्येक ब्रिक्स देश में देखने को नहीं मिला है। ब्राजील की औद्योगिक गति 2014 के बाद से ही ढीली है। पिछले एक दशक में ब्रिक्स के चार अन्य चार देशों के बनिस्बत चीन ने अपनी स्थिति को काफी हद तक मजबूत किया है। चारों देशों की तुलना में अकेले चीन की GDP दूनी है। फिर भी समग्र रूप से यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं।

वर्तमान समय में दुनिया बहुत उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। इसमें अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका बहुत अहम है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) तथा G-20 महत्पूर्ण संगठन हैं। यदि हम ब्रिक्स की बात करें तो हमें यह पता चलता है किइसकी वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी एक चौथाई से अधिक है। जिसका 70% हिस्सा चीन के सकल घरेलू उत्पाद का है। ब्रिक्स के पिछले लगभग 20 सालों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में व्यापार और निवेश तथा आर्थिक वृद्धि में बड़े स्तर में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यदि हम आंकड़ो पर दृष्टि डालें तो ज्ञात होता है कि इन देशों के बीच विदेशी निवेश में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की “ब्रिक्स इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट” के अनुसार “वार्षिक एफडीआई प्रवाह 2001 से 2021 तक चौगुना से अधिक हो गया है।”

Figure 1. FDI inflows to the BRICS, 2001-2021, and compound annual growth rate (billions of dollars and per cent)

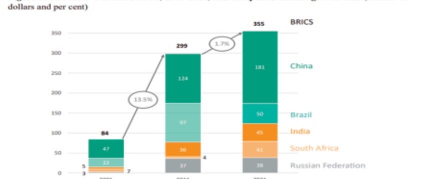

Source: UNCTAD, FDI/MNE database (www.unctad.org/fdistatistics).
Note: South Africa is included in the 2001 figure although it joined the BRICS in 2011.

उपर्युक्त रेखाचित्र से यह स्पष्ट है कि ब्रिक्स देशों ने अपने वार्षिक एफडीआई प्रवाह में चार गुना से अधिक वृद्धि देखी है। जो एफडीआई 2001 में मात्र 84 बिलियन डॉलर था वह 2021 में बढ़कर 355 बिलियन डॉलर हो गया। इससे यह पता चलता है कि ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

Figure 2. FDI inflows to the BRICS and share in world inflows, 2011-2021 (billions of dollars and per cent)

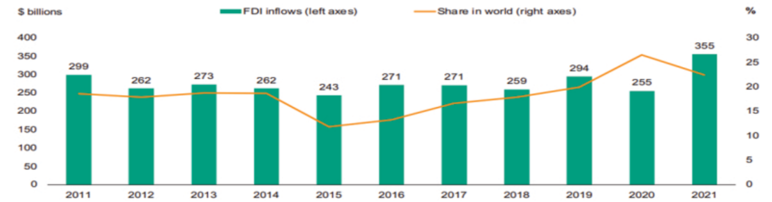

Source: UNCTAD, FDI/MNE database (www.unctad.org/fdistatistics).

दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में हुए सम्मेलन में 6 नए देशों को ब्रिक्स में शामिल किया गया है। यह देश हैं - ईरान, इथोपिया ,अर्जेंटीना, इजिप्ट, यूएई, और सऊदी अरब। वैश्विक जी.डी.पी. में इन देशों की हिस्सेदारी 2011 तक 20.26 प्रतिशत थी लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन देशों ने आर्थिक स्तर पर कई मुकाम हासिल किए हैं। इसलिए साल 2023 में इन देशों की वैश्विक जी.डी.पी. में हिस्सेदारी 26.62 प्रतिशत हो गयी है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्रिक्स देश एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इन 6 देशों के मिल जाने से वैश्विक जी.डी.पी. में इनकी हिस्सेदारी 29.6 प्रतिशत तक हो जायेगी। विश्व के लगभग 30 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स का सदस्य बनने की इच्छा व्यक्त की है। मूल प्रश्न यह है कि क्या कारण है कि विश्व के इतने देश इस संगठन का हिस्सा बनना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि विकासशील देशों के पास कोई वैश्विक आर्थिक मंच नहीं था। ब्रिक्स के उदय के बाद इन देशों को एक आर्थिक मंच मिल गया जिसके माध्यम से यह देश वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बना सकते हैं और अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने का प्रयास कर सकते हैं।

वैश्विक आर्थिक जगत में G-20 देशों की भूमिका

20 वीं शताब्दी का आखिरी दशक आर्थिक दृष्टि से बड़े उथल-पुथल का दशक रहा है। इस दौरान वित्तीय संकट की एक श्रंखला शुरू हुई जिसने सोवियत रूस एवं एशिया की आर्थिक स्थिति को व्यापक तौर पर प्रभावित किया। इसने विश्व के अन्य महाद्वीपों को भी प्रभावित किया। 1990 के दशक के आखिरी सालों में वित्तीय संकटों के कारक अत्यंत जटिल और बहुआयामी थे। इस वित्तीय संकट के पीछे जो मूलभूत कारण थे उनमे प्रमुख थे- (i) मुद्रा पेग्स और निर्धारित विनियम दर (ii) अल्पकालिक विदेशी ब्याज की उच्चदर (iii) मुद्राओं पर सट्टा सम्बंधी हमले (iv) सरकारी नीतियां (v) राजनीतिक एवं सामाजिक कारक (vi) वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां। कमोवेश यही कारक एशियाई मंदी के लिए भी जिम्मेदार थे। एशियाई मुद्रा संकट जिसे बहुधा एशियाई संक्रमण भी कहा जाता है, जुलाई 1997 में शुरू हुआ। थाईलैंड में उठे इस बवंडर ने जल्द ही दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों को अपनी गिरफ्त में ले लिया।

सन 1999 में पाल मार्टिन (कनाडा के प्रधानमंत्री) और लैरी समर्स (अमेरिका उप-ट्रेजरी

सचिव) ने वैश्विक स्तर पर प्रमुख क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को लेकर एक समानान्तर अनौपचारिक समूह बनाने की आवश्कता महसूस की। यद्यपि इस तरह का विचार सन 1994 में मैक्सिको संकट और सन 1997 की दक्षिण-पूर्व एशियाई मंदी के बाद ही आरंभ हुआ तथापि औपचारिक रूप से यह संगठन एक मंच के रूप में 25 सितम्बर 1999 को ही अस्तित्व में आ सका।

G-20 विभिन्न देशों और यूरोपियन यूनियन के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का एक अंतरराष्ट्रीय फोरम है। इसकी स्थापना एशियाई वित्तीय संकट की प्रतिक्रिया में सन 1999 में हुई थी। इसका प्राथमिक लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना है। G-20 समावेशित विकास और प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। जबकि इसके सदस्य देश विश्व की एक बड़ी आर्थिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह देश यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि नीतिगत चर्चाओं में विकसित एवं विकासशील देशों के दृष्टिकोण पर विचार एवं विमर्श कैसे किया जाए। यद्यपि यह विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था नहीं है जिसके पास बाध्यकारी कानून और अधिकार हों, फिर भी यह संगठन वैश्विक आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यह आर्थिक मंच वर्ष 1999 में G-7 के वित्तमंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों, यूरोपीय संघ एवं विश्व की प्रमुख 19 अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिनिधियों की बर्लिन में हुई बैठक के बाद अस्तित्व में आया। यह एक ऐसा फोरम है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। इसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन, अप्रवास और समावेशी विकास करना है। यह दुनिया की लगभग 80% जीडीपी, 75% व्यापार, 66% जनसंख्या तथा 60% भूभाग का प्रतिनिधित्व करता है (Jaya, 2015)।

यह आर्थिक फोरम विकसित एवं विकासशील देशों की वित्तीय समस्याओं को लेकर विचार एवं विमर्श करता है। इस संगठन में वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नरो के माध्यम से चर्चा होती है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका और विश्व के प्रमुख आर्थिक संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्रा कोष और विश्व बैंक विकासशील देशों की आर्थिक व्यवस्था की ताकत को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। 2008 के पूर्व तक यह संगठन उतना प्रभावी नहीं था। लेकिन हेलमैन ब्रदर्स के दिवालिया होने के बाद पूरा पश्चिमी जगत भीषण आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया। ठीक इसी वर्ष G-20 के फोरम को अपग्रेड कर वित्त मंत्रियों के सम्मेलन की जगह राष्ट्र अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ। यह G-20 का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन था। तब से लेकर अब तक 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं (Global Times, 10 2023)।

जब अमेरिका आर्थिक मंदी की चपेट में आया तो इस संगठन के सदस्यों ने इसकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना शुरू कर दिया और यह कहना शुरू किया कि भविष्य में यह संगठन आपसी आर्थिक सहयोग में अपनी अहम् भूमिका निभा सकता है। इसी सन्दर्भ में मैक्सिको के वितमंत्री ने एक महत्पूर्ण बात कही थी कि G-20 ने नई उभरती हुई अर्थव्यवस्था और संपन्न देशों के बीच बातचीत स्थापित करने में विशिष्ट भूमिका निभाई है (Marquez, 2009)। इसी क्रम में अमेरिकी सरकार के आर्थिक विभाग द्वारा जारी बयान पर ध्यान देना भी उचित प्रतीत होता है जिसमें कहा गया था कि G-20 संगठन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर बात-चीत करने का एक बेहतरीन मंच है (Sobel and Stedman, 2006)। लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों की वजह से विकासशील देशों की आर्थिक व्यवस्था में बड़े स्तर पर बदलाव हुए हैं। इस बदलाव की वजह से विकसित देशों ने भी यह सोचना शुरू किया कि विकासशील देशों की आर्थिक व्यवस्था वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के विकास में अपना अहम योगदान दे सकती है। इसलिए विकसित देशों ने विश्व के कई प्लेटफार्मों पर यह बात कही कि विकसित और विकासशील देशों

को एक साथ मिलकर विश्व की आर्थिक व्यवस्था का संचालन करना चाहिए ताकि वैश्विक समस्याओं का सही समय पर समाधान निकाला जा सके और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया जा सके (Mahajan, 2023)।

ब्रिक्स एवं G-20 देशों की बदलती हुई आर्थिक ताकत

ब्रिक्स और G-20 दोनों संगठन विश्व की बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं। दोनों संगठनों ने विश्व की आर्थिक व्यवस्था को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। G-20 का नेतृत्व यूरोपीय देशों के हाथ में है और उसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है। इसके विपरीत ब्रिक्स देशों में तीन बड़े ख़िलाड़ी हैं जो अपनी भूमिका निभाने के लिए उद्यमशील हैं। यह देश क्रमश: चीन, भारत एवं रूस हैं। पूर्णरूपेण तो नहीं फिर भी यह कहने में कोई संशय नहीं है कि चीन फिलहाल ड्राईविंग सीट पर है। G-20 का एक बड़ा समुदाय अमेरिका की वैचारिकी को आगे बढ़ा रहा है। बदलते हुए दौर में जब वैश्विक फलक पर संघर्ष का केंद्र ऊर्जा और आर्थिक ताकत के संवर्धन पर है तो विश्व की दो बड़ी शक्ति चीन और अमेरिका के मध्य वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापन का खेल जारी है। चीन मुख्य रूप से ब्रिक्स के संगठन में बड़े स्तर पर आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। चीन ब्रिक्स देश के साथ-साथ अन्य देशों को भी आर्थिक सहायता प्रदान करता है। ब्रिक्स के माध्यम से चीन का उद्देश्य यह है कि वह यूरोप के साथ-साथ अमेरिका के वर्चस्व को वैश्विक स्तर पर कैसे चुनौती दे। जिस तरीके से चीन की आर्थिक ताकत बढ़ रही है उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले 50 सालों में चीन विश्व का सबसे ताकतवर देश बन सकता है,जो वैश्विक स्तर पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है (Sawhney, 2023)।

यदि पिछले 30 सालों के विदेशी निवेश पर दृष्टिपात करें तो यह विदित होता है कि सन 1995 में G-20 देशों का विदेशी निवेश कुल वैश्विक विदेशी निवेश (FDI) का 44.9% था जबकि ब्रिक्स देशों का विदेशी निवेश मात्र 16.9% था। लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत से ही ब्रिक्स देशों ने आर्थिक नीतियों में बड़े स्तर पर बदलाव कर लिए जिसकी वजह से 2010 में ब्रिक्स देशों का विदेशी निवेश (FDI)16.9% से बढकर 26.6% पहुँच गया जबकि वहीं G-20 देशों का विदेशी निवेश घटकर 34.3% रह गया। सन 2010 से लेकर 2023 तक विश्व की आर्थिक नीतियों में कई बदलाव हुए हैं जिसने विश्व के आर्थिक ढांचे को प्रभावित किया है। इसका प्रभाव ब्रिक्स और G-20 देशों के विदेशी निवेश में भी देखने को मिला है। इस काल में ब्रिक्स देशों ने G-20 देशों को विदेशी निवेश के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया जो आर्थिक दृष्टि से एक क्रांतिकारी बदलाव है और यह भी इंगित करता है कि अब G-20 देश नहीं बल्कि ब्रिक्स देश विश्व के आर्थिक जगत का नेतृत्व करेंगे (तालिका न.1)।

तालिका 1: ब्रिक्स एवं G-20 का विदेशी निवेश (FDI)

वर्ष	ब्रिक्स	G-20
1995	16.9%	44.9%
2010	26.6%	34.3%
2023	32.1	29.9%

Source: IMF World Economic Outlook (2023 data based on IMF estimates as of April 2023)

ब्रिक्स एवं G-20 जैसे आर्थिक संगठनों में भारत की भूमिका

21वीं सदी में विश्व के आर्थिक ढांचे में बड़े स्तर पर बदलाव हो रहा है जिसका प्रभाव विश्व की राजनीति पर भी दिख रहा है। जो देश आर्थिक रूप समृद्ध हैं वह विश्व के विकासशील देशों के साथ अपने संबन्ध सुधार रहे हैं ताकि उनकी आर्थिक तरक्की हो सके। इस बदलते परिवेश में भारत को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे वह अपने आर्थिक हितों की रक्षा बड़े स्तर पर कर सकता है। चूँकि भारत इन दोनों संगठनों का सदस्य है इसलिए भारत को दोनों ही मंचों के साथ संतुलन बनाकर विश्व राजनीति के ध्रुवीकरण से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए जिससे विश्व का समुचित विकास हो सके और दुनिया के विभिन्न देश वैश्विक चुनौतियों जैसे कि पर्यावरण और आतंकवाद की समस्या का समाधान करने में सफल हो सकें। यह भारतीय विदेश नीति का सैद्धांतिक पक्ष है जिस पर भारत लगातार जोर देता है, किन्तु विश्व राजनीति का व्यावहारिक पक्ष एकदम अलग है जिसकी बारीकियों को समझना भारतीय विदेश नीति के विश्लेषकों की सोच एवं समझदारी पर निर्भर है। प्रवीण साहनी भारत की ब्रिक्स और G-20 की भूमिका का अध्ययन करने के बाद यह कहते हैं कि ब्रिक्स गतिशील और विकसित हो रहा है और विश्व की उभरती हुई अन्य आर्थिक शक्तियों को आकर्षित कर रहा है। जबकी G-20 जो G-7 से विकसित हुआ वह बिना चीन और रूस के बहुत ज्यादा प्रभावी नही रहेगा। यदि भारत कोई गलत रास्ता चुनता है तो इसका खामियाजा इसे भविष्य में भुगतना पड़ सकता है (Sawhney, 2023)। जबकि प्रवीण साहनी के अलावा एक अन्य विश्लेषक अंतरा घोसल सिंह की धारणा है कि ब्रिक्स का विस्तार करने का चीन का उद्देश्य ब्रिक्स तंत्र और मंच के माध्यम से अपने "एजेंडे और भव्य रणनीति" को अधिक मजबूती से बढ़ावा देना और कूटनीतिक रूप से अमेरिका की रोकथाम को आसान बनाना है। चीन ब्रिक्स को एंटी-अमेरिका के रूप इस्तेमाल करना चाहता है (Singh, 2022)। चीन यह भी चाहता है कि ब्रिक्स के अगले विस्तार में पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल किया जाए। यदि पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल किया जाता है तो यह भारत के हितों की रक्षा के लिए एक चिंता का विषय होगा (Jha, 2023)। आर्थिक दृष्टि से भारत की G-20 और ब्रिक्स में क्या भूमिका है उसे तालिका 2 तथा 3 से स्पष्ट किया गया है।

तालिका 2: भारत का जी-20 के साथ का कुल आयात और निर्यात (2018-19 से 2022-23)

	निर्यात	
वर्ष	**मिलियन ($)**	**कुल निर्यात का %**
2018-19	145,086.45	43.95%
2019-20	142,684.09	45.53%
2020-21	144,179.42	49.40%
2021-22	209,528.70	48.93%
2022-23	212,926.09	47.20%
	आयात	
वर्ष	**मिलियन ($)**	**कुल आयात का %**
2018-19	257,741.80	50.13%
2019-20	241,698.65	50.91%
2020-21	207,202.99	52.53%
2021-22	311,266.02	50.77%
2022-23	393,770.59	54.99%

Source: वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रदत्त के आधार पर शोधार्थी का विश्लेषण

तालिका 2 का विश्लेषण करने पर विदित होता है कि 2018-19 मे पूरी दुनिया के साथ हुए निर्यात का 43.95% G-20 के देशों के साथ था जो मामूली वृद्धि के साथ 2022-23 में 47.20% हो गया। आयात में भी कोई बहुत वृद्धि नहीं देखी गई है। परंतु व्यापार घाटे की समस्या G-20 के साथ यथावत है जो भारत के लिए चिंताजनक है। यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस विश्लेषण में यूरोपीय संघ को सम्मिलित नहीं किया गया है।

तालिका 3: भारत का ब्रिक्स देशों के साथ का कुल आयात और निर्यात (2018-19 से 2022-23)

	निर्यात	
वर्ष	**मिलियन ($)**	**कुल निर्यात का %**
2018-19	27,009.37	8.18%
2019-20	27,705.99	8.84%
2020-21	32,021.80	10.97%
2021-22	37,088.74	8.78%
2022-23	36,846.95	8.16%
	आयात	
वर्ष	**मिलियन ($)**	**कुल आयात का %**
2018-19	87,083.84	16.93%
2019-20	82,398.52	17.35%
2020-21	81,282.18	20.60%
2021-22	121,119.65	19.75%
2022-23	161,788.83	22.59%

Source:वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रदत्त के आधार पर शोधार्थी का विश्लेषण

इसी प्रकार तालिका 3 में वर्णित 2018-19 से 2022-23 तक भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल आयात और निर्यात का विश्लेषण करने से पता चलता है कि भारत का आयात लगातार ब्रिक्स से बढ़ रहा है जो वित्तीय वर्ष 2018-19 में जहां पूरे विश्व के आयात का सिर्फ 16.93% था वहीं 2022-23 में बढ़कर 22.59% पहुंच गया है। जबकि भारत का ब्रिक्स देशों के साथ निर्यात में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला वरन 2018-19 की तुलना में 0.02% घटा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अनुचित है। भारत को अपने व्यापार घाटे को संतुलित करना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत संप्रति ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से उसे अपने भू-राजनीतिक विकल्प की तलाश करने में बड़ी कठिनाई हो रही है। इसके पीछे जो प्रत्यक्ष कारण दिखलाई पड़ता है वह यह है कि उसे एक ही साथ

G-20, क्वॉड, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन में अपनी विशिष्ट भूमिका निभानी है। ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) जैसे गैर पश्चिमी संगठन में भारत की बढ़ती अभिरुचि का कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड्स समझौते के फलत: अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और 44 अन्य देशों बैंक (WB) की अलोकतांत्रिक तथा असमान संरचना से विकर्षण है। इसका निहितार्थ यह भी नहीं है कि भारत पश्चिम के विरुद्ध है और यह होना भी नहीं चाहिए।

भारत का ग्लोबल साउथ, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग से जुड़ाव ऐतिहासिक, भौगोलिक और विकासात्मक दृष्टि पर आधारित है। शीत युद्ध के युग में भारत तीसरी दुनिया के देशों का गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे फोरम पर नेतृत्व कर रहा था किन्तु बदलती हुई भू आर्थिकी ने भारत को पुराने सम्बन्धियों के साथ ही नए क्षेत्र से जुड़ने पर विवश कर दिया। इस प्रकार भारत पहली बार बड़े देशों के क्लब में सम्मिलित हुआ। W.T.C. के बाद अमेरिका से निकटता बढ़ गई फिर उसने क्वॉड और G-20 के साथ ही G-7 की बैठकों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इतना सब होने के बावजूद वह न तो पश्चिम और न ही ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने की स्थिति में है क्योंकि इन दोनों मंचों का नेतृत्व फिलहाल क्रमशः अमेरिका और चीन के हाथ में है। फलत: भारत एक उभरते हुए भू-राजनीतिक क्षितिज को निर्निमेष भाव से देख रहा है और इस तलाश में है कि वहां तक कैसे पहुंचे? भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक दृष्टि से दोनों मंचों पर एक साथ बने रहना उसकी प्राथमिकता में है। एक और मौलिक संकट हाल के वर्षों में भारतीय कूटनीतिज्ञों के समक्ष उपस्थित हुआ है वह है दो प्रतिस्पर्धी गुटों का उदय। यह स्थिति लगभग शीत युद्ध जैसी है जहाँ एक ओर अमेरिका है तो दूसरी ओर चीन और रूस। रूस उस चरमोत्कर्ष वाली स्थिति की तलाश में है जो कभी 1990 के पहले थी। चूंकि अमेरिका उसका परंपरागत शत्रु है और वर्तमान में चीन भी अमेरिका के समक्ष मुखर है। अतः दोनों के मध्य काफी निकटता आ गई है। रूस का अचानक से चीन के पाले में जाना भारतीय विदेश नीति के विश्लेषण के लिए चिंता की बात है।

भारत ने अपनी पुरानी गुटनिरपेक्षता की नीति को एक नए कलेवर में प्रस्तुत करते हुए ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ना बेहतर समझा है। पुनः जनवरी 2023 में दिल्ली में "वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ" का आयोजन किया गया (Bhattacharjee,2023)। इसके बाद G-20 की बैठक के दौरान भारत ने ग्लोबल साउथ के 11 देशों और अफ्रीकी यूनियन को भी आमंत्रित कर G-20 को G-21 में तब्दील कर दिया। इस प्रकार भारत ने अपने परंपरागत विदेश नीति के गुटनिरपेक्ष सिद्धांत को यथावत रखते हुए दोनों गुटों के साथ अपनी स्थिति के अनुरूप अपने सम्बंधों को बेहतर करने की कोशिश की है। इसे चीन के उस कार्य की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है जिसमें ब्रिक्स की जोहानसबर्ग की बैठक में चीन के आमंत्रण पर 35 अफ्रीकी देश जुड़े थे। दिल्ली बैठक में ग्लोबल साउथ की उपस्थिति ने विकासशील और गरीब देशों की चिंता को केंद्र में रखकर भारत ने पश्चिमी शक्तियों को चुनौती दी है (Sharma, 2023)।

उपर्युक्त विवेचना के आलोक में कहा जा सकता है कि भारत को अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के निमित्त दोनों संगठनों के साथ सम्बंध बनाए रखना होगा। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने का दावा चीन भी करता है। अतः भारत को ग्लोबल साउथ के देशों में अपनी विश्वास बहाली करनी होगी। उन्हें इतिहास में झांकने के लिए विवश करना होगा ताकि वह चीन के वास्तविक दृष्टिकोण से परिचित हो सकें और चीन द्वारा निर्मित मकड़ जाल में फंसने से बच सकें। इस प्रकार भारत इन देशों में यह भावना जागृत कर पाने में सफल हो सकेगा कि ग्लोबल साउथ का वास्तविक नेतृत्व वह ही कर सकता है। भारत को अपनी आर्थिक स्थिति के विकासात्मक ढांचे को तो सुदृढ़ करना ही होगा लेकिन यह बदलाव वैश्विक

पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए करना होगा,साथ ही चीन के ओबोर प्रोजेक्ट (OBOR Project) को यथाशीघ्र चुनौती देते हुए IMEC, चाबहार पोर्ट और INSTC पर भी तेजी से कार्य करना होगा। वस्तुतः आर्थिक समृद्धि के साथ ही सतत विकास, हरित पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों के समाधान को भी खोजना होगा।

संदर्भ सूची

Abrams, E. (2022, March 4). The New Cold War. Retrieved from Council on Foreign Relations: https://www.cfr.org/blog/new-cold-war-0

Bhatt, A. (2023, October 4). No One Knows What BRICS Expansion Means. Retrieved from https://thediplomat.com/2023/10/no-one-knows- what-brics-expansion-means/

Bhattacharjee, K. (6 January, 2023). India to host Voice of the global south summit. The Hindu.

Global Times, 10 September, 2023.

Global Times, 24 August, 2023

Jaya, R. (2015, September 9). G-20 finance ministers committed to sustainable development. Retrieved from ipsnews.net/2015/09/g 20- finance- ministers-V.Rubio"development committed-to- sustainable -Marquez

Jha, V. (2023, August 25). Brics kavistaraurcheenkibdhteetakatbharatkeliyechintaki bat. Retrieved from Jansatta.com

Mahajan, A. (2023, September 6). Brics men Badhtee any deshonkidilchspee. Retrieved from prabhatkhabar.com

Marquez V. R. (2009). A Practitioners Perspective. In N. W. LeonardoMartinez-Diaz. Oxford University Press.

Sawhney, P. (2023, September 4). BRICS is Dynamic, the G20 is Not. Retrieved from https://thewire.in/world/brics-is-dynamic-the- g20-is-not

Sharma, A. (2019, 18 June). Brics :Samajik-ArthikSahyogkaekdashak.Indian Council of World Affairs (Government of India) (icwa.in)

Sharma, P. (19 sep 2023). How the global south sized the spotlight at G 20 summit in new delhi. The Hindu.

Singh, A. G. (2022, July 21). Why China wants to expand BRICS. Retrieved from www.orfonline.org/expert-speak/why-china-wants-t expand-brics/

Sobel, M. &. (July 2006). The Evolution of the G-7 and Economic Policy Coordination (Occasional paper no 3). US Department of the Treasury, office of International Affairs.

Tripathi,S.P.M. (2021). AntarrashtreeySangathan. New Delhi: Raj Publication.

भारतीय अर्थव्यवस्था में जीएसटी का प्रभाव: पूर्व और पश्चात की राजस्व वृद्धि का अध्ययन

अमित गुप्ता*
प्रो. शैलेन्द्र सिंह भदौरिया**

सारांश

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक एकीकृत कर प्रणाली है जो भारत में 1 जुलाई, 2017 को लागू हुई। यह अध्ययन भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के प्रभाव का मूल्यांकन करने का उद्देश्य रखता है। इसके मुख्य उद्देश्यों में भारतीय कर राजस्व पर जीएसटी के प्रभाव का विश्लेषण और भारत के अप्रत्यक्ष कर प्रवृत्तियों की जांच शामिल है। शोध विधि ने एक तुलनात्मक ढांचा अपनाया, जो भारत में जीएसटी कार्यान्वयन से पहले और बाद में कर संकलन डेटा का तुलना करता है। सेकेंडरी डेटा संग्रहण में पूर्व-जीएसटी काल यानी 2012-13 से 2016-17 तक कर संकलन डेटा और जीएसटी काल यानी 2017-18 से 2021-22 तक कर संकलन डेटा को भारत सरकार के राजस्व विभाग से जुटाया गया। सांख्यिकीय विश्लेषण में पेयर्ड सैंपल्स टी-टेस्ट का इस्तेमाल किया गया है ताकि कर संकलन की माध्यिका का मूल्यांकन और तुलना किया जा सके। इसके अलावा, कर राजस्व में देखी गई प्रवृत्तियों को दिखाने के लिए एक चित्रित प्रतिनिधित्व किया गया है। इसके अतिरिक्त, संबंध विश्लेषण किया गया ताकि जीएसटी कार्यान्वयन से पहले और बाद में कर राजस्व के बीच का संबंध दिखाया जा सके। परिणामों और चर्चाओं से पता चलता है कि: भारत के अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 2012-13 से लेकर 2021-22 तक लगातार वृद्धि हुई है। जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले और बाद में कर संग्रह में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर है। यह अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जीएसटी का अनुकूल प्रभाव हुआ है। जीएसटी के कार्यान्वयन से कर संग्रह में वृद्धि हुई है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार दे सकती है। राजस्व बढ़ोतरी के कारण जीएसटी का सही तरीके से कियान्वयन है जिसमें कर की चोरी का रुकना, अफसरशाही का काम होना, एक राष्ट्र एक टैक्स का होना, एक पोर्टल होने के कारण करदाताओं को आसान प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह सब कर संग्रहण के बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है।

बीज शब्द : जीएसटी, अप्रत्यक्ष कर, कर संग्रहण, राजस्व, अर्थव्यवस्था

प्रस्तावना

भारतीय परिदृश्य में जीएसटी एक महत्वपूर्ण कर सुधार है जिसने देश की राह को आसान बना दिया। कई संदर्भ में जैसे "एक राष्ट्र एक कर" की अवधारणा से व्यापारियों के लिए इसे सुगम बनाया। अब उन्हें केवल जीएसटी में ही पंजीकृत होने की आवश्यकता है बजाये तमाम तरह के पंजीयन के जो कि जीएसटी आने के पहले थे। ठीक उसी प्रकार एकल विंडो प्रणाली से अब विदेशी कंपनियों के लिए भी भारत में व्यापार करना काफी आसान हो गया। जिसके फल स्वरुप भारत में विदेशी इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी

*शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश
**प्रोफ़ेसर, वाणिज्य विभाग, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश

होगी जिससे अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

अगर हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करे तो विश्व में प्रथम बार फ्रांस में सन् 1954 में जीएसटी को लागू किया था। उसके बाद अलग-अलग समय में बहुत से देश ने इसे अपने देशों में लागू किया। जैसे न्यूजीलैंड ने सन 1980 में कनाडा ने 1991 में सिंगापुर में 1990 के मध्य में ऑस्ट्रेलिया में सन् 2000 में और भारत में यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। इसी प्रकार सन् 2021 तक लगभग 160 से अधिक देशों ने इसे अपने यहां लागू कर लिया था। जापान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों ने कर की दर कम है, परंतु उनके संग्रह भी कमजोर हैं। डेनमार्क यूके यूएस और ऑस्ट्रेलिया में कर संग्रह अधिक है। जीएसटी लागू करने के मुख्य कारणों में कर की चोरी को कम करना, मूल्य विकृति को कम करना और कर संरचना में अनिश्चितता को खत्म करना शामिल है। भारत जैसे वेट वाले देश व्यापक प्रभाव से बचने, सरलीकरण और वैश्वीकरण कर प्रभाव के साथ सामंजन जैसे लाभो के लिए जीएसटी में स्थानांतरित हो गए।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के प्रभाव को विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि वस्तु एवं सेवा कर की मदद से देश का कर ढांचा सरल हो गया। इसके अलावा छोटे और मझोले कारोबारों के लिए भी जीएसटी को बड़ा सहारा कहा जा सकता है। दूसरा तरीका जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के प्रभाव को समझा जा सकता है वह यह है कि संपूर्ण कर योग्य राशि में कमी देखी जा सकती है।

साहित्य की समीक्षा

शुक्ला एट अल. (2022) उन्होंने बताया कि उन्होंने विशेषणात्मक प्रकृति का अध्ययन किया जो 10 वर्षों के डेटा 2013 से 2022 तक में था और पुष्टि करते हैं की वस्तु एवं सेवा कर एक स्पष्टता प्रदान करता है। उनके विश्लेषण में यह बताया गया कि जीएसटी एक पारदर्शी तरीके का टैक्स है और एक कुशल कर प्रणाली है।

जैन और गोखरू (2023) यह अपने अध्ययन पर व्यवसायों पर जीएसटी के वित्तीय प्रभाव की जांच करते हैं। उन्होंने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की तीन कंपनियों को चयन किया और पाया कि परिणाम में वित्तीय प्रदर्शन में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं दिखता है। जीएसटी लागू होने के पहले और बाद में।

राजेंद्रन और नेडेलिया (2020) का मानना है कि जीएसटी परिषद के द्वारा जो कर की दरो को मंजूरी दी गई है। वह बहुत ही सोच समझकर दी गई है, जिसमें आर्थिक और राजनीतिक विचार भी शामिल हैं, जिनके परिणाम स्वरुप भारत में जीएसटी संरचना को और अधिक बेहतर बनाया गया जिसमें बहुत से चीजों को छूट दी गई, जो डेली नीड्स की चीज हैं और इसे बहुत सही संयमित विचार के द्वारा बनाया गया।

निधि गर्ग (2019) ने पाया कि जीएसटी में मिश्रित स्थित है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की अधिकांश सेक्टर में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पाया गया है जबकि कुछ सेक्टर में इसका नकारात्मक प्रभाव ही पाया गया है जैसे कि जो एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल का जो सेक्टर है वह पहले जीएसटी से बाहर था। परंतु जीएसटी आने के बाद जीएसटी के अंतर्गत हो गया तो इसमें कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े।

सोनगरा मनोज (2019) ने पाया की जीएसटी के कार्यान्वयन से सरल और आसान मार्ग प्रशस्त होगा। एक पारदर्शी कर प्रणाली बनेगी। हर स्तर पर कर चोरी रुकेगी, लेकिन उन लाभो को प्राप्त करने के

लिए भारत को एक मजबूत अनुपालन तंत्र बनाने की जरूरत है।

अनुसंधान अंतराल

जीएसटी शोध की दृष्टि से नया विषय है। साहित्य की समीक्षा करने के उपरांत हमें यह ज्ञात हुआ कि इस विषय पर शोध कम हुए एवं जीएसटी में लगातार संशोधन होने के कारण शोध के परिणाम में स्थिरता नहीं है। शोधकर्ताओं ने इस शोध पत्र के माध्यम से भारत सरकार के राजस्व विभाग से जीएसटी आने के पूर्व एवं जीएसटी आने के पश्चात में राजस्व की तुलना की है। इस शोध के माध्यम से जीएसटी राजस्व का एक तुलनात्मक विवरण सामने आएगा। जिससे नीति निर्धारिकों को राजस्व के संदर्भ में एक सही दिशा प्राप्त होगी।

उद्देश्य

1. भारत के अप्रत्यक्ष कर प्रवृत्तियों का विश्लेषण
2. भारतीय कर राजस्व पर जीएसटी के प्रभाव का आकलन

परिकल्पना

1. शून्य परिकल्पना (H01): भारत के अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 2012-13 से लेकर 2021-22 तक कोई महत्वपूर्ण प्रवृत्ति परिवर्तन नहीं हुआ है।
   वैकल्पिक परिकल्पना (Ha1): भारत के अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 2012-13 से लेकर 2021-22 तक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति में बदलाव हुआ है।
2. शून्य परिकल्पना (H02): जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले और बाद में भारत के कर संग्रह में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।
   वैकल्पिक परिकल्पना (Ha2): जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले और बाद में भारत के कर संग्रह में महत्वपूर्ण अंतर है।

अनुसन्धान क्रियाविधि

शोध विधि ने एक तुलनात्मक ढांचा अपनाया, जो भारत में जीएसटी कार्यान्वयन से पहले और बाद में कर संकलन डेटा का तुलना करता है। सेकेंडरी डेटा संग्रहण में पूर्व-जीएसटी काल यानी 2012-13 से 2016-17 तक कर संकलन डेटा और जीएसटी काल यानी 2017-18 से 2021-22 तक कर संकलन डेटा को भारत सरकार के राजस्व विभाग से जुटाया गया। सांख्यिकीय विश्लेषण में पेयर्ड सैंपल्स टी-टेस्ट का इस्तेमाल किया गया है ताकि कर संकलन की माध्यिका का मूल्यांकन और तुलना किया जा सके। इसके अलावा, कर राजस्व में देखी गई प्रवृत्तियों को दिखाने के लिए एक चित्रित प्रतिनिधित्व किया गया है। इसके अतिरिक्त, संबंध विश्लेषण किया गया था ताकि जीएसटी कार्यान्वयन से पहले और बाद में कर राजस्व के बीच का संबंध दिखाया जा सके।

परिणाम एवं चर्चाएं

सतत वृद्धि: डेटा से स्पष्ट है कि वर्ष 2012-13 से लेकर 2021-22 तक राजस्व में लगातार वृद्धि

हुई है। यह बताता है कि भारत में में व्यापार या उत्पाद में वृद्धि हुई है जिससे कर संग्रह में वृद्धि हुई है। तेजी से बढ़ी राजस्व: विशेष रूप से, 2015-16 और 2016-17 में राजस्व में तेजी से वृद्धि हुई थी, जो 30.30% और 21.39% थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वी देशों में बहुत सारे उत्पाद और व्यापार हो सकते हैं जो संकलन में वृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं। वृद्धि में गिरावट और फिर बढ़ोतरी: यहां 2019-20 में वृद्धि में कमी का आकलन किया गया है, जो संकेत कर सकता है कि उस समय कुछ अर्थव्यवस्था में बाधाएं थीं जो वृद्धि को प्रभावित करती थीं। COVID-19 का प्रभाव: 2020-21 और 2021-22 में भी वृद्धि का आकलन किया गया है, लेकिन यहां यह देखा गया कि जीवन जीने की स्थिति में बदलाव के कारण यह पूर्ण रूप से तेज नहीं थी।

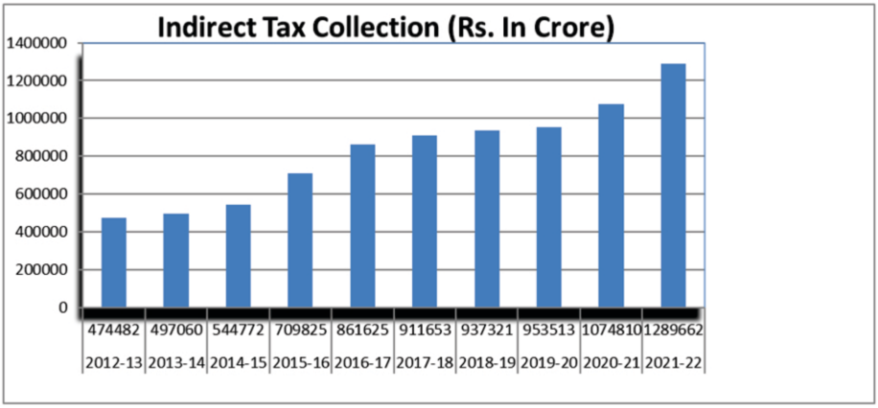

स्रोत- लेखक संग्रह

T-Test

Paired Samples Statistics					
	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean	
Pair 1	pre_gst	617,552.8000	5	164,598.15553	73,610.53295
	post_gst	1,033,391.8000	5	156,381.29638	69,935.84182

Paired Samples Correlations				
	N	Correlation	Sig.	
Pair 1	pre_gst & post_gst	5	.983	.003

Paired Samples Test									
	Paired Differences	t	Df	Sig. (2-tailed)					
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference					
				Lower	Upper				
Pair 1	pre_gst - post_gst	-415,839.00000	30,970.91552	13,850.61448	-454,294.47079	-377,383.52921	-30.023	4	.000

स्रोत - SPSS

युग्मित नमूना टी-टेस्ट के परिणामों से लगता है कि जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद के राजस्व संग्रह में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर है। ये परीक्षण इंगित करता है कि माध्य अंतर -415,839.00000 है, जिसका मानक त्रुटि माध्य 13,850.61448 है, और इसका 95% विश्वास अंतराल -454,294.47079 से लेकर -377,383.52921 तक विस्तार होता है। टी-टेस्ट का पी-वैल्यू .000 है, जो आम तौर पर स्वीकृत महत्व स्तर (जैसे 0.05) से बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जा सकता है और यह सुझाव देता है कि जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद राजस्व संग्रह में फर्क है। इसका मतलब यह है कि जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद राजस्व संग्रह में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण बदलाव आया है। विश्लेषण से ये पता चलता है कि जीएसटी के आने के बाद राजस्व संग्रह में फर्क आया है जो सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जीएसटी का अनुकूल प्रभाव हुआ है। अध्ययन के पश्चात जो आंकड़े सामने आए उनसे यह बात का पता चलता है कि जीएसटी आने के पूर्व एवम जीएसटी लागू होने के पश्चात कर के संग्रहण में काफी वृद्धि हुई है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार दे सकती है। जब डाटा का अध्ययन कर रहे थे उसे दौरान हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस कड़ी में हमने राजस्व में सेवा कर से प्राप्त आय भी दिख रही थी जो कि जीएसटी आने पर समाप्त हो चुकी थी। इस कौतूहाल को हल करने के लिए जब हमने विशेषज्ञ से बात की तो उन्होंने बताया कि यह पेंडिंग केसेस से प्राप्त राजस्व है। जिनका फैसला उस वित्तिय वर्ष में हुआ है। अध्ययन से जीएसटी आने के पश्चात कर में बढ़ोतरी के ठोस सबूत प्राप्त होते हैं जो कि देश के नीति निर्धारकों को सही दिशा में बढ़ने के लिए मजबूत सतह प्रदान करता है। राजस्व बढ़ोतरी का कारण जीएसटी का सही तरीके से कियान्वयन है जिसमें कर की चोरी का रुकना, अफसरशाही का काम होना, एक राष्ट्र एक टैक्स का होना, एक पोर्टल होने के कारण करदाताओं को आसान प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह सब कर संग्रहण के बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है। परंतु सरकार को जीएसटी की समझ आम जनमानस और करदाताओ के मध्य बढ़ाने

की आवश्यकता है जिसके लिए सरकार को समय-समय पर वर्कशॉप सेमिनार और इस तरीके की कार्य करने की आवश्यकता है। जिससे भारतीय कर व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ सके।

संदर्भ सूची

Shukla, S. K., Dwivedi, A., Gupta, P., & Mishra, N. (2022). A Comparative Study of Indirect Tax Revenue: Pre GST and Post GST. Journal of Positive School Psychology, 6(11), 787-797.

Jain, R., & Gokhru, A. (2023, March 7). AN ANALYSIS OF GST'S EFFECT ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF SELECTED INDIAN COMPANIES. International Journal of Management, Public Policy and Research, 2(SpecialIssue), 33–39. https://doi.org/10.55829/ijmpr.v2ispecialissue.133

RAJENDRAN, M. M. A., & Nedelea, A. M. (2020). Goods and Services of Tax-An Overview of India. Ecoforum Journal, 9(2).

Garg, N. (2019). Impact of GST on various sectors of Indian economy. Research Review International Journal of Multidisciplinary, 4(3), 668-673.

Manoj, S. (2019). Goods and services Tax (GST) in India–An Overview and impact. Advances in Management, 12(1), 59-61.

Department of Revenue. (n.d.). Retrieved November 20, 2023, from https://dor.gov.in/

Goods & Services Tax (GST) | Home. (n.d.). https://www.gst.gov.in/

National Portal of India. (n.d.). https://www.india.gov.in/

Department of Revenue. (n.d.). Retrieved November 15, 2023, from https://dor.gov.in/central-sales-tax

Unacademy - India's largest learning platform. (n.d.). Unacademy. https://unacademy.com

C. (n.d.). Income Tax Login | Income Tax efiling in India for FY 2022-23 (AY 2023-24) | ClearTax ITR Filing. Defmacro Software Pvt. Ltd. Copyright (C) 2020. https://cleartax.in/

कोविड-19 का जनमाध्यमों की भाषा एवं संचार पर प्रभाव (समाचारपत्रों के सन्दर्भ में)

अरविंद कुमार सिंह*

सारांश

किसी भी भाषा में बदलाव एक सहज एवं सतत् प्रक्रिया है। यह बदलाव हमारे जीवन में हो रहे बदलाव का भी प्रतीक है। भाषा में बदलाव के कई कारण होते हैं। इसके अन्तर्गत नये शब्दों का समावेश, उपयोग, उसके व्याकरण एवं वाक्य संरचना में परिवर्तन भी होता है। विविध प्रकार की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न स्थितियों से निपटने के दौरान भी भाषा में बदलाव होते हैं। कोविड बीमारी का जीवन के कई आयामों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसमें संचार प्रक्रिया, भाषा पर पड़ने वाला प्रभाव भी शामिल है। प्रस्तुत अध्ययन में कोविड का संचार के तौर तरीके एवं जनमाध्यमों की भाषा में कोविड की बीमारी की रिपोर्टिंग के अन्तर्गत विविध सन्दर्भो में इस्तेमाल किये जाने वाले नये शब्दों और पदों का अध्ययन करके यह खोज करने का प्रयास किया गया है कि हिन्दी भाषा में अंग्रेजी शब्दों का किस प्रकार से और किस सन्दर्भ में एवं कहां तक इस्तेमाल किया जा रहा है। इस अध्ययन के लिए मुख्य रूप से हिन्दी समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार सामग्री का अध्ययन कर उसकी प्रस्तुति पर कोविड बीमारी का पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया गया है।

बीज शब्द : कोविड-19, जनमाध्यम, भाषा, संचार, प्रभाव

प्रस्तावना

भाषा शब्द, वाक्यों का समूह होता है जिसे कि मुख से उच्चारित करके प्रस्तुत किया जाता है। यह मानव संचार का एक मुख्य तरीका है, जिसमें संरचित ढंग से शब्दों का सुविधाजनक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इसे बोल करके, लिख करके प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त हाव-भाव द्वारा भी प्रेषित किया जाता है। किन्तु जब इसे किसी अन्य माध्यमों से प्रेषित करना रहता है, तो फिर उसी अनुसार उसे डिकोड करते हैं। प्रिंट, श्रव्य एवं दृश्य माध्यम से सूचना देने के लिए उसे समुचित ढंग से डिकोड करना पड़ता है। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। किसी भी समाज में उसके अपने भाषा द्वारा किये जाने वाला संचार की मात्रा सबसे अधिक होती है और वहीं सर्वाधिक प्रचलित एवं प्रभावी माध्यम होता है। सामान्य व्यवहार में अधिकतर अवसरों पर संचार का प्रभाव एवं उसकी स्पष्टता मुख से उच्चारित करके बोली जाने वाली भाषा के कारण ही होती है। जब किसी प्रकार की खास परिस्थिति होती है, तो उस समय बोली जानी वाली भाषा द्वारा संदेश को प्रभावी ढंग से लोगों के बीच ले जाने की लिए उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है (Robins, 2021)।

आदि काल से ही विभिन्न भाषाओं का विकास होता रहा है। इसी के साथ ही उसमें सतत् रूप से बदलाव भी होता रहा है। किसी भी भाषा के प्रचार और प्रसार में दूसरी भाषा से लिए गए शब्दों की बहुत

*सहायक प्राध्यापक, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस मामले में विश्व की कुछ भाषाएं तो बहुत ही सौभाग्यशाली रही हैं, क्योंकि उनका विस्तार बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से होता रहा हैं। इस कारण से उनके प्रसार एवं स्वरूप में काफी स्थिरता भी रही है। इसी के साथ आधुनिक शिक्षा एवं विविध विषयों का भी भाषा पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है। हिन्दी भाषा के मानकीकरण एवं समुचित स्वरूप बनाये रखने के लिए राजभाषा विभाग काफी महत्वपूर्ण ढंग से कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से कई अन्य संगठन एवं विभाग इसके प्रचार में लगे हैं। भाषा में कौशल के महत्व पर हमेशा जोर दिया गया है (Sadiku, Manaj; 2015)।

भाषा का स्वरूप एवं बदलाव के कारक

हर भाषा का अपना एक निश्चित स्वरूप होता है, जिसके अन्तर्गत उसके शब्द, पद, वाक्य संरचना, व्याकरण और उसको प्रस्तुत करने के ढंग आदि बातें आती हैं। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए लिपियों का सहारा लिया जाता है। किन्तु भाषा एवं संचार की प्रक्रिया में बदलाव एक सतत् प्रक्रिया है। यह बदलाव कई तरीके से एवं कई स्तरों पर होता है। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, नयी सभ्यता, तकनीक और तौर तरीके अपनाने, नये परिवेश में रहने के कारण व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा में बदलाव होता है। भाषा में सतत् बदलाव वास्तव में हमारी जीवन में सतत् बदलाव, अनुभव और संस्कृति को व्यक्त करता है। इसी के साथ, भाषा में बदलाव हमें नये विचार, खोज एवं तकनीक के साथ तालमेल बैठाने में भी मदद करता है। हम पूर्व के शब्दों का उपयोग करके इस कार्य को प्रभावी ढंग से नही कर सकते है। इसी तरह, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के दौरान भी भाषा में बदलाव उत्पन्न होता है। नयी पीढ़ी के लोग अपनी पीछे वाली पीढ़ी की तुलना में हमेशा से नये तौर तरीकों और मूल्यों को कहीं अधिक तेजी के साथ सीखते रहते हैं। नये तकनीक के कारण संवाद के नये तौर तरीके भी विकसित होते हैं। यह हमारी संवाद क्षमता को बढ़ाने के साथ उसे बदलते भी हैं (Afzal, 2020)।

किसी समूह द्वारा जब किसी अन्य प्रकार के रीति रिवाज और तौर तरीके सीखे जाते हैं, तो उस समय फिर वह व्यक्ति एवं समूह अपने ढंग से उस भाषा में बदलाव भी उत्पन्न करता है। कई बार वे शब्द जो कि कम इस्तेमाल किये जाते हैं, वे नयी स्थितियों में नये अर्थ ले करके एक नये सिरे से उपयोग किये जाते हैं, क्योकि नये शब्दों के निर्माण की भी अपनी शर्तें होती हैं। भाषा में बदलाव की यह प्रक्रिया सम्बन्धित भाषा के विविध दौर में लिखे गये साहित्य का अध्ययन करके आसानी से समझी जा सकती है। जब किसी रीति रिवाज, आचार व्यवहार और लोगों द्वारा इस्तेमाल में लायी जाने वाली वस्तुओं का उपयोग समाप्त हो जाता है, तो फिर उससे सम्बन्धित शब्द भी समाज में उपयोग होने कम या समाप्त हो जाते हैं। वे शब्द बहुत ही कम उपयोग होने के कारण लोगों के बीच से लुप्त भी होने लगते हैं। यह बात खान-पान, वेशभूषा, घर, निर्माण एवं जीवन में उपयोग में लायी जाने वाली अन्य वस्तुओं के सन्दर्भ में कही जा सकती है। हिन्दी भाषा में इस प्रकार के बहुत से शब्द हैं जो कि समय गुजरने के साथ उपयोग होने बन्द हो गये हैं। नये तकनीकों के कारण भी बहुत से हिन्दी शब्दों का इस्तेमाल कम हुआ है और उनकी जगह अंग्रेजी के शब्दों ने ले लिया है, किंतु तकनीक के कारण हिन्दी भाषा की भी अब व्यापक जरूरत बन गयी है (Singh, 2020)।

हिन्दी भाषा के शब्द जैसे वरामदा, ठग, चटनी, जंगल, पायजामा आदि सहित बहुत बड़ी संख्या में ऐसे शब्द हैं जो कि हिन्दी भाषा से अंग्रेजी भाषा में लिए गये हैं। अंग्रेजी की कई डिक्शनरी प्रतिवर्ष हिन्दी सहित अन्य भाषा के शब्दों को शामिल करती हैं। विज्ञान और तकनीक के कारण बहुत बड़ी संख्या

में उनसे जुड़े अंग्रेजी शब्दों का हिन्दी भाषा में समावेश हुआ है जो कि हमारे दैनिक जीवन के आचार-व्यवहार में शामिल हुए हैं। अंग्रेजी भाषा में तो इस प्रकार के बदलाव को काफी सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता रहा है। वे तौर तरीकें एवं वस्तुएं जो कि किसी एक भाषा एवं संस्कृति से जुड़े लोगों के बीच नही होती हैं, जब वे उस संस्कृति से जुड़े लोगों के बीच से आती हैं, तो फिर वे अपने साथ प्रायः दूसरी भाषा के शब्दों को भी लाती हैं। यह सब प्रक्रिया सतत् रूप से धीरे धीरे या फिर एकाएक हो सकती हैं। समाज में होने वाले किसी प्रकार के सुखद या फिर दुःखद आकस्मिक घटनाएं एवं बदलाव के अवसर पर भी उन स्थितियों से निपटने के सन्दर्भ में नये नये शब्द विकसित हो जाते हैं। कोविड बीमारी के दौरान पूरी दुनिया में एकाएक काफी बदलाव देखने को मिला है। इसका प्रभाव जीवन के अन्य क्षेत्रों के साथ भाषा एवं संस्कृति पर भी पड़ा है।

कई बार बहुत से सन्दर्भो में संचार हेतु किसी भाषा में शब्द ही नही होते हैं, तो उसके लिए या तो नये शब्द बनाये जाते हैं या फिर जिस भाषा एवं संस्कृति से जुड़ करके शब्द बने रहते हैं, उन शब्दों को ही सीधे तौर पर ले लिया जाता हैं (Pal, 2016)। कोई नया शब्द कितना स्थायी और उपयोगी है, इस बात को ध्यान में रख करके भी उसे शब्दकोश में स्थान दिया जाता है। शब्दों के स्वरूप निर्धारण के सन्दर्भ में भी भाषाविद् को निर्णय लेना रहता है। उदाहरण के लिए कोविड को अंग्रेजी भाषा में किस प्रकार से लिखा जाए, इसके सभी शब्द अंग्रेजी के बड़े अक्षर में हो या सामान्य शब्द की तरह से लिखा जाए, यह एक विचारणीय विषय बन जाता है। इसके पूर्व स्वास्थ्य में होने वाले अन्य प्रकार के संकट के समय भी नए शब्द विकसित हुए हैं। आज से 42 वर्ष पूर्व एड्स, एचआईवी जैसे शब्द आज सामान्य शब्द बन गए हैं। 1980 से पहले यह डिक्शनरी में शब्द नहीं थे। लेकिन जब इस बीमारी की काफी अधिक चर्चा होने लगी तो ये डिक्शनरी के बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द बन गए।इस कालखंड में जो कुछ नए शब्द बने हैं, वे बहुत दिलचस्प हैं (Ro, 2020)।

कोविड का संचार के तौर तरीके पर प्रभाव

कोविड के कारण से बहुत तरह के अवांछित एवं दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिणाम सामने आए हैं। इस रोग के बचाव के लिए इस्तेमाल में लाये जाने वाले कुछ उपाय जैसे मास्क को पहनने, सामाजिक दूरी को बनाए रखने, किसी अवसर पर वर्चुअल मीटिंग करने के कारण से इन सब कार्यो का सामान्य संचार के तौर-तरीकों पर भी प्रभाव पड़ा है।

अध्ययन में यह पाया गया कि मास्क के कारण आवाज को पहचानने पर प्रभाव पड़ता है और यह प्रभाव काफी हद तक बातचीत करने वाले व्यक्ति और बैकग्राउंड न्वायज पर निर्भर करता है (Toscano, 2021)। ऊँची आवाज सुनने वाले बच्चों में तो इस प्रकार से कमी हो जाने के कारण से उनके सुनने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। लोगों से संवाद के दौरान व्यक्ति बोलने वाले का चेहरा भी देखता है और व्यक्ति उसके भाव भंगिमा से भी काफी बातें समझता है। भिन्न भिन्न प्रकार के मास्क आवाज के संप्रेषण पर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव डालते हैं (Ryan, 2020)। विविध प्रकार के अध्ययन के परिणामस्वरूप यह बात सामने आयी है कि सामाजिक अन्तर्किया, मास्क पहनने और निष्क्रिय स्क्रीन समय व्यतीत करने का बच्चों के भाषा, संज्ञानात्मक एवं बौद्धिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है (McCormack, 2023)।

सामाजिक दूरी का भाषा संप्रेषण पर प्रभाव

बच्चे सामाजिक अंतर क्रिया के माध्यम से ही सही तरीके से भाषा संप्रेषण की प्रक्रिया को सीख पाते हैं। किंतु कोविड के कारण बनने वाली सामाजिक दूरी ने इसमें एक व्यवधान उत्पन्न किया और इससे भाषा संप्रेषण की कुशलता प्रभावित हुई है। सामाजिक दूरी के कारण से सामाजिक स्थिति में करीब रह करके जो सामाजिक संकेत दिए जाते हैं, वे सभी अनुपस्थित हो जाते रहे हैं। अल्बामा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टीम लेविन का कहना है कि कोविड का संचार के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावफेस टु फेससंचार पर पड़ा है। इस स्थिति में लोगों के साथ भौतिक रूप में कम संचार होता हैं और आनलाइन माध्यमों पर अधिक समय व्यतीत होने लगा। संचार तकनीक के इस्तेमाल में लोग बेहतर होने लगे। यह फेस टु फेस संचार का विकल्प नही बन सकता है। अंतरव्यक्ति संचार की प्रक्रिया के दौरान खुशी, दुःख, क्रोध, आश्चर्य, डर, घृणा आदि ऐसे भाव हैं, जिन्हे कि बहुत ही स्वाभाविक तौर पर चेहरे के माध्यम से ही व्यक्त किये जाते हैं। किन्तु मास्क के कारण इन्हे जानना संभव नही हो पाता है। सही ढंग से मास्क लगाने से नाक एवं मुंह पूरी तरह से ढक जाते हैं, जिसके कारण आवाज धीमी हो जाती है। वे कई ऐसे उपाय बताते हैं जिससे इस स्थिति से निपटा जा सकता है (Rohan, 2020)।

कोविड बीमारी ने लोगों के बातचीत के तौर तरीके को बहुत ही दूर तक प्रभावित किया। आपस में पास आ करके आत्मीय ढंग से किये जाने वाले संचार को तो इसने बन्द ही कर दिया। इसने अभिवादन के वे तौर तरीके विकसित किये जिसमें कि हाथ या शरीर का स्पर्श नही होता है। इसलिए इस दौर में लोग हाथ को सीने पर रख करके या हाथ जोड़ करके या शांति का चिह्न दिखा करके अभिवादन करने लगे। अंतरव्यक्ति संचार के दौरान चेहरे से स्वाभाविक ढंग से किये जाने वाले अभिव्यक्ति को व्यक्ति नही देख पाता है। भाव की अभिव्यक्ति में चेहरे की बहुत ही मुख्य भूमिका होती है ,किंतु मास्क के कारण वह संप्रेषित नही हो पाते हैं। कई जगहों पर तो मास्क पहन करके संचार करने के दौरान उन बातों को भी बताया गया है, जिससे कि संचार प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से किया जा सके। इसमें शरीर के अन्य हाव भाव पर ध्यान देने एवं चेहरे के ऊपरी हिस्से को ध्यान दे करके देखने से कई प्रकार के भाव पकड़ में आते हैं। इसी प्रकार से पारदर्शी मास्क के उपयोग करने एवं हाथ के हाव-भाव इस्तेमाल करने की बात कही गयी। इसमें आंख की भौंहें इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गयी है। शब्दों को भावपूर्ण ढंग से व्यक्त करने से भी संचार को प्रभावी बनाया जा सकता है (Mheidly, N. et al, 2020)।

आनलाइन संचार कोविड बीमारी का एक बहुत बड़ा प्रभाव शिक्षा एवं संचार जगत पर पड़ा है जो कि अपने आप में बहुत ही अध्ययन का वृहद् विषय है। आनलाइन स्तर पर किये जाने वाले संचार की मात्रा काफी बढ़ गयी। आनलाइन संचार के अपने विविध आयाम हैं। इसने एक दूसरे के साथ किये जाने वाले संचार अंतर क्रिया में कई ढंग से बदलाव उत्पन्न किया है। किन्तु इसी के साथ आनलाइन संचार का संचार के पारम्परिक स्वरूप पर भी प्रभाव पड़ा है। उसी तरह कोविड बीमारी का प्रभाव ईमेल करने के तौर तरीके पर भी पड़ा (Dizik, 2020)। पारम्परिक तौर तरीके की जगह पर लोग एक दूसरे को अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना देने लगे। व्यापारिक पत्रों में भावनात्मक लगाव अधिक दिखाया जाने लगा। कोविड का प्रभाव व्यापारिक दुनिया के संचार पर भी पड़ा है और मार्केटिंग के विषय वस्तु की भाषा भी बदली है (Talbot, 2020)।

नए शब्द संक्षेप

कोविड बीमारी के कारण नये प्रकार के शब्द के साथ ही नये शब्द संक्षेप भी विकसित हुए हैं। करोना काल में पैदा हुए बच्चों को 'करोना बेबी' कहा जाने लगा। शब्द संक्षेप के अंतर्गत पीपीई और डब्ल्युएफएस सहित बहुत से शब्द शामिल हुए हैं। हालांकि कई नये शब्द जो विकसित हुए, उसमें से सभी शब्द हमेशा के लिए नही बने रह सकते हैं, किन्तु उसमें से वे शब्द सदैव के लिए बने रहेगें जो कि लोगों के व्यवहार में भी अन्तिम तौर पर लंबे समय तक बने रहने की स्थिति में है (Ryan, 2021)। कोविड बीमारी ने काफी नये शब्दों को बना दिया। इस दौरान कोविडियट, कोविडाईवोर्स, कोरानाकोमा, कोरोनियल, कोरानास्पेक जैसे शब्द विकसित हो गये (Pariat, 2021)। समय, परिस्थिति आदि के अनुसार पहले भी नये नये शब्द एवं पद विकसित हुए हैं। कोविड के दौर में कार्य करने वाले को कोविड हीरो के नाम से पुकारा जाने लगा (Puttaswamy, 2020)।

समस्या का वर्णन

भारत सहित दुनिया के सभी देश में कोविड बीमारी के प्रसार की दुखद घटना हुई। कोविड बीमारी ने समाज को कई प्रकार से प्रभावित किया है। इस बीमारी ने दैनिक जीवन के तौर तरीकों में बदलाव किया है। कोविड बीमारी से निपटने के सन्दर्भ में जनमाध्यमों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके माध्यम से लोगों को सतत् रूप से सूचना, शिक्षा,मार्गदर्शन, निर्देश, सुझाव मिलते रहे हैं। किसी भी समस्या का सही प्रकार से सामना करने के लिए उसे मीडिया द्वारा दी गयी जानकारी के दौरान बातों को कितने प्रभावी ढंग से कहा जा रहा है, यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब कोई नयी घटना होती है, उस स्थिति में उसे भाषा के माध्यम से सही प्रकार से प्रस्तुत करने की एक अपने ढंग की एक अलग चुनौती होती है। कोविड बीमारी इस सन्दर्भ में एक सर्वथा नयी रही है कि यह पहली बार पूरी दुनिया में एक ऐसे रूप में सामने आयी है और ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिसके लिए कोई भी व्यक्ति, समूह, संगठन या सरकार सर्वथा तैयार नही थी। इस बीमारी के बारे में पहले से किसी प्रकार की कोई विशेष जानकारी भी नही थी।

किन्तु जब इस समस्या का दुनिया सहित भारत में अप्रत्याशित ढंग से प्रवेश हुआ और इसका फैलाव आरम्भ हुआ तो फिर विविध जनमाध्यमों ने उसके बारे में समस्त प्रकार की जानकारियों को लोगों के समक्ष सतत् रूप से प्रस्तुत करने लगे। इस सन्दर्भ में समाचारपत्रों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है कि उसके माध्यम से कोविड बीमारी को लिखित रूप में सबके समक्ष विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया गया। कोविड बीमारी ने लोगों के संचार के तौर तरीकों को भी प्रभावित किया है। आपस में पहले लोग जिस प्रकार से सहजता के साथ बातचीत करते रहे थे, वह सहजता नही रही। कोविड बीमारी के बारे में जानकारी देने के सन्दर्भ इससे जुड़े सर्वथा नये शब्द एवं पदों का भी उपयोग किया गया। इसमें कई शब्द एवं पद तो सर्वथा नये हैं और वे कोविड के सन्दर्भ में ही उपयोग किये गये हैं। कोई भी भाषा नए परिवेश के अनुसार नये शब्द विकसित करके स्वयं को उसके साथ अनुकूल करती है (Burgos, 2021)। कोराना के कारण पैदा हुई परिस्थिति में भी यही बात लागू होती है। इस समय सोशल मीडिया एवं मुख्यधारा के माध्यमों में नये नये शब्द इस्तेमाल किये जा रहे हैं। ये अधिकतर शब्द अंग्रेजी भाषा में ही बनाये गये हैं।

कोविड बीमारी के दौर में बहुत बड़ी संख्या में नये शब्द शहरी इलाकों में विशेष तौर पर प्रचलित हुए हैं। विविध प्रकार के उपकरण एवं दवाईयों के नाम को न केवल नाम सुनने का अवसर मिला,

वरन् उनकी उपयोग करने की जरूरत भी हुई। इसलिए ओ टु लेवल, आक्सीमीटर, प्रोनिंग,सुपर स्प्रेडर, फ्रंटलाइन, ब्रेथ आदि ऐसे शब्द रहे जो कि लोगों के लिए बहुत ही सुपरिचित शब्द बन गये। ऐसे शब्दों के हिन्दी विकल्प मिल पाना आसान नही था। इसी के साथ, कई शब्द ऐसे भी रहे हैं जो कि अंग्रेजी में हैं और उनके हिन्दी विकल्प पहले से हैं, इसके बावजूद उसका अंग्रेजी शब्दों का ही इस्तेमाल किया गया। हिन्दी भाषा में अंग्रेजी शब्दों के इस्तेमाल की यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस सन्दर्भ में यह अध्ययन करना एक महत्वपूर्ण शोध कार्य है कि कोविड बीमारी का संचार के तौर तरीके एवं जनमाध्यमों और विशेष करके समाचार रिपोर्टिंग पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है।

साहित्य पुनरावलोकन

भाषा संचार के सन्दर्भ कई प्रकार के कार्य एवं अध्ययन सामने आये हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि कोविड बीमारी का संचार की प्रक्रिया एवं जनमाध्यमों की भाषा पर विविध प्रकार से प्रभाव पड़ा है (Wagner,2020)। कोविड का भाषा बदलाव पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में कई प्रकार से शोध भी किये जा रहे हैं। कोविड बीमारी ने नयी भाषा को जन्म दिया है। बहुत से ऐसे शब्द जो कि कुछ सीमित जगह एवं क्षेत्र में इस्तेमाल किये जाते थे, वे आम जनजीवन के शब्द बनते गये (Rubel, 2020)। अप्रैल 2020 में अंग्रेजी डिक्शनरी के संपादक ने डिक्शनरी के क्वार्टरली अपडेट के अंतर्गत कुछ नए शब्द डिक्शनरी में शामिल किये, जबकि सामान्यतौर पर इस तरह के अपडेट मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के महीने में ही किये जाते हैं। इसी प्रकार से जुलाई 2020 में भी डिक्शनरी का विशेष अपडेट निकाला गया, जिसमें कि कोविड महामारी के कारण से अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल किए जाने वाले नये शब्दों को शामिल किया गया। कोविड से प्रभावित हो करके जिन शब्दों में बदलाव करना पड़ा है, उसमें अधिकतर वे शब्द हैं जो कि काफी पहले से इस्तेमाल होते रहे हैं और अपने आप में बहुत स्पष्ट नहीं रहे हैं और वे और फिर से उपयोग में लाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए रिप्रोडक्शन और सोशल डिस्टेंसिंग शब्द को लिया जा सकता है (Rai, 2021)।

आक्सफोर्ड डिक्शनरी नए नियमिततौर पर उन शब्दों को समाहित करता रहता है, जो कि नए संदर्भों में विकसित होते हैं अथवा बदलते रहते हैं। कोरोना वायरस के कारण से आक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में किए जाने वाले परिवर्तन के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि भाषा में कई बार बहुत तेजी के साथ बदलाव होते हैं और यह स्थिति उस समय विशेष तौर पर होती है जब किसी ढंग के व्यापक सामाजिक, आर्थिक उथल-पुथल होते हैं। उदाहरण के लिए आक्सफोर्ड डिक्शनरी ने मेडिकल के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले बहुत प्रकार के पदों को आम जनजीवन के बातचीत का पद बना दिया है। पहले ये शब्द भले ही मेडिकल की दुनिया तक सीमित रहे हो, किन्तु कोविड के दौर में ये शब्द काफी व्यावहारिक तौर पर इस्तेमाल किये जाते हैं। डिक्शनरी में कई अन्य ढंग से शब्दों के अर्थ में बदलाव किये गये है। डिक्शनरी मरियम ने महामारी से संबंधित लगभग एक दर्जन शब्दों के साथ अपने मुफ्त ऑनलाइन शब्दकोश के एक विशेष अपडेट की घोषणा की (Fatsis, Stefan; 2020)।

स्वयं कोविड एवं कोरोना को ले करके कई नये शब्द बन गये हैं। सामान्यतौर पर आक्सफोर्ड डिक्शनरी में विज्ञान एवं तकनीकी के वहीं शब्द लिए जाते हैं जो कुछ हद तक अपने विषय से अलग हो करके आम जनजीवन के विषय और बातचीत के शब्द बनते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोआक्सिक्लोरोक्वीन शब्द एक दवा का नाम है और यह मलेरिया बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल

में लाया जाता है, किन्तु कोविड बीमारी के दौरान यह शब्द आम लोगों के बीच काफी चर्चित शब्द बन गया। अंग्रेजी भाषा में बहुत से शब्दों के अर्थ में बदलाव हुए हैं। उदाहरण के लिए सोशल आइसोलेशन' पद पहले से मौजूद हैं। किंतु कोविड के संदर्भ में यह खास अर्थ देते हुए उपयोग में लाए जाने लगा है। इसी प्रकार से, अन्य शब्दों के अर्थ में थोड़े बदलाव हुए हैं। सेल्फ आइसोलेट, सेल्फ आइसोलेटेड एवं शेल्टर शब्द के नये अर्थ जुड़ गये हैं। शेल्टरिंग का अर्थ तूफान अथवा किसी प्रकार के हमले के समय सुरक्षित स्थान के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता रहा है। किंतु अब कोविड के कारण इस शब्द का आशय एक लंबी अवधि तक सामाजिक तौर पर अलग रहने के लिए किया जाता है। भौगोलिक या क्षेत्रीय विविधता भी कोविड के सन्दर्भ में इस्तेमाल किये जाने वाले भाषा में दिख रही है। ब्रिटिश इंग्लिश में सेल्फ आइसोलेट शब्द को वरीयता दिया गया है। वहीं पर, अमेरिका में सेल्फ क्वेरंटाईन शब्द ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाता रहा है (Kreuz, 2020)। ये सभी शब्द हिन्दी जनमाध्यमों में इस्तेमाल किये जाने लगे हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि कोविड बीमारी का समाचारपत्रों की भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा है एवं समाचारपत्रों में समाचार कवरेज के दौरान अंग्रेजी शब्दों का किस हद तक एवं किस रूप में हिन्दी समाचारपत्रों में इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह, इसमें यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि वे कौन शब्द हैं जिन्हे कोविड समाचार देने के दौरान सर्वथा नये रूप में इस्तेमाल किये गये हैं और हिन्दी शब्दों के एवज् में अंग्रेजी के किस प्रकार से नये शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

अध्ययन विधि

प्रस्तुत अध्ययन के लिए चयनित किये गये समाचारपत्रों के सम्बन्धित पेजों का अंतर्वस्तु गुणात्मक विश्लेषण पद्धति का उपयोग किया गया है। इस अध्ययन हेतु लखनऊ से प्रकाशित अप्रैल एवं मई माह 2021 के दैनिक हिंदुस्तान एवं दैनिक जागरण हिंदी समाचारपत्रों को लिया गया है। इसके अंतर्गत चयन किए गए समाचारपत्रों के खेल समाचार एवं पूरक सभी पृष्ठ पर कोविड से सम्बधित समाचार, लेख, इन्टरव्यू आदि का निरीक्षण कर विश्लेषण किया गया है और उन शब्दों का पता लगाने का प्रयास किया गया है जो कि अंग्रेजी शब्द के रूप में लिखे गये हैं। किन्तु पहले से ही बहुत ही सहज तौर पर इस्तेमाल किये जाने वाले अंग्रेजी शब्दों को इस अध्ययन में शामिल नही किया गया हैं। इस अध्ययन के लिए सेकेंडरी सूचना सामग्री का भी अध्ययन किया गया है।

अध्ययन की सीमा

यह अध्ययन सिर्फ कोविड-19 बीमारी से संबंधित समाचारों पर ही आधारित है। इसके लिए दैनिक हिंदुस्तान एवं दैनिक जागरण समाचारपत्र में अप्रैल एवं मई माह 2021 में कोविड से संबंधित जो समाचार प्रकाशित किए गए थे, उनकी भाषा और उसमें अंग्रेजी शब्दों के उपयोग को ध्यान में रखकर अध्ययन किए गए हैं। अतः अन्य समाचारों की विषय वस्तु एवं भाषा को इसमें नहीं लिया गया है। इस अध्ययन में अंग्रेजी के उन शब्दों को नही शामिल किया गया है जो कि बहुत ही प्रचलित रूप में हिन्दी भाषा में काफी पहले से उपयोग किये जा रहे हैं।

समाचार विश्लेषण

लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में कोविड बीमारी के दूसरे लहर का 2021 के अप्रैल एवं मई माह में काफी प्रभाव देखा गया। अतः इस दौर में समाचारपत्रों में उससे संबंधित सर्वाधिक खबरें प्रकाशित होती रही हैं। इन समाचारपत्रों की रिपोर्टिंग को हिन्दी जगत के समाचारपत्रों के प्रतिनिधिपूर्ण रिपोर्टिंग के तौर पर देखी जा सकता हैं। अप्रैल एवं मई माह 2021 में कोविड से सम्बन्धित समाचारों का विश्लेषण करके उसमें से प्रत्येक समाचारपत्र से कुल 250 समाचारों का अध्ययन किया गया। इन समाचारों के विश्लेषण करने पर काफी रोचक जानकारी प्राप्त हुई। सामान्यतौर पर यह पाया गया कि समाचारपत्र में कोविड के सन्दर्भ में समाचार देते समय बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेजी के शब्दों और पदों का इस्तेमाल किया गया हैं। इनमें हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग घटा है। अंग्रेजी शब्दों एवं पदों का हिंदी में वैकल्पिक शब्दों के निर्माण करने की प्रवृत्ति बहुत ही कम दिखी है। विभिन्न प्रकार के घटनाक्रमों के संदर्भ में हिंदी भाषा के शब्दों के व्यावहारिक इस्तेमाल की प्रवृति घट रही है। अंग्रेजी शब्दों को इस्तेमाल करने के सन्दर्भ में दोनों समाचारपत्रों की स्थिति एक ही प्रकार की है।

लेख एवं इन्टरव्यू की तुलना में समाचारों में अंग्रेजी शब्दों का ज्यादा उपयोग किया गया है। कोविड से सम्बन्धित सम्पादकीय लेख में सबसे कम अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया गया हैं। सम्पादकीय लेख में बहुत ही कम एवं सहज रूप में उपयोग किये जाने वाले अंग्रेजी शब्द ही लिखे गये है। संख्यात्मक तौर पर 1 प्रतिशत से ले करके 2 प्रतिशत शब्दों में ये रहे हैं। किन्तु लेख में इसकी संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। इसमें यह 2 प्रतिशत से ले करके 5 प्रतिशत है। इसमेंभी वे अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल किये गये हैं जो कि हिन्दी भाषा के अभिन्न शब्दावली बन गये हैं। किन्तु समाचारों में यह 5 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत दिये गये हैं। कई जगहों पर तो यह संख्या इससे भी ज्यादा है। ऐसा विशेष करके उन जगहों पर है, जहां पर कि उपकरणों के उपयोग एवं बीमारियों की जांच पड़ताल के समाचार दिये गये हैं।

सरल हिंदी की जगह कठिन अंग्रेजी शब्दों को वरीयता

दोनों समाचारपत्रों के निरीक्षण में यह पाया गया है कि बहुत ही सरल हिंदी शब्दों के भी अंग्रेजी भाषा के शब्द लिखे जाने लगे हैं। अंग्रेजी शब्दों की यह सूची काफी लम्बी है। यह एक ऐसी स्थिति है जो कि इस बात की तरफ संकेत करती है, जिसमें कि हिंदी भाषा के लिए संकट की स्थिति बनती जा रही है। यह बात इस उदाहरण से स्पष्ट है कि हिन्दी में लिखे गये शब्द 'संख्या' एवं 'टीकापंजीकरण' के संदर्भ में कठिन शब्द 'नंबर' एवं 'वैक्सीन रजिस्ट्रेशन' पद लिखे गए हैं। यहां आगे कुछ शब्द दिये जा रहे हैं जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखे गये हैं, किन्तु वे हिन्दी में आसानी के साथ लिखे जा सकते हैं। अतः अंग्रेजी शब्दों के साथ उनके हिन्दी शब्द भी दिये गए हैं। वैक्सीनेशन- टीकाकरण, बेड-बिस्तर, सोशल डिस्टेंसिंग-सामाजिक दूरी, पाजिटिव- सकारात्मक, सैंपल-नमूना, टेस्ट- जांच, डोज- खुराक, वर्चुअल- आभासी, लाइफ सपोर्ट सिस्टम-जीवन रक्षक तंत्र, इंटेसिव केयर यूनिट-गहन चिकित्सा केंद्र, क्लेम-दावा, लैश-सुसज्जित, सप्लाई चेन-आपूर्ति कड़ी आदि शब्द हैं।

समय के साथ नए शब्दों का समावेश

कोविड बीमारी के संदर्भ में जैसे-जैसे नए प्रकार की गतिविधियां और क्रियाकलाप किये गए, उसी के साथ ही समाचार में इससे सम्बन्धित नए शब्द भी जुड़ते चले गए हैं। आरम्भ में कोविड से बचाव के

सन्दर्भ में मास्क, सेनीटाइजर, सोशल डिस्टैंस, गैस सप्लाई, सीरम वैक्सीन, मैट्रिक टन, आक्सीजन कन्सट्रेटर्स जैसे शब्द इस्तेमाल किये गये हैं।

नए अंग्रेजी पद

कोविड के कारण से बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी के माध्यमों में लगातार इस्तेमाल किया जाता रहा है। यह सब कोविड से ही संबंधित है। इसमें कुछ शब्द तो कोविड बीमारी के विविध स्थिति और काल के हिसाब से अपना स्थान बनाते गए हैं। कोविड समाचार में दिये गये कुछ शब्द एवं पद इस प्रकार से हैं - इन्टीग्रेटेड कमांड एंड कन्ट्रोल रूम, ड्राई रन, म्यूटेन्ट वर्जन, स्ट्रेस, इंफेक्शन, वीकेंड कर्फ्यू, स्लाट, कम्पलसरी डिमांड, मैनपावर, रैपिड एंटिजन टेस्ट, क्रिटिकल केयर, टैंकर, रीफिलिंग, ग्लोबल टेंडर, हाउस कीपिंग, स्क्रीनिंग, ट्रायल, पीक, अलाट, अपाइंटमेंट, टैंक, डिस्चार्ज, अपडेट कोविन, पोर्टल, आर्डर, वैरिएंट, बैंक मैसेज, नोडल अफसर, नोडल, सर्जरी। वहीं पर ऐसे भी शब्द रहे हैं, जिनका रिपोर्टर ने हिन्दी अनुवाद भी कोष्ठक में दिया है, जिससे कि पाठक उसे सही सन्दर्भ में जान ले। उदाहरण के लिए कोविड दवा के सन्दर्भ में एक मई 2021 को दैनिक जागरण में प्रकाशित एक समाचार में 'वायल' अंग्रेजी शब्द का हिन्दी शब्द शीशी को कोष्ठक में लिखा गया है।

विविध शब्द युग्म

कोविड के समाचार कवरेज के दौरान बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के शब्द युग्म भी तैयार किए गए हैं। इनका समाचारपत्रों में काफी इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार के शब्द युग्म में या तो दोनों शब्द अंग्रेजी के हैं अथवा इसमें से एक हिंदी और एक अंग्रेजी शब्द लिये गये हैं। जिस शब्द युग्म में हिंदी की जगह पर अंग्रेजी शब्द लिया गया है, वहां पर पहले हिंदी शब्द ही इस्तेमाल किया जाता रहा हैं। उदाहरण के लिए पहली खुराक, दूसरी खुराक की जगह पर पहला डोज, दूसरा डोज पद लिखे गये हैं।

अधिक संख्या में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द

कोविड बीमारी के दौरान कुछ अंग्रेजी शब्दअत्यधिक इस्तेमाल किये गये हैं। कोरेन्टाईन शब्द को कोविड बीमारी के हल्के होने की स्थिति में घर में ही अन्य सदस्यों से अलग रह करके मेडिकल मानकों के अनुसार निर्धारित अवधि तक रहने के लिए यह इस्तेमाल किया जाता रहा। यह शब्द भारतीय जनमाध्यम के साथ ही जनसामान्य के लिए भी अजनबी शब्द रहा है। किंतु कोविड के सम्बन्ध में समाचारों के कवरेज के दौरान इस शब्द का इतना अधिक इस्तेमाल किया गया है कि यह बहुत ही सुपरचित शब्द बन गया है।

कोविड के संदर्भ में समाचारपत्रों में सर्वाधिक संख्या में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में मास्क एक प्रमुख शब्द रहा है। वैसे हिंदी में मास्क के लिए मुखौटा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। राजनीति की खबरों में मुखौटे शब्द का इस्तेमाल काफी अधिक किया भी गया है। किंतु कोविड समाचार देने के दौरान मास्क शब्द ही इस्तेमाल किया गया है और यही शब्द अत्यधिक प्रचलित भी हुआ है। इसके विकल्प के रूप में कोई शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया है । कोविड से बचाव हेतुसोशल डिस्टैंसएवंसेनीटाइजर शब्द का भी काफी अधिक इस्तेमाल किया गया है। कोविड के दूसरे दौर में फंगस के कारण रोग होने से इस शब्द का भी काफी इस्तेमाल आरम्भ हो गया। हमारे समाज में फंगस के लिए फफूंदी

शब्द का इस्तेमाल बहुत ही सहजता के साथ किया जाता रहा है। किंतु कोविड काल में समाचारपत्र में न केवल फंगस शब्द का इस्तेमाल किया गया, बल्कि विभिन्न प्रकार के रंग को वर्णित करने के लिए ब्लैक, व्हाइट, येलो शब्द भी इस्तेमाल किए गए, जबकि इन शब्दों के लिए हिंदी में काला, सफेद, और पीला शब्द उपलब्ध हैं और इनका इस्तेमाल भी होता है।

सकारात्मक के बजाय नकारात्मक पक्ष के प्रचार

अंग्रेजी के बहुत से शब्द और पद सकारात्मक के बजाय नकारात्मक घटनाक्रमों के होने कारण से अधिक चर्चित हुए हैं। ये घटनाक्रम अगर नहीं हुए होते तो कोविड के अन्तर्गत ये शब्दअधिक प्रचारित प्रसारित भी नहीं किए जाते। बहुत सी दवाओं की कालाबाजारी की अपराधपूर्ण घटनाएं व्यापक स्तर पर होने लगी। इसमें रेमडेसीविर की कालाबाजारी भी शामिल हैं। इसी प्रकार से 'टूल किट' शब्द का भी प्रचार काफी अधिक हुआ है। किंतु ये सभी शब्द भी सकारात्मक उपयोग के बजाए नकारात्मक घटनाक्रम के कारण ही समाचार दिये जाने के कारण अधिक प्रचारित हुए हैं।

कठिन शब्दों का उपयोग

सामान्यतौर पर मेडिकल की दुनिया के अधिकतर शब्द लिखने एवं बोलने दोनों प्रकार की क्रिया में काफी कठिन होते हैं। उदाहरण के लिए काली फॅफूदी के लिए ब्लैक फंगस और इसका वैज्ञानिक नाम म्यूकरमाइकोसिस और सफेद फॅफूदी के लिए शब्द एस्परजिलोसिस लिखने एवं बोलने में कठिन हैं। इसके बावजूद समाचारपत्रों में इन्ही शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस प्रकार के अन्य कठिन शब्द भी इस्तेमाल किये गयो हैं।

जांच के संदर्भ में शब्द एवं पद

कोविड बीमारी की जांच के सन्दर्भ में कई शब्द विकसित हुए हैं। यह शब्द अब आम जनता के बीच में भी अधिक प्रयोग किए जाने लगे हैं। कोविड बीमारी की जांच के लिए 'आरटीपीसीआर टेस्ट' पद का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह शब्द आम जनमानस के बीच बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। यह टेस्ट अत्यधिक विश्वसनीय टेस्ट के रूप में माना गया है। समाचारपत्रों में तो यह पद बार-बार उल्लेखित होता रहा है और उसका परिणाम यह है कि आम जनमानस में भी इसे इसी रूप में लोग बोलते हैं। शरीर में खांसी, बुखार के रूप में या अन्य किसी रूप में कोई बाह्य लक्षण परिलक्षित न होते हुए भी यह टेस्ट करोना वायरस की पहचान के बारे में जानकारी दे देता है। अतः इस शब्द की जांच की विश्वसनीयता ने इसे काफी लोकप्रिय बना दिया है, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट बीमारी से संक्रमित व्यक्ति के तत्काल परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फेफड़े के संक्रमण की जांच के लिए 'सीटी स्कैन' शब्द का भी समाचारपत्रों में इस्तेमाल किया गया है। इसी प्रकार सेग्लूकोज फास्टिंग, एचबीएवनसी आदि पद एवं शब्द भी इस्तेमाल किये गये हैं।

हिंदी अंग्रेजी में समान रूप से प्रयुक्त शब्द

बहुत से ऐसे ही शब्द हैं जिनका कि समाचारपत्र में इनके हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार के शब्दों का एक दूसरे के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किये गये हैं। किंतु यहां पर जिन शब्दों का अंग्रेजी में इस्तेमाल

किया गया, वह मूल रूप से हिंदी वाले ही हैं और हिंदी के शब्द के रूप में ही इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। अब उनके अंग्रेजी विकल्प वाले शब्द भी अधिक से अधिक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक ही समाचारपत्र में और एक ही पेज पर कहीं कुछ शब्द हिंदी भाषा में लिखे गये हैं, तो कहीं पर उन्हे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। उदाहरण के लिए हिंदी शब्द टीका और इसका अंग्रेजी शब्द वैक्सीन दोनों का इस्तेमाल किया गया है और इसी प्रकार टीकाकरण और वैक्सीनेशन दोनों शब्द एक ही पेज पर इस्तेमाल किये गये हैं। अंग्रेजी शब्द हिन्दी शब्दों के पर्याय बनते जा रहे हैं। इस दृष्टि से वह हिंदी भाषा के लिए उपयोगी शब्द माने जा सकते हैं।

पहले से ही अंग्रेजी में लिखे जाने वाले शब्द

समाचारों में बड़ी संख्या में ऐसे भी शब्द हैं जो कि जनमाध्यमों में पहले से ही अंग्रेजी भाषा के शब्द के रूप में ही लिखे जाते रहे हैं, किंतु कोविड बीमारी के दौरान इन शब्दों को अधिक प्रचारित व प्रसारित होने का अवसर मिला है। इसमें मेडिकल से सम्बन्धित शब्द मुख्य हैं। इसमें बीपी, सीटी स्कैन, एक्स रे, ब्लड, शुगर आदि शब्द आते हैं। इनमें से कई शब्दों के हिंदी विकल्प पूर्व में काफी अधिक लिखे जाते रहे हैं। किंतु अब अंग्रेजी शब्द ही अधिक प्रचलन में होते चले जा रहे हैं। मेडिकल की दुनिया में तो ये मुख्य तौर पर इस्तेमाल किये जाते रहे हैं। किन्तु कोविड समाचार कवरेज में इनका काफी अधिक इस्तेमाल हो रहा है। अब आम जीवन में लोगों के लिए सहज शब्द बन रहे हैं।

हिंदी अंग्रेजी को मिला कर के बनाए गए पद

विश्लेषण के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि कई ऐसे पद है जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों शब्दों को मिला करके बनाए गए हैं। हालांकिइसमें जो अंग्रेजी शब्द दिये गये हैं, उनके भी हिंदी शब्द उपलब्ध हैं। उसके बावजूद इस तरह के पद बना करके उपयोग किए गए हैं। उदाहरण के लिए 'प्राणिक हीलिंग' पद में प्राणिक शब्द हिंदी भाषा एवं हीलिंग शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। पूर्व में इस प्रकार के पद अन्य सन्दर्भो में भी बनाये गये हैं। इस प्रकारनोडल अधिकारी, वर्चुअल माध्यम शब्द कोविड समाचार रिपोर्टिंग में इस्तेमाल किये गये हैं। हिन्दी समाचारपत्र में अंग्रेजी पद किस प्रकार से इस्तेमाल हुए हैं, उसका उदाहरण दैनिक जागरण कें दो मई 2021 अंक में पेज नम्बर चार पर दिये समाचार से लगाया जा सकता है - "बाहर से आक्सीजन ले करके इन दोनों टैंकों में लोड की जायेगी और वेपुराइजरमशीन से लिक्विड को कम्प्रेस करके आईसीयू और जनरल वार्ड में पाइप से इसकी आपूर्ति की जायेगी"। इसी प्रकार से अन्य समाचारों में भी अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है।

विभिन्न दवाओं के अंग्रेजी नाम

करोना के संदर्भ में इस्तेमाल में होने वाले विभिन्न दवाओं को जनमाध्यमों में बार-बार लिखे जाने के कारण वे लोगों के लिए सुपरिचित शब्द बनते जा रहे हैं। सभी लोगों के सन्दर्भ में इन दवाओं के इस्तेमाल किये जाने के कारण दवाओं के नाम अंगे्रजी में होते हुए भी इन्हे कई बार लिखा गया है। समाचारों मेंचिकित्सक द्वारा दिये जाने वाले सुझाव आदि में भी अंग्रेजी दवाओं के नाम लिये गये हैं। चिकित्सक के निर्देश में बतायी गयी बातों में अंग्रेजी शब्दों की भरमार है। इसमें पैरासिटामाल, मेटामार्फिन, डाक्सी, आइवरमैक्टिन, एजोथ्रोमाइसिन जैसी दवाओं के नाम समाचारपत्रों में नियमित तौर

पर प्रकाशित किये जाते रहे।

समाचार शीर्षक में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल

समाचारों के शीर्षक में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल काफी प्रमुखता के साथ किया गया है। जहां कहीं भी अवसर एवं आवश्यकता पड़ी है, उन सभी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए पांच मई, 2021 के दैनिक जागरण समाचारपत्र के पेज संख्या तीन पर समाचार शीर्षक - केजीएमयू के ट्रामा सेन्टर से रेफर मरीज को लिंब सेन्टर कोविड अस्पताल में नही किया गया भर्ती, होल्डिंग एरिया भी बदहाल - में अंग्रेजी शब्द अधिक संख्या में इस्तेमाल किया गया है। कुछ जगहों पर तो पूरा शीर्षक ही अंग्रेजी भाषा के शब्दों में ही दिया गया है।

अंग्रेजी शब्द समूह

बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका हिंदी शब्द बनाने में कोई समस्या नहीं है और उसके अंग्रेजी शब्द को उपयोग करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद उसे अंग्रेजी में ही बनाया गया है। उदाहरण के लिए कोविड बचाव के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में 'फ्रंटलाइन वर्कर' शब्द का निर्माण किया गया है और यह शब्द भारत के संदर्भ में बनाया गया है। अगर इसका हिंदी में अनुवाद किया जाए तो "अग्र रेखा कार्यकर्ता" के रूप में इसे कहा जा सकता है। किंतु ऐसा नहीं किया गया है। इसी प्रकार से कोविड कंट्रोल रूम, रैपिड एंटिजन टेस्ट, मैन पावर बैंक, कोविड केयर सेन्टर, पाजिटिविटी रेट आदि पद अंग्रेजी भाषा में बनाये गये हैं।

अंग्रेजी के कठिन शब्दों का उपयोग

बहुत से ऐसे अंग्रेजी शब्द हैं जिनका हिंदी में शब्द बनाना कठिन है अथवा उनके व्यावहारिक तौर पर हिंदी में शब्द नहीं बने हैं। कोविड प्रोटोकाल, आक्सीजन प्लांट, डेडीकेटेड कोविड अस्पताल, कोविड वेंटिलेटर, हाई डिपेंडेंसीव वार्ड, आक्सीजन फीलिंग सेन्टर, कंटेनमेंट जोन, थर्मल स्कैनिंग, आनलाइन जैसे शब्दों के हिन्दी में कोई उचित शब्द नही हैं। सामान्यतौर पर इन शब्दों के हिंदी में शब्द बहुत सहज तौर पर इस्तेमाल नहीं किए जाते रहे हैं।

कोविड संदर्भ में इस्तेमाल किए गये विशेष शब्द

बहुत से शब्द ऐसे हैं जो कि कोविड के संदर्भ में ही विशेष तौर पर विकसित होते दिख रहे हैं। इसमें से कई शब्द विज्ञान एवं तकनीक क्षेत्र के हैं। सामान्यतौर पर इसके प्रचलित हिन्दी शब्द भी नही रहे हैं। इसमें से मुख्य इस प्रकार हैं - होम आइसोलेशन, थर्मल स्कैनिंग, कांट्रैक्ट ट्रेसिंग, सैनिटाइजेशन, म्यूटेशन, डबल म्यूटेशन, पीपी किट, टूल किट, होम मेडिकल किट, ऑक्सीमीटर, हेल्पलाइन, सोशल डिस्टेंस, मैट्रिक टन, लिंब सेंटर, आक्सीजन कंसंट्रेटर, हर्ड इम्यूनिटी, अल्फा वैरिएंट, बीटा वैरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट। इस प्रकार के शब्द समाचारपत्रों में कोविड समाचार रिपोर्टिंग के अभिन्न अंग हो गये।

अंग्रेजी शब्दों के इस्तेमाल का सकारात्मक प्रभाव

हिंदी जनमाध्यमों द्वारा अंग्रेजी शब्दों का बहुतायत संख्या में इस्तेमाल करने का मुख्य प्रभाव तो

यह पड़ा है कि हिंदी भाषा के शब्द कोश में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यह आमजन के बीच प्रचारित एवं प्रसारित हो रहे हैं। जब जनमाध्यमों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर वह आमजन की भाषा में भी शामिल हो जाता है। आमजन को इन शब्दों के उपयोग की आदत भी बनती जाती है। हिंदी भाषा में पहले से ही विभिन्न भाषाओं के शब्द लिए गए हैं, किंतु वर्तमान में अंग्रेजी भाषा के शब्दों को भी अत्यधिक मात्रा में शामिल करने के साथ उपयोग किया जा रहा है। अंग्रेजी भाषा के शब्दों के बड़ी संख्या में प्रवेश के कारण हिन्दी भाषा का स्वरूप नए रूप में उभर करके सामने आ रहा है। लोगों के समक्ष किसी बात को कहने के लिए पहले की तुलना में कहीं अधिक विकल्प वाले शब्द उपलब्ध रहते हैं। इसका इस्तेमाल करके किसी बात को कहीं बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में मदद मिलती है। संचार के प्रभाव में भी बढ़ोतरी हो रही है। हिंदी भाषा को नवीन शब्द, स्वरूप एवं ऊर्जा भी मिल रही है। नए शब्द पारंपरिक शब्दों की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक और प्रभावी रूप में देखे जाते हैं। अंग्रेजी भाषा में भी हिंदी शब्द काफी संख्या में लिये गये हैं और ये नियमित तौर पर लिये जा रहे हैं। संचार के स्तर पर अंग्रेजी भाषा की भिन्नता के कारण असहजता एवं बाधाएं घट रही हैं। लोग इन शब्दों को सहजता से लेने लगे हैं।

नकारात्मक प्रभाव

कोविड बीमारी के बारे में समाचार माध्यमों में रिपोर्टिंग ने ऐसे अंग्रेजी शब्दों को जन्म दिया है जिनका कि लोगों के बीच बहुत ही व्यापक इस्तेमाल किया जाने लगा है। हिंदी की तुलना में अंग्रेजी भाषा के नए शब्दों का इस्तेमाल कहीं अधिक संख्या में किये गये हैं। अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी भाषा के विकल्प शब्द देने का प्रयास नहीं किया जाता है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी शब्दों के प्रचलित विकल्प होने के बावजूद अंग्रेजी भाषा के ही शब्दों को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न संदर्भ में अंग्रेजी शब्दों का ही काफी अधिक इस्तेमाल किया गया है। हिंदी को आसान सरल शब्दों की तुलना में अंग्रेजी की अपेक्षाकृत ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा है जो कि लिखने एवं बोलने दोनों प्रकार से कठिन होते हैं। लोगों के दैनिक जीवन में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल बढ़ा है। हिन्दी भाषा के विकास एवं विभिन्न सन्दर्भो में किये जाने वाले प्रयोग के अवसर कम हो रहे हैं। अंग्रेजी भाषा का प्रभाव एवं प्रभुत्व बढ़ रहा है। इसके इस्तेमाल के प्रति लोगों की हिचक कम हो रही है। हिन्दी शब्द होते हुए भी उनका इस्तेमाल नही किया जा रहा है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से कई बातें उभर करके सामने आयी हैं। इसमें से निम्न बातें मुख्य है।

कॉविड-19 के दौर में हिंदी समाचार पत्रों केसमाचार रिपोर्टिंग पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा है। कोविड बीमारी के दौरान मास्क लगाने के कारण लोगों के अन्तर्संचार पर काफी प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव भिन्न-भिन्न रूपों में रहा है।

हिन्दी समाचारपत्रों में नए शब्दों को स्वीकार करने के प्रति जनमाध्यमों की झिझक समाप्त हो गई। अंग्रेजी भाषा के कठिन से कठिन शब्दों को जनमाध्यमों में उसी रूप में देने का प्रचलन हो गया। ऐसे शब्दों के हिन्दी विकल्प ढूंढने का प्रचलन ही नहीं रह गया। हिन्दी भाषा अपने विस्तार के लिए मुख्य रूप से अंग्रेजी शब्दों पर निर्भर हैं। हिन्दी भाषा में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रवेश बढ़ता जा रहा है।

सम्पादकीय पेज पर लिखे जाने वाले लेख एवं सम्पादकीय में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग बहुत ही कम हुआ। यह इस बात का प्रतीक है कि पारम्परिक रूप दिये जाने वाले पेज पर हिन्दीशब्द ही लिखे जाते हैं

। कोविड के कारण नये शब्दों का उपयोग अभी आगे भी जारी रहने की प्रवृत्ति बनी रह सकती है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो फिर ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि जिसमें कि हिन्दी शब्द की जगह अधिकाधिक अंग्रेजी शब्द ही देवनागरी लिपि में लिखे जाने लगे।

संदर्भ सूची

Robins, Roberts Henry et al (2021) Language, Britannica, https://www.britannica.com/topic/language, Retrieved on July 17, 2021

Sadiku, Lorena Manaj (2015), The Importance of Four Skills Reading, Speaking, Writing, Listening in a Lesson Hour, European Journal of Language and Literature Studies, Vol.1, No.1, p-29-31

Afzal,Asif. (2020), How Languages Change over Time, Creative World, https://creativeword.uk.com/blog/language/languages- change-time/ Retrieved on July 10, 2021

Singh, Saroj, (2020), हिंदीदिवसस्पेशलःतकनीकमेंहिंदी, NBT, https://navbharattimes.indiatimes.com/other/sunday-nbt/just-life/hindi-diwas-special-use-of-hindi-intechnology/, Retrieved on July 10, 2021

Pal, Sanchari (2016), Did You Know These 17 Common English Words Were Borrowed from Hindi, The Better India, https://www.thebetterindia.com/57965/english-words-borrowed-from-hindi/ Retrieved on July 20, 2021

Ro, Christine (2020) Why we've created new language for coronavirus, Work life, BBC, https://www.bbc.com/worklife/article/20200522-why-weve-created-new-language-for-coronavirus, Retrieved on July 25, 2021;

Toscano, J.C. et al (2021), Effects of face masks on speech recognition in multi-talker babble noise, National Library of Medicine, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33626073/, Retrieved on July 10, 2021

McCormack, Hannah (2023), The Impact of Covid-19 pandemic on children's communication and language development, Send Network, https://send-network.co.uk/posts/the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-young-children-s-communication-and-language-development, Retrieved on July 28, 2021

Rohan, Alicia (2020) How has COVID-19 affected the way we communicate? UAB News, https://www.uab.edu/news/research/item/11542-how-has-covid-19-affected-the-way-we-communicate, Retrieved on July 15, 2021

Mheidly, N. et al (2020), Effect of Face Masks on Interpersonal Communication During the COVID-19 Pandemic. Frontier, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.582191/full,

Retrieved on July 30,2021.

Dizik, Alina (2020) How Covid-19 Is Changing the Language in Emails, https://www.wsj.com/articles/how-covid-19-is-changing-the-language-in-emails, The Wall Street Journal, https://www.wsj.com/articles/how-covid-19-is-changing-the-language-in-emails, Retrieved on July 20, 2021

Talbot, Paul (2020), How COVID-19 Is Changing the Language of Marketing, CMO Network, Forbes, https://www.forbes.com/sites/paultalbot/2020/05/21/how-covid-19-is-changing-the-language-of-marketing/, Retrieved on July 18, 2021.

Corey, Ryan M. (2020) How do face masks affect speech? National Library of Medicine,https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33138498/ , Retrieved on July 20, 2021

Pariat, Janice (2021), How Covid-19 has not only changed our vocabulary, but also made us use language more gently, Scroll.in https://scroll.in/article/997861/how-covid-19-has-not-only-changed-our-vocabulary-but-also-made-us-use-language-more-gently, Retrieved on July 26, 2021

Puttaswamy, Chaithra (2020), The language of COVID-19, Indian Express, https://indianexpress.com/article/opinion/web-edits/covid-19-language-pandemic, Retrieved on July 28, 2021

Burgos, Raque (2020) How the covid-19 pandemic changed language, Language Wire. https://www.languagewire.com/en/blog/how-the-covid-19-pandemic-changed-language, retrieved on July 31, 2021

Wagner, S. (2020), Studying How COVID Pandemic is Affecting Language Change, Michigan State University College of Arts and College, https://cal.msu.edu/news/studying-how-covid-pandemic-is-affecting-language-change/, Retrieved on July 27, 2021

Rubel, Furia(2020), The Vocabulary of Crisis: How COVID-19 Has Changed Our Language, Furiarubel communication, https://www.furiarubel.com/news-resources/the-vocabulary-of-crisis-how-covid-19-has-changed-our-language/, Retrieved on July 29, 2021

Rai, Swati (2021) English language skills in the post-Covid world, The Tribune, https://www.tribuneindia.com/news/jobs-careers/english-language-skills-in-the-post-covid-world-266366, Retrieved on July 30, 2021

Fatsis, Stefan (2020), How COVID-19 Led Merriam-Webster to Make Its Fastest Update Ever, Slate, https://slate.com/culture/2020/03/coronavirus-merriam-webster-emergency-update.html, Retrieved on July 21, 2021

Kreuz, R. J. (2020), How COVID-19 is changing the English language, The Conversation, https://theconversation.com/how-covid-19-is-changing-the-english-language-146171, Retrieved on July 30, 2021

भारत में ओटीटी मनोरंजन विस्तार का विश्लेषणात्मक अध्ययन

विनोद वर्मा*
प्रो. राघवेंद्र मिश्रा**

सारांश

ओटीटी अथवा ओवर द टॉप से आशय ऐसी सामग्री से है जो उच्च क्षमता इंटरनेट सेवाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुँचती है। यह एक नयी और तेजी से लोकप्रिय हो रहा मनोरंजन का साधन है जिसका उपभोग भुगतान आधारित है। आज नेटफ्लिक्स, जियो सिनेमा, वूट, अमेज़न, आदि बहुत सारे ओटीटी सेवा प्रदाता हैं जो फिल्म और वेब सीरीज के माध्यम से मनोरंजन को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। दुनिया में ओटीटी सेवाओं का इतिहास बहुत पुराना नहीं है और भारत में तो इनका प्रवेश और भी बाद में हुआ है। लेकिन बहुत का समय में भारत ओटीटी का एक बड़ा बाज़ार बन चुका है और महानगरीय दायरे से आगे निकलकर ग्रामीण अंचलों तक विस्तारित हो रहा है।

विशेष रूप से युवा दर्शकों में तेजी से लोकप्रिय होते हुए आज भारत में ओटीटी बाज़ार व्यापक प्रतिस्पर्धा से युक्त हो गया है। ओटीटी सामग्री को सीधे कंप्यूटर पर एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन इसे अक्सर वेब-सक्षम टेलीविजन पर या पारंपरिक टेलीविजन से जुड़े इंटरनेट-सक्षम डिवाइस के माध्यम से या स्मार्टफोन के माध्यम से देखा जाता है। इस तरह इसे एक विशेष लोचनीयता प्राप्त होती है। हाल के वर्षों में देश में डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ है और ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों तक इंटरनेट उपलब्ध हुआ है। विशाल युवा आबादी की नए कंटेंट के प्रति रूचि, स्मार्टफोन की संख्या में वृद्धि, सस्ता डाटा आदि अनेक कारण हैं जिनके चलते ओटीटी सेवाओं का बाज़ार गैर-पारम्परिक क्षेत्रों तक विस्तारित हुआ है। प्रस्तुत शोध पत्र में ओटीटी के विस्तार की प्रमुख प्रवृत्तियों को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है।

बीज शब्द : ओटीटी, बिंग वाचिंग, स्मार्टफोन, स्ट्रीमिंग मीडिया, डिजिटल मीडिया

प्रस्तावना

ओटीटी स्ट्रीमिंग मीडिया सेवाओं का रूप है जिसपर उपभोक्ता इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से मीडिया कंटेंट का उपभोग करते हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनियन (आईटीयू) इसे निम्न रूप में स्पष्ट करता है- 'ऐसा प्रत्यक्ष तकनीकी/प्रकार्यात्मक एप्लीकेशन जो सार्वजनिक इंटरनेट के माध्यम से वितरित और प्राप्त किया जाता है और अंतरराष्ट्रीय पारम्परिक दूरसंचार सेवाओं का एक विकल्प है' (itu.int, n.d.)। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त होने वाली सेवाएँ जो मीडिया कंटेंट प्रदान करती हैं वह ओटीटी के दायरे में आती हैं। इस रूप में व्हाट्सऐप, टेलीग्राम आदि भी इसके उदाहरण माने जा सकते हैं (www.trai.gov.in, n.d.)। वैसे लोकप्रिय रूप से वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं के रूप में हम ओटीटी को देखते हैं।

इस तरह ओटीटी शब्द को सदस्यता-आधारित वीडियो-ऑन-डिमांड (एसवीओडी) सेवाओं

*शोधार्थी, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, (म. प्र.)
**प्रोफ़ेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, (म. प्र.)

के पर्याय के रूप में लिया जा सकता है। इन सेवाओं को ग्राहकों के लिए टीवी और फिल्म सामग्री (दूसरों से प्राप्त और मूल रूप से उत्पादित दोनों) तक पहुंच प्रदाता के रूप में जाना जाता है (दासगुप्ता, और ग्रोवर, 2019; सुंदरवेल, और एलंगोवन, 2020)। हाल के वर्षों में ओटीटी सेवाओं के विकास ने सैटेलाइट टीवी, केबल टीवी, प्रसारण सेवाओं और यहां तक कि फिल्म कंपनियों सहित पारंपरिक मीडिया कंपनियों के वर्चस्व को चुनौती दी है।

'ओटीटी में "स्किनी" टेलीविजन सेवाओं का रूप भी शामिल है जो पारंपरिक उपग्रह या केबल टीवी प्रदाता के समान रैखिक विशेष चैनलों की लाइव स्ट्रीम तक पहुंच प्रदान करता है। यह उपकरण खरीद कर जैसे सेट टॉप बॉक्स, सेवाओं को उपलब्ध कराने की बंद व्यवस्था की जगह सार्वजनिक इंटरनेट पर स्ट्रीम किया जाता है। ओवर-द-टॉप सेवाएं आम तौर पर व्यक्तिगत कंप्यूटर पर वेबसाइटों के साथ-साथ मोबाइल उपकरणों पर ऐप्स, डिजिटल मीडिया प्लेयर (वीडियो गेम कंसोल सहित), टेलीविज़न, एकीकृत स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म आदि के माध्यम से पहुंचाई जाती हैं (मोरो-विस्कोनी, और मोरो-विस्कोनी, 2021)।

हाल के वर्षों में ओटीटी एक प्रभावशाली मनोरंजन मंच के रूप में उभरा है। बढ़ती इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ इसने अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित किया है। हमारे देश में ओटीटी शुरुआती दिनों में है, इसलिए सेंसर संबन्धी विभिन्न प्रतिबंधों से मुक्त है। वैसे इधर केंद्र सरकार ने ट्राई के माध्यम से और कानूनी प्रावधानों की सहायता से ओटीटी कंटेंट को सेंसर करने के उपाय करने शुरू कर दिए हैं। हालाँकि इस स्वतंत्रता के कारण कभी-कभी प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग अश्लील और हिंसक सामग्री दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन ज़िम्मेदार चैनलों ने बहुत सारी गुणवत्तापूर्ण सामग्री भी जारी की है। इसने डीटीएच प्रदाताओं के एकाधिकार और सामग्री की एकरसता को बदल दिया है।

भारत में ओटीटी सेवाओं का विस्तार निरंतर हो रहा है और यह अब केवल भविष्य का मीडिया नहीं होकर मनोरंजन के अन्य माध्यमों जैसे टेलीविज़न और सिनेमा को गहराई से प्रभावित करने वाला माध्यम बन गया है। ओटीटी ने टीवी और सिनेमा के फॉर्मेट को अंगीकार किया है और उनसे भी तीखा, बोल्ड और स्थानीयता का भरपूर पुट लिए कंटेंट प्रस्तुत करने और दर्शकों को आकर्षित करने में सफल रहा है। तेजी से स्मार्टफोन की आदती जनता इसे स्वीकार कर रही है और स्वीकार्यता का यह विस्तार महानगरों से लेकर छोटे शहरों, कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित हो रहा है।

साहित्य सर्वेक्षण

फिट्जगेराल्ड (2019) भारत में वूट, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और अमेज़ॅन जैसी ओवर-द-टॉप (ओटीटी) वीडियो सेवाओं की तीव्र वृद्धि की समीक्षा करते हैं और उनके विकास को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख रुझानों और बिजनेस मॉडल के संदर्भ में देखते हैं। भारत में ऐसी सेवाओं का विस्तार, एक ऐसा देश जो फेसबुक और अमेज़ॅन जैसी "तकनीकी कंपनियों" के लिए विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, वहां विकास, भागीदारी, विविधता और संचार और संस्कृति के क्षेत्रों में प्लेटफ़ॉर्मीकरण को समझने के लिए उपयोग की जाने वाली शक्ति की अवधारणाओं पर सवाल उठाता है।

मिर्लीज़ (2013) ने मनोरंजन मीडिया और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व से संबन्धित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं जो ओटीटी जैसी नई प्रौद्योगिकियों के उद्भव और प्रसार के साथ फिर से प्रासंगिक हैं। उन्होंने मनोरंजन मीडिया की सीमा पार उपस्थिति में सांस्कृतिक वैश्वीकरण शब्द का उपयोग किया है। पुस्तक नए मीडिया स्टार्टअप और उभरते इंटरैक्टिव

डिजिटल मीडिया प्रारूपों के साथ सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की निरंतरता की भविष्यवाणी करती है।

जिम्पेल (2015) ने दूरसंचार, मीडिया और मनोरंजन उद्योगों में तकनीकी नवाचार, उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव और उभरते व्यापार मॉडल का गंभीर विश्लेषण किया है। लेखक ने वीडियो सामग्री खंड में परिवर्तन पर जोर दिया है और वीडियो मनोरंजन में उभरते खिलाड़ी और भविष्य के नेतुत्वकर्ता के रूप में ओटीटी की भविष्यवाणी की है। उनका विश्लेषण प्रकृति में गुणात्मक है और प्रमुख मीडिया कंपनियों में प्रमुख पद पर 22 अधिकारियों के साक्षात्कार पर आधारित है।

ईसा और अन्य (2019) ने अपने शोध पत्र में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत प्रासंगिक मुद्दे पर चर्चा की है। उन्होंने इंटरनेट स्ट्रीमिंग के माध्यम से उपलब्ध नेटफ्लिक्स सामग्री के विशेष संदर्भ में मलेशिया में सामग्री विनियमन मुद्दों का विश्लेषण किया है। लेखकों ने ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग के माध्यम से उपलब्ध ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए क्षेत्र के मौजूदा कानूनी प्रावधानों की सीमाएं पाई। उन्होंने विश्लेषण के लिए गुणात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है और गहन साक्षात्कार के माध्यम से डेटा एकत्र किया गया है। उन्होंने राष्ट्रों के सामग्री नियंत्रण प्रयासों, सेंसरशिप की शक्ति और स्वतंत्रता की इच्छा के बीच कभी न खत्म होने वाली दुविधा की पहचान की है।

उदोयाकपन & टेंगेह (2020) ने दक्षिण अफ्रीका में पे-टेलीविज़न सब्सक्रिप्शन पर ओटीटी प्लेटफॉर्म की वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव पाया। एक अनुभवजन्य अध्ययन के माध्यम से उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि ओटीटी सेवाएं विकल्प के विपरीत पे-टीवी सेवाओं की पूरक सेवा हैं।

पार्क और क्वोन (2019) ने संक्षेप में बताया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ने स्थानीयकरण रणनीति, साझेदारी रणनीति, सामग्री भेदभाव रणनीति, राजस्व वृद्धि रणनीति, और सेवा अनुकूलन रणनीति के माध्यम से पारंपरिक टीवी बाजारों पर कब्जा कर लिया है।

ईटन और अन्य (2018) ने ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए अधिक स्वीकार्यता, उच्च ग्राहक जुड़ाव पाया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि उपभोक्ता अपने देखने के अनुभव के दायरे को व्यापक बनाने और सामग्री और समुदायों के साथ अधिक इंटरैक्टिव तरीके से जुड़ने के लिए ओवर-द-टॉप और सेकेंड स्क्रीन की ओर रुख कर रहे हैं।

मैट्रिक्स (2014) ने 2013-14 में डिजिटल मीडिया के उपयोग के रुझान की जांच की और खुलासा किया कि युवा लोगों में ऑन-डिमांड मीडिया सामग्री की मांग बढ़ रही है। सोशल मीडिया टीवी देखने का चलन (लेखक ने ओटीटी को सोशल मीडिया टीवी कहा है) व्यावसायिक-मुक्त, उच्च गुणवत्ता और मूल टेलीविजन सामग्री की उपलब्धता के कारण बढ़ रहा है। उन्होंने पारंपरिक टेलीविजन शेड्यूलिंग, रेटिंग, विज्ञापन और केबल सब्सक्रिप्शन पर ओटीटी प्लेटफॉर्म के विघटनकारी प्रभाव को भी देखा। उन्होंने ओटीटी चैनलों की बढ़ती लोकप्रियता के सांस्कृतिक एकीकरण प्रभावों की संभावना व्यक्त की है।

केनवर्थी (2020) ने ओटीटी प्लेटफार्मों के उद्भव का अवलोकन किया और केबल उद्योग के विकास पर नेटफ्लिक्स के नकारात्मक प्रभाव का खुलासा किया है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए एक नया बाजार उभर रहा है जहां मल्टीहोमिंग प्रतिस्पर्धा का विस्तार होगा।

क्वाक एंड अन्य (2021) ने स्पष्ट किया है कि उपयोगकर्ताओं की आयु, आय, व्यवसाय और शिक्षा स्तर भुगतान किए गए ओटीटी उपयोग के आकलन का मुख्य आधार हैं। शोधकर्ताओं ने विभिन्न देशों में कारकों के प्रभाव में भिन्नता पाई और माना कि ओटीटी के उपयोग पर क्षेत्रीय प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में उपभोक्ता जनसांख्यिकी और मूल्यों की जांच करने के लिए

सात देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन की उपयोगकर्ता जनसांख्यिकी का उपयोग किया।

श्रीवास्तव (2020) के अनुसार उपभोक्ता वह प्रमुख तत्व है जिसके चारों ओर पूरा बाजार घूमता है। भारतीय विपणक उपभोक्ताओं के बदलते स्वाद और प्राथमिकताओं को संतुष्ट करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। यह मनोरंजन उद्योग के लिए भी सच है। विपणक ने विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे सोप ओपेरा, लाइव क्रिकेट मैच, रियलिटी शो आदि की पेशकश करके उपभोक्ताओं का मनोरंजन किया है। आजकल वेब श्रृंखला के रूप में एक नई सामग्री ध्यान आकर्षित कर रही है। लेखक ने भारत में वेब सीरीज बाजार के बढ़ने के पीछे के कारणों का अध्ययन करने का प्रयास किया है। लेखक ने पसंदीदा ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों के साथ-साथ भारतीय दर्शकों द्वारा पसंद की जाने वाली वेब श्रृंखला की शैली पर भी कुछ प्रकाश डाला है।

नागराज, सिंह और यासा (2021) ने ओटीटी सामग्री की सदस्यता के लिए उपभोक्ता की प्राथमिकताओं को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करने का प्रयास किया। वर्णनात्मक शोध की मदद से लेखकों ने पांच कारक ढूंढे हैं- सामग्री, सुविधा, गुणवत्ता, कीमत और विशेषताएं जो उपभोक्ता के निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने ओटीटी सेवाओं की सदस्यता के लिए उम्र, व्यवसाय और शिक्षा के साथ-साथ घरेलू संरचना को महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना है।

कुमारी (2020) ने बताया कि भारत में नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम, हॉटस्टार जैसी ओवर द टॉप सेवाओं के प्रवेश से मनोरंजन उद्योग में उथल-पुथल मच गई है। दासगुप्ता और ग्रोवर (2020) ने उल्लेख किया है कि बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ, विपणक के लिए चुनौती यह समझना है कि ओवर-द-टॉप (ओटीटी) सामग्री का उपभोग करने वाले उपभोक्ता इस प्रारूप में संदेशों को प्रभावी ढंग से कैसे अपनाते हैं और उपभोग करते हैं।

साहा (2021) ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ओटीटी प्लेटफार्मों की लोकप्रियता में वृद्धि देखी। उन्होंने कम कीमतों पर स्मार्ट उपकरणों तक पहुंच में वृद्धि, डेटा पैकेज में लागत में कटौती, इंटरनेट पहुंच में वृद्धि और अंग्रेजी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण सामग्री की आपूर्ति में वृद्धि जैसे कारकों की पहचान की है। साहा ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के उज्ज्वल भविष्य की भविष्यवाणी की है क्योंकि ग्राहक बदलाव दिखाई दे रहा है, और अधिक से अधिक निर्माता, फाइनेंसर और विज्ञापनदाता व्यापार में आ रहे हैं।

गुप्ता (2021) ने उन कारकों का विश्लेषण किया है जिन्होंने भारतीय उपभोक्ताओं को टीवी श्रृंखला से वेब श्रृंखला की ओर स्थानांतरित कर दिया है। लॉकडाउन से पहले एकत्र किए गए अनुभवजन्य साक्ष्यों की मदद से शोधकर्ता ने बताया है कि युवा तेजी से टीवी श्रृंखला से वेब श्रृंखला की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। अध्ययन से पता चलता है कि 24x7 उपलब्धता, समय में लचीलापन, ताज़ी और गैर-पारंपरिक सामग्री ओटीटी प्लेटफार्मों की लोकप्रियता के कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं।

चटर्जी और पाल (2020) ने स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं में वृद्धि और मीडिया सामग्री के उपभोग पैटर्न में बदलाव के बीच सकारात्मक संबन्ध पाया है। उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म की खपत बढ़ाने के लिए डिजिटल मेनस्ट्रीमिंग शब्द का इस्तेमाल किया है। शोधकर्ताओं ने ओटीटी प्लेटफार्मों को दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए कोई सेंसरशिप, कहानी कहने की ताजा और नई शैली, और स्मार्ट उपकरणों में वृद्धि, गोपनीयता के मुद्दों को अन्य के रूप में पाया।

घोष (2021) ने महानगरीय क्षेत्र (बेंगलुरु) में कोविड-19 संकट के दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म की खपत में लगभग तीन चौथाई वृद्धि देखी है। ऑनलाइन सर्वेक्षण के माध्यम से शोधकर्ता ने खुलासा किया है कि सर्वेक्षण में भाग लेने वाले अधिकांश उपयोगकर्ता मुख्य रूप से युवा थे जो निर्बाध और सुरक्षित मनोरंजन के लिए तेजी से ओटीटी चैनलों की ओर स्थानांतरित हो गए।

निझावन और दहिया (2020) ने भारत में ओटीटी प्लेटफार्मों को अपनाने में वृद्धि के लिए कोविड को उत्प्रेरक के रूप में नामित किया। शोधकर्ताओं के अनुसार विविध सामग्री की आपूर्ति में टेलीविजन की सीमाएं ओटीटी प्लेटफार्मों द्वारा खोजी गई हैं और कोविड -19 ने उनकी सीमा और पहुंच बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है। लेखकों ने देश में ओटीटी प्लेटफॉर्म के उज्ज्वल भविष्य की संभावना व्यक्त की है।

पुथियाकाथ और गोस्वामी (2021) ने देखा है कि ओटीटी सुविधा आयाम में प्रकट सबसे बड़े अंतर के साथ संतुष्टि के सभी सात आयामों में उच्च स्तर की संतुष्टि प्रदान करता है। उन्होंने पारंपरिक टेलीविजन पर ओटीटी की प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठता पाई है और भविष्य में ओटीटी के लिए उच्च वृद्धि की कल्पना की है।

उपरोक्त साहित्य सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि जैसे-जैसे डिजिटल इकोसिस्टम का विस्तार होगा, वैसे-वैसे ओटीटी सेवाओं की लोकप्रियता में और भी बढ़ोत्तरी होगी। भारत जैसे देश में पापुलेशन डिविडेंड,सैटलाइट चैनलों का बड़ा बाज़ार, प्रौद्योगिकी की लोचनीयता आदि कारक हमेशा ओटीटी के विस्तार में सहायक सिद्ध होते रहेंगे।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य द्वितीयक आंकड़ों की सहायता से इस मूल अवधारणा की जांच करना है कि भारत में ओटीटी सेवाओं का विस्तार किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है और इस विस्तार से किस तरह की प्रवृत्तियों को चिन्हित किया जा सकता है।

आंकड़ा संग्रहण और विश्लेषण

चूंकि अध्ययन प्रकृति में विश्लेषणात्मक है और मौजूदा साहित्य की समीक्षा और शोधकर्ता के अवलोकन से निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं, इसलिए शोध प्रश्न के विभिन्न पहलुओं का वर्णन और चर्चा करने के लिए साहित्य की एक कथात्मक समीक्षा की गई है। इसका उपयोग वैचारिक दृष्टिकोण के साथ-साथ कारक पहचान के लिए भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। पहली स्क्रीनिंग में, प्रकाशित कार्यों को शामिल किया गया जिनमें स्ट्रीमिंग मीडिया या ओटीटी से जुड़े विश्लेषण के विषय को इंगित करने वाले शीर्षक और कीवर्ड उपलब्ध थे। पहली स्क्रीनिंग के बाद, केवल उन्हीं लेखों को प्राथमिकता दी गई जिनमें नए क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में ओटीटी सेवाओं के विस्तार पर विशेष रूप से चर्चा की गई थी। चयनित साहित्य से कारकों की पहचान की गई और अनुसंधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विश्लेषण किया गया। आवश्यक डेटा गूगल स्कॉलर और शोधगंगा डेटा बेस सहित विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों से प्राप्त किया गया है। इसके अलावा, अध्ययन के लिए ली गई वेबसाइटों के माध्यम से पुस्तकों, रिपोर्टों और अन्य लोकप्रिय लेखों में लेख उपलब्ध हैं। लेख के संदर्भ अनुभाग में सभी स्रोतों का उल्लेख किया गया है।

विश्लेषण

ओटीटी के विकास ने इंटरनेट आधारित मीडिया प्रौद्योगिकियों के लिए एक सफल व्यवसाय मॉडल विकसित किया है जिसने मीडिया उपभोक्ताओं के लिए फिल्म और मनोरंजन सामग्री तक पहुंच के तरीके को नया स्वरुप दिया है। जनसंख्या के बड़े हिस्से के लिए स्मार्टफोन के माध्यम से डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकियों के विकास, विस्तार और उपलब्धता के साथ, विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों, मोबाइल उपकरणों और सेवा प्रदाताओं में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। प्लेटफ़ॉर्म की क्षमता और विविधता, प्रौद्योगिकी की कन्वर्जेन्स प्रकृति, न्यूनतम सेंसर की स्थिति और आकर्षक जनसंख्या डिविडेंड की उपलब्धता, वैश्वीकरण और लोकप्रिय संस्कृति के प्रसार जैसे कई कारकों ने कंटेंट निर्माण, वितरण और दर्शक के नए मॉडल के विकास की स्थितियां पैदा की हैं। चूंकि ओटीटी से दर्शकों का जुड़ाव तेजी से हो रहा है इसलिएमीडिया समूहों से विज्ञापन, सदस्यता आय और बाज़ार का समर्थन प्राप्त करने का एक ठोस बाजार मॉडल ओटीटी के लिए प्रभावी है।

इसके अतिरिक्त, हालांकि ओटीटी पारंपरिक वीडियो सामग्री को प्रतिबिंबित करता है, डिजिटल प्रौद्योगिकियां कई विशिष्ट विशेषताओं और सुविधाओं से इसे संपृक्त करती हैं जो ओवर-द-एयर, केबल या उपग्रह वितरण के साथ संभव नहीं है। इनमें उपलब्ध सामग्री की व्यापकता, सामग्री देखने के लिए समय और स्थान का लचीलापन, और उपभोक्ता पेशकशों और मूल्य बिंदुओं का लचीलापन शामिल है जो कंपनियां पेश कर सकती हैं और जिनमें से उपभोक्ता चुन सकते हैं (आर्थोफर तथा अन्य., 2016)। इन कारकों ने ओटीटी प्लेटफार्मों को नए, ग्रामीण और गैर-पारंपरिक बाजारों में आसानी से प्रवेश करने और उपस्थिति स्थापित करने का लाभ दिया है।

ओटीटी के विकास ने केबल और उपग्रह के माध्यम से सुविधाओं पर आधारित वितरण प्रणालियों पर मीडिया सामग्री के वितरण की निर्भरता को कम कर दिया है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को बुनियादी ढांचे, स्थान और परिदृश्य के प्रतिबंध के बिना मनोरंजन के नए साधनों तक पहुंचने के लिए असीमित स्व-स्थान प्रदान किया है। इस 'स्पेस शिफ्टिंग' (आर्थोफ़र एट अल., 2016) ने नए और छोटे शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ओटीटी के विस्तार और उपलब्धता के पीछे सबसे बड़े कारकों में से एक के रूप में विस्तार को प्रभावित किया है और अब ओटीटी निर्माताओं के पास अरबों संभावित दर्शकों तक पहुंच है, जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध है (लॉट्स, 2018)।

एक अन्य कारक जिसने ओटीटी को इन नए गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में पहुंचने में मदद की है, वह है एचडी स्क्रीन के साथ पोर्टेबल मीडिया उपकरणों का प्रसार, मोबाइल फोन की उपलब्धता और उचित कीमतों पर स्ट्रीमिंग एक्सेस। स्मार्टफोन की उपलब्धता, सस्ती नेटवर्क सेवाएं और चलते-फिरते सामग्री तक पहुंचने की सुविधा अधिकांश दर्शकों की प्रकृति और आवश्यकता से मेल खाती है, इसलिए, ओटीटी सामग्री के लिए चाहत, स्थान और मांग पैदा हुई है। और इस तरह जिसे पहले महानगरीय और शहरी माध्यम माना जाता था आज नए क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है। इंटरनेट और स्मार्टफोन के तेजी से विकास ने मीडिया सामग्री के उपभोग के पैटर्न को बदल दिया है, जिसने ओटीटी सेवा प्रदाताओं के विकास को बढ़ावा दिया है, और इसके परिणामस्वरूप गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में उपभोक्ता आधार का विस्तार हुआ है (कुलकर्णी तथा अन्य, 2022; परमार) और पंडित, 2021; नाइक 2020)।

आनंद और मनोरंजन के लिए ओटीटी का उपयोगिता मूल्य अधिक माना जाता है और यह हमेशा नए मीडिया प्लेटफार्मों के उद्भव में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। इसलिए, नए और ग्रामीण क्षेत्रों में

भी ओटीटी के उद्भव और विस्तार के लिए यह एक प्रभावी कारक है। ओटीटी कंटेंट अत्यधिक देखने से संतुष्टि और त्वरित संतुष्टि दोनों प्राप्त होती है। इसने प्रसारित प्रसारण के लिए प्रतीक्षा करने और लाइन-अप करने के पारंपरिक देखने के पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया है, क्योंकि ग्राहकों के लिए स्ट्रीमिंग सेवाएं उनकी पसंद के समय, मांग पर उपलब्ध हैं। उपभोक्ता अपने खाली समय में इन्हें देख सकते हैं जो उन दर्शकों के लिए भी सुविधाजनक है जो अभी भी बिजली कटौती, बाहरी गतिविधियों में व्यस्तता और पारंपरिक पारिवारिक दिनचर्या के साथ समायोजन की समस्याओं का सामना करते हैं। बिंग वाचिंग ने ओटीटी सेवा प्रदाताओं को दर्शकों के लिए धारावाहिक ड्रामा एपिसोड बनाने की गुंजाइश दी है। बिंग वाचिंग से आशय एक कार्यक्रम के बैक टू बैक एपिसोड को एक ही बार में देखना है (मैट्रिक्स, 2014, अहमद, 2017; नंदा और बनर्जी, 2020)। ओटीटी प्लेटफार्मों पर अत्यधिक देखने और फिल्माए गए मनोरंजन नेउन दर्शकों के लिए भी मनोरंजन का नया तरीका प्रदान किया है, जो बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों में रहते हैं।

ओटीटी ने दर्शकों को प्रतिबंधात्मक और सेंसरयुक्त सामग्री सहित न देख पाने सहित कई बाधाओं से मुक्त कर दिया है। सांस्कृतिक समावेशन एक अन्य कारक है जिसने पृष्ठभूमि कारक के रूप में नए क्षेत्रों में दर्शकों की संख्या को बढ़ाया है। यह स्थापित अवधारणा है कि माध्यमीकरण उपभोक्ता संस्कृति के विस्तार में प्रेरक कारक की भूमिका निभाती है क्योंकि माध्यमीकरण वाले सांस्कृतिक उत्पाद सांस्कृतिक संदर्भ के रूप में काम करते हैं और इसलिए सांस्कृतिक समुदायों का निर्माण करते हैं। माध्यमीकरण द्वारा निर्मित समुदाय के इस रूपांतरण एवं विकास को मीडिया क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार का नाम दिया जा सकता है। माध्यमीकरण के सांस्कृतिक उत्पादों या मीडिया सामग्री के माध्यम से यह क्षेत्र नए तत्वों का प्रसार करता है या नए सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाता है (जैनसन, 2002; हाजर्वर्ड, 2008)। मीडिया सांस्कृतिक उत्पादों और मान्यताओं का प्रमुख प्रदाता बन गया है। ओटीटी को इस माध्यमीकरण संस्कृति का हिस्सा माना जाता है और चूंकि अन्य पारंपरिक मीडिया ने पहले से ही ओटीटी के लिए नए क्षेत्रों में माध्यमीकृत सांस्कृतिक समुदायों को विकसित किया है, इसलिए ओटीटी जैसे नए मंचों ने भी अपना रास्ता बना लिया है।

अनेक शोध निष्कर्षों से यह स्पष्ट हो चुका है किओटीटी भारत में ग्रामीण दर्शकों तक पहुंच गया है, और, दर्शकों द्वारा मनोरंजन के नए साधन के रूप में अपनाया गया है (चाको, 2022; गुप्ता, 2021; शर्मा और बनर्जी, 2020)। चूंकि अन्य जनसंचार माध्यमों और इंटरनेट ने पहले से ही डोमेस्टिकेशन और वर्चुअलाइजेशन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, ग्रामीण दर्शक पहले से ही मीडिया सामग्री के 'डी-टेरिटोरियलाइज़्ड' (टॉमलिन्सन, 1999) अनुभव के लिए उन्मुख रहे हैं। इसलिए ओटीटी का इन दर्शकों द्वारा आसानी से स्वागत और स्वीकार कर लिया जा रहा है।

उपलब्ध साहित्य के विश्लेषण और शोधपरक अवलोकन के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में ओटीटी सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है और बड़े तथा अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ भारतीय मीडिया मुग़ल भी तेजी से इन सेवाओं के क्षेत्र में उतर रहे हैं। देश में लगभग 50 सेवा प्रदाता मौजूद हैं और इनमें से बड़ी संख्या स्थानीय भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध कराने वालों की है। भारत में हालांकि यह सेवाएं एक दशक से भी ज्यादा समय से मौजूद रही हैं लेकिन कोविड संकट इनके लिए आपदा में अवसर बन कर आया है। कोविड के चलते एक ओर जहां मूवी थिएटर बंद थे, टीवी नया कंटेंट देने में असफल था वहीं ओटीटी नई फिल्मों की रिलीज़, नए कंटेंट की प्रस्तुति से अपने आधार को विस्तारित करने में सफल रहा। भारत में जनसंख्या पिरामिड में युवाओं का वर्चस्व इन सेवाओं के लिए भी बड़ा

डिविडेंड है और यह लाभ अगले दो से तीन दशकों तक बना रहेगा। सेंसर और प्रतिबंधों की सीमाएं भी इन सेवाओं को बोल्ड कंटेंट परोसने की आज़ादी देती हैं और यह भी इनके लोकप्रिय होने के पीछे बड़ा कारण है। इसके अतिरिक्त भारत में दशकों से मीडिया का प्रभाव रहा है और मीडिया प्रभावित संस्कृति यहां मौजूद है जो नई सेवाओं के स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहती है। ओटीटी सेवाएं लगातार विस्तार करती रहेंगी। हां, यह सेवाएं पॉपुलर कल्चर का भी संवाहक बनेंगी अतः सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का शिकार होने से बचने और सांस्कृतिक घालमेल और क्षरण का यह कारण नहीं बन पायें, इसके लिए हमको सतर्क रहना होगा।

निष्कर्ष

ओटीटी डिजिटल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उपलब्ध मनोरंजन का नया रूप है और स्मार्टफोन के माध्यम से देखने के लिए भी उपयुक्त है। ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकियों का विस्तार, इस क्षेत्र में उपलब्ध आकर्षक दर्शक संख्या आदि ओटीटी के विस्तार में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। केबल और उपग्रह के माध्यम से सुविधाओं पर आधारित वितरण प्रणालियों पर मीडिया सामग्री के वितरण की निर्भरता कम हो गई है औरएचडी स्क्रीन के साथ पोर्टेबल मीडिया उपकरणों का प्रसार, उपलब्धता, उचित मूल्य पर मोबाइल फोन और स्ट्रीमिंग की पहुंच, ओटीटी का आनंद और मनोरंजन के लिए बेहतर उपयोगिता मूल्य, सांस्कृतिक समावेशन और माध्यमीकरण द्वारानए हायब्रिड सांस्कृतिक समूहों का विकास, आत्म-प्रभावकारिता और प्रतिबंधों और सेंसर की बाधाओं से मुक्ति को ओटीटी के विस्तार के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है। भारत में ओटीटी के विस्तार और लोकप्रियता के लिए यह सभी कारक प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। समीक्षाओं, विश्लेषण और अनुमानों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ओटीटी नए क्षेत्रों में लोकप्रिय हो गया है और निकट भविष्य में यह और भी विस्तार एवं वैविध्य अर्जित करेगा।

सन्दर्भ सूची

iitu.int (n.d.). Retrieved from https://www.itu.int/rec/T-REC-D.२६२-२०१९०५-I

trai.gov.in (n.d.). Consultation Paper on Regulatory Mechanism for Over-The-Top (OTT) Communication Services, and Selective Banning of OTT Serviceshttps://www.trai.gov.in/sites/default/files/CP_०७०७२०२३.pdf

दासगुप्ता, डी. एस., और ग्रोवर, डी. पी. (2019). अंडरस्टैंडिंग एडॉप्शन फैक्टर्स ऑफ ओवर-द-टॉप वीडियो सर्विसेज अमंग मिलेनियल कंस्यूमर्स. इंटरनैशनल जर्नल ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 10(1).

सुंदरवेल, ई., & एलंगोवन, एन. (2020). एमर्जेंस एंड फ्यूचर ऑफ़ ओवर-द-टॉप (ओटीटी) वीडियो सर्विसेज इन इंडिया: एन ऐनैलिटिकल रिसर्च. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ बिजनेस, मैनेजमेंट एंड सोशल रिसर्च, 8(2), 489-499.

मोरो-विस्कॉन्टी, आर., & मोरो-विस्कॉन्टी, आर. (2021). फ्रॉम नेटफ्लिक्स टू यूट्यूब: ओवर-द-टॉप एंड वीडियो-ऑन-डिमैंड प्लेटफॉर्म वैल्यूएशन. स्टार्टअप वैल्यूएशन: फ्रॉम स्ट्रैटेजिक बिजनेस प्लैनिंग टू डिजिटल नेटवर्किंग, 309-339.

फिट्जेराल्ड, एस. (2019). ओवर-द-टॉप वीडियो सर्विसेज इन इंडिया: मीडिया इम्पीरियलिज्म आफ्टर ग्लोबलाइजेशन. मीडिया इंडस्ट्रीज जर्नल, 6(1), 00-00.

मिर्लीज, टी. (2013). ग्लोबल एंटरटेनमेंट मीडिया: कल्चरल इम्पीरियलिज़्म एंड कल्चरल ग्लोबलाइज़ेशन के बीच. राउटलेज.

गिम्पेल, जी. (2015). द फ्यूचर ऑफ वीडियो प्लेटफॉर्म्स: की क्वेश्चन्स शेपिंग द टीवी एंड वीडियो इंडस्ट्री. इंटरनैशनल जर्नल ऑन मीडिया मैनेजमेंट, 17(1), 25-46.

ईसा, ए. एम., महमूद, डब्ल्यू. ए. डब्ल्यू., मुहम्मद, डब्ल्यू. आई. डब्ल्यू. एस., और पिचान, ए. (2019). नेटफ्लिक्स एंड डिलेमा ऑफ़ कंटेंट रेग्युलेशन इन मलेशिया. इंटरनैशनल जर्नल ऑफ़ एडवांस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 28(16), 460-468.

उडोएक्पान, एन., & टेंगेह, आर. के. (2020). द इम्पैक्ट ऑफ़ ओवर-द-टॉप टेलीविज़न सर्विसेज़ ऑन पे-टेलीविज़न सब्सक्रिप्शन सर्विसेज़ इन साउथ आफ्रिका. जर्नल ऑफ़ ओपन इनोवेशन: टेक्नोलॉजी, मार्केट, एंड कॉम्प्लेक्सिटी, 6(4), 139.

पार्क, एस., & क्वॉन, वाई. (2019). रिसर्च ऑन द रिलेशनशिप बीट्वीन द ग्रोथ ऑफ़ ओटीटी सर्विस मार्केट एंड द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ़ द पे-टीवी मार्केट.

ईटन, एम., लुसिन, के., व्हाइट, बी., और फूटेन, जे. (2018). थ्रू द स्मोक: ए लुक एट इंडस्ट्री ट्रेंड्स. एसएमपीटीई मोशन इमेजिंग जर्नल, 127(1), 32-40.

मैट्रिक्स, एस. (2014). द नेटफ्लिक्स इफेक्ट: टीन्स, बिंज वॉचिंग, एंड ऑन-डिमैंड डिजिटल मीडिया ट्रेंड्स. जेऊनेस: यंग पीपल, टेक्स्ट्स, कल्चर्स, 6(1), 119-138.

केनवर्थी, ए. डी. (2020). स्ट्रीमिंग वॉर्स: मनोरंजन का भविष्य।

क्वाक, के. टी., ओह, सी. जे., और ली, एस. डब्ल्यू. (2021). हू यूज़ेज पेड ओवर-द-टॉप सर्विसेज एंड व्हाई? क्रॉस-नैशनल कंपैरिसन्स ऑफ़ कंज्यूमर डेमोग्राफिक्स एंड वैल्यूज़. टेलीकॉम्युनिकेशन्स पॉलिसी, 45(7), 102168.

श्रीवास्तव, डी. एम. के. (2020). ग्रोथ ऑफ़ वेब सीरीज़: ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी. आईआरई जर्नल्स। वॉल्यूम 4 इश्यू 5। आईएसएसएन: 2456-8880.

नागराज, एस., सिंह, एस., & यासा, वी. आर. (2021). फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर्स' विलिंगनेस टू सब्स्क्राइब टू ओवर-द-टॉप (ओटीटी) वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज़ इन इंडिया. टेक्नोलॉजी इन सोसायटी, 65, 101534.

कुमारी, टी. (2020). ए स्टडी ऑन ग्रोथ ऑफ़ ओवर द टॉप (ओटीटी) वीडियो सर्विसेज़ इन इंडिया. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ लेटेस्ट रिसर्च इन ह्यूमेनिटीज़ एंड सोशल साइंस (आईजेएलआरएचएसएस) वॉल्यूम 03 - इश्यू 09, 2020.

साहा, एस. (2021). कंसम्प्शन पैटर्न ऑफ़ ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स इन इंडिया. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मॉडर्न एग्रीकल्चर, 10(2), 641-655.

गुप्ता, पी. (2021). द फैक्टर्स एफेक्टिंग शिफ्ट ऑफ़ इंडियन कस्टमर्स फ्रॉम टीवी सीरीज टू वेब सीरीज-द फ्यूचर ऑफ़ ओटीटी सर्विसेज इन इंडिया. ईप्रा इंटरनैशनल जर्नल ऑफ़ मल्टीडिस्सिप्लिनरी रिसर्च (आईजेएमआर).

चटर्जी, एम., और पाल, एस. (2020). ग्लोबलाइजेशन प्रोपेल्ड टेक्नॉलॉजी ऑफ़न एंड्स अप इन इट्स माइक्रोलोकलाइजेशन: सिनेमा व्यूइंग इन द टाइम ऑफ़ ओटीटी. ग्लोबल मीडिया जर्नल: इंडियन एडीशन, 12(1).

घोष, पी. (2021). ए स्टडी ऑन यूनिवर्सैलिटी

निझावान, जी. एस., & दहिया, एस. (2020). रोल ऑफ कोविड एस ए कैटलिस्ट इन इंक्रीसिंग एडॉप्शन ऑफ़ ओट्स इन इंडिया: ए स्टडी ऑफ एवोल्विंग कंज्यूमर कंसम्प्शन पैटर्न्स एंड फ्यूचर बिज़नेस स्कोप. जर्नल ऑफ कंटेंट, कम्यूनिटी एंड कम्युनिकेशन, 298-311.

पुथियाकथ, एच. एच., & गोस्वामी, एम. पी. (2021). इस ओवर द टॉप वीडियो प्लेटफ़ॉर्म द गेम चेंजर ओवर ट्रेडिशनल टीवी चैनल्स इन इंडिया? ए नीच एनालिसिस. एशिया पैसिफिक मीडिया एजुकेटर, 31(1), 133-150.

आर्थोफर, एफ., मार्टिन के., एरिक एल., जॉन आर., और हार्डरसन, ए. (2016, सितंबर 20). द फ्यूचर ऑफ़ टेलीविजन: द इम्पैक्ट ऑफ ओटीटी ऑन वीडियो प्रोडक्शन अराउंड द वर्ल्ड. रिट्रीव्ड फ्रॉम https://www.bcg.com/publications/2016/media-entertainment-technology-digital-future-television-impact-ott-video-production.

लोट्स, ए. डी. (2018). वी नाउ डिसरप्ट दिस ब्रॉडकास्ट: हाउ केबल ट्रांसफ़ॉर्म्ड टेलीविजन एंड द इंटरनेट रेवोल्यूशनाइज़ड इट ऑल. एमआईटी प्रेस.

कुलकर्णी, एस., कोंडे, के., और बेडेकर, एम. (2022). ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया. ग्रेंज़ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (जीआईजीईटी), 8(2).

परमार, के., & पंडित, एम. (2021). द एवोल्यूशन ऑफ़ मीडिएटेड यूथ कल्चर: ओटीटी एस "न्यू टेलीविज़न" इन इंडिया. ऑफ स्क्रीन, 25(2-3).

नाइक, एन. वी. (2020, मई). एन इंट्रोडक्शन टू ओवर-द-टॉप एंटरटेनमेंट. इंडिया—अ पर्फेक्ट प्लेग्राउंड फॉर दिस डिजिटल इंडस्ट्री. इन मीटिंग ऑफ रिसर्च इन म्यूज़िक, आर्ट्स एंड डिज़ाइन (पीपी. 229-242). चैम: स्प्रिंगर इंटरनेशनल पब्लिशिंग.

मैट्रिक्स, एस. (2014). द नेटफ्लिक्स इफेक्ट: टीन्स, बिंज वॉचिंग, एंड ऑन-डिमैंड डिजिटल मीडिया ट्रेंड्स. जेऊनेस: यंग पीपल, टेक्स्ट्स, कल्चर्स, 6(1), 119-138.

अहमद, ए. ए. ए. एम. (2017). न्यू एरा ऑफ़ टीवी-वॉचिंग बेहेवियर: बिंज वॉचिंग एंड इट्स प्साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स. मीडिया वॉच, 8(2), 192-207.

शर्मा, एन., & बैनर्जी, पी. (2020). ओवर द टॉप (ओटीटी) मार्केट इन इंडिया-फैक्टर्स ड्राइविंग ग्रोथ, एवोल्विंग बिजनेस मॉडल्स एंड चैलेंजेस-ए स्टडी. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मैनेजमेंट आईटी एंड इंजिनियरिंग, 10(6), 1-13.

जैंसन, ए. (2002). द मीडिएटाइजेशन ऑफ कंसंप्शन: टॉवर्ड्स एन एनैलिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ इमेज कल्चर. जर्नल ऑफ़ कंज्यूमर कल्चर, 2(1), 5-31.

ह्जारवार्ड, एस. (2008). द मीडिएटाइजेशन ऑफ सोसाइटी: ए थीयरी ऑफ द मीडिया एस एजेंट्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल चेंज. नॉर्डिकॉम रिव्यू, 29(2).

चाको, बी. (2022, दिसम्बर 08). एट 26%, यूरल एरियास विट्नेस हायर ग्रोथ इन ओटीटी ऑडिएंस इन 2022: ओरमैक्स रिपोर्ट. रिट्रीव्ड फ्रॉम https://www.afaqs.com/news/ott-streaming/at-26-rural-areas-witness-higher-growth-in-ott-audience-ormax-report#:~:text=At%2026%25%2C%20rural%20areas%20have%20witnessed%20faster%20growth,saturation%20levels%2C%20with%20more%20than%2079%25%20OTT%20penetration.

टॉम्लिंसन, जे. (1999). ग्लोबलाइज़ेशन एंड कल्चर. यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस.

शिक्षा सूचकांक (माता-पिता की शिक्षा) का स्नातक स्तर के छात्रों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन

आदित्य प्रकाश*
डॉ. आर. हरिहरन**

सारांश

शिक्षा मानव के बौद्धिक विकास का आधारभूत माध्यम है। शिक्षा के माध्यम से ही मानव का संपूर्ण विकास हुआ है। किसी भी बच्चे की प्रारम्भिक पाठशाला घर को कहा जाता है जहां बच्चा प्रारंभिक शिक्षा अपने माता-पिता और घर के सदस्यों से सीखता है। 'घरेलू शिक्षा' शब्द बच्चों पर परिवार के शैक्षिक प्रभाव को दर्शाता है। यह बात साबित हो चुकी है कि विभिन्न पारिवारिक परिवेशों में बच्चे विभिन्न प्रदर्शनों के माध्यम सेविभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं। बच्चा जिन लोगों के साथ रहता है उनसे लगातार विभिन्न प्रकार के प्रभाव और अपेक्षाओं का सामना करता रहता है और गतिविधियाँ करता है। प्रस्तुत शोध पत्र में शिक्षा सूचकांक (माता-पिता की शिक्षा) का स्नातक स्तर के छात्रों पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन करनाहै। इस अध्ययन में छात्रों के नमूने लेने के लिए यादृच्छिक नमूनाकरण तकनीक अपनाई गई है। इस अध्ययन में 631 छात्र शामिल हैं। स्वविकसित प्रश्नावली का उपयोग छात्रों से डेटा एकत्र करने के लिए किया गया है। क्रोनबैक अल्फा का उपयोग विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए किया गया है। प्रतिभागियों का डेटा एकत्र किया गया जिसमें वर्णनात्मक आँकड़ों (माध्य और मानक विचलन), सांख्यिकी (पियरसन सह-सम्बन्ध) का उपयोग करके विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन सर्वेक्षण प्रवृत्ति का है जिसके अंतर्गत सर्वेक्षण विधि द्वारा प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के स्नातक छात्रों द्वारा प्रश्नावली के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया है तथा प्राप्त उत्तरों को विश्लेषण कर परिणाम प्रस्तुत किया गया है।

बीज शब्द : मानव विकास सूचकांक़,शिक्षा सूचकांक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षाऔर स्नातक छात्र, परिवार

प्रस्तावना

मानव विकास सूचकांक (HDI) किसी देश के विकास को मापने का तरीका है। इस सूचकांक का प्रथम प्रतिपादन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम(यूएनडीपी) में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और साथी नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने किया था। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण आधारभूत आयाम आते हैं शिक्षा, स्वास्थ (जीवन स्तर) और प्रति-व्यक्ति आय (UNDP, 1990)। मानव विकास सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर तीन श्रेणियों में देशों को बांटा जाता है जो निम्न प्रकार से हैं

अल्प-विकसित देश	0.0000 - 0.4999
विकासशील देश	0.4999 - 0.7999
विकसित देश	0.7999 – 1.0000

*शोध छात्र, शिक्षा संकाय, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, (म. प्र.)
**सहायक प्राध्यापक, शिक्षा संकाय, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, (म. प्र.)

मानव विकास सूचकांक का एक आयाम शिक्षा सूचकांक (माता-पिता की शिक्षा) भी है। शिक्षा सूचकांक (माता-पिता की शिक्षा) का छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि माता-पिता ही हैं जो बच्चों को जीवन देते हैं, और समाज में मानव जाति का पुनरुत्पादन करते हैं और विकास में योगदान देते हैं। माता-पिता या समग्र परिवार, शैक्षिक कार्य के प्रत्यक्ष धारकों में से एक हैं (एमेरल्लाहु, डाली, 1998)।

परिवार एक कोशिका के रूप में केवल प्रेम और सम्मान के साथ कार्य करता है और यह समझ, स्नेह, बलिदान और बच्चे की देखभाल बल पर देता है (एमेरलाहु, डाली, 2001)। तो इस प्रकार पारिवारिक वातावरण का निर्माण होता है जिसमें हम रहते हैं (क्लाउडिया और एबरहार्ड मुहलान, 2008)।

जब माता-पिता अपने बच्चों के विकास और शिक्षा की बात करते हैं तो माता-पिता एक महत्वपूर्ण रुख अपनाते हैं। चूँकि माता-पिता स्वयं ही बच्चों की शारीरिक और बौद्धिकता की समग्र देखभाल करते हैं, जब तक बच्चों का विकास, उस बिंदु तक जब तक वह स्वतंत्र न हो जाएं और जिस समाज में वह रहते हैं उसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार न हो जाएं (मोज्सोवस्जा कोतेवा तात्जाना, 2006)।

एक परिवार में पिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो बच्चों पर विशेष ध्यान देने के साथ घर का कार्यात्मक विकास करते हैं। पिता समग्र रूप से पारिवारिक जीवन के संगठन में अत्यंत महत्वपूर्ण कारक हैं, जोपरिवार के सभी सदस्यों के लिए एक सुखी और खुशहाल परिवार का मूल आधार हैं (क्लाउडिया और एबरहार्ड मुहलान, 2008)।

परिवार बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है जो बच्चों को उनके विकास के लिए जिम्मेदार बनाता है और अपने बच्चों को एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में विकसित करते हैं (गुड, 1988)। स्त्री या माँ की भूमिका एक शिक्षक व्यक्तिगत पहचान के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन का प्रतिनिधित्व करती है। माता-पिता की वैवाहिक स्थिति,माता-पिता के व्यवसाय जितना ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा लगता है कि एक महिला के लिए मां बनने का एहसास पिता होने से भी ज्यादा ताकतवर होता है।

इस सम्बंध में माँ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है जिसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पहला बच्चे की सुरक्षा से संबंधित है, जबकि दूसरा बच्चे की विकास समग्रता से संबंधित है। एक कार्य के रूप में बच्चे की सुरक्षा में कई प्रकार के कार्य अंतर्निहित होते हैं। पहला प्रकार बच्चे की शारीरिक सुरक्षा से जुड़ा है, जिसका अर्थ है कि बच्चे को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जानी चाहिए और स्वास्थ्यकर स्थितियाँ, ताकि वह हर दृष्टि से गृह वातावरण में स्वस्थ जीवन जी सके। यहां वह माहौल शामिल है जहां बच्चा रहता है, जो अच्छी तरह से प्रबुद्ध होना चाहिए, एक स्वस्थ स्थान जो बच्चे को नहलाने, खिलाने और सामान्य रूप से देखभाल करने की पेशकश करता है। दूसरा प्रकार मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है, जिसे विशेष रूप से बच्चे की भावनात्मक सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के माध्यम से प्रतिबिंबित होता है (ग्रान्सिक, राडोवन, 2006)। इसमें माता-पिता का अपने बच्चों द्वारा किया गया तथाकथित व्यक्तिपरक अनुभव अलग-अलग तरीकों से भिन्न होता है और माताओं द्वारा विशेषकर एक परिवार में उनकी भूमिका अधिक भिन्न होती है। परिवार में निभाए जाने वाले कर्तव्यों के संदर्भ में लैंगिक पूर्वाग्रहों के परिणामस्वरूप माताएँ अधिक अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति योगदान देती हैं (कॉन्स्टेंटाइन, टैमी, 1999)।

प्रत्येक बच्चा जो माँ की उपस्थिति में बड़ा होता है और शिक्षित होता है उससे निश्चित रूप से एक मुकाम हासिल करने की उम्मीद की जाती है। उचित शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास की अपेक्षा की जाती है (ब्राडा और रिज़ा, 1995)।

जैसे बच्चे बड़े होने पर परिवार में अपनी ज़िम्मेदारियाँ और भूमिका सीखते हैंऔर माता-पिता बन जाते हैं, यानि वह इस सम्बंध में पिता की भूमिका निभाने के लिए परिपक्व हो जाते हैं। इस सिद्धांत को देखते हुएवहाँ कई शोध किए गए हैं जो साबित करते हैं कि पिता और बच्चे के बीच का रिश्ता मजबूत होना चहिए (कोवान,1992)।

महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा

मानव विकास सूचकांक

मानव विकास सूचकांक, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय संकेतक का सांख्यिकीय समग्र सूचकांक है जिसका उपयोग देशों के मानव विकास का मूल्यांकन करके उनको स्तरों में क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है।

शिक्षा सूचकांक

शिक्षा सूचकांक से तात्पर्य स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष का अंकगणितीय माध्य है। शिक्षा सूचकांक में स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष सूचकांक (MYSI) = MYS / 15। अधिकतम मूल्य 15 साल की स्कूली शिक्षा है, जो 2025 के लिए अनुमानित अधिकतम है। न्यूनतम मूल्य 0 साल की स्कूली शिक्षा है। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष सूचकांक (ईवाईएसआई) = ईवाईएस/18 हैं।

सीखने की गुणवत्ता

यह आमतौर पर सीखने की प्रक्रिया से विद्यार्थी की संतुष्टि से जुड़ा होता है। वह शिक्षण जो उद्देश्यपूर्ण हो, जिसमें शिक्षार्थियों को प्रभावी ढंग से सीखने, अर्जित कौशल और ज्ञान को बनाए रखने की क्षमता प्रदान की जाती है। जिसमें छात्रों के लिए ज्यादा सीखने के अवसर उपलब्ध हों, जिसके द्वारा छात्रों में समस्या-समाधान कौशल, प्रासंगिक कार्य कौशल और अच्छे अंतर-व्यक्तिगत कौशल का विकास हो।

स्नातक छात्र

वह व्यक्ति जिसने किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज या स्कूल में अध्ययन का कोई पाठ्यक्रम पूरा करने पर डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किया हो या जिसके पास स्नातक या प्रथम व्यावसायिक डिग्री है और वह उन्नत डिग्री के लिए अध्ययन कर रहा है। अथवा 12वीं कक्षा के बाद उच्च अध्ययन जैसे बीटेक, बीएससी, बीए आदि करना होगा। इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद आपको स्नातक छात्र कहा जाएगा।

सम्बंधित साहित्य का अध्ययन

ज़ुरिसिक और बनीजेवैक (2017) के अनुसार छात्रों को शिक्षित करने में स्कूल, परिवार, माता-पिता का साथ और सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है। माता-पिता को शैक्षिक प्रक्रिया में लाकर

वर्तमान स्कूल कार्यक्रमों को समृद्ध कर रहेहैंजिससे छात्रों की सफलता में वृद्धि, अभिभावकों और शिक्षकों की संतुष्टि में वृद्धि और स्कूल के माहौल में सुधार हुआ है । पालन-पोषण, घर पर सीखना, संचार, स्वयंसेवा, निर्णय लेना, सामुदायिक सहयोग और भागीदारी से छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में सुधार हुआ है।

नाईट (2021) ने अनुसन्धान पत्र में क्रिसेंट इंटरनेशनल स्कूल में छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि पर माता-पिता की भागीदारी के प्रभाव को जानने की कोशिश की गयी है। अध्ययन में बैंकॉक, थाईलैंड में क्रिसेंट इंटरनेशनल स्कूल के 12 अभिभावकों की प्रतिक्रियाएँ, जिनके बच्चे माध्यमिक स्तर पर नामांकित हैं, इस शोध में उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण तकनीक का उपयोग किया गया और जनसांख्यिकी के बारे में एक प्रश्नावली माता-पिता की भागीदारी के स्तर का आकलन करने के लिए माता-पिता को वितरित किया गया और साक्षात्कार आयोजित किए गए। यह छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि पर माता-पिता की भागीदारी के प्रभाव को मापने के लिए किया गया था । शोध का मुख्य निष्कर्ष यह है कि जिन छात्रों के माता-पिता अत्यधिक सक्रिय थे उनका शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर था।

डीफ़राजा और ओलिवेरा (2010) के अनुसारइस पेपर में ''छात्र की शैक्षिक उपलब्धि शिक्षा प्रक्रिया में भाग लेने वाले माता-पिता द्वारा किए गए प्रयासों से प्रभावित होती है'' के बारे में बताया गया है। शोधकर्ताओं ने राष्ट्रीय बाल विकास अध्ययन का उपयोग करके अपने मॉडल का अनुमान लगायाजो 1958 में एक निश्चित सप्ताह में पैदा हुए व्यक्तियों का उनके पूरे जीवन भर अनुसरण करता है । इससे यह निष्कर्ष आया कि शिक्षा प्रक्रिया में भाग लेने वाले माता-पिता द्वारा किए गए प्रयासों से छात्र की शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हुई है।

सेका और मुराती (2016) शोधकर्ता ने इस पेपर में "घरेलू शिक्षा" बच्चों पर परिवार के शैक्षिक प्रभाव के बारे में अध्ययन किया है और पाया कि विभिन्न पारिवारिक परिवेशों में बच्चे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं और जिन लोगों के साथ वह रहते हैं उनसे लगातार विभिन्न प्रकार के प्रभाव और अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है। हम पारिवारिक माहौल में अपने बच्चों की शिक्षा पर माता-पिता के प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। यह उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां प्रत्येक परिवार में अलग-अलग शैक्षणिक क्षमताएं हैं। आजकल की सामाजिक परिस्थितियों में परिवार पर बहुत बड़ी और कठिन जिम्मेदारी होती है क्योंकि इसमें उनके स्वास्थ्य, शारीरिक विकास, समग्र शिक्षा, बौद्धिक समानता के विकास के साथ-साथ एक दृढ़ और अच्छे व्यवहार वाले सांस्कृतिक सम्बंधों के लिए बेहतर नैतिक मूल्यों और दृढ़ विश्वास और दृष्टिकोण, आदतों के निर्माण पर उचित ध्यान देना है।

उग्वुआनी,ओकेके और नजेज़ (2020) ने इस पेपर में शिक्षार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में पालन-पोषण शैली और माता-पिता के समर्थन की भूमिका निर्धारित करने की मांग का अध्ययन किया है। इसमें सहसम्बंधी अनुसंधान डिज़ाइन का प्रयोग और 335 वरिष्ठ माध्यमिक दो शिक्षार्थियों का एक नमूना चुना गया। माता-पिता के समर्थन और पालन-पोषण की शैली पर एक प्रश्नावली का उपयोग करके डेटा एकत्र किया गया है । डेटा का विश्लेषण करने के लिए एक प्रतिगमन विश्लेषण का उपयोग किया है । परिणाम स्वरूप यह निष्कर्ष आया है कि माता-पिता का समर्थन और पालन-पोषण शैली में शिक्षार्थी के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता-पिता को उचित पालन-पोषण शैली अपनानी चाहिए जिससे बच्चों को पर्याप्त शैक्षिक सहायता मिल सके।

लेमेसा, सेनबेटो, अलेमायेहु और गेमेचू(2023) ने इस अध्ययन में बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार के लिए शिक्षा गतिविधियों में माता-पिता की भागीदारी का पता लगाने का प्रयास किया है। 292 घरों का एक नमूना चुना है जिनके चार स्कूलों के कक्षा पाँच से कक्षा आठ तक के छात्र हैं। वर्णनात्मक विश्लेषण से पता चला कि 19% उत्तरदाता घर पर अपने बच्चों को सलाह देने, मार्गदर्शन करने और परामर्श देने में बिल्कुल भी सक्रिय रूप से शामिल नहीं होते हैं। 67% उत्तरदाताओं ने अपने बच्चों की मदद करने में माता-पिता की मध्यम भागीदारी दिखाई, जबकि 14% उत्तरदाताओं ने घर पर शिक्षा में माता-पिता की भागीदारी की अच्छी स्थिति दिखाई। इस प्रकार के अध्ययन से पता चला कि 53% उत्तरदाता स्कूल की गतिविधियों में बिल्कुल भी भाग नहीं ले रहे थे और उनमें से 35% मध्यम भागीदारी वाले थे और उनमें से 13% स्कूल की गतिविधियों में अच्छी तरह से शामिल हैं। एकाधिक रेखीय प्रतिगमन से पता चला कि घर के मुखिया का लिंग, माता-पिता का शैक्षिक स्तर और माता-पिता की आय के स्रोत शैक्षिक उपलब्धियों में सुधार के लिए माता-पिता की भागीदारी के प्रमुख भविष्यवक्ता पाए गए जबकि मुखिया की उम्र बढ़ रही थी। परिवार, बच्चों की संख्या और छात्रों का लिंग कोई महत्व नहीं दिखा रहा था। सरकार, और नीति निर्माताओं को छात्रों की शिक्षा में माता-पिता की भागीदारी बढ़ानी चाहिए और माता-पिता को अपने बच्चे के शैक्षणिक प्रदर्शन के प्रति उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए माता-पिता की भागीदारी प्रासंगिक है।

ओलिवर, और नेपरान (2023) ने स्पष्ट किया कि कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रसार ने फिलीपींस सहित दुनिया भर में शिक्षा प्रणालियों में व्यवधान पैदा कर दिया है। इसके कारण ऑनलाइन शिक्षा लागू की गई। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा के दौरान, अपने बच्चों की निगरानी में माता-पिता की भूमिका से शिक्षा को सुदृढ़ किया गया और यह कुछ अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण प्रतीत हुई। अध्ययन में 49 माता-पिता के नमूने का उपयोग किया गया। शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के लिए लाला नेशनल हाई स्कूल में कक्षा 12 के छात्रों की जनसंख्या का प्रयोग किया गया। परिणाम से स्पष्ट हुआ कि पालन-पोषण, घर पर सीखने, निर्णय लेने के मामले में माता-पिता की भागीदारी का स्तर स्कूल की जानकारी का शैक्षणिक प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिसके कारण छात्रों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है।

अयंबिला, अवुनी, अज़ांजियो और पप्पो (2022) के अध्ययन में माता-पिता की भागीदारी के स्तर को निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य कसेना ननकाना के भीतर वरिष्ठ उच्च स्तर पर छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन की निगरानी करना है जो घाना का ऊपरी पूर्वी नगर पालिका क्षेत्र है। इसके अध्ययन के लिए तीन शोध प्रश्न तैयार किए गए थे। इस अध्ययन में प्रतिभागियों के नमूने लेने के लिए उद्देश्यपूर्ण और यादृच्छिक नमूनाकरण तकनीक अपनाई गई है। इस अध्ययन में 50 माता-पिता, 100 शिक्षक और 100 छात्र शामिल हैं। स्व विकसित प्रश्नावली का उपयोग अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों से डेटा एकत्र करने के लिए किया गया था। क्रोनबैक अल्फा का उपयोग विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए किया गया है। प्रतिभागियों का डेटा एकत्र किया गया जिसमें वर्णनात्मक आँकड़ों (प्रतिशत, माध्य और मानक विचलन), सांख्यिकी (एनोवा) और अनुमान का उपयोग करके विश्लेषण किया गया। परिणाम के आधार पर हम कह सकते हैं कि माता-पिता की सीनियर हाई -स्कूल में छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन की निगरानी बहुत कम है तथा गरीबी, शिक्षा का निम्न स्तर, एकल पालन-पोषण, माता-पिता का काम का बोझ, शिक्षकों और माता-पिता का एक-दूसरे के प्रति नकारात्मक रवैया और बड़ा परिवार का आकार छात्रों की शैक्षणिक निगरानी में प्रमुख बाधा है।

शोध का उद्देश्य

शिक्षा सूचकांक का स्नातक स्तर के छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना

H0-स्नातक स्तर के छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता तथा शिक्षा सूचकांक में सम्बंध नहीं है।

H1-स्नातक स्तर के छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता तथा शिक्षासूचकांक में सम्बंधहै।

अनुसंधान क्रिया विधि

इस शोध पत्र में वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया गया है और उत्तर प्रदेश में स्नातक छात्रों के डेटा एकत्र करने के लिए यादृच्छिक नमूना करण का उपयोग किया गया है।

अध्ययन के चर

यहाँ आश्रित चर हैं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा।

इस विषय में स्वतंत्रचर है शिक्षा सूचकांक

जनसंख्या

• अध्ययन की जनसंख्या में लखनऊ, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश के स्नातक छात्र शामिल हैं।

नमूना और नमूना तकनीक

नमूना- नमूना "उस आबादी के बारे में सच्चाई निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली आबादी से इकाइयों का एक छोटा (लेकिन उम्मीद के मुताबिक प्रतिनिधि) संग्रह है" । इस अध्ययन के लिए 631 स्नातक छात्रों का कुल नमूना यादृच्छिक रूप से चुना गया है।

नमूना करण तकनीक-इस अध्ययन में यादृच्छिक प्रतिचयन तकनीक का प्रयोग किया गया है।

प्रक्रिया

वर्तमान अध्ययन के लिए डेटा एकत्र करने के लिए अन्वेषक ने लखनऊ जिला केस्नातक छात्रों को प्रशासित किया।

उपकरण

वर्तमान अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले निम्न लिखित शोध उपकरण हैं:

1. छात्रों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पर माता-पिता के स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के प्रभाव को मापने का उपकरण- पर्यवेक्षक के मार्गदर्शन में शोधार्थी द्वारा विकसित और मानकीकृत प्रश्नावली ताकि प्रासंगिक डेटा एकत्र किया जा सके।
2. उपकरण जो प्रासंगिक डेटा एकत्र करने के लिए विकसित और मानकीकृत किया गया है। इसकी

विश्वसनीयता की जाँच करने के लिए क्रोनबैक का अल्फा गुणांक (Cronbach's alpha coefficient) का प्रयोग किया गया है जिसका क्रोनबैक का अल्फा गुणांक (Cronbach's alpha coefficient) 0.925 है।

सांख्यिकीय विधि

शिक्षा सूचकांक की गणना के लिए सांख्यिकीय सूत्र

1-शिक्षासूचकांक

स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष सूचकांक (MYSI) = MYS / 15

स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष सूचकांक (EYSI) = EYS/18।

शिक्षा सूचकांक Educational Index (EI) = EYS + MYS / 2

2 - माध्य

$$\bar{x} = \frac{\sum x_n}{n}$$

3 - मानक विचलन

Standard Deviation

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma x^2}{n} - \left(\frac{\Sigma x}{n}\right)^2}$$

शोध कार्य हेतु प्राथमिक समूह का संकलन उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर के छात्रों का चयन यादृच्छिक नमूना विधि का प्रयोग कर किया गया है। शोध कार्य हेतु शिक्षा सूचकांक का स्नातक स्तर के छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए पियर्सन सहसम्बंध का प्रयोग किया गया है। शोध कार्य हेतु 631 बच्चों का चयन किया गया है।

शिक्षा सूचकांकएवं शिक्षा गुणवक्ता का अंतर्संबंध का विश्लेषण

S. No.	Mean	Standard deviation	Number of students	pearson's correlation (r)Value	Remark
Education index	0.7790	0.1585	631	0.024	Not-Significant
Learning Quality	96.69	11.413			

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि पियर्सन सह -सम्बंध का मान 0.024 है जो कि बहुत कम है इसका अर्थ की शिक्षा सूचकांक (माता-पिता की शिक्षा) और उनके बच्चे की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कोई

सम्बन्ध नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं कि (P>0.05), 0.05 सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना (H0) स्वीकार की जाती है। वैकल्पिक परिकल्पना (H1) अस्वीकार की जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मस्तिक(mind),अभ्यास(practice),संप्रत्यय (concept),प्रोत्साहन (motivation),सीखने की इच्छा, सीखने के लिए तैयार रहना, भविष्य सुधार, सिद्ध करने की प्रवृत्ति, मानसिक शक्ति, पढ़ाने का तरीका आदि का प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है। न कि माता-पिता की शिक्षा का प्रभाव शिक्षा गुणवत्ता पर पड़ता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध से यह परिणाम प्राप्त हुआ है कि शिक्षा सूचकांक या (माता-पिता की शिक्षा)का कोई प्रभाव स्नातक स्तर के छात्रों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पर नहीं पड़ता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए छात्रों के मस्तिष्क,स्वप्रोत्साहन,अभ्यास, सीखने के लिए तैयार होना,सीखने की इच्छा,घर का वातावरण, विद्यालय का वातावरण,अध्यापक का पढ़ाने का तरीका आदि का प्रभाव पड़ता है ना कि शिक्षा सूचकांक (माता पिता की शिक्षा) का। सम्बंधित साहित्य सर्वेक्षण से प्राप्त शोध पत्रों के परिणाम के आधार पर हम कह सकते हैं कि माता-पिता की शिक्षा का प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता पर नहीं पड़ता है लेकिन कुछ आयामों में जैसे माता-पिता का व्यवसाय या माता-पिता की भागीदारी का प्रभाव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर पड़ता है। इसके साथ ही कुछ शोध पत्रों के परिणाम से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि प्राथमिक या उच्च-प्राथमिक स्तर के छात्रों की शिक्षा पर माता-पिता की शिक्षा का धनात्मक प्रभाव पड़ता है परन्तु माता-पिता की शिक्षा का स्नातक स्तर के छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। माता-पिता की भागीदारी, आयु, रोजगार और वैवाहिक स्थिति का बच्चों की शिक्षा पर अधिक प्रभाव पड़ता है। शोध का मुख्य निष्कर्ष यह है कि जिन छात्रों के माता-पिता अत्यधिक सक्रिय थे उनका शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर था और उनके दूसरे छात्रों की तुलना में सभी विषयों में अंक आधिक हैं। जिनके माता-पिता उनके साथ शामिल नहीं है उन छात्रों का शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर नहीं है।

संदर्भ सूची

ज़ुरिसिक, एम., और बनीजेवैक, एम. (2017)। सफल शिक्षा के लिए माता-पिता की भागीदारी एक महत्वपूर्ण कारक है। सेंटर फॉर एजुकेशनल पॉलिसी स्टडीज जर्नल, 7(3), 137-153।

उग्वुआनी, सी.एस., ओकेके, सी.आई., और नजेज़, के.सी. (2020)। शिक्षार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर पालन-पोषण की शैली और माता-पिता का समर्थन। जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, 11(3-4), 198-205।

लेमेसा, आर., सेनबेटो, टी., अलेमायेहु, ई., और गेमेचू, एन. (2023)। शिक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता में परिवार की भागीदारी: इथियोपिया के पश्चिमी शोआ क्षेत्र में कुछ चयनित द्वितीय चक्र पब्लिक स्कूल। कॉजेंट एजुकेशन, 10(1), 2197669।

नाईट, आई. (2021, मार्च)। क्रिसेंट इंटरनेशनल स्कूल, बैंकॉक, थाईलैंड में बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर माता-पिता की भागीदारी का प्रभाव। आईओपी सम्मेलन श्रृंखला में: पृथ्वी और पर्यावरण विज्ञान

(खंड 690, संख्या 1, पृष्ठ 012064)। आईओपी प्रकाशन।

अयंबिला, ई.ए., अवुनी, जे., अज़ांजियो, पी.ए., और पप्पो, ए.एन.एम. (2022)। छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन की निगरानी में माता-पिता की भागीदारी। ब्रिटिश जर्नल ऑफ एजुकेशन, 10(10), 83-103 ।

ओलिवर, एम.जे.ए., और नेपरान, जी.बी. (2023)। ऑनलाइन कक्षा सीखने के तौर-तरीकों में माता-पिता की भागीदारी और छात्रों का शैक्षणिक प्रदर्शन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज एंड एजुकेशनल स्टडीज,10(2),16।

डी फ़राजा, जी., और ओलिवेरा, टी. (2010)। माता-पिता का प्रयास बच्चे के शैक्षिक प्रदर्शन की कुंजी है । साइंसडेली।

सेका, ए., और मुराती, आर. (2016)। बच्चों की शिक्षा में माता-पिता की भूमिका. जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, 7(5), 61-64।

कोवान, सी. (1992) जब पार्टनर माता-पिता बन जाते हैं, न्यूयॉर्क, पृ.98

जेम्स गारबेरिनो (1982) सामाजिक परिवेश में बच्चे परिवार, न्यूयॉर्क, पीपी 140

मातिलोव, नौम, (2002), ब्रैक आई सेमेजस्टोवो, स्कोप्जे, 194-195,शोध (2007) बच्चों की शिक्षा और उपलब्धि पर पिता का प्रभाव,बाल-शिक्षा/ 1-2

वुकासोसिक, ए, (1994), ओबनोवा ओबिटेलज-टेमेलज ह्वात्सकोग नेप्रेट्का, रेव.सोक.बीआर.4, ज़ाग्रेब। शोध (2007) बच्चों की शिक्षा और उपलब्धि पर पिता का प्रभाव,पृ.40

https://www.undp.org

Good, (1988), Die Elektronika der Familie, WestdeutscherVerlag, Köln, pap.40

Grancic, Radovan, (2006) Priloziporodiknoj pedagogies, Novi Sad, pp.190

Kasapi, Gyilmsere, (2013), PedagoggiaFamilzare, Shkup, pp. 82

Lacinska, Divna, (2006) Semejstotoivospituvenato, Skopje, pp. 69, 80.

MojsovsjaKotevaTatjana, (2006), Semejnotovospituvanjeisocialnotoodansuvanjenadakata, Skopje, pp. 118

Vukasocic, A, (1994), Obnovaobitelj-temeljhrvatskognepretka, rev.soc.br.4, Zagreb. pp.40

Emerallahu, Dali, (1998), Bazat e Methodix Se Punes Educative, Pristine, pp.147

 ISSN-0974-0118

संथाल जनजाति के सशक्तिकरण में सामुदायिक रेडियो का योगदान

डॉ. अख्तर आलम*
उमेश शर्मा**

सारांश

भारत में विभिन्न प्रकार की स्वदेशी जनजातियों का निवास है। उनकी अपनी कला, मूल्य, संस्कृति, रीति-रिवाज है। उनके पास संवाद करने और खुद को जागरूक करने की अपनी पारंपरिक प्रणाली है, लेकिन समय के साथ देश के अधिकांश जनजाति समाज मुख्यधारा के लोकतंत्र के दायरे से पीछे छूट गए। इन समुदायों में गरीबी, अशिक्षा, शराबखोरी, कुपोषण, अंधविश्वास आदि फैले हुए हैं। इस मामले में सामुदायिक रेडियो इन समुदायों को जागरूक करने और उन्हें विकास की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। सामुदायिक रेडियो अन्य रेडियो केंद्रों की ही तरह रेडियो-सेवा का एक प्रकार है। सामुदायिक रेडियो समुदाय विशेष के लिए प्रसारण करता है। सामुदायिक रेडियो समाज के किसी एक समुदाय विशेष की बोली-भाषा में उस समुदाय तक सूचना पहुंचाने शिक्षित करने तथा मनोरंजन के उद्देश्य से आरंभ किया गया रेडियो प्रसारण माध्यम है। समुदाय की सेवा, समाज की सेवा, शैक्षिक उन्नयन, स्वास्थ्य सेवा, संस्कार, सरोकार, सभ्यता, संस्कृति, संगीत के माध्यम से समुदाय की चहुँमुखी सेवा, सामुदायिक रेडियो का एकमात्र उद्देश्य रहता है। सूचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि की उन्नत तकनीकों के विषय में जागरूकता की कमी है। अखबारों की पहुंच का दायरा भी सीमित है। बिजली, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट जैसी सुविधा का अभाव रहा है। वहां रेडियो ही एक सशक्त माध्यम के रूप है। सामुदायिक रेडियो के माध्यम से समुदाय विशेष की विलुप्त होती संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं उसके इतिहास को संरक्षित एवं संवर्धित करने का प्रभावशाली संचार माध्यम है।

भारत जैसे देश में जहाँ साक्षरता का प्रतिशत कम है। खासतौर हमारी देश की महिलाओं का। चूंकि संचार विकास का प्रमुख पहलू है और यदि यह संचार के सहभागी तरीके से जुड़ता है, तो यह निश्चित रूप से समुदायों को उनकी जरूरतों उनके अधिकारों के लिए जागरूक कर उन्हें विकास की ओर ले जाता है। भारत में कुछ सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं जो विभिन्न जनजाति समुदाय की सेवा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल राज्य के पुरुलिया जिले के मानबाजार पूंचा ब्लॉक में नित्यानंद जनवाणी की एक आवाज गूंजती है। वहां के संथाल जनजातीय समाज को जागरूकता एवं विकास को एक नई दिशा नित्यानंद जनवाणी ने दी है। नित्यानंद जनवाणी की आवाज ने संथाल जनजाति की जीवन शैली में परिवर्तन की कमोबेश शुरुआत की और उनकी आवाज और समस्याओं को कुछ हद तक प्रसारित एवं प्रकाशित करने का कार्य किया है। जनजातीय समाज के विकास के लिए सामुदायिक रेडियो प्रसारण के बढ़ते दायरे का आकलन करता है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि कैसे सामुदायिक रेडियो जनजातियों, महिलाओं, किसानों आदि की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करके उत्पीड़ितों की आवाज उठाने में मदद करता है। यह अध्ययन पुरूलिया जिले से संबंधित मान बाजार पुंचा ब्लॉक कस्बे में रहने वाले संथाल जनजातियों के विकास में संचालित सामुदायिक रेडियो नित्यानंद जनवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभाव पर केंद्रित है।

*सह-प्राध्यापक, जनसंचार विभाग, महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज
**शोधार्थी, जनसंचार विभाग, महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज

प्रस्तुत अध्ययन में मात्रात्मक विश्लेषण करने के लिए यादृच्छिक नमूनाकरण विधि का उपयोग किया गया है।

बीज शब्द : सामुदायिक रेडियो, संथाल जनजाति, सामाजिक विकास, जागरूकता, सशक्तिकरण

प्रस्तावना

भारत में जनजाति की आबादी भारत की कुल आबादी (भारत की जनगणना 2001) का 8.6 प्रतिशत है। चूंकि वे आबादी में बड़ी संख्या दिखाते हैं, लेकिन वे विकास मानकों में बहुत खराब हैं जैसे कि उनकी साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से कम है। खराब स्वास्थ्य स्थिति, कुपोषण, घटिया जीवन स्थिति आदि। भारत में पंजाब, हरियाणा को छोड़कर देश के सभी हिस्सों में जनजाति रहते हैं। चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी (जनगणना 2011)। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा 2011 में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की कुल आबादी की तुलना में जनजाति के बीच साक्षरता दर केवल 59 प्रतिशत यानी 73 प्रतिशत है। जनजाति की महिला आबादी में साक्षरता दर और भी खराब है, अनुमानत केवल 49 प्रतिशत। जनजाति की 45.3 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में और 24.1 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे है (तत्कालीन योजना आयोग 2011-2012)। भारतीय आबादी का यह वर्ग न केवल सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़ा है बल्कि कुछ भेदभाव और अपराध या अत्याचारों का भी सामना करता है। भारत में जनजातियों की सुरक्षा और विकास के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान किये गये हैं। सरकार उन्हें लोकतंत्र की मुख्यधारा में लाना चाहती है लेकिन मुख्यधारा की प्रेस और मीडिया द्वारा भी उनकी उपेक्षा की जाती है। सहभागी संचार वंचित समूहों की विकास आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यह समाज के दबे-कुचले समुदाय को आवाज देता है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि कैसे एक सामुदायिक मीडिया प्रभावी ढंग से जनजाति की विकास आवश्यकताओं के लिए कार्य कर सकता है। आम भारतीय की स्थानीय समस्याओं और हितों को दृष्टिगत रखते हुए आकाशवाणी द्वारा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के प्रसारण के साथ-साथ देश भर में स्थानीय स्तर पर कई 'लोकल रेडियो स्टेशन' आरम्भ किए गए (ढौंडियाल, 2008)। देश भर में प्रसार भारती के 470 प्रसारण केंद्र हैं, जो लगभग 92% देश का क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का 99.19% को कवर करते हैं। रेडियो का ग्रामीण विकास से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। वर्तमान में देश में कुल 449 सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं, जिनमें से 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए लगभग 100 संगठनों को अनुमति दी गई है। यह सामुदायिक सशक्तिकरण और उन्हें मुख्यधारा की विकास प्रक्रिया में लाने के लिए रुपांतरित करने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। (सूचना और प्रसारण मंत्रालय, 2021)। संथाल लोग अब भी भारत के सबसे बडे और सबसे पुराने आदिवासी समुदाया माने जाते हैं। उनकी आबादी 15 करोड़ के आसपास है जो पांच राज्यों और मुख्यतः पूर्वी भारत में रहते हैं। संथाल भारत में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। वे ज्यादातर पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और असम राज्यों में पाए जाते हैं। संथाल जनजाति संथाली बोली बोलती है, जिसका संबंध आस्ट्रो-एशियाई भाषा परिवार से है। संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी है (मांझी धनेश्र्वर, 2022)। "संथाल' जनजातियों के स्वास्थ्य मुद्दों, स्वास्थ्य अभियानों, स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं आदि पर चर्चा की जाती है। संथाल जनजातियों के सामने

आने वाले मुद्दों की जटिलताओं को प्रसारित करता है और उनकी अपनी बोलियों और बोलियों में समाधान सुझाता है। पुंचा ब्लॉक के जनजातीय समुदाय एक बहुत मजबूत और व्यक्तिगत विकास करते हैं कार्यक्रम के संबंध में स्वामित्व की भावना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातियों के बीच उनके बुनियादी अधिकारों के बारे में सामान्य जागरूकता पैदा करना है।

साहित्य पुनरावलोकन

मिश्र, कुमार, सौरभ (2021) 'भारत में सामुदायिक रेडियो की ऐतिहासिक यात्रा' प्रस्तुत पुस्तक रेडियो के उज्ज्वल इतिहास की परम्परा में सामुदायिक रेडियो को नये ढंग से परिभाषित करती है। 'सामुदायिक रेडियो बोली से समरसता' के अंतर्गत समुदाय एवं सामुदायिक रेडियो की अवधारणा, सामुदायिक रेडियो का वैश्विक और भारतीय इतिहास आदि पहलुओं की विवेचना की गई है। पुस्तक में सामुदायिक रेडियो के विकास एवं विस्तार को भली-भांति समझाने का प्रयास किया गया है यह पुस्तक शोध विषय के मूल आधार को समझने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

गया पाण्डे, (2007),"भारतीय जनजातीय संस्कृति" इस पुस्तक में भारतीय जनजातीय संस्कृति के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला गया है। भारतीय जनजातियों की विशेषताएँ और उनका वर्गीकरण प्रस्तुत करने के अलावा, उनकी प्राचीनता, उनकी तुलनात्मक स्थिति, उनके राज्यानुसार वितरण, सामाजिक संगठन, राजनैतिक जीवन, धार्मिक जीवन, लोक साहित्य, कला और जनजातीय जीवन की परिवर्तन प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है। इस पुस्तक में जनजातीय विकास, अस्मिता की समस्या, जनजातीय आन्दोलनों और जनजातीय जीवन में जंगलों के महत्व की भी चर्चा की गई है।

हेमंत जोशी कुरुक्षेत्र, दिसंबर, (2021) के अंक 15 में कहते हैं की "सामुदायिक रेडियो बेजुबानों को आवाज" देने का एक असाधारण तथा अदृश्य माध्यम है। समुदायो को अपने जीवन संबंधित मुद्दों के बारे में आवाज उठाने का अवसर प्रदान करता है। ग्रामीण विकास, स्वास्थ, पोषण आहार शिक्षा तथा पंचायती राज्य से ज्वलंत मुद्दों के बारे में सूचना प्रसारित करके सामुदायिक रेडियो स्टेशन विकास की प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं।

कुरुक्षेत्र पत्रिका जून (2021), के अंक में 8 (पृ.29) "आत्मनिर्भर गांव के लिए सामुदायिक रेडियो" में लेखक कहते है कि कम्युनिटी रेडियो भारत के ग्रामीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जिसमें गांव और खेती से जुड़ी स्थानीय महत्व की बातों को क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। देश के सामुदायिक रेडियो केंद्र में ग्रामीण विकास की नई इबारत जिंदगियों प्रसारण और प्रस्तोताओ द्वारा लिखा जा रहा है. सामुदायिक रेडियो द्वारा स्थानीय भाषा में नई जानकारियों का प्रसारण ग्रामीण भारत के सशक्त और समावेशी विकास को परिभाषित कर रहा है।

रमण, साकेत (2013) मीडिया संगठन चरखा के 2005 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार मुख्यधारा की मीडिया में जनसरोकारों या आम आदमी से जुड़े मसलों को मात्र 2 फीसदी जगह ही मिल पाती है। ऐसे में आम आदमी के लिए सामुदायिक रेडियो एक वरदान साबित हुआ है। मध्यप्रदेश राज्य के अशोकनगर जिले के चंदेरी कस्बे में एक आवाज गूंजती है, जिसने वहां के आदिवासी समाज के जागरूकता एवं विकास को एक नई दिशा दी है। चंदेरी की आवाज ने सहरिया जनजाति की जीवनशैली में परिवर्तन की कमोबेश शुरूआत की और इनकी आवाज और समस्याओं को कुछ हद तक प्रसारित एवं प्रकाशित करने का कार्य किया।

तिवारी, राखी और मिश्र कुमार, सौरभ (2016) जनजातीय समुदायों के शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन-सहन के बदलाव में सामुदायिक रेडियो का योगदान मध्यप्रदेश के नालछा केंद्रित भील जनजाति के विशेष संदर्भ में, राखी तिवारी और सौरभ कुमार मिश्र ने अपने इस शोधपत्र के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला है कि सामुदायिक रेडियो के माध्यम से जनजाति समूहों की शिक्षा, स्वास्थ्य ,रहन-सहन और संस्कृतियों का भी संरक्षण हो रहा है। रेडियो केंद्र के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मनोरंजन, आर्थिक और संस्कृति संरक्षण संबन्धी कार्यक्रमों का प्रसारण किए जाने की बात कही गई है। सही मायने में सामुदायिक रेडियो आज के दौर में बेजुबानों की आवाज बना हुआ हैं।

राम, सिंह. सौराष्ट्रीय (2021) जनजातीय चेतना में आकाशवाणी की भूमिका शोध पत्र के अनुसार जनजातीय चेतना, संस्कृति, सभ्यता, परम्परा, रीति-रिवाज आदि के विकास में रेडियो की अहम् भूमिका रही है। आज अगर यदि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विषय में विचार किया जाए तो पता चलता है कि जनजाति के पास अपनी संस्कृति, रीति-रिवाज, संस्कार, परम्पराएँ, वनसम्पदा सब कुछ सुरक्षित है। उन्होंने अपनी संस्कृति को आज भी मजबूती के साथ पकड़कर रखा है। खेती किसानी, आकाशवाणी गाँव में, आदिवासी अखाड़ा, आदिस्वर की बाते प्रमुख से कही गई है।

रतन हेम्ब्रम (2016), "संथाली लकगीतों में साहित्य और संस्कृति" की यह पुस्तक संथाली संस्कृति को स्पष्ट करने के लिए उसके संस्कार, व्रत, पर्व एवं त्योहार, नृत्यगीत, विविध पक्षों की विशिष्टता पर अध्याय वार तरीके से लिखी गई है. लोकसाहित्य के अध्ययन से इन विविधताओं में एकता के तत्व ढूँढ़े जा सकते हैं। इस पुस्तक में संथाली समाज के पारिवारिक जीवन, लोकविश्वास, जादू-टोना, कृषि, व्यापार, लोकाचार का सांगोपांग वर्णन किया गया है।

विनय कुमार (2014), 'संथाली भाषा, लोकगीत एवं नृत्य' नामक पुस्तक में भाषा की उत्पत्ति के संबंध में भाषा वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। साथ ही संथाली भाषा के उत्पत्ति के संबंध में कई तथ्यों का उल्लेख मिलता है। इनके अलावा भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण को भी स्पष्ट किया गया है। संथाल जनजाति के जीवन वृतांत का वर्णन किया गया है। इसमें संथाल के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। साथ ही समाज में महिलाओं की भूमिका को भी बहुत ही निर्मिक होकर प्रस्तुत किया है।

शोध उद्देश्य

संथाल जनजाति की समस्याओं को प्रकाशित करने में सामुदायिक रेडियो नित्यानंद जनवाणी की भूमिका का अध्ययन करना।

सामुदायिक रेडियो द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों में पश्चिम बंगाल की जनजातीय समुदाय की सहभागिता का अध्ययन करना।

शोध प्रश्न

संथाल जनजाति की समस्याओं को प्रकाशित करने में सामुदायिक रेडियो नित्यानंद जनवाणी की क्या भूमिका है?

प्रसारित कार्यक्रम के माध्यम से पश्चिम बंगाल की जनजातीय समुदाय की सहभागिता एवं जागरूक बनाने में सामुदायिक रेडियो की भूमिका क्या है?

शोध प्रविधि

किसी भी शोध कार्य को मूर्तरूप प्रदान करने एवं कियान्वित करने में शोध प्रचना एवं प्रविधि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रस्तुत शोध के मात्रात्मक विश्लेषण करने के लिए यादृच्छिक नमूनाकरण विधि का उपयोग किया गया है। तथ्यों के संकलन हेतु निम्न निदर्शन पद्धति, शोध उपकरणों व विधियों का प्रयोग किया गया।

शोध क्षेत्र

'नित्यानंद जनवाणी' सामुदायिक रेडियो स्टेशन मुख्य रूप से स्थानीय लोगों द्वारा चलाया जाता है, जो मुख्य रूप से बंगाल भाषा और संथाल भाषा में प्रसारित होता हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले पुंचा और मानबाजार- एक खण्ड (ब्लॉक) के क्षेत्र में फैले लगभग 170 गाँवों में लोग रेडियो सुनते है, पिछले कई वर्षो में यह रेडियो स्टेशन इस आदिवासी समुदाय के बड़े प्रवासी का एक अभिन्न अंग बन गया है। सामुदायिक रेडियो नित्यानंद जनवाणी बेजुबानों को आवाज देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इरादा आत्म-सम्मान से भरपूर एक आत्मनिर्भर, संवादात्मक और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करना है। रेडियो नित्यानंद जनवाणी समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित व्यक्तियों और समाजों के अभिन्न विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, यह मुख्य धारा मीडिया के विकल्प के रूप में कार्य करता है। पुंचा ब्लॉक के कुछ लोग विशिष्ट जानकारी या मार्गदर्शन के लिए रेडियो नित्यानंद जनवाणी पर निर्भर रहते हैं जिसका उनके जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मीडिया आम तौर पर जनजातियों के लिए कार्यक्रमों की उपेक्षा करता है क्योंकि उद्योग समूह मुख्यधारा के मीडिया के मालिक हैं। रेडियो नित्यानंद जनवाणी पश्चिम बंगाल पुरुलिया जिले के पुंचा और मानबाजार- एक खण्ड (ब्लॉक में जनजातीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करने वाला एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल है। जनजातीय समुदायों के सक्रिय स्वयंसेवकों की एक टीम है जो पहले प्रशिक्षण देते हैं और फिर स्क्रिप्टिंग शो के रूप में रचनात्मक सामग्री तैयार करते हैं, रेडियो नाटकों आदि के लिए अपना योगदान देते है।

न्यादर्श चयन एवं निदर्शन पद्धति

प्रस्तुत शोध के अनुरूप उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, दैव निदर्शन और सुविधाजनक निदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि के माध्यम से सामुदायिक रेडियो केंद्र, प्रसारण क्षेत्र में स्थित गांव और उत्तरदाताओं की संख्या का चुनाव किया गया। जब शोध विषय की प्रकृति वैशेषिक होती है, तब निदर्शन के लिए उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। अध्ययनों की सबसे बड़ी समस्या जनजातीयों में व्यापक पैमाने पर निरक्षरता का होना है। किसी भी अध्ययन में अशिक्षित उत्तरदाताओं को अध्ययन में शामिल होने के लिए तैयार करना सबसे बड़ी समस्या होती है। शोध समस्या को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य था कि सैंपल इस प्रकार का हो जिसे समस्या की समझ हो, अर्थात जो वर्ग नित्यानंद जनवाणी रेडियो को सुनता हो। अध्ययन में उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि एवं सुविधाजनक निदर्शन विधि के माध्यम से इकाई का चुनाव किया गया है। उद्देश्यपूर्ण विधि के माध्यम से मान बाजार पुंचा ब्लॉक कस्बे में रहने वाली संथाल जनजाति का चयन किया गया। अध्ययन में उन्हीं उत्तरदाताओं को शामिल किया गया जो रेडियो और खासतौर पर नित्यानंद जनवाणी की आवाज को सुनते हो। इस प्रकार के अध्ययन में सबसे बड़ी समस्या होती है उत्तरदाता के चयन की, क्योंकि सभी जनजातीय

समुदाय के सभी श्रोता बात करने को तैयार हो या फिर इस प्रकार के शोध के लिए समय दें।

शोध उपकरण

किसी भी अनुसंधान कार्य में प्रविधि और शोध उपकरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रस्तुत अनुसंधान कार्य की प्रकृति एवं जटिलता को देखते हुए यह प्रासंगिक लगा कि इसके माध्यम से आंकड़ों का संचयन किया जाएं। क्योंकि अनुसूची के माध्यम से साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित कर सकता है। अध्ययन में अनुसूची चयन का आधार समस्या से सातत्य-प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति वैशेषिक है, जिसमें ऐसे उपकरण की आवश्यकता थी। अनुसूची द्वारा निरक्षर, कम पढ़े लिखें एवं पढ़े लिखे सभी तरह के लोगों से आंकड़ा प्राप्त किया जा सकता है। संथालों में आज भी शिक्षा की कमी है, जागरूकता की कमी है इसलिए आंकड़ों के संकलन के लिए अनुसूची का प्रयोग किया गया। अनुसूची का निर्माण शोध विषय से सम्बन्धित उपलब्ध साहित्य एवं पूर्वगामी अध्ययन के आधार पर किया गया है।

किसानों के लिए रेडियो कार्यक्रम

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला पुंचा ब्लॉक में अधिकांश आबादी संथाल किसानों का है, इसलिए अधिकांश रेडियो कार्यक्रम उनकी जरूरतों के अनुरूप हैं। कृषि क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। उत्पादित प्रत्येक कार्यक्रम विशेष रूप से मुख्य मुद्दों को संबोधित करता है। जिले के आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए रेडियो नित्यानंद जनवाणी लगातार ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण करता है जो सीधे मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं। पुंचा ब्लॉक पहाड़ियों में किसानों को जल निकायों के संरक्षण, खेती और सटीक खेती के तरीकों से परिचित कराते हैं। कृषि चास बासेर कोथा कार्यक्रम कृषि क्षेत्र के मौजूदा मुद्दों या चिंताओं पर चर्चा करता है। कृषि, चास बासेर कोथा कृषक समुदाय के बीच अत्यधिक लोक प्रिय है। इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों खेती या कृषि के सभी पहलुओं की जानकारी मिलती है। रेडियो नित्यानंद जनवाणी किसानों और अनुसंधान केंद्रों की सफलता की कहानियां प्रस्तुत करता है। मौसम की अद्यतन जानकारी और जैव खेती के तरीकों की जानकारी प्रसारित की जाती है। कृषि अधारित लाइव कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। रेडियो नित्यानंद जनवाणी का प्रसारण प्रति दिन होता है। चासी बंधु देर कोथा गुरुवार को शाम 5:00 बजे प्रसारित होने वाला कार्यक्रम है। यह खेती किसानी तथा खेती की नई तकनीकी जरूरतों पर केंद्रित है। घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में उतार-चढ़ाव आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है, और विशेषज्ञों से सुझाव दिए जाते हैं। सरकारी योजना, पुरुलिया हाड़ी खोबोर विभिन्न कृषि उत्पादों के बाजार मूल्यों के बारे में जानकारी देता है। यह किसानों के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारित कीटनाशक, बीज, की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा राज्य तथा केंद्र द्वारा प्राप्त किसानों को खेती के लिए ऋण के विषय में जानकारी दी जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खादों साथी योजना की जानकारी रेडियो नित्यानंद जनवाणी के माध्यम से संथाल जनजातीय को दी जाती है। खेतेर कथा, कृषि आधारित कार्यक्रम शनिवार और रविवार शाम 3:00 बजे किया जाता है। किसान लोग शनिवार और रविवार के दिन कार्यक्रम सुनना अधिक पसंद करते है। इस कार्यक्रम में उद्घोषक उद्घोषिका स्वयं खेतों में जाकर कार्यक्रम रिकॉर्डिंग करते हैं। जिसमें खेती करने के तरीकों के विषय में किसानों से बातचीत की जाती है किस मौसम में किस प्रकार से अनाज की उपज बेहतर हो इसके संबन्ध में चर्चा की जाती है।

महिलाओं के लिए रेडियो कार्यक्रम

रेडियो नित्यानंद जनवाणी का प्राथमिक उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। ये सभी कार्यक्रम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं द्वारा निर्मित किये जाते हैं। रेडियो नित्यानंद जनवाणी कार्यक्रम सूचनात्मक और शिक्षाप्रद रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास करते हैं। बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम, नारी कोथा में घर से संबंधित भौतिक आवश्यकताओं, चिंताओं और समाधानों पर चर्चा की जाती है। सोमवार को प्रसारित होने वाला स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधित वाले कार्यक्रम, गोलपो अड्डा महिला सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक मानवीय हित संबंधी निर्देश देता है। कहानी एवं लोक कलाकार आधारित कार्यक्रम, पुरुलिया एक्सप्रेस शनिवार और सोमवार को प्रसारित होने वाली महिला-अनुकूल समाचार कहानियों को संदर्भित करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं का जागरूक भी करता है। नित्यानंद जनवाणी पुंचा ब्लॉक क्षेत्र में महिलाओं के उद्यमशीलता प्रयासों को प्रस्तुत करता है। रेडियो नित्यानंद जनवाणी ने महिलाओं को एक नई पहचान दी है। आज जनजाति महिलाएं रेडियो पर आकर अपने मन की बातें रखती हैं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधित वाले कार्यक्रम, गोलपो अड्डा का प्रसारण क्षेत्र के पेशेवरों द्वारा गुरुवार को किया जाता है। स्वास्थ्य एवं पोषण को महत्व देते हुए खाद्य उत्पाद तैयार महिला गृह निर्माताओं की आवाज में रिकॉर्ड कर चर्चा की जाती है। संथाल महिला स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित कार्यक्रम सुनना अधिक पसंद करती हैं। उनका कहना है कि हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य के विषय में और अपने स्वास्थ्य के विषय में रेडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। गानेर असर में जनजातीय लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है, महिलाएं अपनी भाषा में लोकगीत सुनना सबसे अधिक पसंद करती हैं। जियान झरना पोषण, स्वच्छता, जल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता बाल आधारित कार्यक्रम है।

तथ्यों का सम्पादन, संकेतन, वर्गीकरण एवं सारणीयन

शोधकर्ता ने अध्ययन के लिए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला, पुंचा ब्लॉक में रहने वाले संथाल जनजाति से 100 उत्तरदाताओं का सुविधाजनक निदर्शन विधि के माध्यम से चयन किया गया। जिनमें से 50 महिलाएं और 50 पुरुष हैं (तालिका 1)।

तालिका 1: पुरुष और महिलाएं की संख्या

लिंग	संख्या	प्रतिशत
पुरुष	50	50
महिला	50	50
कुल	100	100

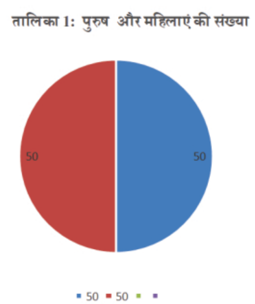

तालिका 2: उत्तरदाताओं का आयुवार वितरण

आयु	संख्या	प्रतिशत
18-30	10	10
30-40	20	20
40-50	30	30
50-60	20	20
60-70	20	20
कुल	100	100

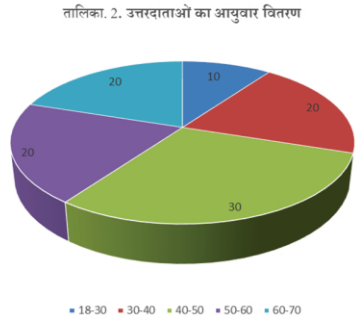

तालिका. 2 से, 18-30 वर्ष की श्रेणी में 10 उत्तरदाता हैं। 30-40 वर्ष की श्रेणी में 20 उत्तरदाता हैं। 40-60 वर्ष की श्रेणी में 30 उत्तरदाता हैं। रेडियो नित्यानंद जनवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से सुनते हैं। 60-70 वर्ष की श्रेणी में 20 उत्तरदाता हैं। 50-60 वर्ष से ऊपर के कई उत्तरदाता और सभी श्रेणियों की कुछ महिलाएं नियमित रूप से रेडियो नित्यानंद जनवाणी कार्यक्रम सुनती हैं। कुछ उत्तरदाता रात के दौरान अपने परिवार के साथ कार्यक्रम सुनते हैं। बच्चे मोबाइल फोन से रेडियो सुनना पसंद करते हैं। जब नित्यानंद जनवाणी रेडियो प्रारंभ किया गया था तो लोग के पास पहले से रेडियो था और कुछ को रेडियो सेट मुफ्त में दिया गया ताकि वह रेडियो सुनें। 40 वर्ष से अधिक आयु के उत्तरदाताओं की श्रेणी अपनी बोली में लोक गीत सुनने में रुचि रखती है। वे स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम भी पसंद करते हैं। लगभग सभी वर्ग के लोग कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया देना पसंद करते हैं। उनमें से कुछ पत्र लिखना पसंद करते हैं तथा फोन पर बात करना पसंद करते है। जबकि अन्य सीधे स्टूडियो जाकर प्रतिक्रिया देना पसंद करते हैं। उत्तरदाता 60-70 वर्ष आयु वर्ग के लोग समाचार और उपयोगी जानकारी तथा नाटक तथा लोकगीत सुनने में रुचि रखते हैं उनके लिए सरकारी सहायता और विशेष भत्ते से संबंधित सूचना सुनना अधिक पसंद है। बच्चों ने स्कूलों में अपने कड़वे अनुभव साझा किये नित्यानंद जनवाणी स्कूल क्लबों ने उनकी स्थितियों को सुधारने में मदद की।

तालिका 3: सामुदायिक रेडियो नित्यानंद जनवाणी कार्यक्रम सुनने की संख्या

कार्यक्रम	संख्या	प्रतिशत
नियमित रेडियो सुनने वाले श्रोता	60	60
कभी-कभी रेडियो सुनने वाले श्रोता	20	20
रेडियो नहीं सुनने वाले श्रोता	10	10
गैर श्रोता	10	10
कुल	100	100

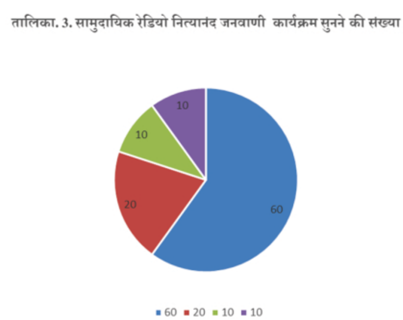

तालिका 4: किसानों के बीच रेडियो नित्यानंद जनवाणी के कार्यक्रमों के प्रति प्रतिक्रिया

कार्यक्रम	संख्या	प्रतिशत
कृषि, चास बासेर कोथा	30	30
चासी बंधु देर कोथा	20	20
सरकारी योजना, पुरुलिया हाड़ी खोबोर	10	10
खेतेर कथा, कृषि आधारित कार्यक्रम	20	20
गानेर असर जियान झरना पोषण, स्वच्छता, जल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता बाल कार्यक्रम आधारित कार्यक्रम	20	20
कुल	100	100

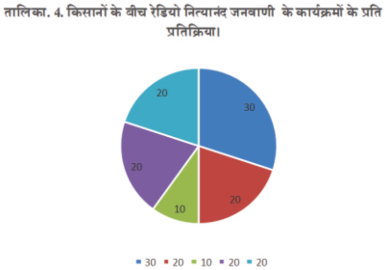

तालिका 4 से, कृषि चास बासेर कोथा कृषक समुदाय के बीच एक लोकप्रिय कार्यक्रम है। 60 उत्तरदाता नियमित रूप से इस कार्यक्रम को सुनते हैं। चासी बंधु देर कोथा जबकि 20 उत्तरदाता कभी-कभी इसे सुनते हैं। किसानों की सफलता की कहानियां प्रस्तुत करता है, चासी बंधु देर कोथा। कृषि अधिकारी का लाइव कार्यक्रम पुरुष उत्तरदाताओं के लिए एक दिलचस्प कार्यक्रम है। 10 उत्तरदाता रेडियो नहीं सुनने वाले श्रोता है।10 उत्तरदाता गैर श्रोता है। शोधकर्ता ने पुंचा ब्लॉक जिले पुरूलिया में रेडियो नित्यानंद जनवाणी, महिलाओं से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनके विचार साझा करके नमूने एकत्र किया गया है। मनोरंजन के लिए और अपने घरेलू कार्यों के प्रबंधन के लिए सुझाव प्राप्त करने के लिए रेडियो नित्यानंद जनवाणी के विभिन्न कार्यक्रम सुनते हैं। कुछ सेवानिवृत्त महिलाएँ स्टूडियो में जाकर रेडियो नित्यानंद जनवाणी कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। कृषि, चास बासेर कोथा 30 श्रोता कार्यक्रम सुनते हैं। कृषि, चास बासेर कोथा कार्यक्रम मूलता किसने के लिए बनाया जाता है। जिसमें खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के विषय में चर्चा की जाती है। चासी बंधु देर कोथा 20 श्रोता कार्यक्रम सुनते हैं। चासी बंधु देर कोथा कार्यक्रम में किसानों को पशुपालन, मुर्गी पालन तथा अन्य तरह के बीजों की जानकारी दी जाती है। सरकारी योजना, पुरुलिया हाड़ी खोबोर 10 श्रोता कार्यक्रम सुनते हैं। सरकारी योजना, पुरुलिया हाड़ी खोबोर कार्यक्रम में मूलता सरकारी योजना की जानकारी दी जाती है। खेतेर कथा, कृषि आधारित कार्यक्रम 20 श्रोता कार्यक्रम सुनते हैं। खेतेर कथा, कृषि आधारित कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग तथा लाइव कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाती है। गानेर असर जियान झरना पोषण, स्वच्छता, जल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता बाल कार्यक्रम आधारित कार्यक्रम 20 श्रोता सुनते हैं। गानेर असर जियान झरना पोषण, स्वच्छता, जल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता बाल कार्यक्रम आधारित कार्यक्रम में बच्चों से आधारित कार्यक्रम महिलाओं से आधारित कार्यक्रम पर चर्चा की जाती है।

तालिका 5: रेडियो नित्यानंद जनवाणी के कार्यक्रमों के प्रति प्रतिक्रिया महिलाओं के बीच

कार्यक्रम	संख्या	प्रतिशत
(नारी कोथा) महिला सशक्तिकरण, बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम	40	40
स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधित वाले कार्यक्रम, (गोलपो अड्डा)	30	30
गानेर असर जियान झरना पोषण, स्वच्छता, जल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता बाल कार्यक्रम आधारित कार्यक्रम	20	20
दुस्तु मिस्तिर असार, बच्चों के कार्यक्रम	10	10
कुल	100	100

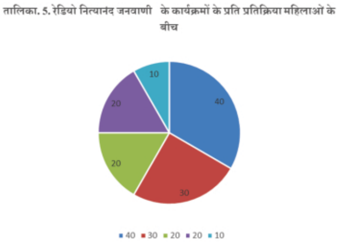

रेडियो सुनने वाली महिलाओं के लिए कई कार्यक्रम हैं। तालिका 5. से (नारी कोथा) महिला सशक्तिकरण, बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम 40 उत्तरदाताओं द्वारा सुना गया एक कार्यक्रम है। नारी कोथा कार्यक्रम महिलाएं बहुत ही चाव से सुनती हैं। नारी कोथा कार्यक्रम में महिलाओं जीवन में प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं पर चर्चा की जाती है। जनता को सकारात्मक मानवीय हित के निर्देश देने वाला प्रसारण भी उनके बीच लोकप्रिय है। शनिवार और सोमवार को प्रसारित महिला हितैषी स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधित वाले कार्यक्रम, (गोलपो अड्डा) 30 महिलाओं के बीच लोकप्रियता मिलती है। गोलपो अड्डा कार्यक्रम में महिलाएं स्वयं रेडियो स्टेशन जाकर बात करती हैं। गानेर असर जियान झरना पोषण, स्वच्छता, जल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता बाल कार्यक्रम 20 उत्तरदाताओं का समर्थन मिला। गानेर असर जियान झरना पोषण, स्वच्छता, जल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता बाल कार्यक्रम में में स्थानीय समस्याओं की चर्चा की जाती है। दुस्तु मिस्तिर असार, बच्चों के कार्यक्रम जिन्हें 10 उत्तरदाताओं रेडियो सुनते है। इसलिए रेडियो रेडियो नित्यानंद जनवाणी द्वारा प्रसारित कार्यक्रम प्रेरणादायक हैं। अधिकांश महिला उत्तरदाताओं को ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार किसानों, महिलाओं और संथाल जनजातीय समुदाय के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं।

निष्कर्ष

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों एवं अर्द्ध-सहभागी अवलोकन से प्राप्त अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि रेडियो अपने स्थापना के वास्तविक लक्ष्यों को कुछ प्राप्त कर सका है। रेडियो ने मात्र पांच वर्षों में लोगों में स्वास्थ्य, शिक्षा, आधुनिक कृषि एवं स्थानीय समस्याओं के प्रति बहुत हद तक जागरूकता फैलाने का कार्य किया है। जनजातीय लोग सामुदायिक रेडियो सुनते हैं जो उनकी समस्याओं और

समाधानों पर चर्चा करता है। ज्यादातर जनजातीय सूचना स्थानीयता के प्रति रुझान एवं मनोरंजन के कारण से रेडियो को सुनते है। कृषि, शिक्षा, समाज कल्याण, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक सामाजिक बदलाव व सशक्तिकरण के रूप में सामुदायिक रेडियो एक आदर्श उपकरण है। हालांकि, इसकी असल अहमियत का पता काफी- पहले से है। फिर भी आज के समय में इसकी महत्ता और बढ़ गई है। जनजातीय की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठा रहे है। परंतु नित्यानंद जनवाणी का आवाज के प्रसारण केन्द्र से संथाल समुदाय को रेडियो से विशेष लाभ हुआ है। जनजातीय समुदाय के सामाजिक-सांस्कृतिक-शैक्षणिक निहितार्थों पर विचार करते हुए सरल समझने में आसान तरीके से जानकारी प्रसारित करने के लिए विशेष रूप से जनजातीय बोलियों में कार्यक्रम निर्माण किए गए हैं। इन जनजातीय समुदायों की मुख्यधारा के लोगों के साथ जुड़ने का एक माध्यम रेडियो है। जिस पर सामुदायिक रेडियो के माध्यम से सावधानी से विचार किया जाता है। सामुदायिक रेडियो के माध्यम से कार्यक्रम किसानों को कृषि ज्ञान प्राप्त करने और क्षेत्र में विशेषज्ञों तक पहुंच बनाने में मदद करते हैं रेडियो नित्यानंद जनवाणी लगातार ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण करता है जो किसानों के मुद्दों को सीधे संबोधित कर सकते हैं। सामुदायिक रेडियो चैनल इस क्षेत्र में मार्गदर्शन करने के लिए सरकारी अधिकारियों से संबंधित विशेषज्ञों को भी अपने साथ जोड़ता है। रेडियो नित्यानंद जनवाणी कार्यक्रम सूचनात्मक और शिक्षाप्रद रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास करते हैं। रेडियो पर अन्य महिलाओं की प्रेरक कहानियाँ सुनकर भी महिलाएँ प्रेरित होती हैं। रेडियो नित्यानंद जनवाणी जनजातियों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठा रहे है। नित्यानंद जनवाणी का आवाज के प्रसारण केन्द्र से 10 किलोमीटर की दूरी पर होने के बाद भी संथाल समुदाय को रेडियो से विशेष लाभ देखने को मिला है। ऐसे में सामुदायिक रेडियो संगठनों को अपने स्थापना के मौलिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना होगा। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखने को मिली कि जनजातियों समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करने और सशक्त एवं जागरूक बनाने का कार्य रेडियो नित्यानंद जनवाणी कर रहा है। जबकि नित्यानंद जनवाणी कस्बे से ही सटे संथाल समुदाय को लेकर वहां के कर्ता-धर्ता बहुत चिंतित नहीं है और न ही उनमें इस आदिवासी संस्कृति के संरक्षण को लेकर बहुत ज्यादा जागरूकता है। सामुदायिक रेडियो बिखरी और दूर-दराज की आबादी तक सूचना पहुंचाने के लिए एक बहुमुखी तंत्र के रूप में कार्य करता है। ऐसे में शासकीय उपक्रमों की जनजातीय कल्याण की योजनाएं बनाते वक्त जमीन से जुड़ी बातों एवं जनजातियों की वास्तविक समस्या को फोकस करना चाहिए।

संदर्भ सूची

ढौंडियाल, र. (2008, सितम्बर 18). सामुदायिक रेडियो : एक नए युग की शुरुआत. Retrieved from संमवदनाओं के पंख दिव्य दृष्टि: https://dr-mahesh-parimal.blogspot.com/2008/12/blog-post_18.html

सूचना और प्रसारण मंत्रालय. (2021, सितम्बर 29). Retrieved from भारत सरकार: https://mib.gov.in/hi

मांझी, धनेश्र्वर. (2022) "संताली लोक कथा: एक अध्ययन, झारखणड झरोखा: रांची

डॉ. तिवारी, राखी और मिश्र, कुमार. सौरभ (2016),जनजातीय समुदायों के शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन-

सहन के बदलाव में सामुदायिक रेडियो का योगदान मध्यप्रदेश के नालछा केंद्रित भील जनजाति के विशेष संदर्भ में, मीडिया मीमांसा: भोपाल

पाण्डे, गया. (2007) भारतीय जनजातीय संस्कृति: कनसैप्ट पब्लिकेशन, नई दिल्ली

जोशी, हेमंत.(2015). सामुदायिक रेडियो और ग्रामीण भारत मोबाइल और इंटरनेट, कुरुक्षेत्र दिसंबर. अंक. 2 पृ. 26-28

कपूर, निमिष. (जून 2021) आत्मनिर्भर गांव के लिए सामुदायिक रेडियो, कुरुक्षेत्र अंक. 8 पृ 29-34

रमण, साकेत .(2013), आदिवासियों के विकास में सामुदायिक रेडियो की भूमिका, गोल्डन रिसर्च थॉट्स. आईएसएसएन 2231-5063 अक्टूबर-2013.

डॉ. तिवारी, राखी और मिश्र, कुमार. सौरभ (2016),जनजातीय समुदायों के शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन-सहन के बदलाव में सामुदायिक रेडियो का योगदान मध्यप्रदेश के नालछा केंद्रित भील जनजाति के विशेष संदर्भ में, मीडिया मीमांसा: भोपाल

सौराष्ट्रीय, सिंह. राम (2021) जनजातीय चेतना में आकाशवाणी की भूमिका: IJCRT | Volume 9, Issue 3 March 2021 | ISSN: 2320-2882

हेम्ब्रम, रतन. (2016) "संताली लेकगीतों में साहित्य और संस्कृति" झारखण्ड झरोखा: राची

कुमार विनय,(2014), 'संथाली भाषा, लोकगीत एवं नृत्य' झारखण्ड झरोखा: राची

सिंह, देवव्रत (2007), भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रभात प्रकाशन: नई दिल्ली

जैसल, मनीष. कुमार. (2016). ग्रामीण विकास में सामुदायिक रेडियो की भूमिका का एक अध्ययन. भाषा, साहित्य और मानविकी,vol.3 (6) जून पृष्ठ संख्या-8-14

ऑल इंडिया रेडियो. (2021). Retrieved from प्रसार भरती: https://prasarbharati.gov.in/all-india-radio-2/

भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरण का विश्लेषण

अक्षत चोपड़ा*
डॉ. आशिमा सिंह**

सारांश

यह आलेख भारतीय महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न-I, मिनीरत्न-II कंपनियों की दृष्टि (विज़न), उद्देश्य (मिशन) और मूल्य (वैल्यू) विवरणों की जांच कर उनके बीच की समानता, बीज शब्द, संरचनागत अंतर और फोकस का विश्लेषण करता है। 97 भारतीय महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न-I, मिनीरत्न-II कंपनियों के 204 दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरणों में संरचना, फोकस और समानता की जांच हेतु अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि का उपयोग किया गया है। कंपनियों के शुद्ध लाभ और टर्नओवर के सम्बंध में मूल्य विवरणों में परिलक्षित दृष्टिकोण में अंतर को दर्शाया गया है। यह शोध अध्ययन मूल्य विवरणों को अपनाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है। साथ ही हितधारकों के साथ संवाद करने और तदनुसार व्यावसायिक कार्यों को संरेखित करने के लिए प्रभावी तरह से परिभाषित विवरण के उपयोग और उनकी दृश्यता बढ़ाने की सिफारिश करता है। यह अध्ययन विवरणों के प्रमुख संचार वक्तव्यों का विश्लेषण करके भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के परिदृश्य में नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साहित्य को बढ़ावा मिलेगा। यह भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विवरणों का विश्लेषण करने के पहले प्रयासों में से एक है और सामग्री विश्लेषण के माध्यम से कंपनियों के अध्ययन के लिए एक नूतन दृष्टिकोण के रूप में महत्वपूर्ण है। इसका निष्कर्ष प्रभावी संचार और कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा को बनाए रखने हेतु विवरणों को उचित रूप से अपनाने की आवश्यकता की ओर संकेत देता है।

बीज शब्द : दृष्टि, उद्देश्य, मूल्य, सार्वजनिक उपक्रम, प्रतिष्ठा

प्रस्तावना

किसी भी लोकनीति एवं निकाय के विश्लेषण में दृष्टि (विजन), उद्देश्य (मिशन) और मूल्य (वैल्यू) विवरण प्रमुख आधार होते हैं। योजनाओं एवं उन्हें क्रियान्वित करने वाले उपक्रमों के प्रबंधन एवं संचालन के यह तीन प्रभावी आधार हैं। दृष्टि की व्यापकता, उद्देश्य की स्पष्टता और मूल्य सार्वजनिक उपक्रमों के व्यावसायिक एवं सामाजिक प्रदर्शन के साथ हितधारकों तक पहुंच को प्रभावी बनाते हैं। सार्वजनिक उपक्रम का मार्गदर्शक विवरण ऐसा होना चाहिए जो उसकी दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य में समस्त हितधारकों की उपस्थिति को परिलक्षित करे। मार्गदर्शक विवरण तैयार करने के किसी भी रणनीतिक प्रबंधन प्रयास का हितधारकों पर विश्वास की स्पष्टता के लिए एक विवेकपूर्ण प्रभाव (पापुलोवा, 2014) होता है जिससे व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है (ग्रीन, 2020) और प्रतिबद्धता के स्तर को स्पष्ट किया जाता है (बेज़िरगन, 2020)। दृष्टि, उद्देश्य और मूल्यों के अच्छी तरह से परिभाषित मार्गदर्शक विवरण कर्मचारियों और अन्य प्रमुख हितधारकों के बीच समझ का एक साझा विचार प्रदान कर सकते हैं।

*शोधार्थी, एमिटी स्कूल ऑफ़ कम्यूनिकेशन, एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश
**सहायक प्राध्यापक, एमिटी स्कूल ऑफ़ कम्यूनिकेशन, एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश

इससे सार्वजनिक उपक्रम के व्यावसायिक दृष्टिकोण में स्पष्टता भी आती है वहीं यह कार्यों में विश्वास भी पैदा करता है (पटेल, बुकर, रामोस और बार्टपटेल, 2015; सूफी और लियोन्स, 2003)। यह लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग में व्यवहार और विश्वास के बीच एक तुलनीय दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए आवश्यक पक्षों को भी संबोधित करता है। एक समग्र दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरण कंपनी के प्रदर्शन पर अनुकूल प्रभाव डाल सकता है (अनलोई और करामी, 2002)।

निकायों अथवा कंपनियों को हितधारकों के साथ जुड़ाव के विविध तरीकों के माध्यम से संचार के लिए एक तार्किक, विशिष्ट और टिकाऊ इरादा प्रदान करने का काम सौंपा गया है (कुली, 2019)। इस तरह के विवरण व्यवसाय और उसकी दिशाओं के बारे में एक विचार देते हैं। यह भविष्य के कार्यों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन विवरणों के तत्व विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होने चाहिए (राजशेखर, 2013)। "विवरण उद्देश्य, विशिष्टता, और संस्था को दिशा देता है। यह सार्वजनिक उपक्रम के दिन-प्रतिदिन के संचालन और निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शिका की तरह होते हैं। वहीं यह हितधारकों को संगठन के साथ जुड़ने और पहचानने में मदद करता है" (राइट, 2002)। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व हितधारकों के साथ संवाद करने, संलग्न होने और टिकाऊ प्रयासों से जुड़े संचार का एक तरीका रहा है, जिस पर अक्सर बहस होती रही है (हलदर, 2019; श्मेल्ट्ज़, 2012)। पहले के समय के विपरीत सीएसआर, जहां यह विषय हुआ करता था, अब पूरे देश में विभिन्न संगठनों द्वारा पूरा किया जाने वाला एक कानूनी दायित्व बन गया है। भारत के कंपनी अधिनियम 2013 में कई नए प्रावधान पेश किए गए, जिसने भारतीय कॉर्पोरेट व्यवसायों का चेहरा बदल दिया। इस कानून के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की प्रयोज्यता के अनुसार प्रत्येक योग्य कंपनी को सीएसआर गतिविधियों पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% खर्च करना आवश्यक है। 1970 के दशक तक, कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व मुख्य रूप से शेयरधारकों के लिए मुनाफा कमाने यानि समाज की संपत्ति बढ़ाने (आर्थिक दृष्टि) से जुड़ी थी (कोलिसन, 2003; वारहर्स्ट, 2004)। हालाँकि कंपनियाँ अपने विवरणों के माध्यम से लगातार संवाद करने पर ध्यान देती हैं और अपनी वैधता बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में अपने योगदान को प्रतिबिंबित करती हैं (सिल्वा, 2021; वेल्टे और स्टाविनोगा, 2017)।

मैसिडो, पिन्हो, और सिल्वा (2016) ने अपने अध्ययन में पाया कि संगठनों में उद्देश्य उनके लक्ष्यों से प्रभावित होता है जिसका कंपनियों की लाभप्रदता और आकार के साथ सम्बंध हो सकता है। सीबर, बारबेरियो, हुइसमैन और मम्पेई (2019) ने शिक्षा संस्थानों के अपने शोध में पाया कि बयानों में असंगत मांगों के बावजूद प्रामाणिकता प्रतिबिंबित होनी चाहिए, और उनमें अन्य संस्थानों से सुसंगतता और विवेक होना चाहिए। खन्ना (2015) ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अध्ययन किया और उन्हें निजी क्षेत्र की तुलना में रिटर्न ऑन एक्वटी के मामले में बेहतर पाया और पुष्टि की कि वह व्यापार और नियामक वातावरण में उथल-पुथल देखना जारी रखते हैं। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) से "कर्मचारी, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, लेनदार और समुदाय के हितों की रक्षा की उम्मीद की जाती है।" यह उनके विवरणों से निर्देशित उसके कार्यों में प्रतिबिंबित होना चाहिए। सीपीएसई के बोर्ड को अलग-अलग सीमा तक महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न-I और मिनीरत्न-II कंपनियों के रूप में वर्गीकृत कर कंपनी के आकार और प्रदर्शन के आधार पर वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। सीपीएसई "कौशल, प्रदर्शन और लचीलेपन को प्रतिबिंबित करें" (स्कोप वेबसाइट)।

वर्तमान अध्ययन इस पृष्ठभूमि पर निम्नलिखित रूप में प्रकाश डालेगा -

शो.प्र.-1 भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न-I और मिनीरत्न-II कम्पनियों के उद्देश्य, दृष्टि और मूल्य विवरणों में कितनी समानता है?

शो.प्र.-2 विवरणों में अक्सर उपयोग किए जाने वाले बीज शब्द कौन से हैं?

शो.प्र.-3 संरचना की दृष्टि से महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न-I मिनीरत्न-II कंपनियाँ के विवरण कैसे भिन्न हैं?

शो.प्र.-4 उद्देश्य, दृष्टि और मूल्य विवरण के माध्यम से हितधारकों से संवाद करने में महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न-I और मिनीरत्न-II की प्राथमिकता किस पर है?

साहित्य समीक्षा

उद्देश्य विवरण 'हम जो हैं' प्रश्न पर आधारित है और दृष्टि विवरण 'हम क्या बनना चाहते हैं' (भविष्यवादी) के विचार को समाहित करता है। मूल्य विवरण में विश्वास प्रणालियों (सिद्धांतों) को शामिल किया गया है, जो उद्देश्य और लक्ष्यों की घोषणा की तरह है। इसके बदले में हितधारकों द्वारा इसका मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि वह इसकी घोषणाओं के अनुरूप हैं या नहीं। संक्षेप में, दृष्टि विवरण संगठन की उपलब्धि व भविष्य को व्यक्त करता है।

मूल्य विवरण संगठन के केंद्र में होते हैं और उस व्यवहार और पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं जो व्यवसाय के संचालन के दौरान संगठन द्वारा सबसे अधिक पसंद किए जाते हैं। यह एक निस्पंदन की तरह है जिसके माध्यम से समुदायों के बीच एक वांछनीय छवि बनाए रखने के लिए व्यावसायिक गतिविधियों और संचार को संतुलित तथा अनुशासित किया जाता है। प्रतिष्ठा प्रबंधन उन धारणाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान करता है जो कंपनियों के दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरणों द्वारा समर्थित हैं। अर्थात, यह जनता के बीच उनकी छवि और विश्वास का निर्माण करते हैं। प्रतिष्ठा को आलंकारिक रूप से समझाया जा सकता है जो मूल्य विवरण में प्रदर्शित होता है। प्रतिष्ठा हितधारकों की कंपनी के बारे में उनकी सभी धारणाओं के योग को दर्शाती है जो जनता के साथ उसकी बातचीत में निहित है (आकर और जोआचिमस्थेलर, 2001)। किंग, केस और प्रेमो (2011) ने विकसित देशों की फॉर्च्यून 100 कंपनियों का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि कंपनियां ग्राहकों के वादों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने बयानों से प्रेरित थीं। चुन और डेविस (2001) ने सामग्री विश्लेषण के माध्यम से फॉर्च्यून 500 कंपनियों के उद्देश्य और दृष्टि विवरण की प्रतिष्ठा निर्माण क्षमता को देखा।

कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा पिछले कुछ वर्षों में कई शोधों का केंद्र बिंदु रही है जिन्होंने आलोचना और निरंतर मूल्यांकन के लेंस से इसका अध्ययन किया है। चूँकि यह एक सतत प्रयास है जो समय के साथ बदलावों से गुजरता है, यह इसका प्रभावी प्रबंधन है जो एक अनुकूल प्रतिष्ठा बनाता है और उद्देश्य, दृष्टि और मूल्य अथवा सामाजिक सरोकार विवरणों को इसका अनुकरणीय होना चाहिए (इंगेनहॉफ़ और फ्यूहरर, 2010)।

भारतीय महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न

डीपीई के मुताबिक महारत्न योजना "निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाली बड़े आकार की नवरत्न सीपीएसई के रूप में पहचानी गयी बोर्डों को बढ़ी हुई शक्तियां सौंपने के उद्देश्य से फरवरी, 2010 में पेश की गयी थी। महारत्न उपक्रम बनने के लिए ज़रूरी है कि (क) नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो; (ख) सेबी नियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध

हो; (ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार ₹ 25,000 करोड़ से अधिक हो; (घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति ₹ 15,000 करोड़ से अधिक हो; (ङ) पिछले 3 वर्षों के दौरान कर पश्चात औसत वार्षिक शुद्ध लाभ ₹ 5,000 करोड़ हो; (च) महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति या अंतर्राष्ट्रीय संचालन हो। "मिनीरत्न श्रेणी-1 और अनुसूची 'ए' सीपीएसई, जिन्होंने समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत रेटिंग 'उत्कृष्ट' या 'बहुत अच्छा' पिछले पांच वर्षों में से तीन में प्राप्त किया है, और छह चयनित प्रदर्शन मापदंडों में 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर है" को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। जबकि मिनीरत्न योजना 1997 में शुरू की गई थी जिसके लिए "आशाजनक लाभ कमाने वाले सीपीएसई को अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, कुछ पात्रता शर्तों और दिशानिर्देशों के अधीन बढ़ी हुई स्वायत्तता और वित्तीय शक्तियों का प्रतिनिधिमंडल देने का निर्णय लिया गया"(गौरव और सिंह, 2018)।

विवरणों के विश्लेषण के लिए सामग्री विश्लेषण

सामग्री विश्लेषण का उपयोग कई शोधकर्ताओं द्वारा दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरणों का अध्ययन करने के लिए किया गया है (बार्टकस, ग्लासमैन और मैक्एफ़ी, 2004; सर्टो और सर्टो, 2019; कांताबुत्रा और एवरी, 2010; क्लेम, सैंडर्सन और हफ़मैन, 1991; पामर और शॉर्ट, 2008; पेरेफ़िइट और डेविड, 2006)। दृष्टि और उद्देश्य विवरण भी कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा प्रबंधन (फ़ॉम्ब्रून, गार्डबर्ग और सेवर, 2000) के विभिन्न आयामों पर आधारित हैं जो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। संगठनों को अक्सर मानवीय गुणों और विशेषताओं की नकल करते देखा जाता है क्योंकि वह कॉर्पोरेट मूल्यों से प्राप्त अच्छे प्रतिष्ठा प्रबंधन द्वारा संचालित व्यक्तित्वों के आधार पर अपनी पहचान बनाते हैं। कॉर्पोरेट विवरणों के अध्ययन के लिए सामग्री विश्लेषण सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाले तरीकों में से एक रहा है। हॉलैंड और निकेल (2015) ने वैचारिक सामग्री का विश्लेषण करने के लिए प्रमुख शीतल पेय कंपनियों के "नैतिक मानदंड, लोककथा कथा, यूटोपियन योजनाएं, रणनीतिक योजना और भूमिका निर्धारण" द्वारा सामाजिक-भाषाविज्ञान के परिप्रेक्ष्य से एक अध्ययन किया। भारतीय संदर्भ में साहित्य की कमी है, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के अध्ययन की।

सैद्धांतिक आधार

तर्कसंगत कार्रवाई सिद्धांत (गोल्डथ्रोप, 1998) के समर्थकों का सुझाव है कि दर्शक उपलब्ध जानकारी के अनुसार सोच समझकर विकल्प चुनें और निर्णय लें। कंपनियों को उद्देश्य, दृष्टि और मूल्य विवरण तैयार करने के लिए तर्कसंगत विचारों का उचित उपयोग करना चाहिए (ब्रेज़निक, लॉ और ज़ेमे, 2021)। इसलिए उद्देश्य, दृष्टि और मूल्य विवरण की अवधारणा इसकी घोषणा और पालन से पहले तर्कसंगत कार्यों के व्यवस्थित प्रयास का परिणाम होनी चाहिए। व्यवहारिक संकल्प इसलिए एक दृष्टिकोण का प्रतिफल है कि आसन्न कार्रवाई एक सुविचारित वांछित परिणाम की विशिष्टता से उत्पन्न होती है। यह उन बयानों को परिभाषित करने के लिए एक सूचित, जानबूझकर किए गए प्रयास से भी प्रस्तुत होगा जो किसी संगठन के इरादे से संबंधित हैं। आर्चीबाल्ड और रोबल्स (2021) ने निष्कर्ष निकाला कि जब बयानों के माध्यम से इरादों को स्पष्ट रूप से संप्रेषित किया जाता है, तो दर्शकों के व्यवहार पर असर पड़ सकता है, जिससे रणनीतिक स्थिति और प्रतिष्ठा निर्मित हो सकती है।

शोध विधि

कई विद्वानों ने संगठनात्मक प्रदर्शन के साथ मूल्य, उद्देश्य और दृष्टि पत्र का मूल्यांकन किया है (जोन्यो, ओउमा और मोसोटी, 2018; बार्टकस, ग्लासमैन और मैक्एफ़ी, 2006)। हालाँकि हम भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन के विवरणों पर विचार करते हैं। यह भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विवरणों का विश्लेषण करने के चुनिन्दा प्रयासों में से एक है और सामग्री विश्लेषण के माध्यम से कंपनियों के अध्ययन के लिए एक नूतन दृष्टिकोण के रूप में योग्य है। वॉयंट टूल्स एक "ओपन सोर्स टेक्स्ट विश्लेषण सॉफ्टवेयर" है जो एक प्रभावी डिजिटल मानविकी उपकरण के रूप में उन्नत और उच्च क्रम के टेक्स्ट माइनिंग और विज़ुअलाइज़ेशन में मदद देता है (लूज़ और शीहान, 2020; प्रयोग और अब्राहम, 2017)। यह कोड GitHub के माध्यम से उपलब्ध है और कई सहकर्मी समीक्षा शोधों में एक विश्वसनीय और सामग्री मात्रात्मक विश्लेषण उपकरण के रूप में उपयोग किया गया है (चोई, वालेस और वांग, 2018; कोरवो और डी कारो, 2020; गुहा और कुमार, 2018; ज़ाहेदज़ादेह, 2017)। यह कोष के अनुसार सबसे लोकप्रिय शब्द और उनके क्लाउड भी प्रदान करता है (इस्लाम, मीर, डेफिना और सिल्वा, 2021)। इस अध्ययन के लिए एकत्र किए गए 204 विवरणों के डेटा, 97 कंपनियों की वेबसाइटों, वार्षिक रिपोर्टों, आरटीआई प्रकटीकरणों और शासन रिपोर्टों से प्राप्त दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरणों की श्रेणियों में संहिताबद्ध किया गया। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार ऐसी कंपनियों की पहचान भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जुलाई, 2021 तक महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न सीपीएसई की एक सूची की पहचान की गई है। इस अध्ययन के उद्देश्यों का अध्ययन करने के लिए बनाए गए कोष में एक नवरत्न कंपनी को महारत्न के स्तर पर पदोन्नत करने के हालिया बदलाव को भी शामिल किया गया है। सूची में अपने चयन और पहचान के कारण इन कंपनियों से मजबूत प्रकटीकरण नियमों के साथ अनुपालन तंत्र प्रदर्शित करने की उम्मीद की जाती है। नमूना विवरण तालिका - 1 में दिया गया है।

तालिका 1: नमूने की समग्रता

		संगठनों की संख्या	%प्रतिशत
संगठन श्रेणी	महारत्न	11	11.34
	नवरत्न	13	13.40
	मिनीरत्न-I	61	62.88
	मिनीरत्न-II	12	12.37
मार्गदर्शक विवरण	दृष्टि	90	92.78
	उद्देश्य	86	88.65
	मूल्य	28	28.86
	सभी तीन	27	27.83

जैसा कि तालिका - 1 से पता चलता है, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आकार और वित्तीय रूप से आधारित विशिष्ट प्रकार के संगठन विषय पर अपेक्षित समग्र विचार प्रदान करने वाली सामग्री विश्लेषण करने के लिए एक मिश्रित पूल प्रदान करते हैं।

परिणाम

तालिका - 2 में भारतीय सार्वजनिक उपक्रम अलग-अलग दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरणों के अस्तित्व को प्रदर्शित करती है। लगभग 92.72% के पास एक दृष्टि विवरण है, जबकि 86% के पास एक परिभाषित उद्देश्य विवरण है। हालाँकि, मूल्य विवरण के निर्धारण के संदर्भ में यह 28.86% तक गिर जाता है, जिनमें से बड़े आकार की अत्यधिक लाभदायक कंपनियों के पास एक परिभाषित मार्गदर्शक विवरण होता है जो छोटी कंपनियों के साथ आनुपातिक रूप से कम हो जाता है। केवल एक मिनीरत्न II कंपनी थी जो तर्कसंगत रूप से परिभाषित मूल्य विवरण प्रदर्शित कर रही थी। दृष्टि विवरण की उपस्थिति सभी इकाइयों में, उद्देश्य और मूल्य विवरणों के आधार पर अनुयायियों में सबसे अधिक है।

तालिका 2: संगठनात्मक इकाइयों में बयानों की आवृत्ति

प्रकार	संगठनों की	इकाइयों की संख्या	औसत आवृत्ति		
		दृष्टि	उद्देश्य	मूल्य	
महारत्न	11	11 (100%)	9 (81.81%)	10 (90.90%)	2.72
नवरत्न	13	12 (92.30%)	11 (84.61%)	3 (23.07%)	2
मिनीरत्न-I	61	57 (93.44%)	58 (95.08%)	14 (22.95%)	2.11
मिनीरत्न-II	12	10 (83.33%)	8 (66.66%)	1 (8.33%)	1.58
कुल	97	90 (92.78%)	86 (88.65%)	28 (28.86%)	

तालिक - 3 कुल 204 विवरणों के रूप, घनत्व और विन्यास की झलक परिलक्षित करती है, जिनकी विशिष्टता, पठनीयता सूचकांक और शब्द घनत्व के साथ उपयोग किए गए वाक्यों की संख्या के लिए परीक्षण किया गया है। पठनीयता सूचकांक पाठ की पठनीयता का आकलन करता है। पठनीयता सूचकांक जितना अधिक होगा, कथन की भाषा को पढ़ना और समझना उतना ही आसान होगा।

तालिका 3:
महारत्न, मिनीरत्न - I, मिनीरत्न - II और
नवरत्न कम्पनियों के उद्देश्य, दृष्टि एवं मूल्य विवरणों की संरचना

		महारत्न	**मिनीरत्न - I**	**मिनीरत्न - II**	**नवरत्न**
उद्देश्य	अनोखे शब्द/कुल शब्द	201/385	874/2721	212/347	314/616
	शब्दावली घनत्व	0.522	0.321	0.610	0.509
	प्रति वाक्य औसत शब्द	32.08	20.61	38.55	26.78
	वाक्यों की संख्या	12	132	9	23
	उद्देश्य विवरण वाली कंपनियों की संख्या	9	58	8	11
	प्रति उद्देश्य विवरण में वाक्यों की औसत संख्या	1.33	2.27	1.12	2.09
	पठनीयता सूचकांक	23.890	32.024	23.310	21.597

दृष्टि	अनोखे शब्द/कुल शब्द	176/334	452/1469	166/302	245/491
	शब्दावली घनत्व	0.526	0.307	0.549	0.498
	प्रति वाक्य औसत शब्द	14.52	23.21	20.13	27.27
	वाक्यों की संख्या	23	63	15	18
	दृष्टि विवरण वाली कंपनियों की संख्या	11	57	10	12
	प्रति दृष्टि विवरण वाक्यों की औसत संख्या	2.09	1.10	1.5	1.5
	पठनीयता सूचकांक	23.062	29.126	22.840	25.616
मूल्य	अनोखे शब्द/कुल शब्द	237/575	489/1153	32/40	125/176
	शब्दावली घनत्व	0.412	0.424	0.8	0.710
	प्रति वाक्य औसत शब्द	14.02	22.17	5.71	19.55
	वाक्यों की संख्या	41	52	7	9
	मूल्य विवरण वाली कंपनियों की संख्या	10	14	1	3
	प्रति मूल्य विवरण वाक्यों की औसत संख्या	4.1	3.71	7	3
	पठनीयता सूचकांक	21.930	20.460	12.450	18.028

चित्र 1, 2, 3, 4 और तालिका 4 महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न I, मिनीरत्न II कंपनियों के विवरणों में आवर्ती शब्दों को दर्शाते हैं।

चित्र 1: महारत्न कंपनियों के दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरण में अक्सर उपयोग होने वाले शब्द

चित्र 2: नवरत्न कंपनियों के दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरण में अक्सर आने वाले शब्द

चित्र 3: मिनीरत्न I कंपनियों के दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरण में अक्सर आने वाले शब्द

चित्र 4: मिनीरत्न II कंपनियों के दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरण में अक्सर आने वाले शब्द

तालिका 4:
दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरणों में प्रयुक्त शब्दों की आवृत्ति

महारत्न	मिनीरत्न I	मिनीरत्न II	नवरत्न
ऊर्जा (12)	गुणवत्ता (38)	सेवाएँ (8)	शक्ति (21)
पर्यावरण (11)	सेवाएँ (36)	भारत (7)	भारत (14)
कीमत (11)	बाज़ार (31)	गुणवत्ता (7)	कंपनी (13)
गुणवत्ता (10)	मूल्य (30)	संबंधित (6)	गुणवत्ता (12)
व्यवसाय (9)	वैश्विक (29)	व्यवसाय (5)	बनें (8)
स्टॉप शब्द = विशिष्ट गैर-सामग्री शब्द - यह, और, लेकिन।			

गुणवत्ता और सेवाओं का उपयोग अक्सर चार श्रेणियों की कंपनियों के विवरणों में किया गया है। छोटी कंपनियां यानी मिनीरत्न II एक राष्ट्रीय कंपनी होने पर ध्यान केंद्रित करती हैं और मिनीरत्न I एक वैश्विक कंपनी होने की बात करती है। नवरत्न एक आकांक्षी दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं और महारत्न पर्यावरण और मूल्य निर्माण के प्रति सचेत नज़र आते हैं। ऊर्जा शब्द का सबसे अधिक उपयोग किया गया है, जो इस तथ्य से भी उपजा है कि बिजली/ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित तीन कंपनियां हैं।

तालिका 5:
तीन सबसे अधिक बार आने वाले शब्दों के साथ जुड़े हुए शब्द

प्रकार	तीन सर्वाधिक बारंबार आने वाले शब्द	संबंधित शब्द				
महारत्न	ऊर्जा	क्षेत्र	नेतृत्व	आगे	कंपनी	अवसर
	पर्यावरण	विकास	बनना	श्रेष्ठ	प्रतिबद्ध	उत्कृष्टता
	कीमत	इस्तेमाल	प्रमुख	व्यापार	-	-
मिनीरत्न - I	गुणवत्ता	उपलब्ध	श्रेष्ठ	मात्रा	कोयला	संरक्षण
	सेवाएं	संबद्ध	कीमत	आचरण	उत्पादन	ग्राहक
	बाज़ार	सुरक्षा	उत्पादों	-	-	-
मिनीरत्न - II	सेवाएं	केबल	सहायक	संपत्ति	कला	तकनीकी
	भारत	प्राप्त करना	विदेश	व्यापार	ढोना	उपयुक्त
	गुणवत्ता	गैस	अत्यधिक	-	-	-
नवरत्न	शक्ति	उपलब्धि	संरक्षण	संपत्ति	प्रतिबद्ध	पीढ़ी
	भारत	बनना	सुधार	संचालन	विदेश	देश
	कंपनी	सरकारी	लागत	बढ़ना	हस्तांतरण	-

विश्लेषण

भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न - I और मिनीरत्न - II कंपनियों की दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरण में कितनी समानता है?

जैसा कि उद्देश्य, दृष्टि और मूल्य विवरणों के संग्रह के माध्यम से देखा जा सकता है, सभी चार श्रेणियां एक सेवा संचालित उपक्रम के रूप में अपने दृष्टिकोण में समान हैं। इनसे गुणवत्ता और मूल्य प्रदान करने की उम्मीद की जाती है। संचालन का पैमाना उनके विवरणों में शब्दों के उपयोग से भी स्पष्ट होता है। हालाँकि, मूल्य विवरणों के बारे में अधिक स्पष्टता नहीं है क्योंकि वह केवल कंपनी के नाम में बदलाव के साथ दोहराए जाते हैं। यह इन विवरणों के निर्माण प्रक्रिया पर सवाल उठाता है और कई मिनीरत्न कंपनियों के बीच एक सामान्य निरीक्षण को उजागर करता है। प्रबंधन बोर्डों को उचित रूप से परिभाषित स्पष्ट उद्देश्य, दृष्टि और मूल्य विवरणों को अपनाने पर ध्यान देना चाहिए जो न केवल हितधारकों के बीच सही छवि बनाने में सहायक होंगे बल्कि प्रबंधन कार्यों के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकते हैं।

चूंकि अधिक से अधिक मिनीरत्न कंपनियों में विवरणों की उचित परिभाषा का अभाव है, यह बड़े आकार की लाभदायक महारत्न कंपनियों की तुलना में उनकी स्थिति को दर्शाता है। सटीक और विशिष्ट विवरणों के निर्माण के साथ, कंपनियां अपनी पहचान बढ़ा सकती हैं और उन्हें संरेखित कर सकती हैं। अच्छी तरह से परिभाषित विवरणों की अनुपस्थिति मिनीरत्न कंपनियों और बड़ी लाभदायक कंपनियों के बीच अंतर को रेखांकित करती है। प्रभाव और लाभप्रदता के मामले में महारत्न कंपनियों ने व्यापक और स्पष्ट विवरणों को अपनाने की आवश्यकता को महत्व दिया है। स्पष्टता पर उनका जोर उनके मूल्य और दिशा की स्पष्ट समझ पर आधारित है। स्पष्ट विवरण स्थापित करने की आवश्यकता को पहचानने से मिनीरत्न कंपनियों को न केवल परिणाम प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, बल्कि ज्ञान के अंतर को पाटने में भी मदद मिल सकती है। प्रभावशाली विवरण न केवल प्रभावी निर्णयों के लिए दिशा-निर्देश के रूप में काम करते हैं, बल्कि कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा में वृद्धि और उसके प्रति जिम्मेदारी भी प्रदर्शित करते हैं।

विवरणों में अक्सर उपयोग किए जाने वाले बीज शब्द कौनसे हैं?

सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले बीज शब्द ऊर्जा, पर्यावरण, मूल्य, गुणवत्ता, सेवाएं, बाजार, भारत, पावर और कंपनी हैं जो भविष्य की आकांक्षाओं, सेवाओं की आपूर्ति, प्रमुख स्थिति के निर्माण को प्रतिबिंबित करने वाले विभिन्न शब्दों से जुड़े होते हैं और मिनीरत्नों के मामले में विशिष्ट विशेषताओं से सामान्य हो जाते हैं। नवरत्न वह हैं जो दुनिया के बारे में बात करना शुरू करते हैं और न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी परिचालन में सुधार की आवश्यकता के बारे में कहते हैं। 'ऊर्जा' बीज शब्द का बार-बार उपयोग दर्शाता है कि कॉरपोरेट ऊर्जा उत्पादन, पारेषण, वितरण के व्यवसाय के माध्यम से काम कर रहे हैं और देश में ऊर्जामार्ग और ऊर्जा बुनियादी ढांचे का निर्माण करके ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 'पर्यावरण' शब्द के प्रयोग पर निर्भरता पारिस्थितिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ परम्पराओं के प्रति निगमित प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह उत्सर्जन नियंत्रण के अनुसार आपूर्ति श्रृंखलाओं को अनुकूलित करने, ऊर्जा के हरित स्रोतों के लिए रास्ते बनाने और समुदायों को पर्यावरणीय समस्याओं से उबरने में मदद करने के उनके दृष्टिकोण को भी उजागर करता है। यह दीर्घकालिक मूल्य के विकास में उनके दृष्टिकोण को भी दर्शाता है जो टिकाऊ है। 'कीमत' शब्द का प्रयोग आंतरिक और बाह्य हितधारकों को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। इसमें बौद्धिक, वाणिज्यिक, समय-

संचालित और सेवा पूंजी पर रिटर्न देना भी शामिल है। कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम की अपेक्षाओं का मिलान एक प्राथमिकता है। 'गुणवत्ता' शब्द मानकों को पूरा करने और अक्सर आवश्यकताओं को पार करने की प्राथमिकता को इंगित करता है ताकि हितधारकों के बीच संतुष्टि में वृद्धि हो। 'सेवा' शब्द का उल्लेख यह दर्शाता है कि कंपनियां सेवा-प्रेरित हैं और वास्तविक तत्वों पर भरोसा किए बिना अनुभव बनाकर लक्षित दर्शकों की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कंपनियां आवश्यक विशेषज्ञता और पेशेवरों की तलाश में हैं जो काम दे सकें और उनके व्यवसाय संचालन को सक्षम कर सकें। 'बाज़ार' बीज शब्द दर्शाता है कि व्यावसायिक परिदृश्य का आवश्यक ज्ञान है और प्रतिस्पर्धियों को समझने की आवश्यकता है। यह यह भी दर्शाता है कि कंपनियां बदलाव के लिए तैयार हैं और ऐसी रणनीतियां अपना रही हैं जिससे उन्हें बाज़ार में बने रहने में फायदा हो सकता है। 'भारत' शब्द एक राष्ट्रीय कंपनी या व्यावसायिक इकाई होने के महत्व पर प्रकाश डालता है जो राष्ट्र के प्रति योगदान करने में सक्षम होने पर गर्व महसूस करता है। इससे यह भी पता चलता है कि कंपनियों ने अपने संचालन के क्षेत्रों को परिभाषित कर लिया है और वह देश के विकास में भागीदारी दर्शाना चाहती हैं। 'शक्ति' शब्द के प्रयोग से विद्युत चुनौतियों का सामना करने और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। 'कंपनी' का बारंबार उपयोग संकेत देता है कि बाज़ार में एक अलग स्थिति बनाने की इच्छा है और संगठन पर जोर दिया गया है।

कंपनियां अपने वैश्विक पर्यावरण मानकों के अनुरूप, निरंतर सुधार के माध्यम से अनुकूलित व्यवसाय संचालन में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। कंपनियां अपने बाजार क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके प्रयास आगे की सोच और दीर्घकालिक लक्ष्यों से जुड़े होंगे जो उन्हें रुझानों का अनुमान लगाने और उभरते क्षेत्रों में खुद को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इन शब्दों के लगातार उपयोग से पता चलता है कि विवरण उन विषयों, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के आधार पर बनाए गए हैं जो ऊर्जा से संबंधित, टिकाऊ, मूल्य, सेवा और भारतीय बाजार में प्रभुत्व की ओर हैं।

संरचना के संदर्भ में महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न I और मिनीरत्न II कंपनियों के विवरण किस प्रकार भिन्न हैं?

महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न कंपनियों के उद्देश्य और दृष्टि विवरण की शब्दावली घनत्व के संदर्भ में निम्न स्तर का अंतर होता है। इससे पता चलता है कि उनके पास अपने मूल उद्देश्य और प्रशंसनीय दृष्टि को परिभाषित करने के लिए समान दृष्टिकोण है। हालाँकि यह मूल्य विवरणों के लिए बदलता है। मिनीरत्न के लिए उद्देश्य विवरण और नवरत्न और मिनीरत्न के लिए दृष्टि विवरण की संरचना अन्य समूहों की तुलना में काफी अधिक है, जो इसके अस्पष्ट दृष्टिकोण और स्पष्ट परिभाषा की कमी को दर्शाता है। वह अपेक्षाकृत क्रियात्मक हैं और सटीकता की मांग करते हैं।

मिनीरत्न II कंपनियों के मिशन विवरण में प्रति वाक्य 38.55 औसत शब्द हैं जो कि कुल कोष में सबसे अधिक है और अत्यधिक जानकारी और जटिल संरचनाओं के कारण दूसरों की तुलना में लंबा है। इसी प्रकार, मिनीरत्न-I कंपनियों के मूल्य विवरण में संक्षिप्तता का अभाव है। विवरणों की पठनीयता सूचकांक भी काफी भिन्न होता है। उद्देश्य, दृष्टि और मूल्यों के मामले में महारत्न कंपनियों का पठनीयता सूचकांक लगभग समान होता है। उनकी रचना में परिवर्तनशीलता स्पष्टता और संक्षिप्तता के संदर्भ में सुधार

की आवश्यकता दर्शाती है। जबकि महारत्नों के पास स्पष्ट परिभाषा नज़र आती है। अन्य कंपनियों में संक्षिप्तता और स्पष्टता का स्तर कम है। उपयुक्त रूप से तैयार किए गए विवरणों के साथ, कंपनियां अपने उद्देश्य और आकांक्षाओं के बारे में अपने हितधारकों के साथ कुशलतापूर्वक संवाद कर सकती हैं।

दृष्टि, उद्देश्य और मूल्य विवरण के माध्यम से हितधारकों से संवाद करते समय महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न - I और मिनीरत्न - II सार्वजनिक उपक्रमों की प्राथमिकता क्या है?

महारत्न सार्वजनिक उपक्रम अवसरों का लाभ उठाते हुए जिम्मेदारी के साथ व्यवसाय करने पर केंद्रित हैं और उनका व्यवसाय पर प्रभुत्व है। यह एकमात्र प्रकार के सार्वजनिक उपक्रम हैं जो पर्यावरण के बारे में अक्सर बात करते हैं और वैश्विक दृष्टिकोण रखते हैं। वह स्थायी प्रथाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार संचालन को शामिल करने के व्यापक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वह पर्यावरणीय आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने में प्रभावी और प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं। मिनीरत्न-I और मिनीरत्न-II कंपनियां देश में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित हैं। यह हितधारकों की मांगों और अपेक्षाओं को पूरा करने के इर्द-गिर्द घूमता है। उनका लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों और बाज़ारों में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को सूचीबद्ध करने में उत्कृष्टता प्राप्त करना है। हालाँकि, नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम उपलब्धियों, विकास पर केंद्रित होते हैं और अपने विवरणों की जटिल परिभाषा के मामले में महारत्न से भिन्न होतें हैं। वह आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले हितधारकों के बीच उपलब्धियों और महत्वाकांक्षाओं के प्रदर्शन को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनका संचार जटिल है और इसमें सटीकता की आवश्यकता होती है। यह देखा गया कि मूल्य विवरण को छोड़कर, कंपनियों की सभी चार श्रेणियों (महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न-I और मिनीरत्न-II) में फोकस अलग-अलग हैं। महारत्न जिम्मेदार संचालन, स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। नवरत्न विकास और उनकी उपलब्धियों के बारे में संवाद कर रहे हैं जबकि मिनीरत्न भारतीय परिदृश्य में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी रणनीतिक प्राथमिकताएँ स्पष्ट हैं और असंख्य श्रोता श्रेणियों को पूरा करती हैं।

निष्कर्ष

शोध हेतु चयनित सार्वजनिक उपक्रमों की दृष्टि, उद्देश्य एंव मूल्य विवरणों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट है कि मार्गदर्शक विवरणों को परिभाषित करना कंपनी के मूल्यांकन को कैसे प्रभावित करता है। इसके लिए महत्वपूर्ण अध्ययन की आवश्यकता है। सभी सार्वजनिक उपक्रमों ने अपनी वेबसाइटों पर निकाय के उद्देश्य, दृष्टि और मूल्य विवरण प्रकाशित नहीं किए हैं। वह विवरणों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में आगे नहीं आ रहे हैं जबकि उन्हें वेबसाइट पर हितधारक तक आसानी से पहुंचने का मौक़ा मिलता है। मूल्य और दृष्टि सम्बंधी विवरणों में दोहराव कम करने की दिशा में प्रयास होना चाहिए जिसका मूल्यांकन इसकी प्रभावशीलता और अपेक्षित विचारों के समावेशन के संदर्भ में किया जाना चाहिए। इससे उन्हें एक स्पष्ट समझ मिलेगी और उन्हें आंतरिक और बाह्य संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संचार वाहनों के माध्यम से इसे बढ़ाने का अधिक अवसर मिलेगा। विवरणों में स्पष्टता की बढ़ी हुई भावना, सार्वजनिक उपक्रमों को उनकी रणनीतियों के अनुसार बेहतर पठनीयता और विचारों को शामिल करने से लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी। इससे हितधारकों के साथ स्थायी सम्बंधों को बढ़ावा मिलेगा और उनकी निगमित एवं सामाजिक छवि मजबूत होगी।

संदर्भ सूची

आकर, डी. ए. और जोआचिमस्थेलर, ई. (2001), ब्रांड लीडरशिप, एंजेली, मिलानो.

अनलोई, एफ. और करामी, ए. (2002), "सीईओ और डिवेलप्मेंट ओफ़ मीनिंगफुल मिशन स्टेट्मेंट", कॉर्पोरेट गवर्नेंस द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इफेक्टिव बोर्ड परफॉर्मन्स, वॉल्यूम 2 नंबर 3, पृष्ठ 13-20.

आर्चीबाल्ड, जे. और रोबल्स, एम. (2021),"विजन और मिशन वक्तव्य", संचार में स्थिरता और नैतिकता, यहां उपलब्ध है:http://doi.org/10.4135/9781071869727.

बार्टकस, बी., ग्लासमैन, एम. और मैक्एफ़ी, बी. (2004),"यूरोपीय, जापानी और अमेरिकी मिशन वक्तव्यों की गुणवत्ता की तुलना":, यूरोपीय प्रबंधन जर्नल, वॉल्यूम 22 नंबर 4, पृष्ठ 393–401.

बार्टकस, बी., ग्लासमैन, एम. और मैक्एफ़ी, बी. (2006),"मिशन वक्तव्य की गुणवत्ता और वित्तीय प्रदर्शन", यूरोपीय प्रबंधन जर्नल, वॉल्यूम 24 नंबर 1, पृष्ठ 86–94.

बेज़िरगन, एम. (2020),"वेबसाइटों में विज़न और मिशन वक्तव्यों का विश्लेषण", मार्केटिंग, ग्राहक सम्बंध प्रबंधन और ई-सेवाओं में प्रगति, पृष्ठ 179–196.

ब्रेज़निक, के., लॉ, केएम और ज़ेमे, जे. (2021),"स्लोवेनिया में उच्च शिक्षा में मिशन: इंजीनियरिंग बनाम अन्य क्षेत्र में स्थिरता", स्थिरता, वॉल्यूम 13 नंबर 14, पृष्ठ 7947.

सर्टो, एस. सी. और सर्टो, एस. टी. (2019), आधुनिक प्रबंधन अवधारणाएं और कौशल, पियर्सन, न्यूयॉर्क.

चोई, टी. एम., वालेस, एस. डब्ल्यू. और वांग, वाई. (2018),"संचालन प्रबंधन में बिग डेटा एनालिटिक्स", उत्पादन और संचालन प्रबंधन, वॉल्यूम 27 नंबर 10, पृष्ठ 1868–1883.

चुन, आर. और डेविस, जी. (2001),"ई-प्रतिष्ठा: पोजिशनिंग रणनीति में मिशन और विज़न स्टेटमेंट की भूमिका", जर्नल ऑफ़ ब्रांड मैनेजमेंट, वॉल्यूम 8 नंबर 4, पृष्ठ 315–333.

कोलिसन, डी. जे. (2003),"कॉर्पोरेट प्रचार: लेखांकन और जवाबदेही के लिए इसके निहितार्थ", अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और अकाउंटेबिलिटी जर्नल, वॉल्यूम 16 नंबर 5, पृष्ठ 853–886.

कोरवो, ई. और डी कारो, डब्ल्यू. (2020),"कोविड-19 और समाचार पत्र: एक सामग्री और पाठ खनन विश्लेषण", यूरोपियन जर्नल ऑफ़ पब्लिक हेल्थ, वोल्यूम। 30 नंबर अनुपूरक_5, यहां उपलब्ध है:http://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa165.064.

फ़ॉम्ब्रून, सी. जे., गार्डबर्ग, एन. ए. और सेवर, जे. एम. (2000),"प्रतिष्ठा भागफल: कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा का एक बहु-हितधारक उपाय", जर्नल ऑफ़ ब्रांड मैनेजमेंट, वॉल्यूम 7 नंबर 4, पृष्ठ 241–255.

गौरव, ए. और सिंह आर. यू. (2018), पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज थ्रू क्वार्टर सेंचुरी ऑफ़ इकनोमिक रिफॉर्म्स, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यु, वॉल्यूम 5 नंबर 3.

गोल्डथ्रोप, जे. एच. (1998), "रैशनल एक्शन थ्योरी फॉर सोशियोलॉजी", द ब्रिटिश जर्नल ऑफ़ सोशियोलॉजी, वॉल्यूम 49 नंबर 2, पृष्ठ 167.

गुहा, एस. और कुमार, एस. (2018),"संचालन प्रबंधन, सूचना प्रणाली और स्वास्थ्य देखभाल में बड़े डेटा अनुसंधान का उद्भव: पिछले योगदान और भविष्य का रोडमैप", उत्पादन और संचालन प्रबंधन,

वॉल्यूम 27 नंबर 9, पृष्ठ 1724–1735.

हलधर, एस. (2019),"स्थिरता की एक वैचारिक समझ की ओर-संचालित उद्यमिता", कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और पर्यावरण प्रबंधन, यहां उपलब्ध है:http://doi.org/10.1002/csr.1763.

हॉलैंड, जे .जे. और निकेल, ई. (2016),"कॉर्पोरेट घोषणापत्र का एक वैचारिक सामग्री विश्लेषण: एक मूलभूत दस्तावेज़ दृष्टिकोण", सेमियोटिका, वॉल्यूम 2016 नंबर 208, यहां उपलब्ध है:http://doi.org/10.1515/sem-2015-0115.

इंगेनहॉफ़, डी. और फ्यूहरर, टी. (2010),"ब्रांड व्यक्तित्व विशेषताओं का उपयोग करके स्थिति निर्धारण और भेदभाव", कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस: एन इंटरनेशनल जर्नल, वॉल्यूम 15 नंबर 1, पृष्ठ 83–101.

इस्लाम, एस., मीर, एस., डेफिना, सी. और सिल्वा, सी. (2021),"विभिन्न स्रोतों से अस्पताल समीक्षाओं का सामग्री विश्लेषण: क्या समीक्षा स्रोत मायने रखता है?", जर्नल ऑफ एक्सीलेंस इन नर्सिंग एंड हेल्थकेयर प्रैक्टिस, वॉल्यूम 3 नंबर 1, यहां उपलब्ध है:http://doi.org/10.5590/jswgc.2021.3.1.01.

जोन्यो, बी. ओ, ओउमा, सी. और मोसोटी, जेड. (2018),"संगठनात्मक प्रदर्शन पर मिशन और विज़न का प्रभावइकेन्या में निजी विश्वविद्यालयों के भीतर", यूरोपियन जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइंसेज, वॉल्यूम 5 नंबर 2, यहां उपलब्ध है:http://doi.org/10.19044/ejes.v5no2a2।

कांताबुत्रा, एस. और एवरी, जी. सी. (2010),"दूरदर्शिता की शक्ति: ऐसे कथन जो प्रतिध्वनित होते हैं", जर्नल ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी, वॉल्यूम 31 नंबर 1, पृष्ठ 37–45.

खन्ना, एस. (2015),"भारत का परिवर्तन'सार्वजनिक क्षेत्र: विकास और परिवर्तन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था", इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 50 नंबर 5, पृष्ठ 47-60.

किंग, डी., केस, सी., और प्रेमो, के. (2011),"संयुक्त राज्य अमेरिका और तीन अन्य अंग्रेजी भाषी देशों की तुलना करने वाला एक मिशन वक्तव्य विश्लेषण", अकादमिक रणनीतिक प्रबंधन जर्नल, वॉल्यूम 10 नंबर 51, पृष्ठ 21-45.

क्लेम, एम., सैंडरसन, एस. और लफ़मैन, जी. (1991),"मिशन वक्तव्य: कर्मचारियों को कॉर्पोरेट मूल्य बेचना", लंबी दूरी की योजना, वॉल्यूम 24 नंबर 3, पृष्ठ 73–78.

कुली, सी. (2019),"उच्च शिक्षा संस्थानों का संचालन और प्रबंधन: गुणवत्ता लेखापरीक्षा योगदान", मूल्यांकन और कार्यक्रम योजना, वॉल्यूम 77, पृष्ठ 101713.

"महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न सीपीएसई की सूची सार्वजनिक उद्यम विभाग: वित्त मंत्रालय: भारत सरकार". (रा)। डीपीई, यहां उपलब्ध है: https://dpe.gov.in/about-us/policy-i-vision/list-maharatna-navratna-and-miniratna-cpses (4 जून 2023 को एक्सेस किया गया).

लूज़, एस. और शीहान, एस. (2020),"ज्ञान की वंशावली में चिकित्सा, राजनीतिक और वैज्ञानिक अवधारणाओं के विश्लेषण के लिए तरीके और विज़ुअलाइज़ेशन उपकरण", पालग्रेव कम्युनिकेशंस, वॉल्यूम 6 नंबर 1, यहां उपलब्ध है:http://doi.org/10.1057/s41599-020-0423-6.

मैसिडो, आई. एम., पिन्हो, जे. सी. और सिल्वा, ए. एम. (2016),"गैर-लाभकारी क्षेत्र में मिशन वक्तव्यों

और संगठनात्मक प्रदर्शन के बीच सम्बंध पर दोबारा गौर करना: संगठनात्मक प्रतिबद्धता का मध्यस्थता प्रभाव", यूरोपीय प्रबंधन जर्नल, वॉल्यूम 34 नंबर 1, पृष्ठ 36–46.

पामर, टी. बी और शॉर्ट, जे. सी. (2008),"अमेरिकी बिजनेस कॉलेजों में मिशन वक्तव्य: कॉन्फ़िगरेशन और प्रदर्शन के लिंकेज के साथ उनकी सामग्री की एक अनुभवजन्य परीक्षा", एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट लर्निंग एंड एजुकेशन, वॉल्यूम 7 नंबर 4, पृष्ठ 454–470.

पापुलोवा, जेड. (2014),"स्लोवाक गणराज्य में उद्यमों के लिए दृष्टि और मिशन विकास का महत्व", जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, पृष्ठ 12–16.

पटेल, बी. एस., बुकर, एल. डी., रामोस, एच. एम. और बार्ट, सी. (2015),"गैर-लाभकारी संगठनों में मिशन वक्तव्य और प्रदर्शन", कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वॉल्यूम 15 नंबर 5, पृष्ठ 759–774.

पेरेफ़िइट, जे. और डेविड, एफ. आर. (2006), "कंटेंट एनालिसिस ऑफ़ द मिशन स्टेटमेंट्स ऑफ़ यूनाइटेड स्टेट्स फर्म्स इन फोर इंडस्ट्रीज", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मैनेजमेंट, वॉल्यूम 23 नंबर 2, पृष्ठ 296-301.

प्रयोग, टी. और अब्राहम, जे. (2016),"स्वास्थ्य क्षमता: जकार्तावासियों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में आईओटी का प्रतिनिधित्व", 2016 उन्नत कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रणाली (ICACSIS) पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यहां उपलब्ध है:http://doi.org/10.1109/icacsis.2016.7872789.

राजशेखर, जे. (2013),"मिशन वक्तव्य सामग्री और पठनीयता का तुलनात्मक विश्लेषण", जर्नल ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, वॉल्यूम 14 क्रमांक 6, पृष्ठ 131-147.

श्मेल्ट्ज़, एल. (2012),"उपभोक्ता-उन्मुख सीएसआर संचार: क्षमता या नैतिकता पर ध्यान केंद्रित?", कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस: एन इंटरनेशनल जर्नल, वॉल्यूम 17 नंबर 1, पृष्ठ 29–49.

सीबर, एम., बारबेरियो, वी., हुइसमैन, जे. और मम्पेई, जे. (2019),"विश्वविद्यालयों की सामग्री को प्रभावित करने वाले कारक'मिशन वक्तव्य: यूनाइटेड किंगडम उच्च शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण", उच्च शिक्षा में अध्ययन, वॉल्यूम 44 नंबर 2, पृष्ठ 230–244.

सिल्वा, एस. (2021),"सतत विकास लक्ष्यों में कॉर्पोरेट योगदान: वैधता सिद्धांत द्वारा सूचित एक अनुभवजन्य विश्लेषण", जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन, वॉल्यूम 292, पृष्ठ 125962.

सूफ़ी, टी. और ल्योंस, एच. (2003),"मिशन के वक्तव्य उजागर", समकालीन आतिथ्य प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, वॉल्यूम 15 नंबर 5, पृष्ठ 255–262.

वेल्टे, पी. और स्टाविनोगा, एम. (2017),"कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आश्वासन (सीएसआरए) पर अनुभवजन्य शोध: एक साहित्य समीक्षा", जर्नल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम 87 नंबर 8, पृष्ठ 1017–1066.

वारहर्स्ट, ए. (2005),"समाज में व्यवसाय की भविष्य की भूमिकाएँ: कॉर्पोरेट जिम्मेदारी की बढ़ती सीमाएँ और साझेदारी के लिए एक सम्मोहक मामला", फ्यूचर्स, वॉल्यूम 37 नंबर 2–3, पृष्ठ 151–168.

राइट, जे. एन. (2002),"मिशन और वास्तविकता और क्यों नहीं?", जर्नल ऑफ चेंज मैनेजमेंट, वॉल्यूम 3 नंबर 1, पृष्ठ 30–44.

ज़ाहेदज़ादेह, जी. (2017),"प्रकट आक्रमण और गुप्त विचार", आक्रामकता और हिंसक व्यवहार, वॉल्यूम

स्वातंत्र्योत्तर भारत में राष्ट्रीय अस्मिता का मूर्त विकास: पुरातत्व, कलाकृति एवं धरोहर

आकाश कुमार श्रीवास्तव*

डॉ. विनीता चन्द्रा**

सारांश

किसी भी देश की सांस्कृतिक अभिव्यंजना में उसके ऐतिहासिक महत्व और विरासत को दर्शाने व प्रदर्शित करने वाली मूर्त सामग्रियां बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील भूमिका निभाती हैं। यह सभी सामग्रियां दर्शाती हैं कि अमुक संस्कृति कितनी समृद्ध,पुरातन,खुशहाल,विकसित,वैज्ञानिक और जीवन्त रही है, जिससे हमें उस संस्कृति की जीवन-शैली व उसके विहंगम स्वरूप का ज्ञान भी सहजता से प्राप्त हो जाता है। इस तथ्य को केन्द्र में रखते हुए प्रस्तुत शोध-पत्र में विगत 75 वर्षों की कालावधि में भारतीय धरोहर,पुरातत्व व कला-शिल्प के पुनरुद्धार तथा विकास हेतु किए गए व्यापक कार्यों का समग्रता से वर्णन किया गया है जिससे वर्तमान में भारतवर्ष के मौजूदा पुरातन और सामरिक महत्व की सामग्रियों के संरक्षण एवं अध्ययन के लिए विस्तृत,वृहत् और व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त हो सके।

बीज शब्द : विरासत, संवर्धन, विकासनीति, भारतीय, धरोहर

प्रस्तावना

पुरावशेष, शिल्पाकृति तथा विरासत संबंधी वस्तुएं व स्थान किसी राष्ट्र के वैभव-विकास की परिचायक होती हैं जिनका संवर्द्धन देश के भावी स्वरूप को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए सभ्यता व स्वतंत्रता का विमर्श इनके बिना अधूरा सा नजर आता है।एक देश जो सांस्कृतिक रूप से अत्यंत धनी हो वह अपनी स्वतंत्रता के पश्चात अतीत के गौरव पर आधारित नवीन पहचान लिखना चाहता है क्योंकि राष्ट्र की स्वतंत्रता सम्पूर्ण विश्व के समक्ष स्वयं को वास्तविकता में परिचित कराने का एक सुनहरा अवसर होती है जो भविष्य में अमुक देश के प्रति वैश्विक जनमानस में एक विशिष्ट आकर्षण को भी उत्पन्न करती है। भारत के प्रति यह आकर्षण संस्कृति-विषयक है क्योंकि भारतीयता से ओत-प्रोत यहांकी प्रत्येक कृति, संस्कृति एवं संस्तुति सम्पूर्ण जगत में निरूपमेय है तथा इस देश के प्रति सम्मोह काकारक भी है (रे, 2014)। वस्तुतः आकर्षित होना तो मानव-मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है परन्तु उसमें यदि सम्मान काभाव निहित हो तो संबंधित रचना वंदनीय हो जाती है और भारत के सम्बंध में यह नितांत सत्य है कि अनेक वर्षों से भारत के प्रति आकर्षण का केन्द्र-बिन्दु यहां की समृद्ध विरासत तथा देश की सभ्यता-संस्कृति को मूर्तमान अभिव्यक्त करने वाले स्मारक, शिल्पतथा पुरातात्विक अवशेष हैं जिनके समक्ष विश्व नतमस्तक है।

भारत का सांस्कृतिक वैशिष्ट्य अत्यंत अनूठा है जोव्यक्ति के समक्ष एक स्वप्न-लोकसरीखाउपस्थित होता है। जहां मूर्त-अमूर्त सभी प्रकार की सम्पन्नता मौजूद है;संस्कृति का कोई भी पक्ष जहां अछूता नहीं है;जहां पाषाण भी हृदय को आनंदविभोरकरने में सक्षम है तथा जहांके भौतिक

*शोधार्थी, मानवतावादी अध्ययन विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) वाराणसी

**सह-प्राध्यापक, मानवतावादी अध्ययन विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) वाराणसी

अवशेष भी राष्ट्रकी अस्मिता के बोधक हैं। ऐसे में यहांमूर्त विरासत का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है जो भारतीयता का पूरक भी है।वास्तव में भारत के मानचित्र पर अपनी सम्पूर्णतामें स्थापित व मानव जीवन के अनेक पक्षों से सम्बंध रखने वाले यह कला-अवशेष इस देश की पहचान हैं और भारत की आत्मा इनसे प्रतिबिंबित होती है। आजादी के पश्चात राष्ट्र की अस्मिता के निर्धारण में इन आत्म-तत्व की विशेष भूमिका रही है। अपने शिल्प-सौन्दर्य से जन-मन को रंजित करने के साथ ही यह कृतियाँ वैश्विक जगत को भारत के निपुण शिल्पकर्मका भान भी कराती हैं (रे, 2014)। विगत 75 वर्षों में भारतीयता के प्रतिनिधि इन भौतिक विरासत के उत्थान संबंधी कार्यवृत्त का सांगोपांग विवरण अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि भारत की अस्मिता हजारों वर्षों से इनके द्वारा हीठोस रूप में अभिव्यक्त हो रही है।

पुरातन अस्मिता-बोध

अस्मिता की जब बात की जाती है तो आईडेण्टिटी के रूप में की जाती है,पहचान के रूप में की जाती है व परिचय के रूप में की जाती है। भारत की पहचान क्या है? हमारे राष्ट्र के कौन से तत्व भारतीयता के निदर्शक हैं? तथाकैसे पहचान हो कि हम भारत के अभिमुख हैं? केवल मानचित्र व देश की सीमाओं से पहचान अधूरी है। वास्तव में भारत की पहचान है यहां की सांस्कृतिक विरासत। जिनमें एक बड़ा स्थान मूर्त विरासतों का है जो देश के कोने-कोने से भारतीयता की गंध का प्रसार करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर आज तक राष्ट्रीय अस्मिता की कुंजी यथा पुरातात्विक अवशेष, कलाकृतियाँ, स्मारक एवं धरोहर रूपी भारत की समस्त मूर्त रचनाओं के विकास हेतु अनेकानेक कार्य किए गए हैं; जिसके तहत इनकी खोज, संरक्षण तथा प्रदर्शन के निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वातंत्र्योत्तर भारत में मूर्त विरासत को केंद्र में रखकर किए गए कार्यकलापों का अवलोकन करना अनिवार्य सा प्रतीत होता है क्योंकि सही मायने में भरतीय अस्मिता इनसे साकार होती है।

स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों व पुरावशेषों के महत्व को भली-भाँति जानते थे तथा इस विषय में समाज के उत्तरदायित्व के प्रति भी काफी सजग और संवेदनशील थे। वैसे तो 1919 तथा 1935 के भारतीय अधिनियमों में पुरातत्व को केंद्रीय शासन के अंतर्गत रखा गया थाकिंतु 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का जो संविधान लागू हुआउसमें पुरातत्व एवं धरोहर को केंद्रीय, राज्य तथा समवर्ती सूचियों में विभाजित कर प्रत्येकस्तर पर सांस्कृतिक विरासत के विकास की योजना तैयार की गई (पाण्डेय, 2020)। मूर्त विरासत को सुरक्षा का कवच प्रदान करने हेतु 1958 में "प्राचीन स्मारक और ध्वंसावशेष अधिनियम" नाम सेअपेक्षाकृत व्यापक कानून संसद द्वारा पारित किया गया (ASI, n.d.)। इस अधिनियम का उद्देश्य स्मारकों व कलाकृतियों के सुरक्षा व सुन्दरता की समुचितव्यवस्था करना तथा उनके संरक्षण-संवर्द्धन पर विशेष जोर देना था।

राजनीतिक गलियारों से परे जमीनी स्तर पर भी 1950 के दशक से ही मूर्त विरासत संबंधी अनेक महत्वपूर्ण व निर्णायक कार्य किए गए हैं जिन्होंने भारतीय अस्मिता को निखारने में महती भूमिका निभाई। 1947 में स्वतंत्रता का स्वर्णिम अवसर विभाजन का दंश साथ लेकर आया था। इस परिस्थिति ने पुरावेत्ताओं के समक्ष एक चुनौती सी खड़ी कर दी क्योंकि उस समय तक प्रकाश में आये सिन्धु घाटी सभ्यता के सभी प्रमुख स्थलजो भारतीय पुरातनता के प्रतिनिधि थेपाकिस्तान में चले गए थे। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के पाकिस्तान में पड़ जाने के फलस्वरूप सिन्धु सभ्यता से संबंधित कोई महत्वपूर्ण पुरास्थल भारत में नहीं बचा था। ऐसी स्थिति में मूर्त विरासत संबंधित कार्यकलापों की प्रमुख कार्यदायी संस्था

"भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण" ने व्यापक कार्ययोजना तैयार की तथा पश्चिमोत्तर भारत के राज्यों यथा राजस्थान, पंजाब वगुजरात के विभिन्न पुरास्थलों का बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण कराया; जिसके फलस्वरूप कालीबंगा, लोथल, रोपड़ आदि जैसे सैंधव सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल खोज निकाले गए (पाण्डेय, 2020)। हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत में स्थितसैंधव सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल घोषित किए जाने के अवसर पर भारतीय मूर्त विरासत की प्रमुख इकाई सिंधु-सरस्वती सभ्यता के पुरास्थलों तथा तत्संबंधित कार्यों का सहसा ही स्मरण हो जाता हैजिसने पुरातत्व के वैश्विक फलक पर भारत को नया मुकाम प्रदान किया (TH, n.d.)।

मूर्त-अस्मिता का उन्नयन

देश का गौरव जिन कृतियों व अवशेषों से गोचर होता है तथा जो कलाकृतियाँ राष्ट्र की प्रतिष्ठा को सुगठित रूप में प्रस्तुत करती हैंउनके संधारण हेतु एक उचित स्थान की आवश्यकता होती है और वह स्थान होता है संग्रहालय। यह वह जगह है जहां मनुष्य की उपयोगिता की वस्तुएँ इस प्रकारसुरक्षात्मक रूप से संग्रहित व प्रदर्शित की जाती हैंकि उनसे जनसामान्य राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति के विविध आयामों का ज्ञान प्राप्त करसके। स्वतंत्र भारत के संविधान में संग्रहालय को राज्यों की सूची में रखा गया। अब मूर्त विरासत के इन प्रतिष्ठानों को खोलना तथा उनका रख-रखाव करना प्रान्तीय सरकारों का विषय बन गया। शनैः-शनैः संग्रहालयों के प्रति देश के संभ्रांत वर्ग का रूझान भी बढ़ने लगा। फलस्वरूप विश्वविद्यालय, संस्था एवं व्यक्तिगत स्तर पर भी संग्रहालय खोले जाने लगे तथा भारत की अस्मिता के परिचायक प्रत्येक भौतिक रचनांश की देखरेख का उचित प्रबंध किया जाने लगा (सहाय, 2019)। भारत में संग्रहालयों का निर्माण स्वतंत्रता के बहुत पहले ही प्रारंभ हो गया था परंतु स्वातंत्र्योत्तर युग में परिस्थितयाँ बदल गईं और इनके उत्थान हेतु अनेकशः कार्य किएजाने लगे। प्रमुख संग्रहालयों को पर्यटन मानचित्र में दर्शाया गया, आने-जाने की सुविधा बढ़ाई गई, कर्मचारियों की उचित व्यवस्था की गई, उपयुक्त भवनों का निर्माण हुआतथा भारतीय इतिहास के प्रत्येक पहलूको दर्शाते प्रदर्शों कोयहां भली-भाँति संयोजित किया गया।

इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम "राष्ट्रीय संग्रहालय" की स्थापना के रूप में देश की पुरातन सामग्रियों को एक केन्द्रीभूत राजकीय ठौर प्रदान करना रहा। जिससे इनके संग्रह, संरक्षण, प्रदर्शन तथा शोध को नवीन आयाम प्राप्त हुआ; क्योंकि यहअपनी स्थापना से लेकर अबतक यह देश में कला एवं सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन हेतु समर्पित एक अग्रणी केन्द्ररहा है। राष्ट्रीय संग्रहालय 1949 में राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल मे खोला गया जो अपने नये भवन में 1955 में स्थापित हुआ तथा दिसम्बर 1960 में जनता के लिए खोल दिया गया (NM, n.d.)। अब भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय का नई दिल्ली में जनपथ पर विशाल एवं सुन्दर निजी भवन है जिसमें भारत केअनेक उत्कृष्ट पुरावशेष संग्रहित तथा प्रदर्शित हैं। मूर्त विरासत के प्रति जनजागरूकता की दिशा में भी राष्ट्रीय संग्रहालय प्रारंभ से ही अग्रणी भूमिका निभा रहा है एवं अनेक पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं व प्रदर्शनियों का नियमित रूप से आयोजन करता रहता है। 1965 में भारत सरकार की पुरावशेष सम्बन्धी एक समिति ने तीन सुझाव दिए- पर्याप्त छोटी-बड़ी प्राप्त सामग्री संजोई जाए, प्रभावीमहत्वपूर्ण स्मारक और पुरातात्विक वस्तुएं उसी स्थल पर ही रखी जाएं तथा दर्शक को वहां पहुँचने की सुविधा प्रदान की जाए (सहाय, 2019)। इस प्रकार पुरावशेष के साथ उनके सन्दर्भ को भी संचयित करने का प्रावधान किया गया ताकि कलाप्रेमी आगंतुक के समक्ष यह कृतियाँ समग्रता में उपस्थित हों। वस्तुतः प्रत्येक भौतिक रचना देश के इतिहास, सभ्यता और विकास के विविध सोपानों को यथार्थ में

रूपांतरित करती हैऐसे में यह ध्यान देने योग्य है कि संग्रहालयों का प्रबंधन भी यथानुरूप किया जाए क्योंकि उसमें अनेक वीथियों के भीतर भारतीय ज्ञान की नाना शाखाओं के दर्शन के साथ-साथ विश्व स्तर पर हमारी सांस्कृतिक विरासत और उनके साथ हमारे सहसम्बन्ध का सूत्र भी दृष्टिगोचर होता है।

विरासत के उत्थापना का प्रकल्प

एक गणतंत्रीय देश के निवासी कला एवं संस्कृति के संरक्षक होते हैं, इसलिए उनके हृदय में स्मारक, पुरावशेषों व ऐतिहासिक स्थलों के प्रति विशेष सम्मान का भाव होता है। ऐसे देशों की सरकारें भी नागरिकों के नक्शेकदम पर चल इनके विकास हेतु विभिन्न संस्थाओं व केन्द्रों की स्थापना कर इस कार्य को बढ़ावा देने का प्रयास करती हैं। जनता व्याख्या द्वारा, कलात्मक सौंदर्यबोध द्वारा इस दिशा में आगे बढ़ती है तो सरकार इनके जनोपयोगी रूप को साकार करने में प्रयासरत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कला की सामग्री आनन्द का प्रमुख स्रोत है (रे, 2014)। यह आनन्द शाश्वत है। इसलिए मूर्त विरासत के घटक (पुरातत्व, कलाकृतिऔर स्मारक) तथा जनता एक-दूसरे के अधिक सन्निकट होते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है किप्रत्येक व्यक्ति को इस ओर उन्मुख होना चाहिए तथा सरकार को भी अपने उत्तरदायित्व के वहन के लिए उद्यत रहना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कार्य पुरावस्तुओं के परिरक्षण का है जिसके लिए भारत सरकार ने एक परिरक्षण प्रयोगशाला की स्थापना राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में किया। यूनेस्को ने इस प्रयोगशाला को दक्षिण व दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रमाणिक परिरक्षण प्रयोगशाला स्वीकार किया था। 1976 में "नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर दि कन्जर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रापर्टीज" को लखनऊ में स्थानांतरित कर दियागया (NRLC, n.d.)। लखनऊ शहर के जानकीपुरम इलाके में स्थित "राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला" नामक यह संस्थानभारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है एवं स्मारकों, स्थलों के साथ-साथ संग्रहालयों, पुस्तकालयों और संग्रह सहित सभी प्रकार के सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण में अनुसंधान के लिए प्रमुख संगठन है। इस क्षेत्र में अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य संग्रहित व खुले में स्थित मूर्त विरासत की बेहतर देखभाल तथा उन तक नागरिकों की पहुंच प्रदान करना है। विभिन्न संरक्षण अनुसंधान परियोजनाओं के परिणाम चाहे दस्तावेजीकरण, रणनीतियाँ बनाना, आवश्यक दिशा-निर्देश, सामग्री या पर्यावरणीय अनुशंसाओं कोप्रस्तुत करना, इन सभी को व्यापक रूप से यह केन्द्र ही समन्वित करता है (NRLC, n.d.)। अर्थात यह मानव ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अन्तर्गत मूर्त विरासत के संयोजन में निरन्तर कार्यरत है।

मूर्त विरासत समाज का एक अंग है। समाज इसके प्रदर्शों में अपने अतीत को देखता है। बीते दिनों के सांस्कृतिक विकास और रूचियों का ज्ञान इनके द्वारा ही सम्भव होता है। साथ ही यह सुखद और आनन्दवर्धक वातावरण उत्पन्न करता है कि सहज ही लोग इन सामग्रियों की ओर खिंचते चले जाते हैं। वहां के सौहार्द्रपूर्ण वातावरण से वह प्रदर्शों के साथ अपना सान्निध्य स्थापित कर लेते हैं। भारत के सम्बंध में यह स्थिति और स्पष्ट है क्योंकि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में भारत के पास असाधारण रूप से विपुल, विशाल और विविध सांस्कृतिक धरोहर है (सिंह, 2003)। केवल संख्या में उनका विशाल परिमाण ही महत्व का नहीं है वरन्यहकतिपय सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और निरंतरता के प्रतीक भी हैं। निश्चित रूप से देश की पुरातन थाती को, जिसके कारण भारत का विश्व में गौरव है, विश्व के परिदृश्य में प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिससे लोग इनको देखकर भारत के विषय में समझ सकें। वास्तव में स्वतंत्र भारत अपने व्यक्तित्व को विश्व के रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए मूर्त विरासत के अवलंबन की उपेक्षा नहीं

कर सकता था क्योंकि भारतीय नवीन परिदृश्यों की ओर विश्व का आकर्षण उत्पन्न करना इसी से सम्भव हुआ। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के पीछे भी इन विरासत की प्रमुख भूमिका रही जो एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें लगता है कुछ नहीं पर प्राप्त बहुत कुछ होता है- विदेशी मुद्रा, संस्कृतियों का समागम तथा ज्ञान के विविध क्षेत्रों में परस्पर सहयोग। मूर्त विरासत के प्रति आकर्षण बढ़ने से विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को भी अपने गौरव कोबढ़ाने अवसर मिलता है जिससे उन्हें यहां के उद्योगों, धार्मिक-सांस्कृतिक क्रियाकलापों आदि के प्रति विनिवेश करने की प्रेरणा मिलती है।

वैश्विक मंच पर भारतीय मूर्त विरासत

परिस्थितियाँ अत्यंत तीव्र गति से परिवर्तित होती जा रही हैं। इस परिवेश में विश्व समुदाय के साथ तालमेल बनाकर भारतीय मूर्त विरासत के विकास की नई दिशा निर्धारित करना आवश्यक हो गया है क्योंकि पारस्परिक सहयोग के अभाव में अस्मिता का मूल नष्ट हो जाता है। विरासत सम्बन्धी ऐसे सहयोगात्मक कार्य के लिए "यूनेस्को" एक सर्वज्ञात संस्था है। यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध "विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व" के स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है (UNESCO, n.d.)। भारतीय अस्मिता की ऐसी अनेक अभिव्यंजना को इस संगठन ने मानवता के लिए उत्कृष्ट मूल्य का माना है। इस प्रकार भारतीय शिल्पकर्म तथा यहां के गौरवपूर्ण अतीत के प्रति वैश्विक कर्तव्य बोध को जगाकर विरासत के साझे दाय के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया गया। सही मायने में मूर्त विरासत और राष्ट्रीय अस्मिता की बात तभी पूर्ण होती है जब तत्संबंधित कार्यों का उद्देश्य हो स्वर्णिम इतिहास, कला-कौशल, सांस्कृतिक जीवन और प्रौद्योगिकीय उपलब्धियों को विश्व के पटल पर रखना; जिससे वह किसी राज्य की भौगोलिक सीमा में ही सीमित न रहें वरन्उनका लाभ विश्व के प्रत्येक क्षेत्र को मिले। इस उद्देश्य हेतु यूनेस्को द्वारा नामित विश्व विरासत स्थलों की विशेष भूमिका है जो राष्ट्र की अस्मिता के लिए साझा वैश्विक मंच प्रदान करते हैं। यह ऐसे विशेष स्थल होते हैं जो "विश्व विरासत स्थल समिति" द्वारा चयनित किए जाते हैं और यही समिति इन स्थलों की देखरेख यूनेस्को के तत्वावधान में करती है। प्रत्येक विरासत स्थल उस देश की विशेष सम्पत्ति होती है,जिस देश में वह स्थित हो, परंतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हित भी इसी में होता है कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिएऔर मानवता के भले के लिए इनका संरक्षण करे। अर्थात पूरे विश्व समुदाय कीइनके संरक्षण की जिम्मेदारी होती है। भारत ने 14 नवंबर 1977 को सम्मेलन को स्वीकार किया जिससे इसके महत्वपूर्ण स्थल भी यूनेस्को सूची में शामिल किए जाने लगे। अंकित किए गए पहले स्थलों में अजंता की गुफाएं,एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल सम्मिलित थे,जिनमें से सभी को विश्व विरासत समिति ने 1983 में शामिल किया था (रे, 2014)। इसके साथ ही भारत ने सारी दुनिया के विरासत प्रेमियों के बीचपूरी धमक के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तब से वर्ष-प्रतिवर्ष भारतीय मूर्त विरासत के ऐसे अनेकप्रतिमानविश्व धरोहर स्थल की पदवी हासिल करते गये और आज इनकी संख्या बढ़कर 40 (7 प्राकृतिक विरासत स्थल) हो गई है (UNESCO, n.d.)। वर्तमानमें यदि भारत विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के दृष्टि से विश्व में छठां स्थान रखता है तो यह स्वातंत्र्योत्तर युग में मूर्त विरासत के संवर्धन-विकास हेतु किए गए सुकार्यों का ही प्रतिफल है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित यह स्थल राष्ट्र के व्यक्तित्व का प्रदर्शन करने के साथ ही भारतीय चिंतन को भी दर्शाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर "वसुधैव कुटुम्बकम्" के भारतीय विचार के प्रसार में भी यहां के विश्व विरासत स्थलों का महत्व है।

आज विश्व के एकीकरण पर बल दिया जाता है। इसका परिणाम हो रहा है कि सभी देशएक-

दूसरे के मनोभावों को समझकर अपने को उसी धारा में जोड़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। प्रायः राजनीतिक दर्शन, समाज दर्शन, जीवन दर्शन और जीवन स्तर में समन्वीकरण होता जा रहा है। इसी प्रकार से अतीत के पारस्परिक विभेद दूर होते जा रहे हैं और मूर्त विरासत के प्रति उभयनिष्ठ जवाबदेही तथा गर्व का भाव व्याप्त होता जा रहा है। अब विभिन्न क्षेत्रों की कला और संस्कृति में एकरूपता बढ़ती जा रही है। जिसके फलस्वरूप मनुष्यों के विचारों के बीच सहसम्बन्ध बढ़ा है। इस सहसम्बन्ध को कोई दूसरा क्षेत्र इतने प्रभावक रूप से स्थापित नहीं कर सकता जितना विरासत का क्षेत्र। स्वातंत्र्योत्तर भारत में इस दिशा में आगे बढ़ते हुए अनेकानेक कार्य किए गए और तब से निरन्तर भारतीय मूर्त विरासत को विश्व-पटल पर स्थापित करने का कार्य किया जाता रहा है। भारतीय जनमानस अब अपनी संस्कृति और विरासत के प्रति ज्यादा जागरूक है तथा नागरिकों के मन में अतीत का गौरव-बोध एक स्वाभाविक अनुभूति बनकर उभरा है। इसकी सम्पूर्ति हेतु सरकार ने भीदेश की कला-संस्कृति के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखकर अनेक विशिष्ट संग्रहालयों की स्थापना के प्रयास किए हैं जो मूर्तियों, मुद्रा, अभिलेख, चित्रकला, पाण्डुलिपियों, अस्त्र-शस्त्र आदि के रूप में राष्ट्रीय चरित्र के विविध आयाम को प्रस्तुत करते हैं (सिंह, 2003)। वास्तव में इन सामग्रियों के दायित्व को समाज को ही वहन करना पड़ेगा जिससेवहां हमारा सांस्कृतिक स्वरूप, धरोहर व आधार सुरक्षित रहे ताकि आगे की पीढ़ी उसका समुचित लाभ उठा सके। क्योंकि यह न केवल इस देश के प्राचीन इतिहास,कला और जीवन का दर्पण हैं, बल्कि हिन्दुस्तान के नवीन संघर्ष और भावी सपनों का भी प्रतिबिम्ब हैं।

मूर्त विरासत के नवीन परिदृश्य

अतीत भविष्य का निर्माता होता है तथा अतीत का गौरव वर्तमान का पथ प्रदर्शन करता है। इस गौरव की चैतन्यता ही मनुष्य को विरासत सम्बंधी नये दृश्य गढ़ने के लिए प्रेरित करती है जबकि इसका सत्व एक गणतंत्रीय देश में जनकल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना के मूल को तय करता है। भारत एक ऐसा देश रहा है जिसका अतीतअत्यन्त गौरवपूर्ण था तथा उसकी विरासत के अनेक रंग यहां परिलक्षित होते हैंजो समाज तथा जनता के सांस्कृतिक उत्थान में अहम भूमिका निभा सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में मूर्त विरासत के ऐसे कतिपय आयाम निर्मित किए गए जिनके द्वारा आने वाली पीढ़ियों के समक्ष भारतीय संस्कृति का पूरा ढाँचा प्रस्तुत हो सके और जहां पुरातन काल की सामग्रियों को देखकर उनके समक्ष अतीत का संसार जाग्रतहो उठे (सहाय, 2019)। नवीनता के साथ पुरातनता को पिरोना ही सही मायने में विरासत के संवर्धन का मूल है और इस प्रकार का कार्य ही भारत के वर्तमान दौर में कला-संस्कृति के उन्नयन का आधार है। निःसंदेह देश भर में फैले बहुविध पुरातात्विक स्थल हमारी पहचान हैं तथापि उनके रखरखाव के लिए समस्त सरकारी महकमा जैसे 'भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण' अनेक मंडलों के माध्यम से सदैव तत्पर रहता है। सारनाथ, कुशीनगर, साँची, अमरावती व नागार्जुनीकोण्डा जैसे बौद्ध स्थल हों अथवा मंदिर वास्तु के प्रारंभिक चरण से लेकर उसके विकास की पराकाष्ठा को दर्शाने वाले बहुसंख्यक वास्तुविन्यास हों, सभी धरोहर स्थलों के महत्व को पहचानते हुए उनके संरक्षण-संवर्द्धन की रूपरेखा तैयार की गई है तथा पिछले कई दशकों से इस दिशा में बहुतायत कार्य किए जा रहे हैं।

स्वातंत्र्योत्तर भारत में संग्रहालय आन्दोलन ने भी मूर्त विरासत सम्बंधी विमर्श को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा धीरे-धीरे इसने विशेषीकरण की नीति भी अपनाई (सिंह, 2003)। कभी संग्रहालय का स्वरूप समन्वित होता था तथा इसका अभिप्राय संस्कृति, पुरातत्व, कला-शिल्प तथा मानव

की कहानी कहने वाली विविध सामग्रियों के संचय से था। परन्तु विकास के साथ-साथ इसमें एक नवीन मोड़ भी दिखने लगा जिसने भारतीय धरोहर के विभिन्न पक्षों को करीब से जानने-समझने हेतु प्रेरित भी किया। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि समाज की मानसिक रूचि और भावनाओं का प्रत्यक्षीकरण इन मूक सामग्रियों के माध्यम से होता है जो अन्य किसी भी दूसरे स्त्रोत से इतना सही नहीं ज्ञात हो सकता। इसीलिए इस क्षेत्र केविशेषज्ञों ने यह अनुभव किया कि यह मूर्त सामग्रियाँ ऐसे संकलित की जाएं कि एक अशिक्षित व्यक्ति भी उनके माध्यम से अपने देश तथा बीते सदियों के विषय में सोचने को बाध्य हो जाए। इस प्रकारयह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि व्यवस्थित और वैज्ञानिक रीति से भारतीय मेधा को प्रदर्शित करने के लिए मूर्त सामग्रियों का अन्य कोई संचयागार देश में इतना कारगर नहीं हो पाया है जितना आज के हमारे संग्रहालय। अब भारत में हम संग्रहालयों के साथ प्रायः विषय का नाम जुड़ा हुआ पाते हैं, जैसे पुरातात्विक संग्रहालय, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, बौद्ध तथा जैन धर्म विशेष के संग्रहालय तथा मठों-मन्दिरों से जुड़े संग्रहालय (श्रीरंगम् संग्रहालय, मदुरई संग्रहालय इत्यादि) (सहाय, 2019) । इस प्रकार एक बहुआयामी ज्ञान के स्त्रोत के रूप में इनमें सुरक्षित मूर्त सामग्रियाँ हमारे समक्ष राष्ट्र की अस्मिता के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं तथा उनको सहेजने-संवारने के कर्तव्य से अवगत भी कराती हैं।

निष्कर्ष

संस्कृति और राष्ट्र की अस्मिता नागरिकों के समर्पण,कर्तव्य, सामाजिक नैतिकता तथा राष्ट्र के प्रति जीवटता के निर्णायक बिंदु हैं जो भारत की स्वाधीनता के बाद के वर्षो में धरोहर-विशेष के सन्दर्भ में अधिक मुखर होकर सामने आए हैं। यह नितांत सत्य है कि विकास का कार्यक्रम संस्कृति की चिन्ता के बिना विफल रहता है इसलिए विज्ञान और तकनीकी विकास के इस दौर में भी सांस्कृतिक अस्मिता के बचाव की चिन्ता समय-समय पर व्यक्त की जाती है। ऐसे में पुरातत्व, कलाकृति एवं धरोहर विषयक निर्णायक कार्य सही मायने में भारतीय मन की बात को कहते हैं कि भारतीय मन राष्ट्र की पहचान को मूर्तवत् प्रतिष्ठित करने वाली इन रचनाओं का सदा से ऋणी है इसलिए विकासनीति में संस्कृति के इन पक्षों को कभी भी हाशिए पर रखने की बात नहीं करता। हाल ही में सरकार ने भारत की समृद्ध मूर्त विरासत के संरक्षण और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में देश का पहला "भारतीय विरासत संस्थान"स्थापित करने का निर्णय लिया है (TOI, n.d.)। यह कदम मूर्त विरासत के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो भारतकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने में बहुत ही मददगार साबित होगा। वास्तविक रूप में देखें तो भारतीय संस्कृति मात्र शिल्प-स्थापत्य या कला-सौन्दर्य ही नहीं है, परन्तु यहकृतियां संस्कृति की अभिव्यक्ति हैं। अस्तु संस्कृति भारतीय जीवन का छन्द है। यह भारत के आचरण की भाषा है,उसकी आत्माभिव्यक्ति है तथा देश का सच्चा व्यवहार है। वस्तुतः विरासत के मूर्त अभिप्राय राष्ट्र के इन्हीं तत्वों का यथार्थ निदर्शन करते हैं, इसलिए यह असाधारण मूल्य के हैं तथा इनके विकास, समृद्धि तथा संवर्धन का मौलिक दायित्व राष्ट्र के कर्णधारों पर ही है, जिससे वे कदापि च्युत नहीं हो सकते।

सन्दर्भ सूची

पाण्डेय, जयनारायण (2020), पुरातत्व विमर्श, प्राच्यविद्यासंस्थान, प्रयागराज

रे, हिमांशु प्रभा (2014), इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्सइन काँटेक्स्ट, आर्यन बुक्स इन्टरनेशनल, नई दिल्ली

सहाय, शिवस्वरूप (2019),संग्रहालय की ओर, मोतीलालबनारसीदास

सिंह, डॉअरविंदकुमार (2003), संग्रहालय विज्ञान, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

https://asi.nic.in/about-us/history/

http://nrlc.gov.in/

https://nationalmuseumindia.gov.in/en/history

https://timesofindia.indiatimes.com/education/news/centre-to-set-up-indian-institute-of-heritage-in-noida-culture-minister-reddy/articleshow/85205018.cms

https://www.thehindu.com/news/national/harappan-era-city-dholavira-inscribed-on-unesco-world-heritage-list/article35559688.ece

https://whc.unesco.org/en/statesparties/in

सतपुड़ा मेकल प्रदेश की जनजातीय परम्पराएँ : चिकित्सा पद्धतियाँ एवं स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में

डॉ. आशीष चाचौंदिया*

डॉ. दुर्गेश कुर्मी**

सारांश

भारत के मध्य में स्थित मध्यप्रदेश राज्य के दक्षिण-पूर्वी भाग में विस्तृत सतपुड़ा अवरोधक पर्वत की पूर्वी श्रेणी, सतपुड़ा-मेकल में पायी जाने वाली विभिन्न जनजातियों (गोंड, बैगा, कोल, भारिया) को अध्ययन में शामिल किया गया है। जनजातियाँ अपनी विशिष्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परम्पाराओं के लिए जानी जाती हैं। इन जनजातियों में उपचार के लिए उनकी अपनी एक विशेष परंपरा रही है जो धर्म, जादू-टोने, झाड़-फूंक तथा जड़ी-बूटियों पर आधारित है। उपचार के लिए इनमें से किसी एक विधि या कभी-कभी सारी विधियों का एक साथ प्रयोग होता रहा है। अधिकांश जनजातियों को अपने आस-पास के सभी औषधीय पौधों का ज्ञान तथा उस पर विश्वास होता है। अपने इसी परंपरागत ज्ञान के आधार पर स्थानीय भगत/भूमका/पण्डाथ आदि जनजातीय चिकित्सक बीमारों का उपचार करते हैं। परंपरागत चिकित्सा पद्धति के संदर्भ में किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि परम्परागत तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली यह चिकित्सा पद्धति सांस्कृतिक प्रतिमान का असंस्थागत रूप है। परम्परागत चिकित्सा पद्धति की प्रमुख विशेषता यह है कि यह रोगों के लक्षणों से अधिक संबंधित है न कि रोग के कारणों से। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यह एक निवारक चिकित्सा पद्धति है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति की तुलना में यह चिकित्सा पद्धति एक प्राकृतिक एवं धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। यह अध्ययन दर्शाता है कि शोध क्षेत्र में शामिल चारों जनजातियों (गौंड, बैगा, कोरकू, भारिया) की चिकित्सा पद्धतियाँ मूल रूप से समान धार्मिक मान्यताओं तथा प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग पर आधारित हैं किंतु इनके व्यावहारिक क्रियान्वयन में समानता दृष्टिगत नहीं होती है। अध्यायन से यह भी स्पष्ट होता है कि परम्परागत पद्धतियों के द्वारा केवल रोग निवारण को ही लक्ष्य न मानकर रोगों के संक्रमण फैलने से रोकने के लिए भी विभिन्नत जनजातीय मान्यदता प्राप्त विधियाँ उपयोग में लायी जाती हैं।

बीज शब्द : गोंड, बैगा, कोरकू, भारिया, भूमका

प्रस्तावना

जनजाति शब्द आंग्ल भाषा के शब्द 'ट्राइब' का हिन्दी रूपांतण है जो इंडिजिनस शब्द का पर्याय है (सुन्दरम, 2023)। इस समुदाय की परिकल्पना किसी क्षेत्र विशेष से की जाती है परंतु यह पूर्ण रूप से सत्ये नहीं है। यह एक ऐसा समूह है जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित कर उसके साथ अनुकूलनात्मक समायोजन कर अपना जीवन निर्वाहन करता है। यह निर्वाहन परम्प रागत अनुभावात्मक ज्ञान परम्पणरा आधारित सतत पोषणी विकास का परिचायक है।

जनजातीय समुदाय में इस परम्प रागत अनुभवात्मक ज्ञान का हस्तां तरण पीढ़ी-दर-पीढ़ी बिना

*सहायक प्राध्यापक, इतिहास, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल, म.प्र.

**सहायक प्राध्यापक, भूगोल, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल, म.प्र.

किसी परिवर्तन के हुआ है। इस ज्ञान परम्परा में संपूर्ण मानवीय जीवन के जीवनयापन की समस्त कलाओं का समायोजन मिलता है जो प्राकृतिक समायोजन पर आधारित है जैसे कि उनकी रोग निवारण चिकित्सा पद्धति। यह पद्धतियाँ प्रकृति द्वारा प्रदत्त मौसम एवं जलवायु के घटकों तथा औषधीय वनस्पतियों एवं प्रकृति की आभाषीय शक्तियों (जादू-टोना, तंत्र-मंत्र) पर आधारित होती हैं जो संभवत: शारीरिक के साथ-साथ मानसिक प्रभाव भी डालती हैं (प्रमीला, श्रीकमल, शर्मा, 2021)।

1.1 गोंड जनजाति

गोंड तेलुग भाषा के शब्द कोण्डम का अपभ्रंश माना जाता है जिसका शाब्दिवक अर्थ वनाच्छादित पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाले वालों से है। यह प्रमुख संस्कृति संपन्न जनजाति है। गोंडों का प्रदेश गोंडवाना के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह म.प्र. के अधिकांश भागों में निवास करते हैं जिनमें बैतूल, छिन्ददवाड़ा, बालाघाट, माडला, डिण्डोरी आदि जिलों में इनकी बहुलता है (सुन्दरम, 2023)। अधिकांश विद्वान गोंडों का उत्पत्ति क्षेत्र अमरकण्टक को मानते हैं। गोंड जनजाति की 5 प्रमुख उपशाखाऐं भी हैं जो मुख्यं रूप से अपने विशेष कार्यो के कारण अस्तित्वं में आयी हैं। जैसे लोहे का कार्य करने वाले अगरिया, पूजा-पाठ करने वाले परधान, नाचने-गाने वाले कोइलामुतिस, तांत्रिक क्रिया करने वाले ओझा तथा बढ़ई गिरी करने वाले सोलाहस। वर्तमान में गोंड जनजाति सम्पूर्ण म.प्र. में पायी जाती है। इस जनजाति को इसकी शारीरिक विशेषताओं से पहचान मिलती है। गोंड मूल रूप से द्रविडीयन हैं तथा सामान्यात: छोटे कद, गहरे काले रंग, चपटी नाक जैसी शारीरिक विशेषताएँ रखते हैं। गोंड जनजाति अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण सर्वाधिक सम्पन्न कही जा सकती है। इसमें बहुत से परम्पतरागत त्योहार मनाये जाते हैं तथा स्वेभाव से ही उत्सस प्रिय जाति होने के कारण इन में विभिन्न प्रकार के लोक संगीत एवं नृत्य प्रचलित हैं। गोंड धार्मिक विश्वाास में टोटम का बहुत महत्व है। प्रत्येम क्षेत्र में एक विशेष टोटम की पूजा की जाती है। इसके अलावा विभिन्न प्राचीन देवी-देवता एवं आत्माओं की पूजा का भी प्रचलन है (यादव, 2019)। सर्वाधिक लोक प्रिय देवता बूढ़ा देव या बढ़ा देव हैं (प्रमीला, श्रीकमल, शर्मा, 2021)। अन्य जनजातियों की भांति गोंड भी जादूटोने तथा तांत्रिक क्रियाओं में विश्वास रखते हैं। जिसका एक उद्देश्यक विभिन्न प्रकार के शारीरि रोगों का निराकरण माना जाता है।

1.2 बैगा जनजाति

'बैगा' का अर्थ होता है- "ओझा या शमन"। इस जनजाति के प्रारंभिक इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी है। 1939 ई० में वेरियर एल्विन (Verrier Elwin) की पुस्तक 'द बैगा' (The Baiga) में बैगा जनजाति के बारे में विस्तृत विवरण प्राप्त होता है (प्रमीला, श्रीकमल, शर्मा, 2021)। इस पुस्तक में बैगा जनजाति के जीवन से संबंधित प्रत्येक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। इस पुस्तक में बताया गया है कि बैगा जनजाति भारत के मध्य प्रांतों में शेष बचे कुछ लोगों में से एक है जो अभी तक सभ्यता से बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुए हैं (Tapas and et. al., 2009)। वेरियर एल्विन बताते हैं कि बैगा का सबसे पहला विवरण जो हमारे सामने आया है, वह 1867 का है, जब कैप्टन थॉमसन ने अपनी सिवनी सेटलमेंट रिपो र्टमें उन्हें जनजातियों में सबसे जंगली, सबसे दुर्गम और सबसे दूर पहाड़ियों के जंगलों में रहने वाले के रूप में वर्णित किया था। वह बताते हैं कि यह लोग असाधारण रूप से शर्मीले होते हैं। बैगा महान भुइया जनजाति की एक शाखा प्रतीत होती है। भुइया शब्द और इसकी वैकल्पिक वर्तनी संभवतः संस्कृत शब्द

पृथ्वी से भूमि के लिए उत्पन्न हुई है। इस उपाधि का दावा बैगा द्वारा भी किया जाता है जो खुद को भूमिराज या भूमिजन कहते हैं। मंडला गजेटियर में 1912 की एक प्रविष्टि में बैगाओं का वर्णन किया गया है (सुन्दरम, 2023)। वह वन जनजातियों में सबसे आदिम और दिलचस्प हैं, उनकी उत्पत्ति अस्पष्ट है, लेकिन वह निश्चित रूप से गोंडों की तुलना में अधिक समय से अस्तित्व में हैं। इस जाति के लोग झाड़-फूंक और अंध विश्वास जैसी परम्पराओं में विश्वास करते हैं।

1.3 कोरकू

कोरकू का शाब्दिक अर्थ है मानव समूह। इनकी उत्पत्ति से संबंधित बहुत से मिथक प्रचलन में हैं। यह जनजाति मध्य प्रदेश के छिन्द। वाड़ा, बैतूल, होशंगाद, हरदा आदि जिलों में पायी जाती है। यह जनजाति अपने घरों पर चित्रित विभिन्न मांगलिक प्रतीकों तथा नृत्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है। कोरकू औरतों में गोदने की प्रथा लोकप्रिय है तथा यह मुख्य रूप से चेहरे पर विभिन्न आकृतियों का गोदना करवाती हैं। इनकी यह मान्यता है कि विशेष प्रकार के गोदने जैसे अग्नि या अनाज आदि मनुष्य को रोग मुक्तआ बनाते हैं तथा शरीर व मन को शक्ति प्रदान करते हैं (सुन्दजरम, 2023)। कोरकू जनजाति की धार्मिक मान्यताएं विभिन्न देवी-देवताओं, प्राकृतिक शक्तियों, मृत्यु के बाद के जीवन का संकलन होती हैं। यह लोग अपने मृतक पूर्वजों को देवताओं की तरह पूजते हैं तथा उनके लिए अनुष्ठान का आयोजन करते हैं। इसके लिए एक स्मारक स्तंभ ''मुण्डान'' स्थाापित किया जाता है जिस पर विभिन्न चित्र बनाये जाते हैं। धार्मिक रूप से यह स्वंय को हिन्दू मानते हैं तथा महादेव और चंद्रमा की पूजा करते हैं। इनके कुछ क्षेत्रीय जनजातीय देवता भी होते है जिनमें डोगर देव, भटुआ देव आदि प्रमुख हैं।

1.4 भारिया

भारिया मूलरूप से गोंड जनजाति की ही एक शाखा है तथा इसे म. प्र. की विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल किया जाता है। म. प्र. में मुख्य रूप से यह जनजाति जबलपुर और छिन्दवाड़ा जिले में मिलती है। छिन्दवाड़ा जिले के तामिया विकासखण्ड के पातालकोट क्षेत्र में रहने वाले इस जनजाति समूह को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुयी है (प्रमीला, श्रीकमल, शर्मा, 2021)। सांस्कृततिक रूप से यह जनजाति गोंड जनजाति से समानता रखती है तथा गोंडों के समान ही नृत्यसंगीत में विशेष रूचि रखती है। भारिया महिलाओं मे भी गोदना की लोक प्रियता है। एक तरह से यह जनजाति अत्यधिक कला सम्पन्न जनजाति है जो अपने निवास स्थाान तथा अपने शरीर दोनों को ही अलंकृत करते हैं। भारिया के धार्मिक विश्वास भी हिन्दूओं एवं गोंडों से प्रभावित हैं। विभिन्न हिन्दू देवी-देवताओं के साथ जनजातीय देवी-देवता बूढ़ा देव, नाग देव आदि की पूजा की जाती है।

2. उद्देश्य

1) जनजातीय चिकित्सा पद्धतियों का अध्य यन करना।

2) औषधीय उपादान एवं स्वास्थ्य संबंधी जनजातीय परम्पराओं की सार्थकता का विश्लेषण करना।

3. विषय क्षेत्र

मध्य प्रदेश राज्य में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नर्मदा के दक्षिण मेंविस्तृत

अवरोधक पर्वत सतपुड़ा पर्वतमाला के पूर्वी भाग सतपुड़ा-मैकल प्राकृतिक प्रदेश में निवासरत जनजातीय समुह को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है (सुन्दरम, 2023)। इस भौगोलिक प्रदेश का विस्तार म.प्र. के दक्षिण-पूर्वी जिलों (छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मण्डला, डिण्डोरी, अनुपपुर आदि) में है। मैकल श्रेणी, सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार है। इसकी आकृति अर्द्धचंद्राकार है। यह श्रेणी अधिकांशत: सघन वनों से आच्छा दित है। यहां से विभिन्न दिशाओं में बहने वाली अनेक नदियों का उद्गम होता है। इसी श्रेणी में अमरकंटक का पठार अपकेंद्रित प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस नैसर्गिक प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में आधुनिक विकास से दूर द्रविड़-नीग्रेटो और प्रोटो-ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की जनजातियां गोंड, बैगा, कोरकू, भारिया आदि निवास करती हैं (प्रमीला, श्रीकमल, शर्मा, 2021)।

4. शोध प्रविधि

इस अध्य यन में प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों को समाहित किया गया है। सतपुड़ा मैकल प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य ग्रामों से सुविधापूर्ण निदर्शन का प्रयोग कर प्राथमिक आंकड़ों का संकलन साक्षात्कार एवं अवलोकन विधियों एवं द्वितीयक आंकड़ों का संकलन शोध पत्रों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, पुस्तकों आदि के माध्यम से किया गया है।

5. विश्लेषण

आदिम समाज में रोग या अस्वस्थता को परम्प रागत मान्यताओं व विश्वारसों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। जनजातियों में रोग या अस्वस्थता के संबंध में अवधारणा है कि यह एक दैवीय या अलौकिक घटना है। वेबस्टैर ने भी रोग को परिभाषित करते हुये कहा कि यह एक ऐसी अवस्था है, जिसमें असुविधा महसूस की जाती है। यह एक ऐसी दशा है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित, असंतुलित, अव्यवस्थित एवं निबष्ट हो जाता है (महाजन, 2012)।

5.1 जनजातीय समुदाय की चिकित्साा पद्धतियाँ

सतपुड़ा मैकल अंचल में जनजातीय बाहुल्यो ग्रामों में रोग उपचार हेतु उनके पारंपरिक लोक चिकित्सक होते हैं जिन्हें पण्डा,भगत, भूमका, ओझा आदि नामों से जाना जाता है। जनजातीय समाज में जिस प्रकार की चिकित्सा का प्रचलन परंपरागत रूप से रहा है (यादव, 2019) उसमें उनके प्राचीन अटूट एवं अपरिवर्तनीय विश्वास और प्राकृतिक तत्वों का एक विशेष सम्मिश्रण देखा जा सकता है। जहाँ तक प्राकृतिक तत्वों (मुख्यतः वन्य जड़ी-बूटियों के प्रयोग) की बात की जाए तो इसमें वैज्ञानिकता का भी अंश मिल जाता है किन्तु इसका एक दूसरा पक्ष जिसमें वह विश्वास समाहित हैं जिनमें कोई तर्क न होकर केवल मान्यताएं हैं तो जनजातीय चिकित्सा एक छद्मविज्ञान (pseudoscience) प्रतीत होने लगता है। जो भी हो एक बड़ा समुदाय इस चिकित्सा पद्धति में विश्वास रखता है और उनके विश्वास मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य लाभ में सहायक भी होते होंगे। उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए जनजातीय चिकित्सा के दो स्वरुप सामने आते हैं यथा:विभिन्न विश्वासों (या अंधविश्वासों) पर आधारित चिकित्सा एवं जड़ी-बूटियों पर आधारित औषधीय उपचार पद्धति (बंजारे, 2014)। आवश्यकता और समय के अनुसार इस दोनों का सम्मिश्रण भी देखने को मिलता है जिसमें औषधियों के साथ-साथ झाड़-फूंक आदि का प्रयोग किया जाता है।

5.1.1 जादू-टोना आधारित धार्मिक उपचार पद्धति

नैदानिक प्रक्रिया में रोग के सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों की पुष्टि होने पर संबंधित देवी-देवताओं, आत्माओं, भूत-प्रेत, नजर-टोटका, निषेधों के उल्लं घन आदि में हुई त्रुटियों को जादुई-धार्मिक उपचार पद्धति के अंतर्गत मंत्र, धार्मिक कर्मकाण्ड, बलि, जादू, ताबीज आदि के माध्यम से किया जाता है (सिंह, 2018)।

5.1.2 औषधीय आधारित उपचार पद्धति

वातावरणीय कारकों द्वारा होने वाली अस्वस्थता,ता एवं लाक्षणिक रूप से दिखने वाली समस्याओं जैसे-बुखार, सर्दी, खांसी, अपचन, पेट दर्द, सिर दर्द, कमजोरी, घाव, हड्डी जोड़ आदि रोगों का उपचार वानस्पतिक औषधियों एवं जीव-जंतुओं के अंश के माध्यम से किया जाता है (Sharma, 2015)।

इस उपचार पद्धति में जड़ी-बूटियाँ लाने का विशेष दिन नहीं होता किन्तु दीपावली, हरेली अमावस्या के दिन जड़ी-बूटी के नाम से अपने आराध्य देव व जंगलदेव का नाम लेकर महुआ, नारियल, पान-सुपाड़ी, पीला चावल भेंट कर आमंत्रित किया जाता है।

सर्वेक्षित ग्रामों में लोक चिकित्सकों को विभिन्न नामों से जाना जाता है

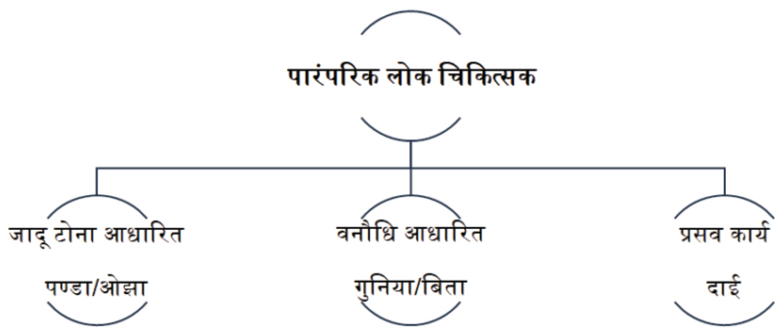

स्रोत : स्वत: सर्वेक्षण पर आधारित

5.2 स्वास्थ्य संब-धी मान्यताएं

आधुनिक सामान्य स्वास्थ्य मान्यताओं की तुलना में जनजातीय स्वास्थ्य मान्यताओं के आधार कुछ भिन्नता रखते हैं। यहाँ केवल पर्यावरणीय कारक ही स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले कारक नहीं माने जाते हैं अपितु इनके साथ दैवीय कारक जैसे देवी-देवताओं के प्रकोप या भूत-प्रेत सम्बन्धी मान्यताएं भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्हीं सब के आधार पर विभिन्न रोगों या व्याधियों का वर्गीकरण किया जा सकता है।

5.2.1 पर्यावरणीय मान्य ताएं

जनजातीय समुदायों का मानना है कि कुछ रोग जैसे जुकाम, साधारण बुखार, अपचन आदि कुछ ऐसी व्याधियाँ हैं जो कुछ समय या सीमित दिनों के लिए व कभी-कभी पूर्णकालिक भी होती हैं जो प्रकृति संतुलन (गृहों आदि का प्रभाव) व वातावरण से संतुलन (ताप, ठण्ड, वर्षा आदि) बिगड़ने व भोजन संबंधी अनियमितताओं के कारण होती हैं।

5.2.2 सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएं

जनजातीय समुदाय के लोग रोग एवं रोगाणु के लिए रूढ़ीवादी धार्मिक कारकों को भी उत्तरदायी मानते हैं।

5.2.2.1 देवी-देवताओं का प्रकोप

सतपुड़ा अंचल के जनजातीय समुदायों का यह मानना है कि ग्राम देवता, ठाकुर देवता,खैर माई आदि देवताओं के प्रकोप से ग्राम में संक्रामक रोग का सामना करना पड़ता है।

सतपुड़ा मैकल जनजातीय समुदायों के अनुसार रोग संक्रमण के उत्तररदायी कारक

क्र.	बीमारी या रोग का नाम	उत्तरदायी कारक
1	सामान्य बुखार	वातावरणीय कारक (ताप, दाब, वर्षा आदि में बदलाव)
2	दीर्घावधि बुखार	देवी-देवता, पूर्वज देव का प्रकोप, जादू-नजर
3	डायरिया, दस्त	अपचन, टोना-टोटका
4	सर्दी- जुकाम, खांसी	वातावरणीय कारक
5	जन्मजात विकृतियाँ	निषेधों का उल्लंघन, प्रेतों का प्रभाव
6	त्वचा रोग	ग्राम देवी-देवताओं का प्रकोप
7	महामारी	ग्राम देव का प्रकोप, जादू
8	गर्भपात	टोटका, कुलदेवता का प्रकोप
9	पागलपन, मिर्गी	ग्रहों का प्रभाव, भूत-प्रेत लगना
10	बच्चों की अस्वस्थता	नजर लगना,वातावरणीय कारक, माता का खान-पान
11	नपुंसकता	कुलदेव का कूपित होना

स्त्रो त - स्वत: सर्वेक्षण पर आधारित

5.2.2.2 औषधीय उपादान

यह जनजातियाँ औषधीय घटकों का उपयोग विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार हेतु करती हैं (Rai, 2012), जो कि निम्न प्रकार हैं

क्र.	औषधियां	वृक्ष एवं उनकी जड़ें
1	छोटे पौधे एवं झाड़ियां	अजारी, फुड़हल, भेलवा, जंगली हल्दी, करील, हडजोड़, करमता, तिल, धतूरा, अमरबेल, गांजा, गोखरू, दूधी, हिरनखुरी, कलिहारी, सफेद गुंज आदि।
2	वृक्ष	आम, अर्जुन, महुआ, गरूड़, नीम, बेल, साल, इमली, हर्रा, बेहड़ा, देव सियाड़ी, धावड़ा आदि।
3	कंदमूल	तालमूली, पीतकंद, छिंद कंद, कांदाड़ी कांढ़ा, केऊकंद, लाट कांदा, गोरस कांदा आदि।
4	मसाले	काली हल्दी,लहसुन, कालीमिर्च, मिचीगोटी, अदरक, प्याज आदि।

स्त्रोलत - स्वत: सर्वेक्षण पर आधारित

5.3 रोग निवारण हेतु जनजातीय समुदाय में प्रचलित दिशा-निर्देश

सतपुड़ा-मैकल अंचल में पाये जाने वाली जनजातीय समुदाय के लोगों को शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता या रोगों से बचाव हेतु ग्राम स्तर पर सामाजिक नियमानुसार दिशा-निर्देश दिये जाते हैं (Verma, Shah, 2014)। इनकी मान्यतानुसार दिशा-निर्देशों के परिपालन में त्रुटि या उल्लं घन करने पर विभिन्न प्रकार की शारीरिक व मानसिक व्या धियों का सामना करना पड़ता है।

1) ग्राम देवी-देवताओं जैसे-बूढ़ा देव, ठाकुर देव, वन देवता, बूढ़ी माई, कानी डोकरीआदि के प्रति विश्वास, श्रद्धा रखना चाहिए एवं विशेष अवसरों पर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करना चाहिए।
2) विवाह संबंध स्थापपित करते समय गोत्र नियमों व सामाजिक मान्यताओं का परिपालन करना साथ ही कुल देव, गोत्र देव या पूर्वज देव की पूजाअर्चना कर धार्मिक कर्मकांड करना आवश्यक है।
3) सामाजिक-धार्मिक तौर पर ग्राम के चिन्हित स्थान विशेष, कुछ घोषित वृक्ष के पास न जाना, टोने-टोटके से संबंधित पुरूष व महिला से सावधान रहना, भूत-प्रेत की आशंका वाले स्थान पर न जाने की सलाह दी जाती है।
4) चोरी न करना, अकारण अन्य व्यक्तियों को कष्ट, या पीड़ा न पहुँचाना आदि।
5) प्रकृति से संतुलन जैसे ग्रहों के प्रभाव से बचना, गर्भवती स्त्री को पूर्णिमा व अमावस्या के दिन सावधान रहना, अत्या धिक ताप-ठण्ड से बचाव आदि बनाए रखना।

रोग-निवारण के क्रम में औषधियों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किये जाने वाले यत्नों की भी महत्वपूर्ण भूमिका जनजातीय समाज में प्रचलित रही है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडला के प्राचार्य श्री आर एस वरकडे से एक संक्षिप्त वार्ता में इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी। (उल्लेखनीय है कि श्री वरकडे के पिताजी एवं अन्य पूर्वज जनजातीय चिकित्सा से जुड़े रहे हैं)। उन्होंने बताया कि चिकित्सा के क्रम में बाधित व्यक्ति या रोगी के कुछ समय पूर्व के अनुभव या घटनाओं को जाना जाता है (संभवतः किसी असामान्य घटना की जानकारी के लिए), इसके बाद निश्चित समय पर उसे औषधियां दी जाती हैं और आवश्यकता होने पर उसकी झाड़-फूँक भी की जाती है। विशेष परिस्थितियों में गाँव की मेढ़ों को खोलने एवं बाँधने की क्रियाएं की जाती हैं जिससे व्याधि पहुँचाने वाली शक्तियों को गाँव से बाहर

निकाला जा सके। इसके साथ विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों और धार्मिक पूजाओं के आयोजन के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई ।

निष्कर्ष

वस्तुतः जो भी पद्धतियाँ जनजातीय समाज के द्वारा अपनाई गई हैं और वर्तमान प्रचलन में हैं उनके प्रभावों के बारे में अधिकांश जनजातीय समाज पूर्णतः आश्वस्त देखे जाते हैं। यद्यपि अब दूरस्थ क्षेत्र में भी आधुनिक चिकित्सा पहुँच चुकी है किन्तु पूर्ववर्ती विश्वास अभी तक अपना स्थान बनाये हुए हैं और लोगों द्वारा इन्हीं परंपरागत पद्धतियों को प्राथमिकता भी दी जाती है। जनजातीय लोग अपनी दिन-प्रतिदिन की छोटी-मोटी बीमारियों और बड़ी बीमारियों का इलाज अपने परम्पदरागत तरीकों से करते हैं। स्वदेशी जनजातीय चिकित्सा को अन्य चिकित्सा प्रणालियों के साथ जोड़ने के लिए एक नई कार्यनीति विकसित करने की जरूरत है। जनजातीय लोगों के चिकित्सा संबंधी औषधीय पौधों से संबंधित इस परम्परागत ज्ञान को पुस्तकबद्ध कराने, इसका मानकीकरण करने और इसे उपचार की एक स्वतंत्र प्रणाली के रूप में मान्यता दिलाने के लिए व्यवस्थित प्रयास करने की जरूरत है। स्थानीय जनजातियों खासकर परम्परागत रूप से इलाज करने वालों को प्रशिक्षित करने और परश्रमिक लेकर लोगों का इलाज करने का उत्तरदायित्व इन जनजातियों को सौंपा जा सकता है।

अभी तक यह पुरातन चिकित्सा पद्धतियाँ वैज्ञानिक अनुसन्धान से उपेक्षित रही हैं और इन्हें प्रायः अन्धविश्वास ही माना गया है। जनजातीय क्षेत्र में किये गए भ्रमण और वार्ताओं से ऐसा प्रतीत होता है कि एक यह पद्धतियाँ न तो पूर्णतः वैज्ञानिक हैं और न ही पूर्णतः अंधविश्वास। यदि इन चिकित्सा पद्धतियों को केंद्र में रख कर शोध कार्य को प्रोत्साहन दिया जाये तो जनजातीय चिकित्सा का वास्तविक स्वरुप प्रकाश में आएगा एवं उसकी वैज्ञानिकता भी स्पष्ट होगी।

संदर्भ सूची

सुन्दरम, श्री (2023). ज्ञान सम्पंदा, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।

कुमार, प्रमीला एवं शर्मा, श्रीकमल (2021). मध्य,प्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।

यादव, नीतू (2019). मध्य, प्रदेश की गोंड जनजातियों की ऐतिहासिकता एवं संस्कृति का अध्ययन, श्रृंखला एक शोधपरक वैचारिक पत्रिका, 6(8)।

Chakma, Tapas and et. al. (2009). Nutritional status of Baiga-a primitive tribe of Madhya Pradesh, The Anthropologist 11(1), 39-43.

महाजन, संजीव (2012). भारत में जनजातीय समाज, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस।

बंजारे, अजीत कुमार (2014). बैगा और गोंड जनजाति में जादू एवं जादू क्रियाए, Research Journal Humanities and Social Sciences, 5 (04) 454-458.

सिंह, अल्का (2018) बैगा जनजाति में प्रचलित चिकित्सा पद्धति, IJCRT, 6(02).

Sharma, K.R. et. Al. (2015). Socio-economic & household risk factors of malaria in

tribal areas of Madhya Pradesh, central India, IJMR Indian Journal of Medical Research, 141(5): 567-575

Prasad, Shatrughan (2022). Traditional Healthcare Practices among Tribes : A Study of Mandla District in Madhya Pradesh, Indian Journal of Traditional Knowledge, 21(4).

Rai, Rajiv (2012). Ethnobotanical Studies on Korku Tribes of Madhya Pradesh, Forestry Bulletin, 12(2).

Verma, M. K. and Shah, Alka, (2014). Health Tradition and Awareness: A Perspective on the Tribal Health Care Practices, Social Research Foundation, 2(2) 82-91.

Mendaly, S., A Study of Living Megalithic Tradition Among the Gond Tribes, District – Nuaparha, Odisha, Ancient Asia, 6(9) 1-6.

Gohil, Neeraj (2019). Potential and Planning for Tribal Tourism in India: A Case Study on Gond Tribes of Madhya Pradesh State, India, Scholedge International Journal of Multidisciplinary & Allied Studies, Vol 6(8).

Premi, J.K., and Mitra, Mitashree (2012). Dwelling and Drinking Water among the Baiga Tribe of Chhattisgarh, Research Journal of Humanities and Social Sciences 3(4), 436-440.

समाज में विकास की संभावनाएँ: विशेष संदर्भ- रामकथा और कृष्णकथा

प्रो. रेनू सिंह*

सारांश

सामाजिक विकास की गति अत्यंत धीमी, निरंतर और अग्रगामी है। यहाँ अग्रगामी का मतलब कोई भी समाज अपने अतीत के गौरवबोध से खुश भले ही हो सकता है किन्तु उसका समाज उस दिशा में न बढ़कर सदैव अग्रगामी ही होता है। आज हम भले ही अपने ऐतिहासिक गुप्तकाल और साहित्यिक भक्तिकाल को स्वर्णकाल की संज्ञा से अभिहित करें किन्तु; जब कोई हमें उन्हीं जीवन मूल्यों के साथ जीने की बाध्यता करता है तो हमारा समाज उसको न स्वीकार कर, विरोध के रास्ते को अख़्तियार करने की कोशिश करता है। ईरान, अफगानिस्तान तथा तुर्किए की समकालीन घटनाओं से इसे समझा जा सकता है। इसके बरक्स प्रत्येक काल के कुछ मूल्यगत विचार सदैव जीवंत और ग्रहणीय होते हैं। यहाँ जीवंत का मतलब हर काल और परिस्थिति में ऐसे मूल्यों की प्रासंगिकता बनी रहती है। राम और कृष्ण काव्य में ऐसे जीवंत मूल्यों की संख्या अनगिनत है। भाई का भाई के प्रति, पुत्र का माता-पिता के प्रति तथा पत्नी और पति का एक-दूसरे के प्रति कर्तव्यबोध हम रामकथा में देख सकते हैं। इसी प्रकार जब अपने ही परिवार के बीच युद्ध जैसी स्थिति बने उस स्थिति में हमारे कर्तव्य, प्रेम और राज्य के बीच समन्वय आदि जैसे मूल्य हमें कृष्णकथा में देखने को मिलते हैं। कृष्ण का संपूर्ण जीवन संघर्षमय रहा है। ऐसी स्थिति में भी कृष्ण के चित्त पर सदैव चिंता की किंचित लकीर भी न होकर स्मित मुस्कान हमें संघर्ष के समय धैर्य और प्रसन्नता की शिक्षा देती है।

बीज शब्द : सामाजिक विकास, रामकथा, कृष्णकथा, मानव मूल्य, संघर्ष और सफलता

प्रस्तावना

महात्मा गाँधी के अनुसार,"जो मनुष्य यह कहता है कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वह धर्म को नहीं जानता, ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होता और न ही ऐसा कहने में मैं अविनय करता हूँ।" (गाँधी, 1960, पृष्ठ सं. 324) महात्मा गांधी के उपर्युक्त कथनानुसार जब हम भारतीय चिन्तन परंपरा पर हम गहरी दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि 'धर्म' पूरे भारतीय जीवन दर्शन में न केवल समाहित और स्वीकृत है बल्कि हमारे चार पुरूषार्थों में शीर्षस्थ भी है। हमारे यहाँ धर्म का कोई एक आशय, अर्थ अथवा परिभाषा भी सर्वमान्य नहीं, यह तो कर्त्तव्य, अधिकार एवं गुणधर्म के साथ प्रयोग में लाई जाने वाली शक्ति के रूप में चिन्हित किया गया था। अर्थात व्यवस्था में जो नियम है वही धर्म है। किंतु अतीत पर दृष्टि डालने पर हम पाते हैं कि जब मुगलों एवं अन्य बाह्य आक्रमणकारियों का इस देश में आगमन हुआ तो वह अपने साथ-साथ अपने 'मजहब' और 'रिलीजन'को भी लेकर आये और उनके प्रचार-प्रसार को भी अपने एजेंडे में रखा। यहीं से देखा जाए जो 'मजहब' रिलीजन के समांतर 'धर्म' का प्रयोग भी किया जाना दिखाई देने लगता है। इसे एक निश्चित विचारधारा के साथ जोड़े जाने के प्रयासों मेंभी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है।

---

*प्रोफ़ेसर ,हिन्दी विभाग, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, (म. प्र.)

नतीजा यह है कि आज धर्म को भी 'मजहब' या रिलीजन के समानार्थी ही स्वीकार किया जा चुका है। बात को और पुष्ट करने हुए श्री भगवान सिंह के शब्दों में कहें तो, "सच कहें तो 'धर्म' के साथ आधुनिकता ने जैसा दुर्व्यवहार किया है, वैसे भारतीय दर्शन से जुड़े किसी शब्द के साथ नहीं किया। इस्लाम के साथ 'मजहब' शब्द का और 'ईसाइयत' के साथ 'रिलीजन' शब्द का यहाँ आगमन हुआ, तो धर्म का प्रयोग इन दोनों के पर्यायवाची के रूप में किया जाने लगा, बिना यह सोचे समझे कि धर्म का स्वरूप- वही नहीं है जो 'मजहब' या रिलीजन का है। आज जिसे हिन्दू धर्म कहा जाता है, उसका न 'बाइबिल' या 'कुरान' की तरह कोई एक धर्म ग्रंथ है न ईसा मसीह या हजरत मुहम्मद की तरह एक व्यक्ति विशेष उसका प्रवर्तक है। यही नहीं, ऐसी कोई एक निश्चित, बंधी-बंधाई उपासना पद्धति भी नहीं है जिसका अनुगमन करना हिन्दू धर्मावलम्बियों के लिए अनिवार्य हो। यहाँ पूरी छूट है कि कोई ब्रम्ह याईश्वर को निराकार, अव्यक्त माने या साकार व्यक्त माने। कोई काली दुर्गा को शक्ति स्वरूप मानकर उपासना करते हुए पशु बलि में विश्वास करता है तो कोई वैष्ठाव मत को महत्व देते हुए अहिंसात्मक उपासना पद्धति को श्रेयस्कर मानता है। कोई अपने कर्म को ही धर्म मानता है, तो कोई परमार्थ को" (सिंह,2015,पृष्ठ-266-67)।

स्पष्ट रूप से कहें तो हमारे यहाँ धर्म जीवन से जीवन के लिए जीवन द्वारा संचारित होने वाली अत्यन्त गहरी गूढ़ सतत निरंतर प्रवाहमान प्रक्रिया है जिसकी अभिव्यक्ति किसी एक सूत्र पुस्तक या पैगंबर के सहारे नहीं की जा सकती। श्री भगवान सिंह ने अपनी पुस्तक 'तुलसी और गाँधी' में पं. चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी' के धर्म सम्बंधी विवेचन का जो उल्लेख किया है वहध्यान देने योग्य है, "हम यहाँ पर कह देना चाहते है किमत या सम्प्रदाय के अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग करना भी हमने अधिकतर विदेशियों से ही सीखा है, जब विदेशी भाषाओं में 'मजहब', 'रिलीजन' शब्द यहाँ प्रचलित हुए, तब भूल से या स्पर्धा से हम उनके स्थान में धर्म शब्द का प्रयोग करने लगे परंतु हमारे प्राचीन ग्रंथों में, जो विदेशियों के आने से पूर्व रचे गये थे, कही पर भी 'धर्म' शब्द मत, विश्वास या सम्प्रदाय के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ,उनमें सर्वत्र स्वभाव और कर्त्तव्यइन दो ही अर्थो में इसका प्रयोग पाया जाता है। प्रत्येक पदार्थ में उसकी जो सत्ता है, जिसको' स्वभाव' भी कहते हैं, वही उसका धर्म है। जैसे वृक्ष का धर्म 'जड़ता' और पशु का धर्म पशुता कहलाती है। ऐसे ही मनुष्य का धर्म 'मनुष्यता' है" (सिंह, 2015, पृष्ठ- 67)। यह तो हुआ सामान्य धर्म, अब रहा विशेष धर्म, इसी का दूसरा नाम कर्त्तव्य भी है। यदि राजा राजधर्म का, प्रजा प्रजा धर्म का, स्वामी प्रभुधर्म का, सेवक सेवा धर्म, स्त्री स्त्रीधर्म का तथा गृहस्थ गृहस्थधर्म का साधन न करे तो फिर संसार में न कोई मर्यादा रहे, न व्यवस्था। संसार में शांति और व्यवस्था तभी रह सकती है, जब प्रत्येक मनुष्य कर्त्तव्य के अनुसारअपने-अपने धर्म का पालन करे। अतएव इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं कि धर्म ही संसार की प्रतिष्ठा का कारण है।

धर्म के संबंध में अपनी अवधारणा को स्पष्ट करने के पश्चात हमें विषय के प्रथम सोपान पर समाज में विकास की संभावनाओं की नब्ज टटोलने से पूर्व अपने समय को अपने समय की चुनौतियों एवं समय के वैश्विक परिदृश्य के बहुस्तरीय आयामों पर देखना परखना व समझना होगा। क्योंकि समय की पहचान और चुनौतियों के बरक्स ही नायकत्व की निर्मित होती है। आज एक ओर इतिहास के पुनर्लेखन की संभावनाएँ व्यक्त की जा रही हैं तो दूसरी ओर इसका पुरजोर विरोध करते हुए उसे राष्ट्रवाद का जामा पहनाये जाने की बातें भी की जा रही हैं। निःसंदेह इक्कीसवीं सदी के वर्तमान समय में वैश्विक धरातल पर हम भूमण्डलीकरण के गहरे गिरफ्त में है। भूमण्डलीकरण के समस्त अवयव नव-उदाहरण या उदारीकरण, निजीकरण, विनिवेशीकरण आदि के प्रभावों से विश्व का कोई भी देश अछूता नहीं रह गया है। देश के लगभग समस्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मूलभूत परिवर्तन तेजी से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन, जीवन-

मूल्य, जीवन-शैली में निरंतर गिरावट के साथ परिर्वतन जारी है। यह परिर्वतन राष्ट्रीय जीवन स्तर पर धर्म, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति और तकनीकी आदि सभी क्षेत्रों में कमोवेश अपने पैर पसार रही है। एक ओर हम सूचनाओं के ढेर पर खड़े 'ग्लोबल विलेज' की घोषणा कर अंतरिक्ष विजय का उद्घोष करने को उतावले हुए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर मध्ययुगीन आक्रामकता के साथ धार्मिक कट्टरता अपने पैर पसारती दिख रही है। धर्मयुद्धों के बदले स्वरूप ने वैश्विक स्तर पर अपने अलग-अलग त्रिकोणों का निर्माण कररखा है, जिससे आज कोई भी देश अछूता नहीं है। ये चुनौतियाँ जितनीआंतरिक हैं, उतनी बाह्य भी हैं। विडंबना यह है कि जिन वैश्विक शक्तियों के समक्ष सभी समस्याओं के माध्यम हेतु उम्मीद लगाये बैठे हैं, संघर्षों के सूत्रधार भी वहीं आस-पास ही हैं।

वर्तमान समय के वैश्विक परिदृश्य पर गहरी दृष्टि डालने पर यह स्पष्ट होने लगता है कि पिछले दो तीन दशकों में भूमण्डलीकरण के बढ़ते प्रभाव के साथ उसी गति से कुछ और भी बढ़ा है तो वह है- धार्मिक आकामकता। आज धर्म,रिलीजन,मजहबविश्व राजनीति के केन्द्र में है। 21 वीं सदी में धर्म की उपयोगिता व सार्थकता को लेकर विमर्श चल रहे हैं। वर्तमान समय की विसंगति यह है कि एक तरफ तो हम उत्तर आधुनिक, उत्तर औद्योगिक सभ्यता के पायदान पर चढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी ओर जन संवेदना में हमारा कद दिन-प्रतिदिन घटता जा रहा है। यह लोकतंत्र और राज्य अंततः किसके लिए है? प्रश्न यह भी है कि वर्तमान व्यवस्था का विकल्प क्या है? आज देश जिन व्यवस्थागत दोषोंके मकड़जाल में उलझा है, जिनमें भ्रष्टाचार, परिवारवाद, बाजारवाद, बहुराष्ट्रीय निगम, पूँजीवाद, एकाधिकारवाद आदि इसके बेहद संवेदनशील विषय हैं। इससे हमें कैसे मुक्ति मिले? इस पर हम कह सकते हैं कि न्यायपूर्ण तथा विषमतामुक्त समाज की संरचना ही मनुष्य का स्वप्न है। रामायण काल हो अथवा महाभारत काल चेतना सम्पन्न मनुष्य अपने निजी दुख,संताप, शोक, अन्याय जैसी परिस्थितियों से अनादि काल से संघर्षरत है। इसी क्रम में राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, मार्क्स, लेनिन तथा गाँधी जैसे महानायकों का अपना दाय भी अक्षुण्ण है। इन्होंने धर्म, त्याग, करूणा, दया, स्वतंत्रता, समानता, अहिंसा, न्याय, सहिष्णुता आदि को ही हथियार (अस्त्र) बनाकर अपने-अपने समय की परिस्थितियों पर न केवल विजय प्राप्त किया; बल्कि व्यवस्था परिवर्तन में भी प्रभावशाली भूमिकाओं का निर्वहन किया। किन्तु आधुनिक समय में विषमतामुक्त तथा समतायुक्त समाज का स्वप्न खण्डित और अनुत्तरित ही है। इस पर हमारे समय के वरिष्ठ पत्रकार और समाज विज्ञानी रामशरण जोशी के विचार उल्लेखनीय हैं- "वास्तव में,धर्म की सत्ता का रहना राजनीति की सीमाओं व विफलताओं को अवश्य उजागर करता है। ऐतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक राजनीति, धर्म की सत्ता को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकी? इस प्रश्न का एक उत्तर यह ही हो सकता है कि राजनीति और राजनीतिज्ञ मानवता को ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था देने में नाकाम रहे हैं जो धर्म से अधिक उजली, निर्मल, संवेदनशील मानवीय, विषमतायुक्त और समावेशी हो" (जोशी,2017,पृष्ठ- 118-119)।

विषय के तीसरे पक्ष के रूप में आज के समय में लोग समाज में विकास की संभावनाओं में रामकथा एवं कृष्णकथा से जीवन दृष्टि ग्रहण करते हैं। भारतीय संस्कृति और दर्शन में धर्म की जो और जितनी भी अवधारणयें रही हैं उनमें सभी के लिए परस्पर स्थान, सौहार्द, सहयोग, अवसर तथा अवकाश रहा है। बहस की पूरी गुंजाइश में हम यहाँ- 'वादे-वादे जायते तत्व बोधः' चर्चा से ही सच्चाई तक पहुँच सकते हैं। रामकथा पर बात शुरू करनेसे पहले 20वीं सदी के महानायक महात्मा गाँधी के जीवन के केन्द्र में जो भारतीय चिन्तन दिखाई देता है वह तुलसी का 'नानापुराणनिगमागम' से होकर ही गाँधी तक पहुंचतादिखाई देता है। प्रो. गोपेश्वर सिंह अपनी चर्चित आलोचनात्मक पुस्तक 'भक्ति आंदोलन और

काव्य' में स्पष्ट स्वीकारते हैं कि,''महात्मा गाँधी के प्रिय ग्रंथों में 'रामचरितमानस' भी था। स्वतंत्रता संग्राम और जीवन संग्राम की लम्बी और बहुआयामी लड़ाई लड़ते हुए 'मानस' उनका बड़ा सम्बल रहा। 'रामराज्य की अवधारणा उन्हें यहीं से ही मिली...यह उनके निर्गुण 'सुराज' का ही सगुण संस्करण था, जिसमें सभी धर्मों,जातियों के लिए समानता का यूटोपिया था। बाबा रामचन्द्र दास ने अवध में किसान आदोंलन का संचालन करते हुए 'मानस' का ही सहारा लिया। वह लोंगों को सचेत बनाने और शोषकवर्ग का चेहरा उजागर करने के लिए 'मानस' के ही दोहे-चौपाइयों की नयी-नयी व्याख्याएं करते थे" (सिंह, 2017, पृष्ठ-124)।

यद्यपि अनेकों रामकथा को लेकर शोध अनुसंधान लगभग 300 से अधिक संख्या में विविध आयामों में उपलब्ध हैं। आगे बढ़कर देखें तो राम भी तुलसी के आराध्य नहीं, वह 'राम के चरित्र' को महत्व देते हैं। इसलिए उनकी रचना रामचरितमानस है। तुलसी ने राम के माध्यम से मनुष्य के चरित्र में सदाचार स्थापित करने का प्रयास किया है। कारण यह कि तुलसी केवल कवि, भक्त या साहित्यकार ही नहीं थे। इसके साथ ही वहअपने समय की राजनीतिक, सामाजिक स्थिति के गहरे पारखी, धर्म, नीति आदि पक्षों के सरोकारों से गहरा जुड़ाव रखने वाले समस्त लोक मंगल की भावना से ओत-प्रोत चेतस मानस थे। गाँधी भी केवल राजनीति व्यक्ति नहीं थे। उनकी राजनीति सामाजिक सरोकारोंकेपूर्तिकी माध्यम थी। जीवन जगत के समस्त सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को सहेजते हुए व्यष्टि से समष्टि की ओर चलने का मार्ग थी। यही वह आधारभूत समानता है जो आधुनिक युग के गाँधी को मध्यकाल के तुलसी से प्राणवायु प्रदान करती है। जब तुलसी उद्घोष करते हैं-

''तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। साहस सुकृत्य सत्य वचन, राम भरोसो एक'' (शास्त्री. (संपा),1955, पृष्ठ- 82)।

इस पर मुक्तिबोध की पंक्तियों का स्मरण हो आता है- "आस्था कर्म को उत्सव कठिनाई को उल्लास बना देती है"। तो गाँधी और तुलसीदोनों राम के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अडिग आस्था और भरोसा ले कर चलते हैं। उनके राम तो मर्यादा पुरूषोत्तम, प्रजा-वत्सल हैंजो परहित सरिस धर्म नहीं, 'पर पीड़ा सम नहीं अधमाई' में आस्था रखते हैं। तुलसी की रामकथा प्रजा के दुःख को राजा का नरकवास का कारण मानती है। उनके राम 'कलिमल' का हरण करने वाले दुखी-पीड़ित, पतित जनों का उद्धार करने वाले हैं, जो अन्याय, शोषण, अत्याचार करने वालों के प्रबल विरोधी हैं। वह ऐसी 'रामकथा' की स्थापना करने वाले हैं जहाँ के समस्त स्त्री-पुरूष-वर्ण, वर्ग, लिंग, सम्प्रदायगत विभेदों से मुक्त, सुखी, सम्पन्न और स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। तुलसी के जननायक राम ने मानव समाज को दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्त करने में जिन कथा मूल्यों का सहारा लिया; गाँधी ने भी मानव समाज के संकटों से निपटने में उन्हीं मूल्यों का वरण और संवर्द्धन किया। जिसकी स्वीकरोक्ति स्वंय गाँधीकरते हैं - "भगवत गीता और तुलसीदास की रामायण से मुझे अपार शक्ति मिलती है। दुनिया के अन्याय धर्मों के प्रति आदर भाव होते हुए भी मेरे ह्रदय पर उनका उतना असर नहीं होता जितना कि श्री कृष्ण की 'गीता' और तुलसीदास की रामचरितमानस का होता है''(सिंह, 2015, पृष्ठ-282)।

मनुष्य रूप में राम जो भी कुछ लीला करते हैं, चाहे वह राजा, पति, भाई योद्धाव शासक के रूप में,वह आदर्श संतुलन एवं मर्यादा का पर्याय है। यही कारण है कि जो हमारा आम सामान्य भारतीय समाज का जीवन है;वह अपने जीवन में हर कदम पर तुलसी को उद्धृत करता है। जिसका उल्लेख विश्वनाथ त्रिपाठी करते हैं- ''तुलसी की कविताओं में भूख, महामारी, रोग, गरीबी, बेरोजगारी है, उसका कन्सर्न बार-

बार आएगा। भूख, महामारी और रोग इससे तुलसी के राम का प्रमुख प्रयोजन है।...जो लोग हाशिए पर हैं, वंचित, शोषित, दलित हैं, वे लोग तुलसी के राम के सरोकार हैं"(यादव,2014,पृष्ठ- 45)।

लगभग 6000 साल पहले जो कहानियां घटित हुईं, आज की दृष्टि से उनमे तथ्य नहीं कथ्य महत्व रखता है। सवाल यह है कि हम आज इस देश में राम की पूजा क्यों करते है? उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। राजा बनना उनका अधिकार था। 17 या 18 वर्ष की अवस्था में उनका राज्याभिषेक हो गया। उसके कुछ समय के अदंर ही उन्हें जंगल भेजा दिया गया। यह उन्हें राज्य, सत्ता और हर चीज से बाहर निकालने जैसा था। इन्ही चीजों से कोई व्यक्ति टूट सकता था, किन्तुउन्होंने जीवन की कठिनाइयों को ही अपनी सफलता का आधार बनाया। जबलंका का राजाउनकी पत्नी का अपहरण कर ले जाता है। वह एक राजा के पुत्र हैं, बहुत सारीस्थानीय स्त्रियां उनसे विवाह के लिए तैयार हो जातीं। किन्तुवह उनकी खोज में भारी-भरकम सेना के साथ नहीं, वह और उनके भाई आम आदमी की तरह जाते रावण को जीतकर अपनी पत्नी को वापस लाते हैं और इससे पहले किवह सामान्य जीवन जीने लगे; एक वर्ष के लिए हिमालय में प्रायश्चित करने जाते हैं। उनसे लक्ष्मण पूछते हैं, उस आदमी ने आपकी पत्नी चुराली, आप उसकी हत्या के लिए प्रयाश्चित करने जा रहें हैं? राम उत्तर देते हैं किरावण के 10 मूल स्वभाव थे उनसे से 9 भयानक गुणों को मारने के लिए मुझे कोई पश्चाताप नहीं, मगर वह एक महान भक्त भी था और मैनें एक महान भक्त को मारा है। इसलिए राम ने एक साल का प्रयाश्चित भी किया।

उनकी पत्नी गर्भवती है। एक राजा की पत्नी का गर्भवती होने का मतलब केवल बच्चे की बात नहीं है। वह उसके साम्राज्य का उत्तराधिकार है। मगर एक बार फिर ऐसी राजनैतिक स्थिति पैदा हुई जब उन्हें अपनी पत्नी को जंगल भेजना पड़ा। जैसे आज हमारे देश में बहुत तरह की चीजे हैं, हम जानना चाहते हैं कि क्या आप इस देश के लिए ऐसा नेता चाहते हैं, जो देश को अपने परिवार एवं नीजी प्रेम से ऊपर रखे? या धृतराष्ट्र चाहते हैं कि जो यह कहे कि किसी भी कीमत पर मेरा ही बेटा राज्य के काबिल है? आप एक ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं, जो अपने देश के नागारिकों की अपने परिवार से ऊपर रखता है? यह सीता, राम केलिए सिर्फ एक स्त्री नहींथीं, उन्होंने जाकर उनके लिए युद्धलड़ा। वह सीता के लिए जी रहे थे। मगर फिर भी गर्भावस्था में उन्हें फिर से जंगल भेज दिया। यह जानते हुए कि यह उनके राज्य का भविष्य हो सकता है। वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है, जिसमें राम एक धोबी के ताना मारने पर सीता को जंगल भेज देते हैं। यह एक धोबी की बात नहीं है। आप इन चीजों का शाब्दिक अर्थ लेते हैं कि एक धोबी ने कहा। यहां कहनेका मतलब है कि आम लोग यह चीजें कह रहे थे। अर्थात आम जनता कह रही थी कि वह ऐसी स्त्री को राजमाता के रूपमें नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। एक राजा के रूप में राम यह कह सकते थे कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं; कि आप क्या सोचते हैं। मुझे अपनी पत्नी से प्रेम है और मैं उन्हें अपने साथ ही रखूँगा। तब वह एक अच्छे राजा, अच्छे प्रशासक नहीं होते, इसलिए उन्होंने अपनी प्रजा को अपने प्रेम से ऊपर रखा।

जब कृष्ण की बात की जाती है तो उनके बारे में कई गलत फहमियाँ सामने आती हैं। जब हम कृष्ण कहते हैं तो ज्यादातर लोग मक्खन,बांसुरीया गोपियों के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि मक्खन में उनकी रूचि सिर्फ बाल्यकाल तक ही थी। और गोपियों का साथ किशोरावस्था तक ही था। 16 वर्ष की उम्र में जब उनके गुरू संदीपनी ने उनको जीवन का उद्देश्य की समझदी तो सबसे पहले उन्होंने वृन्दावन को छोड़ा। उसके पश्चातवहना ही अपने रिश्ते-नातेदरों से और न ही बाल-सखाओं से मिलने दुबारा वृन्दावन गए। आज जब हम राधे-कृष्ण कहते हैं तो राधा कृष्ण से पहले आती हैं। क्योंकि उनका प्रेम,

उनकी संवेदनात्मक समझ, उनकी प्रेमलीला ने इस पूरे उपमहाद्वीपकी सांकृतिक कल्पना में इस तरह जगह पायीहै कि हम कृष्ण-राधे नहींबल्कि;राधे-कृष्ण ही कहते हैं। 16 वर्ष की उम्र मेंही कृष्ण-राधा ने एक दूसरे को अंतिम बार देखा। फिर कभी वह एक-दूसरे को नहीं देख पाए और न ही कृष्ण ने दुबारा बांसुरीही बजाई। 16 से 21 वर्ष की उम्र तक उन्होंने ब्रम्हचारी का जीवन जिया। उसके बाद उनका पूरा जीवन राजनितिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया का मिलनकराने में समर्पित था। लेकिन इसका अंत तबाही के साथ हुआ। उन्होंने हर संभव कार्य किया। इन विषयों पर बात नहीं की जाती कि उन्होंने उत्तरी भारत के मैदानों में लगभग 1000 आश्रम बनवाया, क्योंकि वह आध्यात्मिक प्रक्रिया को अलग विषय वस्तु नहीं बनाना चाहते थे। वह इसे जीवन का हिस्सा बनाना चाहते थे। उस समय की राजनीतिक प्रक्रिया को आध्यात्मिक बनाना उनका लक्ष्य था। साफ है कि उन दिनोंकी राजनीति लोकतांत्रिक नहीं थी। इसलिएउन्होंने सोचा कि अगर शासकों तक आध्यात्मिकता पहुंचे तो फायदा स्वभाविक रूप से जनमानस को मिलेगा। जो लोग दूसरों के जीवन को संभालते हैं या प्रभावित करते हैं- राजा या अन्य प्रशासनिक पदों पर बैठे लोग ऐसे लोग जब कोई कार्य करते हैं तो उससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं। जब आपके पास ऐसी जिम्मेदारी हो तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक अच्छी स्थिति में हों। आप क्या सोचते और महसूस करते हैं, वह एक ऐसे भीतरी स्थान से आना चाहिए जो लोगों की खुशहाली के लिए काम करे। अगर हम एक सीमित नजरिये से देखते हैं तो हर विचार जो मैं पैदा करता हूँ, हर भावना जो हमारे अंदर पैदा होती है, उससे लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित होगा। इसलिए उन्होंने सिर्फ शासकों पर ध्यान दिया। दुर्भाग्य से वह इसमें भी सफल नहीं हुए जिसका परिणाम हमें महाभारत के युद्ध के रूप में देखने को मिलता है जिसमें एक पूरी पीढ़ी समाप्त हो गयी, फिर भी हम उनकी पूजा करतेहैं। हर वह चीज जो वह रचना चाहते थे उसमें उन्हेंसफलता नहीं मिली। एक चीज जो वह हर हाल में रोकना चाहते थे वह था कुरूक्षेत्र का युद्ध। लेकिन वह इतिहास का भयंकर युद्ध रहा और वह खुद एवं उनके परिजन इसमें लड़े और मारे गये।पर इन सबके बीच जो सबसे महत्वपूर्ण था वह था उनका आनंदित रहना। इन सबके बीच होकर भी उससे अछूता रहना। इसलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। एक भयंकर सच्चाई जो उनके बीच ही घटित हो रही थी,एक भयंकर नाटक जो उनके आसपास हो रहा था और वह इससे अछूतेरहे। क्या ऐसा आप भी कर सकतेहैं? क्या आप अपना जीवन जागरूक होकर चला सकते हैं? या जब जीवन आपको परेशान करेगा तो आप अमानुष हो जायेगें, पशु हो जायेगें? आप दुनिया का कौन सा मुकाम हासिल करेगें? यह कई सच्चाइयों पर निर्भर करता है। क्या आप एक सफल मनुष्य हैं? यह एक सवाल अगर आप सफलता से संभाल पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि सही अर्थ में आपने राम- कृष्ण को सूक्ष्म स्तर पर समझ पाये हैं। डॉ. राम मनोहर लोहिया का वक्तव्य उपर्युक्त विवेचना के लिए एकदम सटीक बैठता है। "ऐ भारत माता हमें शिव का मस्तिष्क दो, कृष्ण का हृदय दो तथा राम का कर्म और वचन दो। हमें असीम मस्तिष्क और उन्मुक्त हृदय के साथ-साथ जीवन की मर्यादा से रचो।"

निष्कर्ष

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राम और कृष्ण दोनों अपने जीवन के कई पड़ाव में लगभग संघर्ष हुए भी आज जनता के हृदय में संघर्ष और कठिनाई के समय प्रेरणा-स्रोत के रूप में निवास करते हैं। उनका यह संघर्षमय जीवन ही मानव जगत में विकास की संभावनाओं के अनेकों द्वारा खोलता-सा प्रतीत होता है। उनके जीवन का कठिन संघर्ष मानव जगत को संघर्ष और कठिनाई के बीच सफलता के द्वार की झाँकी के समान अनुकरणीय लगता है।

संदर्भ सूची

गाँधी,महात्मा.(1960) मेरे सपनों का भारत. अहमदाबाद : नवजीवन मुद्रणालय,पृष्ठ-324)
सिंह, श्रीभगवान. (2015).तुलसी और गाँधी.नई दिल्ली : सामायिक प्रकाशन,पृष्ठ-266-67
सिंह, श्रीभगवान. (2015).तुलसी और गाँधी. नई दिल्ली : सामायिक प्रकाशन,पृष्ठ- 66
जोशी, रामशरण. (2017).21वीं सदी की चुनौतियाँ और लोकतंत्र की वैचारिकी. नई दिल्ली : अनामिका प्रकाशन,पृष्ठ- 118-119
सिंह, गोपेश्वर. (2017).भक्ति आन्दोलन और काव्य. नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन, पृष्ठ-124
शास्त्री, टेकचंद. (संपा.). (1955).पुष्प पराग.नई दिल्ली : भारती सदन, पृष्ठ- 82
सिंह, श्रीभगवान. (2015).तुलसी और गाँधी. नई दिल्ली : सामायिक प्रकाशन,पृष्ठ सं.- 282
यादव,लक्ष्मण. (2014).तुलसीदास : आज के आलोचकों की नजरमें. नई दिल्ली : स्वराज प्रकाशन,पृष्ठ- 45

आधार ग्रंथ

द्विवेदी, हजारी प्रसाद. (1989). सूर साहित्य.नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन
सिंह, डॉ. योगेन्द्र प्रताप (2001). श्री रामचरित मानस सप्तम सोपान.इलाहाबाद : लोकभारती प्रकाशन
श्रीवास्तव, परमानन्द.(2000). सूरदास मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन. इलाहाबाद : अभिव्यक्ति प्रकाशन
तिवारी, बलराम. (1999).सूर की काव्य चेतना.इलाहाबाद : अभिव्यक्ति प्रकाशन
सिंह, उदयभानू. (सपां.). (2002).तुलसी. नईदिल्ली : राधाकृष्ण प्रकाशन
गुप्त, माता प्रसाद. (2002). तुलसीदा.इलाहाबाद : लोकभारती प्रकाशन
सिंह, योगेन्द्र प्रताप. (1994).तुलसी के रचना सामर्थ्य का विवेचन. इलाहाबाद : लोकभारती प्रकाशन
मेध, रमेश कुन्तल. (2007).तुलसी आधुनिक वातायन से.नई दिल्ली : राधाकृष्णप्रकाशन
सिंह,डॉ. वासुदेव.(संपा.). (1999).तुलसीदास. इलाहाबाद : अभिव्यक्ति प्रकाशन
प्रसाद,दिनेश्वर. (2002). फादर कामिल बुल्के. नई दिल्ली : साहित्य अकादमी
मेधा. (2014).भक्ति आंदोलन और स्त्री विमर्श. नई दिल्ली : अनामिकाप्रकाशन

सामाजिक चेतना का कवि धूमिल

अंकिता सिंह*
डॉ. जितेन्द्र कुमार सिंह**

सारांश

धूमिल ने संघर्षपूर्ण जीवन यापन किया तथा सामाजिक विसंगतियों का अवलोकन सतही तौर पर किया। मानवीयता से संबंध रखने वाले धूमिल को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक,कुरीतियों तथा रूढ़ियों के प्रति आक्रोश एवं क्रोध था। प्रस्तुत लेख में धूमिल के द्वारा सामाजिक, राजनीतिक विसंगतियों पर कविता के द्वारा किए गए प्रहार का आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है।

'प्रौढ़ शिक्षा','अकाल दर्शन' में धूमिल के व्यंगात्मक रुप से किसान अशिक्षा के कारण वंचना, गरीबी की पीड़ा लोगों के विखरते चरित्र और मानवीय छल को प्रस्तुत किया गया है। धूमिल का काव्य मानवीय चेतना में परिवर्तन एवं उसे जागृत करती है जिससे समाज में वंचितों को उनका हक मिल सके तथा मानव सामाजिक संतुलन की अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके।

बीज शब्द : सामाजिक समस्या, राजनीतिक द्वंद, मानवीय विसंगति , प्रतीकात्मक संघर्ष, सामाजिक चेतना

प्रस्तावना

धूमिल साठोत्तरी कविता के सबसे चर्चित कवि रहे हैं। धूमिल सातवें और आठवें दशक के सर्वश्रेष्ठ और वर्तमान कविता के प्रतिनिधि तथा आधुनिक हिन्दी काव्य जगत के अक्कड़ व फक्कड़ कवि माने जाते हैं। धूमिल एक संवेदनशील साहित्यकार रहे हैं। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम में पूँजीवादी शोषण व्यवस्था में राजनेताओं का पर्दाफाश किया।

धूमिल की कविताओं में आम आदमी की भूख, दुःख और शोषण के चित्र प्रमुख रहे हैं। धूमिल का जन्म 9 नवम्बर 1936 ई. में वाराणसी के पास खेवली गांव में पं. शिवनायक पाण्डेय के घर एक सामान्य परिवार में हुआ।

धूमिल जनकवि हैं उन्होंने जनतंत्र, संसद, आजादी, प्रशासन व सरकार तथा समाज में व्याप्त विषयों पर कविताए लिखी है। वस्तुतः सामाजिक विकृतियों व वैभवपूर्ण स्थितियों के प्रति निराला और मुक्तिबोध ने जिस आक्रोश को व्यक्त किया था उसी स्वर व परंपरा को धूमिल ने आगे बढ़ाया। धूमिल समकालीन कविता के सर्वाधिक चर्चित कवियों में से एक हैं। निश्चय ही उनकी कविता की कुछ ऐसी चारित्रिक विशेषतायें हैं जो उन्हें इस काव्य धारा का एक उपलब्धि पूर्ण कवि बनाती है।

धूमिल अपने समय के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं से सीधे मुठभेड़ करते है और अपने आक्रोश एवं विद्रोह को व्यंग्यात्मक लहजे में उद्धेलित करने वाली पंक्तियों के माध्यम से

*शोधार्थी, हिन्दी विभाग, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.)
**सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.)

व्यक्त करते हैं। वे कविता के माध्यम से सामाजिक जीवन को उसके नग्न यथार्थ के साथ प्रत्यक्ष करने का दुस्साहस करते दिखलाई देते हैं। धूमिल के काव्य के आलोचकीय अध्ययन से पता चलता है कि उनकी कविता में दुनिया जितनी ठोस है, उतनी ही ठेठ और बेबाक भी। अपनी श्रेष्ठ उपलब्धि में वह समकालीन सच्चाई पर कोई मद्धिम रोशनी डालकर संतुष्ट नहीं हो जाती है, बल्कि निर्भीकता और विश्वास से सच्चाई को उभारती भी है।

धूमिल की कविता में सामाजिक चेतना का स्वर :

धूमिल कविता के समकालीन संदर्भ में कहते हैं कि-

"अब उसे मालूम है कि कविता
घेराव में
किसी बौखलाये हुए आदमी का
संक्षिप्त एकालाप है"(धूमिल,2019, पृ.12)

कविता का पाठ आज की विषय परिस्थितियों के तेज बदलाव के साथ बदलता तो है लेकिन अन्ततः प्रभावहीन हो जाता है, उसकी धार कुंठित हो जाती है। उन्होंने कहा है-

"लगातार बारिश में भीगते हुए
उसने जाना कि हर लड़की
तीसरे गर्भपात के बाद
धर्मशाला हो जाती है और कविता
हर तीसरे पाठ के बाद।"(धूमिल,2019, पृ.11)

धूमिल ही हर तरह के प्रतिरोध करने के लिए अकेले ही खड़े होते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। जनतंत्र में यद्यपि अकेले आदमी की कोई आवाज नहीं होती लेकिन फिर भी कविता की शक्ति लेकर कवि को अकेले ही षडयंत्रकारियों के विरूद्ध खड़ा होते है। उनकी कविता बार-बार समाज के बीच पल रहे अपराधियों के प्रति सचेत करती हैं, वे कबीर की तरह सरे बाजार खड़े होकर जनवादी चेतना का विगुल फूंकते हैं। जनता के हितों और भावनाओं से खेलने वालों पर धूमिल बड़ा प्रहार करते हैं। वे समाज के यथार्थ सर्जक हैं। वे ऐसे जन सामान्य आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अंधेरे से त्रस्त हैं।

"वह बहुत पहले की बात है
जब कहीं किसी निर्जन ने
आदिम पशुता चीखती थी और
सारा नगर चौंक पड़ता था
मगर अब-
अब उसे मालूम है कि कविता
घेराव में
किसी बौखलाए हुए आदमी का
संक्षिप्त एकालाप है।"(धूमिल,2019,पृ.12)

धूमिल ऐसे रचनाकार हैं, जो दिनकर की तरह आह्वान नहीं करते कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है बल्कि जनता की ओर से चुने गये सांसदों से निर्मित संसद को अपने शब्दों के नुकीले हथियार से आहत करते हैं। प्रजातंत्र पर धारदार कविताएँ लिखने की अगुवाई धूमिल ने की और पाठक को आपने व्यंग्यात्मक चित्रों के माध्यम से सजग किया। यथा

"कविता
भाषा में
आदमी होने की तमीज है।"(धूमिल,2019,पृ.86)

आज भारत की जनता अपनी विवशताओं में जीने के लिए अभिशप्त है। प्रजातंत्र से कुछ लोग मालामाल हो रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो भूख से बेहाल हैं। 'अकाल दर्शन' कविता में धूमिल कहते हैं 'आजादी और गांधी के नाम पर जो मुहावरे उछाले जा रहे हैं, उनसे न तो जनता की भूख मिट रही है और न मौसम बदल रहा है। लोग बिलबिला रहे हैं और छाल खा रहे है तथा अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं', धूमिल इसका राज समझते हैं और एक ही परिस्थिति एवं व्यवस्था में होने वाले भिन्न-भिन्न परिणामों की ओर इशारा करने के बिम्बप्रस्तुत करते हैं-

"और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के
सामने खड़ा हूँ और
उस मुहावरे को समझ गया हूँ
जो आजादी और गाँधी के नाम पर चल रहा है
जिससे न भूख मिट रही है न मौसम
बदल रहा है
लोग बिलबिला रहे है (पेड़ों को नंगा करते हुए)
पत्ते और छाल
खा रहे है
मर रहें है,
दान कर रहें हैं।"(धूमिल,2019,पृ.19)

धूमिल गरीब की पीड़ा के यथार्थ की ओर उतना ध्यान नहीं देते जितना उनके कारणों की खोज करने की कोशिश करते हैं। वे लिखते हैं किगाँवमें गरीबी का मुख्य कारण आलस, कलह एवं तटस्थता है-

"मेरे गाँवमें
वही आलस्य, वही ऊब
वही कलह, वही तटस्थता
हर जगह और हर रोज
और मैं कुछ नहीं कर सकता
मैं कुछ नहीं कर सकता।''(धूमिल,2014,पृ.106)

सामाजिक जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है लेकिन शिक्षा का सही महत्व और प्रचार-प्रसार न होने की कारण गाँवों में अभी भी किसान अशिक्षित हैं वे 'प्रौढ़ शिक्षा' शीर्षक कविता में जनशक्ति की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए धूमिल कहते है कि किसान जिसे सच्चा पृथ्वीपुत्र माना जाता है, जो संसार का अन्नदाता है, ये सब ऊँची-ऊँची संज्ञाएँ उसे ठगने के लिए ही बनाई गई हैं उसकी अशिक्षा, निरक्षरता, शोषकों के गलत इरादों से उसे अपरिचित रखती है जो वर्ग स्वयं नंगा रहकर दुनिया को ढकना चाहता है, वह अपना हस्ताक्षर करने की भी योग्यता न रखे तो आजाद देश के लिए कितना शर्मनाक है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर एक बड़ा व्यंग्य है।

प्रकृति के साथ पूरी तरह से घुले-मिले, अपनी खेतऔर खलिहान के प्रति पूर्ण-निष्ठा के साथ जुड़े लोग यद्यपि आगे आने वाले खतरों के प्रति किंचित आगाह हो रहे हैं। हर बात के समर्थन में हाथ उठाकर हाँ-हाँ करना किसानों के हित में नहीं है, जमीनी सच्चाई से जुड़कर साक्षर होकर दुनिया को बदलने का संकल्प लेने का समय आ गया है धूमिल ललकारते हुए कहते हैं-

''तनो
अकड़ो
अमरबेलि की तरह मत जियो
जड़ पकड़ो
बदलो-अपने-आपको बदलो
यह दुनिया बदल रही है
और यह रात है, सिर्फ रात
इसका स्वागत करो
यह तुम्हें
शब्दों के नये परिचय की ओर लेकर चल रही है।''(धूमिल,2019,पृ.50)

'मकान' शीर्षक कविता में धूमिल ने लोगों के टूटते हुए स्वप्नों, गरीबी, घुटन का जीवन्त चित्रण किया है। वे अक्सर मकानों की बात करते है जिनकी छतें कबूतर की बीट से मैली हो गयी है, जिनके आंगन में धूप कभी नहीं जाती जिनके शौचालयों में खासी ही किवाड़ों की काम करती हैं। जहाँ बूढ़े और जवान लडकियाँ खाना-खाने के बाद अंधें हो जाती हैं बच्चे अंगूठा चूसते हैं और नौजवान लोग रोजगार दफ्तरों का चक्कर काटते हैं, ऐसे मकानों की आड़ में ऐसे लोग भी रहते है जो दूसरों को नमक की ढेले की तरह गला देते हैं। मकान जब खूबसूरत कमरा बनने लगता है अर्थात् गरीब आदमी जब थोड़ा ऊपर उठने की चेष्टा करता है तब उसकी हत्या कर दी जाती है।

धूमिल ने सामाजिक जीवन की अनेक विसंगतियों, विडम्बनाओं को भाषा के नये मुहावरे में ढालने का प्रयास किया है। इन्होने कवियों, कविताओं पर भी विमर्श किया है। आज नफरत के अंधे कोहराम में सैकड़ों कविताएँ दफन कर दी जाती हैं। धूमिल प्रायः भाषा के अभिजात्य व्याकरण को तोड़ते दिखलाई देते हैं। चौधरी के बहाने धूमिल यह मानते हैं कि कवि के जीवन और कविता के जीवन में फर्क नहीं होना चाहिए। कवि जीवन के यथार्थ की तलाश में जंगलों, वेश्यालयों, गंजेड़ियों, भंगेडियों, अघोरियो इसी तरह न जाने कितनी अनुचित जगह में भटकता है और स्वयं को मिटाकर ऐसी कविता लिखता है जो लहू उगलती है और कवियों की अगली पीढ़ी को नये ढंग से सजग करती है।

धूमिल की कविता में मानवीय संवेदना के आधार पर परिवर्तन

बदलते सामाजिक परिवेश में कुछ चालाक लोग दूसरों पर अधिकार जमाने के लिए अपने मन से सामाजिक नियमों का गठन किये है आज भी यह स्वार्थी लोग आम जनजाति वर्ग के आधार पर खुलेआम शोषण करते हैं। हिंदी साहित्य में स्वतंत्रता के समय पूरा साहित्य दमन के विरुद्ध लिखा गया। आपातकाल के समय तो जनवादी लेखकों को जेल में बंद कर दिया गया। मगर उनकी हिम्मत को नहीं तोड़ सके केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, त्रिलोचन आदि कवियों ने अपनी सूझबूझ से मानवीय मूल्यों को जीवित रखने के लिए कलम चलाई ऐसे ही युवा कवियों में धूमिल प्रथम स्थान पर है। वे वर्तमान पूंजीवाद व्यवस्था में त्रस्त मानव मूल्यों की जगह वर्गहीन समाज की कल्पना करते हैं।

कवि कविता के माध्यम से गांव के महाजन का शोषक रूप और शहरों के रईसों का खोखला चेहरा समाज के सामने खोलता है। कवि की कविताओं में जहां गांव को लेकर खीज आक्रोश घुटन और उनसे अमुक्ति की आवाज है वही वहां के लोगों के प्रति सहानुभूति है-

वहां ना जंगल है ना जनतंत्र
भाषा और गूंगेपन के बीच कोई
दूरी नहीं है।
एक ठंडी और गांठदार उंगली माथा टटोलती है।
सच में डूबे हुए चेहरों और
वहां दरकी हुई जमीन में
कोई फर्क नहीं है। (धूमिल, 2014,पृ. 87)

ग्रामीण परिवेश हो या शहरी जीवन समस्त समाज के सामने रोटी एक प्रमुख समस्या है। आजादी तो सिर्फ कागजों पर है आम जनता की समस्या तो पहले से ज्यादा और बढ़ गई। जनता जिसे अपना नेता चुनती है वे तो स्वार्थी और नीच निकले हैं जो जनता की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। इसलिए कवि क्रांति की भूमिका समाज में तैयार करना चाहते हैं। कवि 'भूख' कविता में लिखते है –

वह आटे की शीशा।
चावल की सिटकी
गाड़ी की अदृश्य तक बिछी हुई रेल
कोशिश की हर मुहिम पर
मैं तुम्हें खोलूंगा फिश-प्लेट की तरह
बम की तरह दे मारूंगा तेरे ही राज पर
बीन कर फेंक दूंगा
मेहनतकश की पसलियों पर तेरा उभार बदलाव को साबित करता है
जैसे झोपड़ी के बाहर नारंगी के सूखे छिलके बताते हैं
अंदर एक मरीज अब
स्वस्थ हो रहा है
ओ क्रांति की मुंह बोली बहन

जिसकी आतों में जन्मी है उसके लिए रास्ता बन। (धूमिल, 2019, पृ. 114)

यहां कवि समस्त समाज को जागृत करने का प्रयास करता है कवि को अब झोपड़िया में क्रांति की लहर दिखाई दे रही है। अब समस्त समाज अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गया है अब ए क्रांति ही समाज में परिवर्तन लाएगी ऐसा कवि को लगता है। वस्तुतः वे एक ऐसी व्यवस्था के समर्थक हैं जिसमें सभी को खाने-पीने की सुविधा हो आवास हो समुचित चिकित्सा की व्यवस्था हो सबके शरीर ढकने के लिए वस्त्र हो।

वह आस्वस्थ होकर कहते हैं—
अब कोई बच्चा
भूखा रह कर स्कूल नहीं जाएगा
अब कोई छत बारिश में
नहीं टपकेगी
अब कोई आदमी कपड़ों की लाचारी में
अपना नंगा चेहरा नहीं पहनेंगा
अब कोई दवा के अभाव में
घुट घुट कर नहीं मरेगा। (धूमिल, 2019, पृ. 101)

यहां कवि सशक्त समाज का सपना देखा है सभी बच्चों को रोटी के साथ-साथ शिक्षा की सुविधा मिलेगी दवा के अभाव से किसी की भी मृत्यु नहीं होगी विश्वास है कि जिस समाज के लिए वह लड़ रहा है उसमें धीरे-धीरे नव चेतना आ रही हैं।

धूमिल की कविता में श्रमिक का चित्रण

धूमिल साधारण आदमियों के पास सिर्फ दया और करूणा नहीं उपस्थित करते बल्कि उनके रोजमर्रा के संघर्ष का साक्षी बनते हुए उनकी विचारदृष्टि एवं बुनियादी लोगों के प्रति उनकी भावात्मक क्रिया-प्रतिक्रिया को भी अंकित करते हैं। 'मोचीराम' कविता में मोचीराम के बड़प्पन को और उसके जीवन को आंकनेवाली सूक्ष्म दृष्टि को उसकी शब्दावली में अंकित करते हुए वे एक चित्र खीचते हैं-

"राँपी से उठी हुई आँखों ने मुझे
क्षण-भर टटोला
और फिर
जैसे पतिआए हुए स्वर में
वह हंसते हुए बोला-
बाबू ! सच कहूँ - मेरी निगाह में
न कोई छोटा है
न कोई बड़ा है
मेरे लिए,हर आदमी एक जोड़ी जूता है
जो मेरे सामने

मरम्मत के लिए खड़ा है।''(धूमिल,2019,पृ.40)

जिस तरह मुक्तिबोध 'फैंटेसी' का प्रयोग करने में सिद्धहस्त है, उसी तरह धूमिल भाषा के भदेसपन में भी गम्भीर सत्य को प्रत्यक्ष कर देने की कला में सिद्धहस्त है। चरित्र और स्वभाव को उसके व्यापक आयाम में भाषा के विविध प्रयोग द्वारा रूपायित करने की कला धूमिल की रचनात्मक विशिष्टता है। बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए अपराध को कितनी कुशलता से वे सांकेतिक भाषा में व्यंजित करते हैं, उनक इस प्रश्न का जवाब कि भूख कौन उपजाता है? कोई नहीं देता बल्कि उनकी कविता ही देती है-

''उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर
नहीं दिया।
उसने गलियों और सड़कों और घरों में
बाढ़ की तरह फैल हुए बच्चों की ओर इशारा किया
और हंसने लगा।''(धूमिल,2019,पृ.18)

धूमिल की कविताओं में आज के मनुष्य केजीवन का सीधा साक्षात्कार है और परिवेश में निरंतर घटित होने वाले जटिल संदर्भों की भी सटीक प्रस्तुति है। धूमिल को कविता की रचना के दौरान अपने आसपास के धेराव का पूरा ज्ञान है। जिसमें मनुष्य की भीषणता और यांत्रिकता भी शामिल है।

'मोचीराम', 'उस औरत की बगल में लेटकर', 'पटकथा', 'जनतंत्र के सूर्योदय में' और 'प्रौढ़ शिक्षा' जैसी कविताओं में धूमिल की बौद्धिक विचारणा के साथ भावनात्मक संतुलन को सहज ही खोजा जा सकता है। धूमिल का काव्य अपने समय का यथार्थ और विश्वसनीय दर्पण है।

धूमिल की सबसे लम्बी और महत्वपूर्ण कविता 'पटकथा' है। इस कविता में परिवेश की व्यापकता तो है ही, उन तमाम स्थितियों के संगत-असंगत संदर्भों का नियोजन भी है जो भारत देश के हर परिदृश्यउन्हें जनतंत्र, त्याग, स्वतंत्रता, संस्कृति, शांति और मनुष्यता वेमानी से लगते हैं जहाँ भेड़ और भीड़ में आदमी की अस्मिता और अस्तित्व नहीं हैं।

''कुहरा और कीचड़ और कांच से
बना हुआ...
एक भेड़ है
जो दूसरों की ठंड के लिए
अपनी पीठ पर
ऊन की फसल ढो रही है।''(धूमिल,2019,पृ.105)

कवि की चेतना में पूरा प्रजातंत्र उसका विखराव और उससे उत्पन्न एवं प्रेरित मानव स्थिति का यथार्थ चित्रण है। कविता की सार्थकता उसके सामाजिक होने में है। कविता हमें आदमियत सिखाती है। इसमें समूचा सामाजिक परिवेश है। संसद, जनता संविधान और प्रजातंत्र के थोथे और कामचलाऊ सिद्धांतों के प्रति विद्रोह है। मोचीराम की सफलता का रहस्य भी यही है कि उसमें वर्तमान परिवेश पर व्यंग्य है। निश्चित रूप से धूमिल का काव्य अपने समय का यथार्थ और विश्वसनीय दर्पण प्रतीत होता है। धूमिल की कविता बनावटी मूल्यों और तथाकथित विशिष्ट समाज के चरित्र को उजागर करती है। सामाजिक

विकृतियों और पतन को चित्रित करने के लिए उनकी कविता बेजोड़ है। उनकी निगाह में साहित्य बदलाव का चित्रण करता है। एक विशिष्ट समाज और उत्कृष्ट समाज के लिए वातावरण निर्मित करती है कविता जिसमें वर्तमान की परख और भविष्य के सार्थक चित्र होते हैं। कविता धूमिल की सामाजिक सरोकारों से अनवरत जुड़ी हुई है-

धूमिल की कविताओं की व्याख्या करते हुए डा. नन्द किशोर नवल लिखते है- " धूमिल व्यवस्था को बदलना चाहते है लेकिन उसके लिए न अपने को तैयार पाते है न जनता को। स्वभावतः उनका गुस्सा दोनों पर है। 'उस औरत की बगल में लेटकर' कविता में उन्होंने कहा है कि मेरे भीतर एक कायर दिमाग है जो मेरी रक्षा करता है। जनता पर उन्होंने गुस्सा अनेक कविताओं में उतारा है, जो इस बात का सबूत है कि पुराने प्रगतिशील कवियों की तरह उन्होंने जन पूजा नहीं की"।(नन्द किशोर नवल,2004,पृ. 276)

निष्कर्ष

धूमिल अपने व्यवहारिक लेखन मेंसामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक व प्रतिबद्ध थे, यही प्रतिबद्धता उनकी कविताओं में बेबाक रूप से व्यक्त हुई है। एक समाज विज्ञानी की तरह धूमिल का मानना है कि किस तरह से वर्तमान में हो रहे परिवर्तनों के आधार पर भविष्य में सामाजिक सुधार किया जा सकता है और किस तरह से सामाजिक जागरूकता के द्वारा रूढ़िवादिता और कुप्रथाओं को दूर किया जा सकता है। धूमिल ने मानसिक अराजकता के नेपथ्य में छिपे सामाजिक कारणों को अपनी कविता में चित्रित किया है।

धूमिल की काव्य की विशेषता है कि उन्होंने समाज में बढ़ रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाया और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि यहां की जनता को आवश्यकता की भी चीज रोटी, कपड़ा, और मकान भी नहीं मिल रहा है। बड़े-बड़े महानगरों में औद्योगीकरण के नाम पर उद्योगपति मजदूर वर्ग का खुलेआम शोषण कर रहे हैं। आम आदमी की समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ रही हैं वह प्रशासन की गंदी व्यवस्था में पीस रहा है यही कारण है कि किसान अपनी खेती बेचकर शहर में मजदूरी करने के लिए मजबूर है जहां उद्योगपति उनका शोषण करते हैं।इसी शोषण के खिलाफ धूमिल ने आवाज उठाया राजनीति में छाई राजनेताओं की इन निरर्थक नारेबाजी उनकी चरित्रहीनता,सत्ता का लोभ, स्वार्थ परकता, भाई-भतीजा बाद आदि का पर्दाफाश अपनी कविताओं में कवि धूमिल ने किया है। समाज में व्याप्त बेकारी, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं का विरोध भी उनकी समस्त कविताओं में मिलता है

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि धूमिल की कविताओं में यथार्थपरक समाज की अभिव्यक्ति हुई है। वह सामाजिक यथार्थ के श्रेष्ठ कवि हैं।

संदर्भ सूची

धूमिल (2019). (संसद से सड़क तक).नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन (पाँचवा संस्करण).पृ.12

धूमिल (2019). (संसद से सड़क तक). नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन (पाँचवा संस्करण). पृ.11

धूमिल (2019). (संसद से सड़क तक). नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन (पाँचवा संस्करण). पृ.12

धूमिल. (2019). मुनासिब कार्रवाई (संसद से सड़क तक). नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन (पाँचवा

संस्करण).पृ.86

धूमिल. (2019). अकाल- दर्शन (संसद से सड़क तक). नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन (पाँचवा संस्करण). पृ.19

धूमिल. (2014). गाँव में कीर्तन (कल सुनना मुझे). नई दिल्ली: वाणीप्रकाशन.पृ.106

धूमिल. (2019). प्रौढ़ शिक्षा (संसद से सड़क तक). नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन (पाँचवा संस्करण) पृ. 50

धूमिल (2014), खेवली (कल सुनना मुझे) नई दिल्ली: वाणीप्रकाशन, पृ. 87

धूमिल (2019), भूख (सुदामा पाण्डेय का प्रजातंत्र), नई दिल्ली: वाणीप्रकाशन, पृ. 114

धूमिल (2019), पटकथा (संसद से सड़क तक), नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन (पाँचवा संस्करण), पृ. 101

धूमिल. (2019). मोचीराम (संसद से सड़क तक).नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन.पृ. 40

धूमिल. (2019). अकाल दर्शन (संसद से सड़क तक).नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन (पाँचवा संस्करण)पृ. 18

धूमिल. (2019). पटकथा (संसद से सड़क तक).नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन (पाँचवा संस्करण)पृ. 105

नन्द किशोर नवल. (2004). समकालीन काव्य यात्रा.नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन. पृ. 276

आयुष चिकित्सा पद्धतियाँऔर लोक चिकित्सा: एक मानवशास्त्रीय विवेचना

महेंद्र कुमार जायसवाल*

सारांश

पारंपरिक चिकित्सा एवं लोक चिकित्सा कई पीढ़ियों द्वारा विकसित वह ज्ञान प्रणालियाँ होती हैं जो एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली से एकदम अलग तरीके से शारीरिक व मानसिक रोगों की पहचान, रोकथाम, निवारण एवं उपचार करती हैं (विश्व स्वास्थ्य संगठन,2008)। रोगों से छुटकारा पाने के लिए कई तरह की उपचार पद्धतियाँ प्रचलित हैं। सभी चिकित्सा पद्धतियों की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं। इन सभी चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से रोगियों का उपचार करके रोग मुक्त करने का दावा किया जाता है। यही कारण है कि यह सभी चिकित्सा पद्धतियाँ आज भी हमारे समाज में अपना-अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। आज एक ही समाज के ढांचे के भीतर कई चिकित्सा परंपराएं मौजूद हैं और लोग अपनी पसंद के अनुसार इनका उपयोग करते आ रहे हैं। जैसे कि विश्व की प्रमुख पारंपरिक चिकित्सा शैलियों में प्राचीन ईरानी चिकित्सा (ययूनानी), पारंपरिक चीनी चिकित्सा, पारंपरिक कोरियाई चिकित्सा, एक्यूपंक्चर, मुटी (दक्षिणी अफ्रीकी पारंपरिक चिकित्सा), इफ़ा (पश्चिमी अफ्रीकी पारंपरिक चिकित्सा), पारंपरिक अफ्रीकी चिकित्सा व भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ शामिल हैं। भारत में चिकित्सीय ज्ञान के महत्व को ध्यान में रखते हुए कई संस्थाएं इस क्षेत्र में गंभीरता से कार्य कर रहीं हैं। कुछ अग्रणी अनुसंधान संस्थान जैसे कि बोटनिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया, केंद्रीय अनुसंधान परिषद "आयुर्वेद एवं सिद्धा" (नई दिल्ली), केंद्रीय अनुसंधान परिषद "होम्योपैथी" (नई दिल्ली), केंद्रीय अनुसंधान परिषद "यूनानी चिकित्सा" (नई दिल्ली), राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (लखनऊ), क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (जम्मू और कश्मीर 'जोरहाट') इसके अतिरिक्त कई विश्वविद्यालय एवं संगठन जिन्होंने हर्बल दवाओं के ज्ञान में वृद्धी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

बीज शब्द : पारंपरिक, उपचार,वन-औषधि,लोक विश्वास, स्थानीय

प्रस्तावना

आज बाह्य (एलोपैथिक) चिकित्सा की बढ़ती लोकप्रियता के दौर में भी विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद एवं राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, आयुष मंत्रालय आदि उच्च चिकित्सीय संस्थान लोक चिकित्सा पद्धति पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के तहत पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान परंपरागत लोक चिकित्सा को ज्ञान के सभी पहलुओं पर अनुसंधान हेतु विकसित किया जा रहा है। वहीं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर, गुजरात में अप्रैल 2022 में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का पारंपरिक चिकित्सा के वैश्विक केंद्र के रूप में उद्घाटन किया है। पारंपरिक चिकित्सा की दुनिया में यह बड़ा कदम

*शोधार्थी, मानवविज्ञान विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)

माना जा रहा है और भारत इसका अगुआ बनकर उभरा है। हमारी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक है और अब यह अन्य देशों की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ वैश्विक स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में सकारात्मक कार्य करने की ओर आगे बढ़ रहा है (आयुष प्रतिवेदन, 2023)। वर्तमान स्वास्थ्य नीति (2017) में परंपरागत चिकित्सा को इस नीति का एक प्रमुख हिस्सा माना है। इस नीति में विशेष रूप से इस बात पर बल दिया गया है कि नवीन एवं पारंपरिक या लोक चिकित्सा पद्धतियों को समान रूप से महत्व देना होगा क्योंकि इस चिकित्सा पद्धति का धीरे-धीरे ह्रास हो रहा है, इसे संरक्षित किया जाना अतिआवश्यक है। वहीं भारत के संदर्भ में अगर देखें तो एक समय था जब भारत की चिकित्सा पद्धतियाँ विश्व में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बनाए हुए थी। यहाँ की ज्ञान-विज्ञान की परम्पराएं अति समृद्ध थीं। हमारे यहाँ वैदिक युग तथा उससे भी पहले से आस-पास के पर्यावरण यानि जंगल में पाए जाने वाले लताओं, पौधों तथा वृक्षों से उपलब्ध जड़, छाल, लता, पत्ती, फूल, फल एवं बीज के औषधीय गुणों को जानने, समझने तथा उपयोग करने की वैज्ञानिक परंपरा स्थापित की गई थी। उसी के परिणामस्वरूप आयुर्वेदिक, योग एवं प्राणायाम चिकित्सा पद्धति का विकास हुआ। बाद में चलकर भारतीय चिकित्सा व्यवस्था में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी और इसके बाद यूनानी, सिद्धा एवं सोवा-रिग्पा को भी स्थान मिला तथा वह भी भारतीय चिकित्सा पद्धति के अभिन्न अंग बन गए हैं।

आयुष चिकित्सा पद्धति

जब एक स्थान की पारंपरिक चिकित्सा शैली उस जगह के अलावा या अपनी गृहभूमि से बाहर अन्य स्थानों पर भी उपयोग होने लगती है तो उसे महान परंपरा (ग्रेट ट्रेडिशन) वाली चिकित्सा कहा जाने लगता है। इन आयुष चिकित्सा पद्धतियों का देश में लोगों की अलग-अलग प्राथमिकताओं और विश्वास एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के अनुसार चिकित्सा अभ्यास किया जाता रहा है। आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी एवं यूनानी, सिद्धा तथा सोवा-रिग्पा चिकित्सा पद्धतियों का संक्षिप्त नाम ही आयुष है। भारत में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा देशभर में प्रचलित है। सिद्धा चिकित्सा का उपयोग मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु में किया जा रहा है। सोवा और रिग्पा चिकित्सा का उपयोग लद्दाख, लाहौल-स्पिती, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश सहित हिमालय के क्षेत्र में किया जा रहा है जो तिब्बती चिकित्सा पद्धति का ही एक रूप है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्थानीय समाज में स्वयं की अलिखित लोक चिकित्सा पद्धति (लिटिल ट्रेडिशन) भी पाई जाती है। अतः कह सकते हैं कि वर्तमान में एक ही समाज के ढांचे के अन्दर अलग-अलग चिकित्सा पद्धतियां मौजूद हैं। विभिन्न समाज के लोग अपने विश्वास और सुविधा नुसार इन चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करते आ रहे हैं जो निम्नवत हैं-

1. आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति

हमारे देश की यह प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। इस चिकित्सा पद्धति के संबंध में हमें जानकारी आयुर्वेद के चरक सहिंता में मिलती है। यही कारण है कि इस चिकित्सा पद्धति को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जाकर देखने से पता चलता है कि इस चिकित्सा पद्धति के मौलिक एवं व्यावसायिक सिद्धांतों का संगठन एवं प्रतिपादन 1500 B.C. के आसपास हुआ था। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ (आयुर+वेद) आयुर से तात्पर्य जीवन और वेद से तात्पर्य विज्ञान है अर्थात जीवन का विज्ञान (Science Of Life) से है। आयुर्वेद जीवन,

रोग और स्वास्थ्य के बारे में आधारभूत दर्शन की व्याख्या करने वाले विभिन्न वैदिक श्लोकों के आधार पर विकसित हुआ है। अथर्ववेद में 144 ऐसे मंत्रों (श्लोकों) का सूत्रीकरण किया गया है जिनका संबंध विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार से है। आयुर्वेद मनुष्यों के शारीरिक, मानसिक, दार्शनिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक और सामाजिक पहलुओं के बीच पारस्परिक स्वास्थ्य संबंधों के बारे में समेकित अवधारणा पर आधारित है। आयुर्वेदिक पद्धति में तीन तरल पदार्थ माने जाते हैं जैसे वात, पित्त, कफ व गर्म और शीतल के बीच संतुलन को भी महत्त्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि शरीर को ठंडे तथा गर्म दोनों प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है, जब शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, तो जिस पदार्थ की कमी हो गयी हो, उसे खाकर या पीकर उस कमी को दूर किया जा सकता है। जैसे रक्त बह जाने का अर्थ होता है कि शरीर में से गर्मी निकल जाना। इसलिए शिशु को जन्म देने के एक महीने बाद तक स्त्रियाँ मुर्गे का सूप, मदिरा तथा शीसम का तेल पीती हैं क्योंकि यह सभी गर्म "पदार्थ" होते हैं। गर्म पदार्थ अक्सर तेलीय, चिपचिपे होते हैं या फिर पशुओं से मिलते है। शीतल पदार्थ शोरबे वाले, पनियल या पौधों से प्राप्त होते हैं (आयुष प्रतिवेदन, 2023)।

2. योग चिकित्सा पद्धति

योग चिकित्सा पद्धति भी हमारे देश की एक पारंपरिक उपचार पद्धति है जो हजारों वर्ष पुरानी है। प्राचीन समय से ही ऋषि-मुनियों एवं योग आचार्यों द्वारा योग एवं योगासन के महत्त्व को गहराई से समझा गया है तथा इसे संजोकर भावी पीढ़ी को दिया जाता रहा है। योग तथा योगासन को स्वास्थ्य के साथ जोड़ा गया है तथा इसके माध्यम से शरीर के अंगों में आई बीमारियों को दूर करने का प्रयास किया जाता रहा है। योग परंपराओं में 84 आसनों का उल्लेख है। इन आसनों को नियमित रूप से व्यवहार में अपनाने से मन एवं मस्तिष्क को शांति मिलती है और इसमें मस्तिष्क को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। योगासन में मस्तिष्क को जोड़ते समय विभिन्न प्रकार के आसनों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के आसनों से शरीर के विभिन्न अंगों पर दबाव डाला जाता है तथा उसमें उत्पन्न विभिन्न प्रकार के रोगों का उपचार किया जाता है जिससे शरीर के रोग खत्म हो जाते हैं। व्यक्ति दीर्घायु होता है। लेकिन आसान हमेशा योग गुरुओं एवं योग प्रशिक्षुओं के मार्गदर्शन में करना चाहिए अन्यथा इसका प्रतिकूल असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। योग मूलतः आध्यात्मिक है और यह स्वस्थ्य जीवन जीने की कला एवं विज्ञान है जिसमें शरीर व मस्तिष्क के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर बल दिया जाता है। योग का अभ्यास स्वस्थ जीवन शैली के एक भाग के रूप में किया जा रहा है और आज यह आध्यात्मिक धरोहर का एक हिस्सा बन चुका है। वर्तमान में योग अभ्यास पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि इसके आध्यात्मिक मूल्य, इसकी उपचार क्षमता, रोगों के निवारण, स्वास्थ्य संवर्धन तथा जीवनशैली से जुड़े विकारों के उपचार व निदान में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है (आयुष प्रतिवेदन, 2023)।

3. प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति

प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति एक प्राथमिक चिकित्सा पद्धति है जिसके माध्यम से पुरानी से पुरानी बीमारियों को प्रकृति की रोगनाशक शक्ति के उपयोग द्वारा ठीक किया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि हमारा शरीर प्रकृति की रचना है। अतः प्रकृति में रोगों को नाश करने की असीम शक्ति है। अगर प्रकृति की शक्ति का सही ढंग से उपयोग रोगी को ठीक करने के लिए किया जाए तो बीमारियाँ ठीक हो

सकती हैं। इस चिकित्सा में मिट्टी, जल, चंदन, शुद्ध वायु, अग्नि, मधु, फल, फूल, बीज, दूध, दही, घी, तेल इत्यादि के माध्यम से रोगों के उपचार किए जाते हैं। यह सब प्राकृतिक वस्तुएं हैं जिनमें रोगों का नाश करने की असीम शक्ति है। इस शक्ति को पहचानकर रोगी का उपचार किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं उपचार का विज्ञान हैं और यह एक सुस्थापित दर्शन के आधार पर औषध रहित उपचार है। इसकी स्वास्थ्य और रोग की अपनी संकल्पना है तथा इसमें उपचार के सिद्धांत भी हैं। प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान उपचार की एक ऐसी पद्धति है जिसमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्तरों पर प्रकृति के सकारात्मक सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाकर स्वस्थ रहने का समर्थन किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सक शरीर की अपनी ही रोगनाशक शक्ति को जीवित करने तथा सहयोग करने का भरपूर प्रयास करता है। इसके लिए वह अनेक विधियों का सहारा लेता है जैसे कि जल में खड़ा होना, अग्नि के बीच बैठना, शरीर के अंगों को जमीन के अंदर गाड़ना, शरीर पर मिट्टी का लेप लगाना, ललाट पर चंदन का लेप लगाना, खूब जल पिलाना, गोमूत्र पान, विशेष प्रकार का पोषण, पेड़-पौधों से प्राप्त दवा, मधु, नींबू, दही, मट्ठा, दूध, मलाई, मक्खन या घी का दवा के रूप में प्रयोग। प्रकृति से प्राप्त तेलों से मालिश भी की जाती है। होमियोपैथी एवं आयुर्वेदिक दोनों दवाइयों का उपयोग भी कराया जाता है। इसमें सूर्य नमस्कार तथा योग का भी उपयोग किया जाता है (आयुष प्रतिवेदन, 2023)।

4. यूनानी चिकित्सा पद्धति

यूनानी चिकित्सा पद्धति की उत्पत्ति स्थल यूनान देश माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस चिकित्सा व्यवस्था की स्थापना महान वैद्य एवं दार्शनिक हिप्पोक्रेटस (384-322 B.C.) द्वारा की गई थी। इस पद्धति को आगे विकसित करके ले जाने का श्रेय गालेन (130-201,A.D.) को जाता है। मध्यकालीन युग के दौरान भारत में कदम जमाने के पूर्व यह अन्य कई देशों से होकर गुजरी है। यूनान के बाद इस चिकित्सा पद्धति का विकास मिश्र एवं ईरान (पर्शिया) में हुआ था। मिस्त्र सभ्यता में सुविकसित औषधालय हुआ करते थे जहां पेड़-पौधों से बनाई गई दवाइयाँ मिलती थीं। इसमें अधिकांशतः प्राकृतिक जड़ी-बूटियों के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया जाता है और इसमें पशु, समुद्र और खनिज मूल की औषधियाँ भी उपयोग में लायी जाती हैं। वह लोग तेल, मलहम, पाउडर, अल्कोहल इत्यादि के रूप में दवाइयों का निर्माण करते थे। अनेक अरब देशों के मुसलमान शासकों के संरक्षण में यह चिकित्सा पद्धति अत्यंत विकसित अवस्था में पहुँच गई थी। वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपतन, भस्मीकरण, अलकोहलीकरण जैसी औषधीय प्रक्रियाओं का अच्छी तरह से विकास हो गया था। इन प्रक्रियाओं से पेड़-पौधों से बनाई गई दवाओं का परिष्करण किया जाता था।

यूनानी चिकित्सा पद्धति के मौलिक सिद्धांतों के अनुसार हमारा शरीर चार मौलिक तत्त्वों- पृथ्वी, वायु, जल एवं अग्नि से बना है। इन तत्त्वों का स्वभाव अलग-अलग है, जैसे ठंडा, गर्म, शुष्क एवं नम के मिलने से नए तत्त्वों का निर्माण होता है। हमारा शरीर सरल एवं जटिल अंगों से बना है। हमारे शरीर के अंग पोषण, खून, कफ, पित्त जैसे रसों से करते हैं। इन रसों का अपना-अपना विशेष स्वभाव होता है। स्वस्थ रहने के लिए रसों में संतुलन होना अनिवार्य है। संतुलन की स्थिति में हमारा शरीर ठीक रहता है लेकिन जब रसों में संतुलन बिगड़ जाता है तब हम बीमार पड़ जाते हैं। यूनानी व्यवस्था में स्वास्थ्य के संरक्षण पर विशेष बल दिया जाता है। स्वस्थ रहने के लिए छः व्यवहार निर्धारित किए गए हैं- वायु, भोजन, शारीरिक गति, मानसिक गति, नींद एवं जागरूकता, उत्सर्जन एवं प्राप्ति। युनानी चिकित्सा पद्धति में रोगों

का उपचार चार प्रकार की चिकित्सा विधि से किया जाता है जो निम्नवत है- दवारहित उपचार: इस विधि में व्यायाम, मालिश, हम्माम, डूश इत्यादि के माध्यम से रोगों का उपचार किया जाता है। पोषण उपचार: इस विधि में विशेष प्रकार की भोजन सामग्रियों का सेवन करने को कहा जाता है। दवा उपचार: इस विधि में दवा देकर रोगों का उपचार किया जाता है। इसमें पौधों एवं कुछ जानवरों से तैयार की गयी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। कुछ खनिजों से भी दवाओं का निर्माण किया जाता है। शल्य चिकित्सा: इसमें रोगग्रस्त अंगों को चीर-फाड़ करके निकाल दिया जाता है तथा दवा से घाव को ठीक कर दिया जाता है। इसमें एकल या यौगिक विधि का सहारा रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है (आयुष प्रतिवेदन, 2023)।

5. सिद्धा चिकित्सा पद्धति

सिद्धा चिकित्सा पद्धति भारत की सर्वाधिक प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। यह द्रविड़ संस्कृति के साथ अत्यंत निकटता से जुड़ी हुई है। सिद्धा चिकित्सा पद्धति का प्रचलन दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों विशेषकर तमिलनाडु में पाया जाता है। इस व्यवस्था का गहरा संबंध तमिलनाडु सभ्यता से है। इस पद्धति का घनिष्ठ संबंध आयुर्वेदिक पद्धति के साथ है लेकिन इसके बावजूद यह अपना स्वतंत्र एवं अलग अस्तित्व बनाए हुए है। सिद्धा शब्द की उत्पत्ति सिद्धि से हुई है। सिद्धि का तात्पर्य ज्ञान प्राप्ति से है। सिद्धार्स वैसे व्यक्तियों को कहा जाता था जो चिकित्सा, योग एवं तप में सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। जहां तक उपचार प्रक्रियाओं का संबंध है, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के समान सिद्धा चिकित्सा पद्धति भी अष्टांग अवधारणा पर आधारित है। हालांकि इसमें मुख्य रूप से तीन शाखाओं पर विशेष बल दिया गया है, जैसे कि बाल वहाटम (शिशु रोग उपचार), नन जुलूल (विष विज्ञान) एवं नयन विधि (नेत्र विज्ञान)। सिद्धा चिकित्सा व्यवस्था में धातु एवं खनिज आधारित दवाइयों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है- उप्पु (लवणम) : वह दवाइयाँ जो पानी में घुल जाती हैं तथा गर्म करने पर वाष्प बन जाती हैं। पशनम : ऐसी दवाइयाँ जो पानी में नहीं घुलती हैं, लेकिन गर्म करने पर वाष्प बन जाती हैं। उपरासन : यह भी ऐसी दवाइयाँ हैं जैसी कि पशनम, लेकिन इनकी क्रिया भिन्न होती है। रत्न एवं उपरत्न : यह वह दवाइयाँ हैं जिनका निर्माण कीमती रत्न एवं उपरत्न पत्थरों से किया जाता है। लोहम : इन दवाइयों का निर्माण लौह धातु या लौह धातु के अयस्कों से किया जाता है। यह पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन गर्म करने पर पिघल जाते हैं। रसम : ऐसी दवाइयाँ जो मुलायम होती हैं, लेकिन जब गर्म की जाती हैं तब हवा के रूप में प्रकट होती हैं। गंधकम : सल्फर पानी में अघुलनशील है तथा जलने लगता है जब आग के संपर्क में आता है। यह अपने उपचार के लिए रोगी, पर्यावरण, उम्र, लिंग, जाति, आदतों, मानसिक संरचना, निवास स्थान, आहार, भूख, शारीरिक स्थिति, रोगों के शारीरिक क्रिया-विज्ञान के गठन पर ज़ोर देती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग-अलग प्रकृति होती है। रोगों का निदान नाड़ी, मूत्र, आँखों, आवाज़ का अध्ययन, शरीर के रंग, जीभ की जांच और प्रत्येक रोगी की पाचन संबंधी स्थिति को देखकर किया जाता है। सिद्धा चिकित्सा पद्धति भारत के अलावा श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, मॉरीशस तथा इंडोनेशिया के कुछ भागों में प्रचलित है जहां तमिल भाषी लोग रहते हैं। विभिन्न देशों में रह रहे तमिल भाषी प्रवासियों के बीच तमिल दूरदर्शन ने इसकी लोकप्रियता को काफी प्रचारित-प्रसारित किया है (आयुष प्रतिवेदन, 2023)।

6. होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति

होम्योपैथी भी एक चिकित्सा पद्धति है जो विश्व के अन्य देशों के साथ भारत में अपना अस्तित्व

बनाए हुए है। जर्मन चिकित्सक डॉ. सैमुअल हनीमैन ने इस तथ्य की वैज्ञानिक रूप से जांच की और होम्योपैथी के आधारभूत सिद्धांतों को कूटबद्ध किया। होम्योपैथी इस अवधारणा पर आधारित है कि किसी भी रोग की उत्पत्ति मुख्यतः बाह्य कारकों, यथा वैक्टीरिया और विषाणुओं आदि की क्रिया के अलावा किसी व्यक्ति के किसी रोग विशेष से शीघ्र प्रभावित अथवा पीड़ित व्यक्ति के मनःस्थिति पर निर्भर करती है। होम्योपैथी ऐसी औषधियाँ खिलाकर रोगों के उपचार का एक तरीका है, जो प्रयोगों के आधार पर स्वस्थ मानवों पर इसी प्रकार के लक्षण पैदा करने की शक्ति सिद्ध कर चुकी हैं। होम्योपैथी में उपचार जो समग्र प्रकृति का होता है, रोगी के एक विशिष्ट पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया पर केंद्रित होता है। होम्योपैथिक औषधियाँ मुख्यतः पादप, खनिज और पशु मूलक, नोसोडेस एवं सार्कोडेस आदि प्राकृतिक पदार्थों से तैयार की जाती हैं। होम्योपैथिक औषधियों का कोई विषाक्त दुष्प्रभाव नहीं होता है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में प्राकृतिक पदार्थों की अत्यंत सूक्ष्म खुराक द्वारा रोगों का उपचार किया जाता है जिसे होम्योपैथिक दवा के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति की दवाइयों से एक व्यक्ति की प्रतिरोधक व्यवस्थाओं को जाग्रत करने का प्रयास किया जाता है। इस पद्धति में दवा का चुनाव रोगी की क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाता है। अगर ज्यादा खुराक पड़ जाती है तब इसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया भी होती है। सामान्यतः बच्चों की बीमारियों को ठीक करने में होमियोपैथी महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। इसमें गठिया, बहुत दिनों से चली आ रही बीमारियों, मूर्छा रोग, एलर्जी, जैसे रोगों का उपचार किया जाता है। इस पद्धति का सिद्धांत यही है कि अगर रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को दवाओं के माध्यम से दुरुस्त कर दिया जाए तब वह रोग से लड़ने योग्य हो जाएगा तथा धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। इसलिए इसमें अतिसूक्ष्म तत्त्वों का उपयोग कर रोगी की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित किया जाता है। होमियोपैथिक दवाइयों से घाव भी ठीक किया जाता है। रोगी के वजन, आयु, क्षमता इत्यादि को ध्यान में रखकर उतनी ही शक्ति की दवाइयों को दिया जाता है। इसकी दवाइयों का असर धीरे-धीरे होता है तथा रोग को जड़ से खत्म कर देता है। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। इस पद्धति द्वारा रोग को समग्रता एवं स्थायी ढंग से ठीक किया जाता है। इस पद्धति का इतिहास 2000 वर्ष पुराना माना जाता है (आयुष प्रतिवेदन, 2023)।

7. सोवा-रिग्पा चिकित्सा पद्धति

सोवा-रिग्पा तिब्बत सहित हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित प्राचीन उपचार पद्धति है। भारत के हिमालयी क्षेत्र में 'तिब्बती' या 'आमचि' के नाम से जानी जाने वाली सोवा-रिग्पा विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। भारत में इस पद्धति का प्रयोग लेह के लद्दाख क्षेत्र, लाहौल-स्पीति (हिमाचल प्रदेश), सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) में किया जाता है। सोवा-रिग्पा के सिद्धांत और प्रयोग आयुर्वेद की तरह ही हैं और इसमें पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धति के कुछ अंश भी शामिल हैं। सोवा-रिग्पा के पारंपरिक चिकित्सक देख कर, छू कर, एवं प्रश्न पूछ कर उपचार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सोवा-रिग्पा चिकित्सा पद्धति भगवान बुद्ध द्वारा 2500 वर्ष पहले प्रारंभ की गई थी। बाद में प्रसिद्ध भारतीय विद्वानों जैसे कि जीवक, नागार्जुन, वाग्भट्ट एवं चंद्रानंदन ने इसे आगे बढ़ाया है। इसका इतिहास 2500 वर्षों से अधिक का रहा है। सोवा-रिग्पा चिकित्सा पद्धति विश्व की प्राचीनतम जीवंत स्वास्थ्य परंपरा है किंतु हाल ही में मान्यता प्रदान की गई है। सोवा-रिग्पा चिकित्सा पद्धति में जीर्ण रोगों, यथा दमा, अस्थमा,ब्रोंकाइटिस, आर्थराइटिस जैसी पुराने रोगों के लिए प्रभावशाली एवं असरदार उपचार मानी गई है। इस पद्धति में मानव शरीर की रचना में पंच महाभूत तत्वों, विकारों की प्रकृति और

उपचारात्मक उपायों के महत्व पर ज़ोर दिया जाता है (आयुष प्रतिवेदन,2023)।

8. लोक चिकित्सा पद्धति

लोक समाज एवं जनजाति समाजों में प्रचलित लोक चिकित्सा संबंधी सामाजिक-सांस्कृतिक एवं धार्मिक मान्यताओं, रीति-रिवाजों,प्रथाओं,परंपराओं और जादू-टोना एवं अलौकिक विश्वास हमेशा से ही चिकित्सीय मानवशास्त्रियों के लिए बड़ी ही जिज्ञासा व उत्सुकता के विषय रहे हैं। लोक चिकित्सा को परिभाषित करते हुए रिवर्स (1924) ने अपनी पुस्तक 'मेडिसिन,'मैजिक' और 'रिलीजन'में लोक चिकित्सा को स्पष्ट किया है। "लोक चिकित्सा कई मानव पीढ़ियों के द्वारा विकसित वह प्रणालियाँ होती है, जिनके प्रयोग आधुनिक चिकित्सा से भिन्न,शारीरिक, मानसिक, रोग की पहचान और उसके निवारण की प्रक्रिया देशज तरीके से अपनाई जाती है।" वही ह्युग्स (1968) कहते हैं कि "बीमारी से संबंधित वह मान्यताएं और प्रक्रियाएं जो कि स्वदेशी सांस्कृतिक विकास का परिणाम हैं, जो आधुनिक चिकित्सा संबंधी ढांचे से प्राप्त नहीं हुए हैं, लोक चिकित्सा कहलाता है। यह पादप, जैव, व अलौकिक तथ्यों पर आधारित माना जाता है जिनका प्रयोग सामाजिक-सांस्कृतिक व पर्यावरण में तालमेल के साथ संपन्न किया जाता है।" इस संदर्भ में मानववैज्ञानिक लेबान एवंक्लिमेंट्स (1973) का मानना है कि "प्रत्येक जनजाति समूह अपनी पारिस्थितिकी के अनुसार बीमारियों को परिभाषित करती है और उसी के अनुरूप बीमारी का उपचार भी करती है।" वही एक रनैक्ट (1942) का मानना है कि "लोक चिकित्सक अलौकिक शक्तियों को प्रसन्न कर, रोगों का उपचार करते हैं। जहां तक अलौकिक कारणों का प्रश्न है? तो सरल समाज में चिकित्सा विधान अलौकिक शक्ति या घटनाओं की व्याख्या करने की प्रवृत्ति पर आधारित होती है क्योंकि यह बाह्य चिकित्सा से भिन्न होता है। यह सांस्कृतिक पक्ष पर ज़ोर देती है, जैसा कि बाह्य चिकित्सा में नहीं होता है। इसमें लोक समाज का धार्मिक विश्वास एवं अलौकिक पक्ष सम्मिलित होता है, अर्थात यह संस्कृति से प्रभावित होती है।"

प्रत्येक समाज स्वास्थ्य एवं रोग को अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक,पारिस्थितिकी एवं स्थानीय भाषा और पर्यावरण के आधार पर परिभाषित करता रहा है, जिसमें सदियों से लोग औषधीय पौधों, प्राकृतिक वातावरण और अलौकिक शक्तियों का उपयोग करते आ रहे हैं। रुडोल्फ बिको (1848) ने जर्मनी में एक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया जिसमें उन्होंने पहली बार सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों को रोग के कारणों के लिए उत्तरदाई माना है। प्रत्येक समाज बीमारियों की व्याख्या और उनका उपचार अलग-अलग तरीके से करता है क्योंकि इसके साथ-साथ उस समाज विशेष के सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य जुड़े होते हैं जैसे कि भारत में अधिकतर समुदायों में चेचक रोग होने पर इसे 'देवी का प्रकोप' मान कर बचाव के रूप में पूजा संपन्न करते हैं। इस तरह से लोक चिकित्सा पद्धति को ज्ञान, विश्वासों और अभ्यासों के सामंजस्य के रूप में देखा जा सकता है जिसे स्वास्थ्य के रख-रखाव, बीमारियों की रोक-थाम और रोग के उपचार के लिए विकसित किया गया है। लोक चिकित्सा विशेष तौर पर लोक समाज एवं जनजातीय समुदायों में अलिखित स्वरूप व मौखिक परंपरा के रूप में देखने को मिलती है। जब किसी समुदाय के लोगों का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन मुख्य रूप में मौखिक परंपरा अर्थात समुदाय के सदस्यों के सामूहिक स्मरण के द्वारा संचालित होता है तब उसे 'मौखिक संस्कृति' कहा जाता है। यह समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त लोक चिकित्सा के रूप में देखा जा सकता है जो लोक-परंपराओं के माध्यम से विभिन्न धार्मिक विश्वासों एवं रीति-रिवाजों, अनुष्ठानों,निषेधों, टोटम, प्रथाओं व मान्यताओं

आदि के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती दिखाई देती है। इन तथ्यों का प्रयोग प्रत्येक समाज में सामाजिक-सांस्कृतिक एवं धार्मिक विश्वास व पर्यावरण ताल मेल के साथ संपन्न किया जाता है।

स्थानीय चिकित्सा को लोक ज्ञान और प्रथाओं के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है, चाहे वह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रोगों के निदान, रोकथाम या उन्मूलन में प्रयोग किए जाने योग्य हो या न हो। स्थानीय लोग ज़्यादातर इस चिकित्सा पद्धति को प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लोक चिकित्सा के प्रयोग व संपादन हेतु उपचार विशेषज्ञ लगभग प्रत्येक लोक समाज व जनजातीय समुदाय में देखने को मिलते हैं। यह उपचार विशेषज्ञ धार्मिक कृत्यों के संपादन, जड़ी-बूटी प्रदान करने, टूटी अस्थियों को ठीक करने व सर्पदंश से निदान करने हेतु भिन्न-भिन्न हो सकते हैं जैसे कि कोरकू जनजाति में झाड़-फूँक करने वाले विशेषज्ञों को 'पड़ियार','भगटो-डुकरी', कोलाम आदिम जनजाति में 'वैद्यु', बैगा आदिम जनजाति में 'ओझा','गुनिया', भारिया जनजाति में 'भुमका', थारु जनजाति में 'भर्रा', भोकसा जनजाति में 'सयाना', जौनसरी बाबर जनजाति में 'महेश्वर' गद्दी जनजाति में 'चेला', उड़ीसा के पहाड़ी सौरा जनजाति में 'शमन',सहरिया जनजाति में "सियाने" ओरांव जनजाति में 'भगत, पाहन, भक्तिन', पहाड़ी कोरवा आदिम जनजाति में 'देवाईर' व गोंड जनजाति में 'बुम गायता'आदि लोक चिकित्सीय विशेषज्ञों को विभिन्न जनजातियों में अलग-अलग नामों से संबोधित किया जाता है। विश्व के 194 सदस्य देशों में से 170 में कई एशियाई और अफ्रीकी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में 80% तक की आबादी स्थानीय पारंपरिक चिकित्सा का उपयोग अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में करती है। केवल इनउपचारों के काम न करने पर ही बाह्य चिकित्सा का का सहारा लेती है। विश्व में परंपरागत लोक चिकित्सा की महत्ता एवं उपयोगिता इस तथ्य के आधार पर भी आंकी जा सकती है (विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2011)।

निष्कर्ष

जंगल और मनुष्य के बीच घनिष्ठ संबंध रहा है। मनुष्य ने जंगल से खाद्य-संकलन, शिकार, खेती, पशुपालन व ईंधन का ही ज्ञान अर्जित नहीं किया है बल्कि उसने जंगल के पेड़-पौधों के औषधीय गुणों को भी पहचाना है और उनका उपयोग अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए भी किया है। मानव पौधों का उपयोग औषधियों के रूप में प्रागैतिहासिक काल से करता आ रहा है। मानव ने इन वनस्पतियों का प्रयोग अलग-अलग रूपों में किया है चाहे वह औषधियों के रूप में या अन्य खाद्य रूपों में, लेकिन यह कह पाना कठिन है कि मानव ने बीमारियों के इलाज के लिए पौधों का उपयोग कब से किया होगा? शायद कई बार प्रयोग करने से उसे पता चला होगा कि इन वनस्पतियों में प्रयुक्त गुण जो अनेक बीमारियों का उपचार करते हैं वही ज्ञान ही चिकित्सा के रूप में विकसित हुआ होगा। इस संदर्भ में कृपनर (2003) का मानना है कि "लोक चिकित्सा उपचार का अभ्यास एक जटिल बहुविषयक पद्धति के रूप में कार्यरत है, जिसमें सदियों से लोग औषधीय पौधों, प्राकृतिक वातावरण और अलौकिक शक्तियों का उपयोग करते आ रहे हैं।" चिकित्सा का एक लंबा इतिहास रहा है और प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में चिकित्सा का अभ्यास किया जाता रहा हैं। दुनिया भर में मानवजाति ने हमेशा से ही अपने स्वास्थ्य के रख-रखाव और बीमारियों के नियंत्रण से संबंधित अनेकों चुनौतियों का सामना किया है। इसके जवाब में स्वास्थ्य देख भाल या चिकित्सा पद्धतियों की अलग-अलग क़िस्मों को विकसित किया है। प्रत्येक समाज बीमारियों की व्याख्या और उपचार अलग-अलग तरीके से करता है। इस संदर्भ में फोस्टर (1978) का

मानना है कि "लगभग प्रत्येक लोक समुदाय बीमारियों के उपचार हेतु कोई न कोई चिकित्सा पद्धति विकसित कर लेती है और साथ ही सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप व सांस्कृतिक परंपराएँ अपनी स्वास्थ्य स्तर ऊँचा उठाने हेतु विशिष्ट व्यवहार व ज्ञान का विकास भी कर लेती हैं जिन्हें लोक चिकित्सा की संज्ञा दी जाती है।" प्रत्येक समाज स्वास्थ्य एवं रोग को अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक,पारिस्थितिकी एवं स्थानीय भाषा और पर्यावरण के आधार पर परिभाषित करता है।

नृजाति चिकित्सा एक विशेष एवं एक विशिष्ट समाज में एक प्रकार की परंपरागत चिकित्सा का रूप होता है। हर एक समुदाय में पारंपरिक रूप से किसी भी रोग का इलाज करने के लिए कुछ उपचार पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि भारत में आयुर्वेद से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसमें आधारभूत वनस्पतियों से दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। वहीं गाय के घी, दूध व गौ मूत्र से भी औषधियाँ तैयार की जाती है। वैसे ही नीम के पेड़ से, तुलसी के पौधे आदि इन सभी से औषधियाँ तैयार की जाती है। कहीं-कहीं वनस्पति के प्रयोग और कहीं-कहीं पशुओं के जैव से कुछ औषधियाँ तैयार की जाती हैं। इन्ही औषधियों को ही नृजाति औषधि कहा जाता है। यह अलग-अलग स्थानीय जातीय समूहों द्वारा अलग-अलग तरीके से उपयोग किया जाता है, जैसे भारत में अलग तरीके से इस्तेमाल होता है, वैसे ही दूसरे समुदाय में भी अलग तरीके से हो सकती है। वही जनजातियों में अलग तरीके से हो सकती है। यह जो चिकित्सा पद्धति है, यह मौखिक विवरणों द्वारा संरक्षित होती है, जैसे एक पीढ़ी ने बताया कि इस रोग का इलाज यह है तो दूसरी पीढ़ी को यह पता चल गया तो फिर आगे चलकर यह अगली पीढ़ी को बताता है। मौखिक विवरणों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचालित होती रहती है। जैसे- उदाहरण के रूप में आयुर्वेद है तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित हो रहा है यह बहुत पुरानी पद्धति है लेकिन यह आज भी कारगर है और आज भी इसका उपयोग हो रहा है और ऐसे असाध्य रोग हैं जिनका इलाज संभव नहीं था उनका इलाज संभव हो पा रहा है। इसके अंतर्गत और भी पद्धतियां हैं जैसे-आयुर्वेद, यूनानी उपचार पद्धति, होमियोपैथी, आदि। पारंपरिक चिकित्सा ने विकसित दुनिया के साथ अपनी लोकप्रियता बनाए रखी है और वर्तमान समय में इसका औद्योगिक रूप में उपयोग बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए चीन में कुल औषधि का 30 से 50% का उपयोग इस चिकित्सा औषधि के रूप में होता है। वहीं घाना, माली, नाइजीरिया, और जांबिया जैसे देश 60% मलेरिया से पीड़ित बच्चों का इलाज पारंपरिक चिकित्सा के माध्यम से संपन्न करते हैं। सैन फ्रांसिस्को, लंदन और दक्षिण अफ्रीका में एचआईवी एड्स से पीड़ित 70% लोग लोक-औषधि का उपयोग करते हैं। वर्तमान समय में हर्बल दवा का वार्षिक वैश्विक बाजार यूएस 8 बिलियन डॉलर से अधिक है (विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2019)।

संदर्भ-सूची

World Health Organization. (2008). Traditional Medicine Fact Sheet No 134. Available online: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs134/en.

Ministry of Ayush.(2023). Ayush Annual Report. Government of India.

Statement on National Health Policy. (2017). Ministry of Health and Family Welfare. Government of India.

Prativedana, Ayush. (2023). Ayush varshikprativedana. Ayush Mantralaya, New Delhi: Bharat Sarkara. आयुष प्रतिवेदन. (2023). आयुष वार्षिक प्रतिवेदन. आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली: भारत सरकार.

Prativedana, Ayush. (2023). Ayush varshikprativedana. Ayush Mantralaya, New Delhi: Bharat Sarkara. आयुष प्रतिवेदन. (2023). आयुष वार्षिक प्रतिवेदन. आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली: भारत सरकार.

Prativedana, Ayush. (2023). Ayush varshikprativedana. Ayush Mantralaya, New Delhi: Bharat Sarkara. आयुष प्रतिवेदन. (2023). आयुष वार्षिक प्रतिवेदन. आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली: भारत सरकार.

Prativedana, Ayush. (2023). Ayush varshikprativedana. Ayush Mantralaya, New Delhi: Bharat Sarkara. आयुष प्रतिवेदन. (2023). आयुष वार्षिक प्रतिवेदन. आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली: भारत सरकार.

Prativedana, Ayush. (2023). Ayush varshikprativedana. Ayush Mantralaya, New Delhi: Bharat Sarkara. आयुष प्रतिवेदन. (2023). आयुष वार्षिक प्रतिवेदन. आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली: भारत सरकार.

Prativedana, Ayush. (2023). Ayush varshikprativedana. Ayush Mantralaya, New Delhi: Bharat Sarkara. आयुष प्रतिवेदन. (2023). आयुष वार्षिक प्रतिवेदन. आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली: भारत सरकार.

Prativedana, Ayush. (2023). Ayush varshikprativedana. Ayush Mantralaya, New Delhi: Bharat Sarkara. आयुष प्रतिवेदन. (2023). आयुष वार्षिक प्रतिवेदन. आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली: भारत सरकार.

Ackerknecht, E.H. (1942b). Primitive Medicine and Culture Pattern.Bulletin of the History of Medicine, 12(2), 545-574.

Hughes, C. (1968). Medical Care Ethnomedicine. International Encyclopedia of the Social Science,(Ed.). Sills davied L., The Macmillan Co. and theFree Press,10(1), 87-93.

Lieban, R. W.,&Clements, F.E. (1973). Medical Anthropology. In Hand Book of Social and Cultural Anthropology,Edited By J. J. Honigman, Rand McNally College Publishing Co.,1031-1072.

Ackerknecht, E. H. (1942a). Problems of Primitive Medicine. Bulletin of the History of Medicine, 11(1), 503-521.

World Health Organization. (2011). Traditional Medicine Strategy 2014-2023. Geneva. http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definition/en.

Foster, G. M.,& Anderson, B. G. (1978). Medical Anthropology. John Wiley and Sons Inc, 172-181.

Clements, F.E. (1932). Primitive Concepts of Disease. American Archaeology and Ethnology. University of California Publications,32(1), 185-252.

Fabrega, H., & Manning, P. K. (1979).Illness Episodes, Illness Severity and Treatment Option in a Pluralistic Setting.Social Science and Medicine, 41-51.

Krippner, S. (2003). Models of Ethnomedicinal Healing.Ethnomedicine Conferences, 26-27 April And 11-12 October.

Leslie, C. (1968). Professionalization of Ayurvedic and Unani Medicine. Transactions of the New York Academy of Sciences (Series II), 30(4), 559-627.

Rivers, W. H. R. (1924). Medicine, Magic and Religion.Harcourt, Brace.

World Health Organization. (2019). Global Report on Traditional and Complementary Medicine. Geneva.

भारत में जल संकट का महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव : एक विश्लेषण

अनु*

डॉ रमेश कुमार**

सारांश

मौसम के बदलते मिजाज और बार-बार पड़ने वाले सूखे के कारण भारत में जल संकट एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। भारत के विभिन्न हिस्सों जैसे, चेन्नई और बैंगलोर ने हमें दिखा दिया है कि पानी की कमी कैसी होती है। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के साथ, पानी की कमी समाज में हर किसी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। भारत के अधिकांश परिवारों को जब घर पर पानी उपलब्ध नहीं होता है, तो पानी से जुड़ी लैंगिक भूमिकाओं के कारण इसे इकट्ठा करने, भंडारण करने और प्रबंधित करने का बोझ आमतौर पर अधिकांश परिवारों में महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। महिलाएं पानी लाने के लिए जितनी लंबी यात्रा करती हैं, उनके पास शिक्षा, बच्चों की देखभाल और आय अर्जित करने वाले काम के लिए उतना ही कम समय होता है। जल संग्रहण के सामाजिक बोझ के कारण, महिलाएं पोषण और खाद्य सुरक्षा, बीमारी के जोखिम, प्रजनन स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सुरक्षा तक पहुंच से भी वंचित रह जाती हैं। इन चुनौतियों के कारण होने वाले परिणामों पर काबू पाने का भार अक्सर महिलाओं पर पड़ता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भले ही हमने भारत में जल संकट को स्वीकार करना शुरू कर दिया है, परन्तु फिर भी इस संकट से महिलाओं के जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत के जल संकट से महिलाओं पर पड़ने वाले सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

बीज शब्द : भूजल स्तर, जल संकट, महिलाएं, जल प्रबंधन, लैंगिक भूमिका

प्रस्तावना

भारत में जल संकट एक गंभीर समस्या है। बढ़ती जनसंख्या से भारत में जल संकट से स्थिति और भी बदतर होने की आशंका है क्योंकि वर्ष 2050 तक कुल जनसंख्या बढ़कर 1.6 बिलियन हो जाने की उम्मीद है (शर्मा, 2021)। पानी तक पहुंच न होना गरीब महिलाओं और पुरुषों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। पानी की इस कमी से सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं हैं, क्योंकि भारत में परंपरागत रूप से, पानी लाना एक महिला का काम रहा है। भारतीय समाज की सामाजिक संरचना के कारण महिलाओं को पानी ढोने के लिए मजबूर किया जाता है। यूनाइटेड नेशन वुमन के मुताबिक, ऐसे 80 प्रतिशत परिवारों में, जिनकी पानी तक पहुंच बहुत मुश्किल है, वहां पानी एकत्र करने की ज़िम्मेदारी महिलाओं और लड़कियां पर होती है (Sarkar, 2023)। ग्रामीण भारत में लड़कियों का स्कूल छोड़ देना आम बात है, ताकि पानी ढोने में मदद कर सके। इससे महिलाओं में साक्षरता के निम्न स्तर जैसे सामाजिक मुद्दे पैदा होते हैं।

पानी लाना ग्रामीण महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक अत्यंत कठिन कार्य है। इसमें

*शोधार्थी, हिन्दी विभाग, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.)

**सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.)

महिलाओं का अधिकांश समय और भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है। इसके बावजूद, सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि महिलाओं द्वारा परिवार की पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किए गए कार्य को भारतीय जनगणना में 'कार्य' की श्रेणी में नहीं रखा गया है। जबकि परिवार के लिए पानी एकत्रित करने की भूमिका को पूरा करने के कारण महिलाएं कोई अन्य व्यवसाय या शिक्षा में भागीदारी से भी वंचित हो जाती है। भारत में जल संकट महिलाओं पर एक अनावश्यक बोझ बन गया है।

शोध का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के निम्नलिखित उद्देश्य हैं : -

* लैंगिक भूमिकाओं के चलते जल भंडारण और प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका का मूल्यांकन करना।
* भारत में जल संकट से महिलाओं की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
* भारत में जल संकट के प्रभावों को कम करने और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध प्रविधि

यह अध्ययन पूर्णत: द्वितीयक आंकड़ों एवं तथ्यों पर आधारित है, जिनका संकलन एवं प्रकाशन विभिन्न लेखकों एवं प्रकाशकों द्वारा किया गया है। निर्धारित शोध उद्देश्यों को देखते हुए जल संकट का महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव से सम्बंधित विभिन्न पुस्तकों, समाचार-पत्रों एवं शोध पत्रों के अलावा अन्य वेबसाइट से भी शोध सामग्री को लिया गया है। इसके लिए वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

भारत में जल संकट : एक अवलोकन

भारत में दुनिया की 16 प्रतिशत आबादी रहती है, लेकिन भारत के पास दुनिया के पीने योग्य पानी के संसाधनों का केवल चार प्रतिशत है (Krishnan, 2023)। पानी पर अत्यधिक निर्भरता और अस्थिर खपत के कारण भूजल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। कुएं, तालाब और टैंक सूख रहे हैं, जिससे जल संकट बढ़ गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल निकालने वाला देश बन गया है, जो कुल भूजल का 25 प्रतिशत है (Chengappa, 2021)। केंद्रीय भूजल बोर्ड के आंकड़ों (2017) के अनुसार, भारत के 700 में से 256 जिलों में भूजल स्तर को 'गंभीर' बताया गया है (Behal & Behal, 2021)। इसका मतलब यह है कि इन जगहों पर पानी मिलना और भी मुश्किल है क्योंकि भूजल स्तर गिर गया है। भूजल स्तर गिरने से पानी के प्रमुख स्रोतों की कमी जल संकट को बढ़ावा देती है। जल संकट बढ़ने से पानी तक पहुँच और भी मुश्किल हो गई है।

भारत के लगभग तीन-चौथाई ग्रामीण परिवारों के पास पाइप से पीने योग्य पानी नहीं पहुंचता और परिवारों को पानी की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए असुरक्षित जल स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। इन उपलब्ध जल स्रोतों में लगभग 70 प्रतिशत दूषित हैं (कुलकर्णी & असलेकर, 2022) और हमारी अधिकांश नदियाँ भी दूषित हैं। असुरक्षित और प्रदूषित पेयजल तक पहुंच के परिणामस्वरूप जल-जनित बीमारियां फैलने का डर बना रहता है।

सभी प्रयोजनों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित जल तक सभी की पहुंच न केवल एक मौलिक

अधिकार है, बल्कि सभी के लिए सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए भी बेहद अहम है। सतत विकास लक्ष्य (SDG) 6 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 6.2 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक "सभी के लिए पर्याप्त एवं समान स्वच्छता व स्वास्थ्य तक पहुंच हासिल करना और खुले में शौच को समाप्त करना है। महिलाओं एवं लड़कियों की ज़रूरतों और ऐसे लोगों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना है, जो विपरीत हालातों में रहने को मजबूर हैं" (Sarkar, 2023)। पानी और स्वच्छता तक सीमित पहुंच सीधे तौर पर पोषण, सुरक्षा और स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालती है और महिलाओं एवं लड़कियों को विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा व उत्पीड़न में धकेलने का काम करती है।

भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति

इस जल संकट की स्थिति से सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं हैं। समाज में सदियों से कायम पितृसत्ता के कारण यह विचार कायम है कि घर का काम 'आदर्श महिला' के लिए एक कर्तव्य है और उसे परिवार के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। जब घर पर पानी उपलब्ध नहीं होता है, तो इसे इकट्ठा करने, भंडारण करने और प्रबंधित करने का बोझ आमतौर पर अधिकांश परिवारों में महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। पश्चिमी घाट और पहाड़ी उत्तर-पूर्व से लेकर राजस्थान के शुष्क रेगिस्तानी राज्य तक, देश भर में महिलाएं जल संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करती हैं। महिलाओं द्वारा बहुत कठिनाई और प्रयास से पानी एकत्र किया जाता है। चाहे उसके लिए शहरी झुग्गी बस्ती में हैंडपंप पर सुबह दो बजे कतार में लगना हो या ग्रामीण इलाकों में कठिन इलाकों में प्रतिदिन पांच से दस मील पैदल चलकर पूरे परिवार के लिए पानी की व्यवस्था करना हो। यह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, चाहे उन्हें कोई भी शारीरिक कठिनाई हो, मासिक धर्म हो, बीमार हो या कोई और बीमारी हो। परन्तु जल संग्रहण के कार्य में उसे कोई राहत नहीं मिलती। अप्रैल और मई की चिलचिलाती गर्मी के महीनों में स्थिति और भी भयंकर होती है, जब तापमान 40 डिग्री से अधिक रहता है। निकटतम जल स्रोत से घर तक, संभवतः एक या दो बच्चों के साथ धातु, प्लास्टिक या मिट्टी से बने पानी से भरे बर्तन लेकर मीलों की यात्रा करनी पड़ती है। नियमित रूप से यह यात्रा दिन में तीन से चार बार दोहराई जाती है। इसके बाद जब वे घर पहुंचती हैं तो उन्हें अपने अन्य घरेलू काम पूरे करने होते हैं; जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों का पालन-पोषण करना, यहां तक कि खेत के कार्यों में भी पुरुषों की मदद करती हैं।

यह महिलाएं कई भुजाओं वाली हिंदू देवी दुर्गा की याद दिलाती हैं, जिनके पास बहुत सारे दैनिक कार्य हैं, जिन्हें वे निस्संदेह अतिरिक्त हाथों के साथ ही कर सकती हैं। लेकिन यह कोई अपवाद नहीं हैं, बल्कि भारत की लाखों महिलाओं की प्रतिदिन की वास्तविकता है।

महिलाओं की स्थिति पर जल संकट से उपजे प्रभाव

भारत में यह लिंग-विशिष्ट भूमिका महिलाओं के जीवन के हर पहलू पर गंभीर प्रभाव डालती है। उनके स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन से लेकर शिक्षा और समुदाय में वास्तविक भूमिका निभाने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है। गर्भवती महिलाओं को पानी से भरे भारी बर्तन उठाने के कारण गर्भावस्था में चोट लगने या अन्य जटिलताओं का खतरा अधिक होता है। जब लड़कियों को अपनी मां के साथ पानी इकट्ठा करने और अन्य घरेलू कार्यों में मदद करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ता है (Barton, 2023), तो उन्हें शिक्षा के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता है, जो अब भारतीय संविधान के

अनुच्छेद 21 ए के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसके अतिरिक्त, जब महिलाएं पानी लाने में अपना महत्त्वपूर्ण समय खर्च करती हैं, तो उनके पास शिक्षा या वैतनिक कार्य जैसी अन्य गतिविधियों के लिए कम समय बचता है। इसके फलस्वरूप, महिलाओं को अक्सर उन अवसरों से हाथ धोना पड़ता है, जो उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं (Jain & Anand, 2020)।

शहरी क्षेत्रों में जल संकट का महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव

शहरी इलाकों में रंग-बिरंगे पानी के बर्तनों के साथ महिलाओं की लंबी कतारें आकर्षक दिखती हैं। लेकिन ऐसी तस्वीर पानी की कमी की समस्याओं और शहरों में पानी पहुंचाने वाले टैंकरों के लिए लंबे इंतजार को भी उजागर करती हैं। शहरी क्षेत्रों में, विशेषकर शहर के बाहरी इलाकों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाली महिलाओं को पानी की कमी का विशेष बोझ झेलना पड़ता है। कुछ क्षेत्रों में, कभी-कभी आधी रात में पानी की आपूर्ति की जाती है, जिसका अर्थ है कि ये महिलाएं नींद से भी वंचित हो जाती हैं। यह निस्संदेह एक निम्न सोच का उदाहरण है जिसमें महिलाओं को पानी के पाइप या टैंकरों के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। जहां कई लोग पानी की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए पानी के स्टैंड पोस्ट या टैंकरों पर निर्भर हैं, वहां भी महिलाएं घर और जल स्टेशन के बीच एक आसान पुल बन जाती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट का महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव

शुष्क ग्रामीणक्षेत्रों में विशेषकर गर्मी के दौरान पानी इकट्ठा करना महिलाओं के लिए एक कष्टदायक यात्रा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में एक ग्रामीण महिला जल स्रोत तक पहुंचने के लिए प्रतिदिन 2.5 किलोमीटर से अधिक पैदल चलती है (Shreejaya, 2019) और प्रतिदिन इस कार्य के लिए लगभग चार घंटे खर्च करती हैं। यह जल संकट कभी-कभी उनकी जान भी जोखिम में डाल देता है। उदाहरण के लिए, घर और जल स्रोत के रास्ते में दुर्गम रास्तों पर अकेली महिलाओं पर शारीरिक हमला या दुर्व्यवहार का जोखिम हो सकता है। समाज के निचले तबके की महिलाओं के लिए हालात और भी बदतर हैं, जिन्हें सार्वजनिक कुओं जैसे जल स्रोतों तक पहुंच से भी वंचित कर दिया जाता है। यह जातिगत भेदभाव तब भी कायम है, जबकि भारतीय संविधान 75 साल से, प्रत्येक व्यक्ति की धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर बिना किसी भी भेदभाव के सार्वजनिक कुओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करता है। एडवोकेसी सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की निदेशक रंजना कुमारी ने कहा, पानी इकट्ठा करने के शारीरिक तनाव के अलावा, महिलाएं कम पानी से काम चलाने और मासिक धर्म स्वच्छता बनाए रखने के भावनात्मक तनाव से भी पीड़ित होती हैं (Chandran, 2018)।

जल संग्रहण के लिए पुरुषों में कानूनन प्रतिबंधित बहुविवाह का प्रचलन

पिछले कुछ सालों से भारत के विभिन्न राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के सूखाग्रस्त गांवों में जल पत्नियों का चलन देखने को मिलता है। उदहारण के तौर पर, महाराष्ट्र के गांव देंगानमाल के घरों में पानी की पाइपलाइन का कनेक्शन नहीं है और गर्मी के महीनों में इस क्षेत्र में सूखा पड़ता है। यहां के अधिकांश पुरुष किसान हैं। जब वे खेतों में काम करते हैं, तो महिलाएं घर चलाती हैं, खाना बनाती हैं, साफ-सफाई करती हैं और खाना खिलाती हैं। इन सब कार्यों को करने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी का न होना एक गंभीर समस्या बन जाती है। गर्मियों के महीनों में, गर्मी इतनी

भीषण होती है कि कुएं सूख जाते हैं और मवेशी मर जाते हैं। दैनिक कामकाज और बच्चों को इतने लंबे समय तक अकेला छोड़ना ऐसे जोखिम हैं जिन्हें घर चलाने वाली अकेली महिला नहीं उठाना चाहती। इस समस्या को देखते हुए गांव के लोग बहुविवाह के रूप में एक नया लेकिन घृणित समाधान लेकर आए। जिसमें परिवार की पानी की आवश्यकता पूरी करने के लिए पुरुष एक से ज्यादा शादियां करता है, कई मामलों में तो तीन से चार शादियां हुई हैं (मिश्रा, 2022)। परन्तु ये औरतें आम भारतीय पत्नियाँ नहीं बनती, इन्हें पुरूष सिर्फ इसलिए ब्याहते हैं ताकि वे घर में पानी की आपूर्ति कर सकें। इस व्यवस्था के अंतर्गत शादी कर लाई गई पत्नियों को 'जल पत्नियाँ' कहा जाता है। इनमें से पहली पत्नी का दर्जा आम भारतीय पत्नियों की तरह है जबकि उसके बाद आने वाली स्त्रियों का दर्जा पत्नी का तो है, परन्तु उनका मुख्य काम झरने और कुओं से पानी घर लाने का है जबकि पहली या कानूनी पत्नी घर का प्रबंधन करती है। जल पत्नियों का उस पुरुष पर कोई कानूनी अधिकार नहीं होता जिससे वे विवाह करती हैं। वे किसी पुरुष के साथ नहीं सोती, घरेलू मामलों में उनकी कोई भूमिका नहीं होती, और वे कोई संतान पैदा नहीं करतीं। जल पत्नी का जीवन बहुत कठिन होता है। चिलचिलाती धूप में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के बावजूद ये महिलाएं समूह में अपने सिर पर एल्यूमीनियम के बर्तन रखकर पानी के एकमात्र स्रोत भातसा बांध से पानी लाती हैं। घर से बांध तक आने-जाने में करीब 12 घंटे का समय लगता है (Sengar, 2022)।

ग्रामीणों ने अनुसार, पानी के लिए शादी करना कई वर्षों से यहां का चलन रहा है। जल पत्नी अक्सर या तो विधवा होती है या ऐसी अविवाहित महिला होती है जिसका दहेज उसके परिवार द्वारा वहन नहीं किया जा सकता। ये महिलाएं ऐसी शादियां केवल समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए करती हैं। ऐसी महिलाएं दूसरी शादी के लिए आसानी से राजी हो जाती हैं, परन्तु शादी करने वाले पुरुष इस बात का ध्यान रखते हैं कि महिलाओं की उम्र ज्यादा ना हो और वे शारीरिक रूप से सक्षम हों, ताकि पानी ढोने का काम आसानी से और लंबे समय तक कर सकें। कई पत्नियों के कारण, घर के काम अलग-अलग पत्नियों के बीच विभाजित हो जाते हैं और पीने का पानी लाने के लिए कोई भी निश्चित रूप से जा सकता है। जल पत्नियाँ बनकर ये महिलाएं अपनी वैवाहिक स्थिति पुनः प्राप्त कर लेती हैं और फिर से समाज के एक सम्मानित हिस्से के रूप में स्वीकार कर ली जाती हैं। उन्हें रहने के लिए जगह मिलती है। उन्हें एक अलग कमरा और बाथरूम मिलता है। यह उनके लिए वरदान है या नहीं, यह बात उनके दिमाग में तब तक नहीं आती, जब तक कि परिवार और समाज में उन्हें स्वीकार किया जाता है।

भारत में कानूनन प्रतिबंधित सामाजिक प्रथा महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव में आज भी प्रचलित है, जहाँ बहुविवाह को जल संकट की समस्या का एकमात्र समाधान माना जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार भारतीय पुरुष या महिला, एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकते, जब तक उनका तलाक नहीं हो जाता या फिर दोनों में से किसी एक जीवन साथी की मृत्यु ना हो जाए। परंतु महाराष्ट्र के गांवों में जो हो रहा है वह कानून से परे है। वहां लगातार पुरुष एक से ज्यादा शादियां कर रहे हैं और इसे पूरे गांव का समर्थन प्राप्त है। इसमें ना तो पंचायत दखल देती है और ना ही पुलिस। पानी की विकराल समस्या के सामने सभी मूक दर्शक बन गए हैं।

जल संकट के प्रभावों को कम करने और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सुझाव

भारत में जल संकट आमतौर पर इसलिए उभरता है क्योंकि पानी तक पहुंच और नियंत्रण लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्धारित है। परिवार की आर्थिक स्थिति उनकी पानी तक पहुँच को

निर्धारित करती है। संपन्न परिवार पीने के लिए फिल्टर का शुद्ध पानी ख़रीद सकते हैं और नहाने धोने के लिए टैंकर से पानी मंगा सकते हैं। परन्तु, जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है उनके लिए जल खरीदने का सामर्थ्य नहीं है, कुछ विपरीत परिस्थितियों में अगर जल खरीदना पड़े तो परिवार के बाकी खर्चों के लिए निर्धारित बजट गड़बड़ा जाता है। इसलिए इस जल संकट का सबसे अधिक प्रभावित गरीब परिवार की महिलाएं होती हैं। जैसे-जैसे जल संकट बढ़ रहा है महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना और जल संकट के स्थाई समाधानों पर विचार करना अनिवार्य हो गया है। जल संकट के समाधान के लिए नीति निर्माताओं को टिकाऊ जल प्रबंधन कार्यक्रमों को लागू करने में सहयोग करना चाहिए। समावेशित और लिंग संवेदनशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर सभी के लिए न्याय संगत और जल सुरक्षित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। जल संकट की स्थिति में महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देकर सभी नागरिकों के लिए अधिक न्याय संगत और अच्छे भविष्य की दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो केवल सामूहिक प्रयासों के द्वारा ही संभव है। पानी की समस्या के समाधान के लिए पानी से जुड़ी लैंगिक भूमिकाओं को खत्म करने की ज़रूरत है। लैंगिक समानता हासिल करने और दुनिया की आधी आबादी की क्षमता को उजागर करने के लिए महिलाओं की जल, स्वच्छता और साफ-सफाई की आवश्यकताओं को संबोधित करना अत्यंत आवश्यक है। पानी जैसे संसाधनों पर बातचीत और निर्णयों में एक महिला का दृष्टिकोण भी शामिल किया जाना चाहिए। जब महिलाओं को घर में सुरक्षित पानी और शौचालय की सुविधा मिलेगी तो वे अपनी दुनिया बदलने में सक्षम हो सकती हैं।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि पानी एकत्र करने की लिंग आधारित भूमिका के चलते यह कार्य न केवल महिलाओं एवं लड़कियों को शारीरिक रूप से थका देता है, बल्कि इसमें काफी समय भी लगता है। यह उनकी शिक्षा या आजीविका के अन्य अवसरों तक पहुंच में बाधा उत्पन्न करता है। इससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा, स्वच्छ पानी की कमी से संक्रमणों का खतरा बढ़ रहा है और इससे महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। जल संकट के चलते महिलाएं हिंसा के खतरों का भी जोखिम उठाती है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्रों में खुले में शौच करते समय भारतीय महिलाओं पर हमला किया गया है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए उचित नीति निर्माण के साथ ही नीतियों के उचित क्रियान्वयन की भी आवश्यकता है ताकि महिलाएं भी समान नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ देश की समृद्धि में भागीदार बन सकें। महिलाओं के काम से जुड़ी निम्न स्थिति के स्थान पर महिलाओं के काम की अवधारणा को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। जल संकट को हल करने के लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि इस समस्या का समाधान होने पर महिलाएं सामाजिक समृद्धि में योगदान कर सकें।

संदर्भ सूची

शर्मा, मिहिर. (2021, December 17). हम 2050 तक होंगे 1.6 अरब: शहरी आबादी की वृद्धि दर घटकर 1.6% हुई, क्या अमीर देश होने तक भारत जवान देश रह पाएगा? Dainik Bhaskar. https://www.bhaskar.com/national/news/we-will-be-16-billion-by-2050-the-growth-rate-of-urban-population-has-come-down-to-16-will-india-be-able-to-remain-a-young-country-till-it-is-a-rich-country-129216627.html

Sarkar, D. (2023, March 22). Water-poor equals time-poor: Gender in the Water Action Agenda. ORF. https://www.orfonline.org/expert-speak/including-gender-in-the-water-action-agenda/

Krishnan, A. (2023, March 22). World Water Day: What government is doing to address India's water crisis - ET Edge Insights. https://etinsights.et-edge.com/indias-water-crisis-what-is-the-government-doing/

Chengappa, R. (2021, March 29). The great Indian thirst: The story of India's water crisis, solutions to tackle it. INDIA TODAY. https://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/20210329-the-great-indian-thirst-1781280-2021-03-20

Behal, A., & Behal, D. (2021, August 16). India's water crisis: It is most acute for women. Down To Earth. https://www.downtoearth.org.in/blog/governance/the-crisis-of-water-and-women-in-india-78472

कुलकर्णी, हिमांशु, & असलेकर, उमा. (2022, June 18). आवरण कथा: जल प्रदूषण से निपटने के लिए आर्थिक ही नहीं, सामाजिक निवेश की भी जरूरत. Down To Earth Hindi. https://www.downtoearth.org.in/hindistory/water/ground-water/cover-story-to-tackle-water-pollution-not-only-economic-but-also-social-investment-is-needed-83073

Sarkar, D. (2023, March 22). Water-poor equals time-poor: Gender in the Water Action Agenda. ORF. https://www.orfonline.org/expert-speak/including-gender-in-the-water-action-agenda/

Barton, A. (n.d.). Water In Crisis—Spotlight Women in India. The Water Project. Retrieved 13 November 2023, from https://thewaterproject.org/water-crisis/water-in-crisis-india-women

Jain, A., & Anand, R. (2020, February 14). Women bear the burden of India's water crisis. THE TIMES OF INDIA. https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/developing-contemporary-india/women-bear-the-burden-of-indias-water-crisis/

Shreejaya, S. (2019, July 10). Is The Water Crisis In India The Beginning Of Climate Breakdown? Feminism in India. https://feminisminindia.com/2019/07/10/water-crisis-in-india-climate-breakdown/

11. Chandran, R. (2018, July 16). India's water crisis is hitting women hardest. Here's why. World Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2018/07/forced-to-walk-miles-india-water-crisis-hits-rural-women-hardest/

मिश्रा, जूही. (2022, June 14). Water Wife: पानी की कमी से जूझ रहे भारत का नया कॉन्सेप्ट, पानी लाने के लिए ब्याही जा रहीं बेटियां. IndiaTimes. https://www.indiatimes.com/hindi/india-news/water-wives-story-in-india-568818.html

Sengar, S. (2022, April 27). 'Water Wives': How Lack Of Water In This Maharashtra Village Led To Polygamy. India Times. https://www.indiatimes.com/news/india/water-wives-how-lack-of-water-in-this-maharashtra-village-led-to-polygamy-568090.html

ऊर्जा कूटनीतिः भारत के आर्थिक विकास की कुंजी

स्निग्धा त्रिपाठी*

सारांश

सभी देशों के लिये ऊर्जा सुरक्षा आज की अनिवार्य आवश्यकता है। यह भारतीय राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में विशेष प्रासंगिक है। उभरता हुआ भारत ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभी भी विदेशी ऊर्जा संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर है। यही कारण है कि भारत को ऊर्जा संबंधी आयात पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। इस चुनौती का समाधान करने और आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, भारत की विदेश नीति विभिन्न देशों से अच्छे सम्बंध बनाने और पर्याप्त ऊर्जा संसाधन वाले देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते करने पर ध्यान केंद्रित करती है। भारत को कार्बन मुक्त विकास के लिए आगे बढ़ना होगा और सतत विकास के लिए अपने ऊर्जा संसाधनों में विविधता लानी होगी। इस सम्बंध में अक्षय ऊर्जा का उपयोग आवश्यक है और साथ ही भारत को सम्बंधित क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का विकास करना होगा। भारत की आर्थिक सफलता और इसके विश्वसनीय ऊर्जा संसाधनों के बीच सम्बंधों को एकीकृत ऊर्जा नीति द्वारा सही ढंग से रेखांकित किया गया है। ऊर्जा कूटनीति भारत की वैश्विक नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। इस शोध पत्र में, वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग और उपलब्धता के संदर्भ में भारत की ऊर्जा कूटनीति का विवेचन किया गया है।

बीज शब्द : उर्जा सुरक्षा, कूटनीति, कार्बन मुक्त विकास, एकीकृत उर्जा नीति, आर्थिक विकास

प्रस्तावना

सामयिक संदर्भों में ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालन और भू-राजनीतिक विमर्श के केंद्र में है। "ऊर्जा सुरक्षा" की अवधारणा 1970 के दशक में विकसित हुई। इसे "किफायती मूल्य पर ऊर्जा तक निर्बाध पहुंच" के रूप में परिभाषित किया गया है। दुनिया की ऊर्जा संरचना में बदलाव और ऊर्जा सुरक्षा के बारे में उभरती चिंताओं के साथ ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ कच्चे तेल से परे व्यापक हो गया है।

ऊर्जा सुरक्षा उन मुख्य मुद्दों में से एक है जिसका सामना भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्तमान में कई परिवर्तनों के कारण कर रहे हैं। जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, भारत आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिसे ऊर्जा भंडार द्वारा बनाए रखा जा सकता है। भारत की ऊर्जा कूटनीति का प्राथमिक पहलू द्विपक्षीय और क्षेत्रीय तंत्रों के माध्यम से अपने निकटतम पड़ोसियों तक पहुंचना है"। बिजली निगमों पर सार्क ऊर्जा समझौते" ने इस सम्बंध में मार्ग प्रशस्त किया है। सार्क देश अपने ऊर्जा भंडार के लिए इस मंच के माध्यम से सार्थक बातचीत कर सकते हैं। दूसरा पहलू पुराने सम्बंधों का नवीनीकरण है। भारत फ्रांस, कनाडा और मध्य एशियाई देशों जैसे देशों के साथ अपने सम्बंधों को मजबूत कर रहा है ताकि हमारे ऊर्जा संसाधनों को समृद्ध किया जा सके। परमाणु ऊर्जा के लिए

*शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)

भारत को क्रमशः यूरेनियम की आपूर्ति और परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए कनाडा और फ्रांस से आश्वासन और सहायता मिली है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता और विकास के लिए सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को आवश्यक माना जा रहा है। इस सम्बंध में भारत और फ्रांस बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं। तीसरा पहलू इच्छुक भागीदारों के साथ नए सम्बंध विकसित करना है। भारत के ऊर्जा आधार के विस्तार और विविधीकरण के साथ ही यह रणनीति इसे आर्थिक रूप से विकसित करने में सहयोग करेगी।

आरंभ में भारत कच्चे तेल के लिए खाड़ी देशों पर बहुत अधिक निर्भर हुआ करता था। 1990 में उस क्षेत्र मंर उथल-पुथल के कारण, भारत ने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की रक्षा के लिए अन्य विकल्पों की तलाश करने और तदनुरूप पहल करने का निर्णय किया। भारत ने सम्बंधित हितों की रक्षा के लिए राजनयिक माध्यमों से कुछ महत्वपूर्ण पहल करना शुरू कर दिया है। यद्यपि भारत ने अपने ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, फिर भी भारत को आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक लंबा सफर तय करना है।

- जीवाश्म ईंधन के लिए भारत के आयात बिल को नियंत्रित किया जाना चाहिए और इसे कम करने के लिए एक नियमित सुविधा आवश्यक है। भारत रूस और ईरान से किफायती मूल्य पर आयात बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है।

- **वांछित सुलभता की चुनौती**

  वर्तमान में भारतीय आबादी का एक निश्चित प्रतिशत, यद्यपि यह बहुत अधिक नहीं है, बिजली और रसोई गैस के रूप में दैनिक उपयोग के लिए पारंपरिक ऊर्जा तक पर्याप्त पहुंच नहीं है।

- **अपर्याप्त परिवहन सुविधा और आपूर्ति लाइन**

  भारत को इस सम्बंध में सभी मौसम सड़कों के निर्माण और गैस और अन्य ऊर्जा आवश्यक वस्तुओं के लिए पाइपलाइनों की आपूर्ति के लिए बहुत कुछ करना होगा। यह हमेशा औद्योगिक विकास के लिए सहायक होगा और पूरे देश में पारंपरिक और अपरंपरागत ऊर्जा संसाधनों को पूरा करेगा।

- **बाहरी चुनौतियां**

क) आयातित तेल पर बढ़ती निर्भरता, नियामक अनिश्चितता, अंतर्राष्ट्रीय एकाधिकार और प्राकृतिक गैस की अपारदर्शी मूल्य निर्धारण नीतियाँ, ये सभी भारत की नाजुक ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर दबाव डाल रही हैं।

ख) ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए भारत द्वारा एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। यथा भारत-अमेरिका परमाणु समझौता, पूर्वी तेल आयात आदि।

ग) भारत को बेल्ट एंड रोड पहल के चीन के भव्य डिजाइन से सख्ती से निपटना होगा, क्योंकि यह भारत के राष्ट्रीय हित के खिलाफ है।

घ) "आईटीआई " (ईरान-पाकिस्तान-भारत) और "तापी" (तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत) गैस पाइपलाइनों के माध्यम से प्राकृतिक गैस की सुनिश्चित आपूर्ति स्थापित करने में असमर्थता।

एक त्वरित अर्थव्यवस्था ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर करती है जो विश्वसनीय, कुशल और प्रतिस्पर्धी मूल्य वाली होती है। किसी भी विकासशील देश की समग्र आर्थिक रणनीति के हिस्से के रूप में, ऊर्जा विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे-जैसे ऊर्जा सुरक्षा की चिंताएं बढ़ती हैं, पर्यावरणीय नियम अधिक कड़े हो जाते हैं, प्राकृतिक गैस का उदय होता है, साथ ही कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की बढ़ती कीमतों के कारण भारतीय तेल और गैस कंपनियों को चुनौतियों और अवसरों दोनों का सामना करना पड़ता है। जैसे-जैसे ऊर्जा सुरक्षा की चिंताएं बढ़ती हैं, पर्यावरणीय नियम अधिक कड़े हो जाते हैं, प्राकृतिक गैस का उदय होता है, साथ ही कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की बढ़ती कीमतों के कारण भारतीय तेल और गैस कंपनियों को चुनौतियों और अवसरों दोनों का सामना करना पड़ता है। शोधन क्षमता के संदर्भ में, भारत में 18 रिफाइनरियाँ हैं, जो इसे उन देशों में रखती हैं जो पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करते हैं। अपनी नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के साथ भारत उभरते संकट से निपटने के लिए अपने घरेलू अन्वेषण को महत्व दे रहा है। एनईएलपी शासन के तहत पेश किए गए ब्लॉकों ने हाल ही में कुछ विश्व स्तरीय खोज की है (वार्षिक रिपोर्ट, 2011-12)।

ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए, भारत ने दीर्घकालिक एलएनजी अनुबंध भी किए हैं और विदेशों में तेल और गैस परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया है। अगले कुछ दशकों में, पेट्रोलियम उद्योग को कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाने के लिए क्रॉस-कंट्री पाइपलाइन विकसित करने की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करनी होगी। तेल की ऊंची कीमतों और आयातित तेल पर निर्भरता को देखते हुए, भारत के पास कुछ कठिन विकल्प बचे हैं। भारत में प्राकृतिक गैस ने प्रगति की है और एल. एन. जी. के आगमन और गैस की कीमतों के प्रगतिशील विनियमन के साथ परिपक्वता की एक निश्चित डिग्री तक पहुंच गई है। पिछले पाँच वर्षों में, इसने लगातार वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है और तेजी से प्रगति की है। प्राकृतिक गैस को नियंत्रित करने वाली वर्तमान नीतियों ने उद्योग के लिए कई चुनौतियां पैदा की हैं। उपभोक्ता मांग सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, साथ ही पाइपलाइन परिवहन और वितरण नेटवर्क में खुली पहुंच और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना, जिससे आपूर्ति - मांग के अंतर को कम किया जा सकता है।

भारतीय ऊर्जा सुधार 1991 से चुनौतीपूर्ण रहे हैं जब आर्थिक सुधारों ने एक अत्यधिक विनियमित, समाजवादी आर्थिक प्रणाली के अंत का संकेत दिया था। डिजाइन की गई परियोजना को पूरा करने में कठिनाई के कई कारण हैं। भूमिगत और सतही ऊर्जा संसाधनों पर केंद्र सरकार की कमान है। जहाँ तक इसकी खोज और वितरण का सम्बंध है, यह कभी-कभी केंद्र और राज्य के बीच मुद्दे पैदा करता है। इसके अतिरिक्त, ऐसी मजबूत लोकलुभावन परंपराएं हैं जो ईंधन सब्सिडी और ऊर्जा मूल्य नियंत्रण के कारण बिजली के बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में दीर्घकालिक कम निवेश का कारण बनी हैं। यह स्पष्ट है कि नीतियों का निर्धारण प्रभाव डालने से किया जाता है, भले ही भारतीय निजी क्षेत्र की काफी भागीदारी रही हो, विशेष रूप से प्राकृतिक गैस में।

भारतीय ऊर्जा नीति घरेलू नीतिगत मुद्दों से इस तरह प्रभावित है जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता है। भारत की राजनीतिक स्थिरता तथा गतिशील और मुखर विदेश नीति सदा से दुनिया भर में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के ऊर्जा मुद्दे से निपटने के लिए समय के साथ खड़ी रहती है। इस प्रकार भारत सरकार की बाहरी ऊर्जा नीति परिधीय या क्षणिक मुद्दों पर केंद्रित रही है। ऊर्जा कूटनीति के साथ आगे बढ़ना मुश्किल रहा है क्योंकि घरेलू राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहा है।

नवीकरणीय ऊर्जा में एक नए कुशल खिलाड़ी के रूप में, भारत दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध किया है और दुनिया भर में चाहे कुछ भी हो, भारत ग्लोबल वार्मिंग से लगातार लड़ता रहेगा। 2018 में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने प्रधानमंत्री मोदी को "चैंपियन ऑफ अर्थ" की उपाधि से सम्मानित किया, जो इस नई ऊर्जा व्यवस्था में भारत की बढ़ती पारंपरिक नेतृत्व भूमिका में योगदान देता है जो भू-राजनीति में बदल जाता है क्योंकि यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को बढ़ाता है (शर्मा, 2020)।

सतत विकास के लक्ष्य केवल उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के साथ मुख्य रूप से वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों के उपयोग के माध्यम से और यह सुनिश्चित करके प्राप्त किए जा सकते हैं कि नागरिकों की विश्वसनीय, किफायती, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच हो। भारत में, नवीकरणीय ऊर्जा की तैनाती का उद्देश्य आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करना, ऊर्जा तक पहुंच में सुधार करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना है। भारत स्वस्थ वातावरण में तेजी से विकास के लिए शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, सहयोग और समन्वय की नीति में विश्वास करता है। जहां तक अपरंपरागत ऊर्जा क्षेत्र का सम्बंध है, भारत अपनी ऊर्जा कूटनीति के माध्यम से दुनिया में अग्रणी शक्ति बनने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा करके ही हमारे पास घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल और "स्वास्थ्य सुरक्षा ऊर्जा" हो सकती है। साथ ही हम जरूरतमंद देशों को अपनी विशेषज्ञता और ऊर्जा का अतिरिक्त भंडार प्रदान करने में सक्षम होंगे।

ऊर्जा नीति

बढ़ती मांग को पूरा करने की चुनौतियों में आयातित ऊर्जा संसाधनों पर भारत की निर्भरता और ऊर्जा उद्योग का असंगत पुनर्गठन शामिल है। बीपी के एनर्जी आउटलुक के 2019 संस्करण के अनुसार, 2017 और 2040 के बीच, भारत की ऊर्जा खपत में 156% की वृद्धि होने की उम्मीद थी। पूर्वानुमान के अनुसार, जीवाश्म ईंधन 2040 में मांग का केवल 79% हिस्सा बनाएगा, जो 2017 में 92% से कम है, क्योंकि देश का ऊर्जा संतुलन धीरे-धीरे उस समय के माध्यम से बदलता है। वास्तव में, 2017 और 2040 के बीच जीवाश्म ईंधन से प्राथमिक ऊर्जा की मांग में 120% की वृद्धि होगी। हालांकि भारत 2019 की शुरुआत में 100% घरेलू बिजली कनेक्शन तक पहुंचने की राह पर था, लेकिन अधिक भरोसेमंद बिजली आपूर्ति की आवश्यकता है। जुलाई 2021 में, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन ने बताया कि अधिकतम मांग 201 गीगावॉट थी। विद्युत मंत्रालय का अनुमान है कि नवंबर 2021 के अंत में कुल स्थापित क्षमता में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा 6.78 गीगावॉट (1.7%) था, जो कि 392 गीगावॉट था।

2012 से 2017 के वर्षों को सम्मलित करते हुए सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना में उस समय 94 गीगावॉट के अतिरिक्त के लिए 247 बिलियन डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 2032 तक 7-9% जीडीपी वृद्धि को समायोजित करने के लिए, योजना का उद्देश्य कुल मिलाकर 700 गीगावाट अतिरिक्त क्षमता, 63 गीगावाट परमाणु है। ओईसीडी की अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, भारत को 2035 तक बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण में लगभग 1.6 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी। (Organisation for Economic Co-operation and Development) मार्च 2018 में, सरकार ने कहा कि परमाणु क्षमता अपने 63 गीगावाट लक्ष्य से काफी कम हो जाएगी और वर्ष

2031 तक कुल परमाणु क्षमता लगभग 22.5 गीगावाट होने की संभावना है। (nucleear.org, n.d.) देश के परमाणु ऊर्जा मंत्री ने दिसंबर 2021 में इस संशोधित लक्ष्य को दोहराया।

भारत में पाँच पावर ग्रिड उत्तरी, पूर्वी, पूर्वोत्तर, दक्षिणी और पश्चिमी हैं। दक्षिणी ग्रिड को छोड़कर, वे सभी कुछ सीमा तक परस्पर जुड़े हुए हैं।

भार केंद्रों तक बिजली पहुँचाते समय तकनीकी नुकसान को कम करने के लिए भारत ने 2010 के आसपास से अपनी पारेषण प्रणाली की क्षमता और दक्षता में सुधार किया है। राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र ने 2009 में क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों का प्रबंधन करना, बिजली का समय निर्धारण और वितरण करना और राष्ट्रीय ग्रिड कैसे काम कर रहा था, इस पर नजर रखना शुरू किया। देश के पांच क्षेत्रीय ग्रिडों को 2013 के अंत तक समकालिक और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए जोड़ा गया था। इसके अलावा, 2002 के बाद से, भारत ने हाई वोल्टेज, डायरेक्ट- करंट (एचवीडीसी) लाइनों की लंबाई और क्षमता को दोगुना से अधिक कर दिया है, जो एसी लाइनों की तुलना में कम लंबी दूरी के नुकसान से पीड़ित हैं।

भारत की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन हैं। कोयला कितना महत्वपूर्ण है यह विचारणीय है। CO^2 उत्सर्जन को कम करना सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं है, और सरकार ने 2015 पेरिस जलवायु सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन पर पार्टियों के 21 वें सम्मेलन से पहले लक्ष्यों की घोषणा करने से इनकार कर दिया। सितंबर 2014 में, पर्यावरण मंत्री ने कहा कि भारत को CO^2 उत्सर्जन में कमी देखने में 30 साल लगेंगे।

ऊर्जा आर्थिक विकास का इंजन है और जब देश विकास के पथ पर आगे बढ़ता है, तो देश में उपलब्ध हर ऊर्जा संसाधन का दोहन करना आवश्यक है। (nuclear.org, n.d.) मानव विकास के लिए ऊर्जा महत्वपूर्ण है और मानव जनसंख्या, शहरीकरण और आधुनिकीकरण के समानांतर ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। अभी भी दुनिया आवश्यक ऊर्जा उपयोग के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। अर्थव्यवस्थाएँ ऊर्जा पर निर्भर हैं, यही कारण है कि ऊर्जा सुरक्षा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है (हिन्दुस्तान टाइम्स, 2020)।

ऊर्जा सुरक्षा की अवधारणा उचित लागत पर विभिन्न रूपों में पर्याप्त ऊर्जा की उपलब्धता को संदर्भित करती है। यदि ऊर्जा को सतत विकास में योगदान देना है तो इन स्थितियों को दीर्घकालिक रूप से प्रबल होना चाहिए (शर्मा, 2019)।

भारत ऊर्जा सम्बंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ईंधन के आयात पर निर्भर है और दुनिया के शीर्ष ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है। भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में कोयले का योगदान का लगभग 60% है, तेल और स्थानीय रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस का योगदान क्रमशः 30% और 10% है। परमाणु ऊर्जा केवल 3% और नवीकरणीय ऊर्जा लगभग 10% है (सिंह, 2018)। भारत में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण ऊर्जा की मांग और ऊर्जा आपूर्ति के बीच एक बड़ा अंतर है। फिर भी, सरकार की योजना वार्षिक 8% की इस वृद्धि को बनाए रखने की है, जिसका अर्थ है कि बिजली की मांग सालाना 7.4% बढ़ेगी (चौधरी, 2015)। नतीजतन, भारत को अधिक से अधिक विश्वसनीय बिजली आपूर्ति की आवश्यकता है, क्योंकि इसके एक तिहाई लोगों की पहुंच देश के पांच बिजली ग्रिड तक नहीं है। पावर ग्रिड का संचालन राज्य के स्वामित्व वाली पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है (PGCI) जुलाई 2012 में, देश के उत्तर में ग्रिड विफल हो गया और 22 राज्यों में 60 करोड़ लोग लगभग 24 घंटे तक बिजली के बिना रहे (मुखर्जी& विश्वास, 2015)।

आने वाले वर्षों में भी भारत में ऊर्जा की पर्याप्त सुलभता के लिये निरंतर यत्न करते रहना है। फिर

भी, एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में भारत को आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच एक बीच का रास्ता खोजने की आवश्यकता होगी। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करने के बजाय, भारत को ऊर्जा के स्वच्छ और टिकाऊ स्रोतों पर भरोसा करना होगा। परमाणु ऊर्जा को कई लोग निरंतर औद्योगीकरण और शहरीकरण का समर्थन करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा का एकमात्र स्रोत मानते हैं। यह भारत की कुल बिजली की आवश्यकता का केवल 3% प्रदान करता है। भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के बाद, इसका महत्व बढ़ने की संभावना है और इससे जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता कम हो सकती है (विदेश मंत्रालय, 2014)। हालांकि, यह केवल तभी संभव है जब परमाणु ऊर्जा कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 25% प्रदान कर सके। इसलिए परमाणु ऊर्जा विभाग ने दबाव वाले भारी जल रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर), हल्के जल रिएक्टरों (एलडब्ल्यूआर) और फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के मिश्रण पर आधारित एक कार्यक्रम की स्थापना की (FBRs) (शर्मा, 2020)।

भारत की ऊर्जा प्रणाली का प्रतिचित्रण

कोयला, तेल और बायोमास भारत की अधिकतम ऊर्जा मांगों को पूरा करते हैं। 1990 के बाद से इन संसाधनों के संयोजन ने भारत की कुल ऊर्जा खपत के 80% से अधिक की आपूर्ति की है। बिजली के उत्पादन में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने के अलावा, कोयले ने प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में अपनी स्थिति बढ़ा दी है, जो कई अलग- अलग उद्योगों के लिए पसंद का ईंधन बन गया है (especially heavy industries such as iron and steel)। 2000 और 2019 के बीच, कोयले की मांग लगभग तीन गुना हो गई, जिससे प्राथमिक ऊर्जा खपत में आधी वृद्धि हुई। भारत में, कोयला अब देश की बुनियादी ऊर्जा जरूरतों का 44% प्रदान करता है, जो 2000 में 33% था। वायु प्रदूषण और बढ़ते जीएचजी उत्सर्जन में भी योगदान देते हुए, कोयला भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा है। भारत में, पारंपरिक बायोमास, जिसमें मुख्य रूप से ईंधन की लकड़ी होती है, लेकिन इसमें पशु अपशिष्ट और लकड़ी का कोयला भी शामिल है, 2000 में कोयले के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा संसाधन था, जो प्राथमिक आईईए का लगभग एक-चौथाई था।

भारत की तेल कूटनीति

भारत की आर्थिक कूटनीति तेल कूटनीति से प्रभावित रही है। भारत की तेल कूटनीति के तीन चरण हैं:

(1) स्वतंत्रता से 1960 तक;

(2) 1960 से शीत युद्ध के अंत तक; और

(3) 1991 से वर्तमान तक।

विशेष रूप से 2000 के दशक में, भारत ने तीसरे चरण के दौरान तेल और गैस के वैकल्पिक विदेशी स्रोतों की तलाश की। इक्कीसवीं सदी में तेल संकट भारत की विदेश नीति पर हावी रहा है। भारत ने विदेशी तेल के सम्बंध में उच्च स्तरीय राजनयिक प्रयास शुरू किए। 1991 से, भारत की ऊर्जा सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय रही है। 1990 के दशक से भारत की तेल आपूर्ति के संसाधन बदल गए हैं। भारत सरकार और तेल कंपनियों ने वैश्विक बाजार में वाणिज्यिक खरीद बढ़ाने के लिए विदेशी तेल क्षेत्रों का अधिग्रहण करने की मांग की। 1990 के दशक के मध्य और अंत में, इन संसाधनों ने भारत के वार्षिक तेल

उत्पादन में 3 से 5 मिलियन टन की वृद्धि की।

भारत अब ऊर्जा असुरक्षा के समाधान के संदर्भ में विशेष ध्यान दिया है। भारत के तीन प्राथमिक ऊर्जा संसाधन कोयला, तेल और गैस हैं, जिनमें से केवल 50% ऊर्जा घरेलू पेट्रोलियम भंडार से आती है। हमने लगभग सात साल पहले (कृष्णा गोदावरी) केजी बेसिन डी-6 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की गैस की खोज को मान्य किया है। तब से निजी क्षेत्र ने भी कोई नई खोज नहीं की है। अगर हम तेल और गैस की खोज और उत्पादन के मामले में केवल भारत के सामने आने वाले अनूठे भौगोलिक मुद्दों को हल करने के लिए अनुसंधान और विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण संसाधनों का निवेश नहीं करते हैं तो भविष्य अनिश्चित प्रतीत होता है।

तेल कूटनीति को प्रभावी करने के तरीके

1.2 बिलियन लोगों के साथ, भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और भौगोलिक भू-भाग के मामले में सातवां सबसे बड़ा देश है। जब सकल घरेलू उत्पाद को ध्यान में रखा जाता है तो देश दस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसके अलावा, 2008 के वित्तीय संकट के बावजूद, राष्ट्र ने 2000 के बाद से लगभग 7% वर्ष की आर्थिक वृद्धि की है।

देश में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन वे देश की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल की अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे मध्य पूर्वी देशों से आयात करना पड़ता है। आजकल रूस किफायती कीमत पर कच्चा तेल उपलब्ध कराने के लिए आगे आया है।

इसलिए, सर्वोत्तम मूल्य निर्धारण और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास में, राष्ट्र ने सरकार के स्तर पर और कुछ हद तक निजी उद्यमों के माध्यम से कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत 2025 तक चीन के बाद दुनिया के ऊर्जा संसाधनों पर दूसरा सबसे बड़ा दबाव डालेगा। राष्ट्र इसे दो तरीकों से संबोधित करने का प्रयास कर रहा है: अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर, जो अगले 25 वर्षों में कुल ऊर्जा क्षमता के 4.2% के वर्तमान स्तर से बढ़कर 9% होने की उम्मीद है। भारत में वर्तमान में 8 परमाणु रिएक्टर हैं और 2025 तक 18 और परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना है। यदि ऐसा किया जाता है, तो देश के पास पूरी दुनिया मेंसबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर होंगे। भारत में 56% से अधिक ग्रामीण घरों में बिजली की पहुंच नहीं है, जो देश की ऊर्जा जरूरतों की गंभीरता को उजागर करता है।

भारत दुनिया के विभिन्न हिस्सों से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है। 2012 में भारत द्वारा विभिन्न स्रोतों से कच्चे तेल का निम्नलिखित प्रतिशत आयात किया गया थाः सऊदी अरब (लगभग 19%) अफ्रीका (18%) पश्चिमी गोलार्ध (18%) इराक (13%) कुवैत (10%) संयुक्त अरब अमीरात (9%) ईरान (6%) अन्य मध्य पूर्व (6%) और अन्य (4%)।

नाभिकीय ऊर्जा

नाभिकीय ऊर्जा भाप उत्पन्न करने के लिए उबलते पानी की एक कुशल विधि है, जिसका उपयोग टर्बाइनों को घुमाने के लिए किया जाता है, जो बिजली पैदा करते हैं। परमाणु ऊर्जा को अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की तुलना में इसके कम पर्यावरणीय प्रभाव और अपशिष्ट उत्पादन के कारण

फायदेमंद माना जाता है। पवन फार्मों और सौर फोटोवोल्टिक सुविधाओं की तुलना में, परमाणु ऊर्जा को क्रमशः 360 और 75 गुना कम भूमि की आवश्यकता होती है। एक इंच लंबा यूरेनियम पैलेट, जिसका उपयोग परमाणु ईंधन के ऊर्जा घनत्व को मापने के लिए किया जाता है, 17,000 घन फीट प्राकृतिक गैस और 120 गैलन तेल के बराबर होता है।

भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम

राजनीतिक नेतृत्व की आकांक्षाओं और विश्वासों को प्रतिबिंबित करते हुए, परमाणु हथियारों से सम्बंधित भारत की घरेलू और विदेश नीति एक विरोधाभास पर आधारित थी जो समवर्ती 'स्वतंत्रता की खोज और शांति के लिए प्रतिबद्धता' पर केंद्रित थी (राम, 1999)। एक तरफ, परमाणु प्रौद्योगिकी प्राप्त करने से राष्ट्र को अपनी ऊर्जा जरूरतों को कम करने, आर्थिक विकास का समर्थन करने और (परमाणु हथियारों के माध्यम से) अपने पड़ोसियों और अन्य लोगों के बुरे इरादों के विरुद्ध एक प्रभावी प्रतिरोध की पेशकश करने में मदद मिल सकती है। दूसरी ओर, भारत का राजनीतिक नेतृत्वपरमाणु निरस्त्रीकरण के पक्ष में दृढ़ता से बना रहा, यह दावा करते हुए कि किसी भी परमाणु हथियारों की उपस्थिति से वैश्विक और घरेलू सुरक्षा दोनों को खतरा है।

भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग और विकास रहा है। भारत ने मौलिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी, कैंसर अनुसंधान और शिक्षा सहित अध्ययन के विभिन्न अन्य क्षेत्रों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करते हुए एक कम लागत वाला, प्रभावी ऊर्जा स्रोत बनाने की मांग की। भारत के परमाणु कार्यक्रम के महत्वाकांक्षी तीन-चरणीय बिजली उत्पादन कार्यक्रम को एक बंद ईंधन चक्र कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया था जिसमें प्रत्येक चरण अगले चरण में प्रवेश करता है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, परमाणु ईंधन चक्र के पहले चरण से उपयोग किए गए परमाणु ईंधन में अभी भी 96% सामग्री है जिसका फिर से उपयोग किया जा सकता है। इस सामग्री का उपयोग दूसरे चरण में एक बार फिर किया जाता है, और दूसरे चरण से खर्च किए गए ईंधन का उपयोग तीसरे चरण के लिए किया जाता है। यह एक बंद श्रृंखला स्थापित करता है जिसमें ईंधन का पुनः उपयोग किया जाता है और अधिकतम दक्षता के लिए पुनर्नवीनीकरण किया जाता है।

2013 में, 7 परमाणु ऊर्जा सुविधाओं में 22 से अधिक परमाणु रिएक्टरों के साथ, राष्ट्र अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम था। देश 6780 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करता है। 650 मिलियन टन CO^2 उत्सर्जन को टाला गया है और देश में पहले ही 755 बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा चुका है।

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए सरकार की पहल

भारत के महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम का दूसरा चरण चल रहा है। 2024 तक, राष्ट्र को 12 अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण की उम्मीद है। ऐसा करने से कीमत Rs. 4 (US$0.05) प्रति यूनिट से घटकर Rs.3 (US $0.03) हो जाएगी। कीमतों में इस कमी के कारण देश के परमाणु लक्ष्य आगे बढ़ेंगे। 2024 तक, देश में अपना पहला उत्तरी रिएक्टर होगा। 6700 मेगावाट अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा प्रदान करने वाले नौ परमाणु रिएक्टर देश में पहले से ही निर्माणाधीन हैं। राष्ट्र ने 9000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले 12 और रिएक्टरों के निर्माण को भी मंजूरी और मंजूरी दी है। सरकार ने 2019 में परमाणु ऊर्जा

विभाग को Rs. 10,000 करोड़ (1.31 बिलियन डॉलर) आवंटित किए और अगले दस वर्षों के लिए बजट को Rs. 10,000 करोड़ (1.31 बिलियन डॉलर) वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। देश का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र के जैतापुर में बनाया जाएगा। यह बिजली सुविधा 9900 मेगावाट ऊर्जा पैदा करेगी और दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा, जिससे हजारों नौकरियों का सृजन होगा। फ्रांसीसी सरकार के साथ मिलकर यह परियोजना शुरू की जाएगी।

हाल के वर्षों में सरकार ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत परमाणु ऊर्जा संयंत्र संयुक्त उद्यम बनाने की अनुमति देना।
- भारतीय परमाणु बीमा पूल (आईएनआईपी) की स्थापना और परमाणु क्षति के लिए नागरिक देयता (सीएलएनडी) अधिनियम से सम्बंधित मुद्दों का समाधान।

भारत में परमाणु ऊर्जा का भविष्य

पवन और सौर ऊर्जा के विपरीत, जो लगातार सुलभ नहीं हैं, भारत की परमाणु ऊर्जा देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद समाधान है। इसके परिणामस्वरूप दुनिया की ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) में भारत के योगदान में भी कमी आ सकती है जो 6.5% था और मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र से बना था। 2031 तक, भारत की 6,790 मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता 22,480 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। इस तरहराष्ट्र अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का बेहतर उपयोग करने और अपने शून्य ऊर्जा लक्ष्यों तक पहुंचने में सक्षम होगा।

ऊर्जा के अन्य गैर-पारंपरिक रूप

जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर-पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बिजली उत्पादन बढ़ाने के विचार का भारत सरकार ने लंबे समय से स्वागत किया है। भारत में बिजली उत्पादन में कोयले का अंशदान 78% है, जबकि पनबिजली और अन्य नवीकरणीय स्रोत का अंशदान13% हैं। संतुलन परमाणु, प्राकृतिक गैस और तेल बिजली उत्पादन द्वारा प्रदान किया जाता है।

जलविद्युत ऊर्जा

1995 और 2020 के बीच पनबिजली और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में अनुमानित वृद्धि का आधे से अधिक विकासशील देशों में होने की उम्मीद है, जहां बड़े पैमाने पर पनबिजली परियोजनाएं नवीकरणीय ऊर्जा की खपत के स्तर को बढ़ाती हैं। इसने चीन और भारत में कई बड़े पैमाने की परियोजनाओं की योजना बनाई है।

चीन की तरह, भारत देश की बिजली की कमी को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर पनबिजली परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। देश के ऊर्जा मिश्रण में सुधार करने के लिए, सरकार ने पनबिजली के विकास को प्रोत्साहित करने की रणनीति शुरू की और इसके विकास को बढ़ाने के लिए टैरिफ सब्सिडी को लागू करना चाहती है।

नतीजतन, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सरकार ने 2002 तक 12 बड़े पैमाने पर

परियोजनाओं को बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है, मौजूदा पनबिजली क्षमता को 3.7 गीगावाट तक बढ़ा दिया है जो अब मौजूद है। यह अनुमान लगाया गया है कि राज्य क्षेत्र की नई परियोजनाएं अतिरिक्त पनबिजली में 5.81 गीगावॉट का योगदान देंगी. और निजी क्षेत्र की पहलों से 350 मेगावाट की वृद्धि होगी। भारत की नदियों की संपत्ति के बावजूद, बड़े पैमाने पर पनबिजली परियोजनाएं राजनीतिक और पर्यावरणीय चुनौतियों के कारण प्रतिबंधित हैं, जैसा कि सरदार सरोवर परियोजना के आसपास की वर्तमान चर्चा से पता चला है। इस प्रकार, अधिकतम 3 मेगावाट क्षमता वाले छोटे पैमाने के पनबिजली संयंत्र एक प्रतिस्थापन के रूप में काम कर सकते हैं और दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप सेउत्तर-पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के क्षेत्र में, 30,000-40,000 मेगावाट क्षमता में से केवल 306 मेगावाट का उपयोग किया गया है।

गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए 3 मेगावाट की अधिकतम क्षमता वाली लघु और सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहा है। ये परियोजनाएं, जो 25 राज्यों और द्वीप क्षेत्रों में की जा सकती हैं, लगभग 2,040 मेगावाट उत्पादन क्षमता का उत्पादन कर सकती हैं।

पवन ऊर्जा

निश्चय हीभारत की ऊर्जा आवश्यकताओंको पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा के अलावा अन्य अपरंपरागत ऊर्जा विकल्पों का उपयोग करना सुरक्षित और अधिक पर्यावरण के अनुकूल होगा।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार पवन ऊर्जा लगातार चार वर्षों से सबसे तेजी से बढ़ने वाला नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत रहा है, इसलिए यह तर्कसंगत लगेगा यदि इस उद्योग के विकास के लिए अधिक धन अलग रखा जाए। प्रौद्योगिकी में सुधार और अनुकूल सरकारी नीतियों ने 1998 में वैश्विक स्तर पर 2,100 मेगावाट की नई पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता की स्थापना को प्रेरित किया। पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के प्रयास में, कई देशों ने पवन-जनित बिजली के लिए एक निश्चित मूल्य की गारंटी दी है। तकनीक की कीमत बहुत भिन्न होती है, फिर भी कभी-कभी यह पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की लागत के करीब पहुंच रही है। 1981 और 1991 के बीच पवन टरबाइन की कीमतों में गिरावट आई, जबकि टरबाइन की कीमतों में कमी, बेहतर दक्षता और सस्ते परिचालन और रखरखाव खर्चों के परिणामस्वरूप पिछले दशक के दौरान टरबाइन द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा की लागत में आधी कटौती की गई है। कुल मिलाकर, पांच देश-जर्मनी, अमेरिका, डेनमार्क, भारत और स्पेन- दुनिया में स्थापित क्षमता का 80% से अधिक हिस्सा हैं।

भारत पवन ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन मौसम विज्ञान की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण पवन संसाधनों का अभाव है। फिर भी, पवन ऊर्जा का उत्पादन कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में उचित लागत पर किया जा सकता है। हालाँकि 3,000 पवन-संचालित पंप लगाए गए हैं, और हाल के पवन खेतों ने 71 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है, भारत में पवन ऊर्जा परियोजनाओं ने आम तौर पर खराब प्रदर्शन किया है। इसका मुख्य कारण यह है कि कुछ क्षेत्रों के पवन संसाधनों का अधिक आकलन किया गया था, परियोजनाओं का डिजाइन और संचालन कम था, और उपयोगिता ग्रिड के साथ समस्याएं थीं। 10 नतीजतन, पवन ऊर्जा को भारत में ऊर्जा का आर्थिक रूप से व्यवहार्य वैकल्पिक स्रोत बनने में कई साल लगेंगे, भले ही यह हाइड्रो का र्बन के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी विकल्प हो।

सौर ऊर्जा: भारत में सौर ऊर्जा एक और ऊर्जा स्रोत है। सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाले पीवी सेल की उच्च कीमत का मतलब है कि सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से एकीकृत करने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। बाद की सरकारों द्वारा 700 पीवी पंप, 26,000 पीवी होम लाइटिंग यूनिट, 800 पीवी-आधारित टीवी और सामुदायिक इकाइयों और 30,000 पीवी - संचालित स्ट्रीट लाइटों की स्थापना, जो सामूहिक रूप से लगभग 530 किलोवाट का उत्पादन करती हैं, एक शुरुआत है, लेकिन व्यापक पैमाने पर पीवी को तैनात करने के लिए बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। सौर तापीय उपकरणों को घरों के लिए व्यापक रूप से सुलभ बनाना समझ में आता है क्योंकि कई थोक ऊर्जा उपयोग (जैसे हीटिंग और खाना पकाने) के लिए केवल निम्न श्रेणी के ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सौर जल ताप उपकरणों की स्थापना धीमी हो गई है, और हालांकि हीटिंग और कूलिंग इमारतों के लिए सौर निष्क्रिय प्रणालियों के उपयोग के माध्यम से बड़ी बचत की जा सकती है, कुछ अलग-अलग वास्तुशिल्प प्रयोगों के अलावा, इस क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल नहीं किया गया है (कृष्णकुट्टी, 2021)।

सौर ऊर्जा क्रांति

भारत में, सौर ऊर्जा में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है और यह अंततः देश के बिजली उत्पादन मिश्रण के कोयले के अनुपात को पार कर जाएगी, एसटीईपीएस परिदृश्य के अनुसार, या जल्द ही सतत विकास परिदृश्य के तहत। वर्तमान में कोयला भारत की बिजली का लगभग 70% उत्पादन करता है. जबकि सौर 4% से कम उत्पादन करता है। चरणों में, वे 2040 तक कम 30% रेंज में अभिसरण करते हैं, और कुछ परिदृश्यों में, संक्रमण और भी तेजी से होता है (भारत उर्जा आउटलुक, 2021)। 2030 तक 450 गीगावॉट नवीकरणीय क्षमता तक पहुंचने के लक्ष्य और सौर की अभूतपूर्व लागत- प्रतिस्पर्धा सहित भारत सरकार की आकांक्षाएं, जो मौजूदा कोयले से चलने वाले आईईए से बेहतर प्रदर्शन करती हैं, इस नाटकीय बदलाव के लिए प्रेरक शक्तियां हैं। सभी अधिकार सुरक्षित हैं। अंत में, बैटरी भंडारण के साथ संयुक्त होने पर भी, 2030 तक 13 पावर। उपयोगिता-स्तरीय नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं कुछ रचनात्मक नियामक रणनीतियों के कारण लोकप्रियता में बढ़ रही हैं जो "चौबीसों घंटे" आपूर्ति प्रदान करने के लिए अन्य उत्पादन प्रौद्योगिकियों और भंडारण के साथ सौर ऊर्जा के संयोजन का समर्थन करती हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के पीछे की गति को बनाए रखने के लिए भूमि अधिग्रहण, उत्पादकों को विलंबित भुगतान और नियामक और अनुबंध अनिश्चितताओं से सम्बंधित जोखिमों को दूर करने की भी आवश्यकता है। भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा की क्षमता, विशेष रूप से रूफटॉप सोलर पैनल, सोलर थर्मल हीटिंग और वाटर पंप जैसे अन्य अनुप्रयोगों के लिए, किसी भी तरह से एसटीईपीएस में पूर्वानुमानों से समाप्त होने के करीब नहीं है।

भारत के सामने ऊर्जा सुरक्षा के खतरे

अगले दो दशकों के लिए जीवाश्म ईंधन के लिए भारत की समग्र आयात : लागत में तेल अब तक का सबसे बड़ा घटक है, जो इंगित करता है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में बनी रहेगी। 2040 तक, आयातित तेल पर शुद्ध निर्भरता वर्तमान 75% के स्तर से बढ़कर 90% हो जाएगी क्योंकि तेल और गैस का घरेलू उत्पादन खपत के रुझानों से पीछे है। आयातित ईंधनों पर यह निरंतर निर्भरता देश को मूल्य चक्र,

अस्थिरता और संभावित आपूर्ति व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनाती है। यदि बिजली प्रणाली के संचालन में आवश्यक लचीलापन साकार नहीं होता है, तो भारत के घरेलू बाजार में, विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र में, ऊर्जा सुरक्षा जोखिम भी मौजूद हो सकते हैं। कई विद्युत वितरण व्यवसायों की कमजोर वित्तीय स्थिति बिजली आपूर्ति की निरंतरता के लिए एक अतिरिक्त प्रणालीगत जोखिम पैदा करती है। इस उद्योग में सुधार करने की कुंजी टैरिफ की लागत प्रतिबिंबन को बढ़ाना, चालान और संग्रह की प्रभावशीलता और तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को कम करना है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड- 19 महामारी का प्रभाव

भारत ने अपने हाल के ऊर्जा विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन अभी भी कई बाधाओं को दूर करना है, और कोविड-19 के प्रकोप ने महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा किया है। हाल के वर्षों में, भारत ने अपने लाखों निवासियों को बिजली से जोड़ने में मदद की है, अधिकांश परिवारों द्वारा अत्यधिक कुशल लीड लाइटिंग के उपयोग को प्रोत्साहित किया है, और सौर ऊर्जा के नेतृत्व में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में उल्लेखनीय वृद्धि की है। भारतीय नागरिकों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। दूसरी ओर, कोविड-19 संकट ने अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के प्रयासों में बाधा डाली है।

वैश्विक महामारी से पहले 2019 और 2030 के बीच भारत की ऊर्जा की मांग में लगभग 50% की वृद्धि होने का अनुमान था, लेकिन इस अवधि के लिए विकास अनुमान अब राज्य नीतियों के परिदृश्य (एसटीईपीएस) में 35% और विलंबित रिकवरी परिदृश्य में 25% के करीब हैं। कम आय वाले परिवारों को गंदे और कम कुशल ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करने के लिए मजबूर करके, बाद वाला ऊर्जा गरीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत की कुछ जिद्दी उपलब्धियों को खतरे में डाल देगा। इसके अलावा, यह ऊर्जा निवेश में कमी में देरी करेगा, जो हमारे अनुमान के अनुसार, 2020 तक भारत में 15% कम हो जाएगा। बीमारी और उसके बाद के परिणाम क्षणिक रूप से उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, लेकिन वे भारत को अपने दीर्घकालिक सतत विकास लक्ष्यों के करीब नहीं लाते हैं क्योंकि मांग में गिरावट से कोयले और तेल को सबसे अधिक नुकसान होता है।

निष्कर्ष

जहाँ तक इसकी विशाल आबादी और आर्थिक विस्तार की अपनी प्रत्याशित दर को बनाए रखने की इच्छा का सम्बंध है, भारत को अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत की अधिकांश बिजली अब लागत-आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित की जाती है, लेकिन जैसे-जैसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल बिजली उत्पादन विधियों की आवश्यकता सामने आई है, सरकार देश के ईंधन मिश्रण को कोयले से दूर और प्राकृतिक गैस जैसे स्वच्छ ईंधन की ओर बदलने का प्रयास कर रही है। हालाँकि, यह एक वास्तविकता है कि अगले दशकों में हाइड्रोकार्बन की कीमत आसमान छू जाएगी क्योंकि विश्व भंडार तेजी से दुर्लभ हो रहे हैं, और क्योंकि भारत हाइड्रोकार्बन उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, इसलिए यह ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मजबूर होगा जिसमें इसके तेल आयात बिल को कवर करने के लिए इसकी विदेशी मुद्रा की पर्याप्त राशि समाप्त हो जाएगी।

परिणामत:पर्याप्त ऊर्जा बचत केवल एक समझदार ऊर्जा रणनीति के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है जो

न केवल ऊर्जा-कुशल और नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करती है, बल्कि वास्तविक संसाधन लागतों के आधार पर ऊर्जा मूल्य निर्धारण को भी लागू करती है। मध्यम और दीर्घकालिक अवधि में बिजली की प्रत्याशित मांग को देखते हुए सभी उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करना आवश्यक है। परमाणु ऊर्जा देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक संभावित विकल्प है, भले ही भविष्य में बिजली उत्पादन का महत्वपूर्ण हिस्सा तापीय और पनबिजली संयंत्रों से आने का अनुमान है।

वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के युग में पूर्ण स्वतंत्रता और अलगाव की नीति स्वीकार्य नहीं है। भारत ने इसे एक संकेत के रूप में लिया और अपनी राज्य के नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था और गुटनिरपेक्ष हैंगओवर को छोड़ दिया। भारत ने तब 1991 मं "एक नई आर्थिक नीति" की घोषणा की, इस प्रकार निजीकरण, उदारीकरण और अलगाव की विशेषता वाली "पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली" के पक्ष में समाजवाद को छोड़ दिया।

भारत को हाल के वर्षो में अपनी ऊर्जा कूटनीति को दी गई गति को जारी रखना चाहिए। भारत को ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन दोनों से सम्बंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो बहुधा अटूट रूप से जुड़े होते हैं। स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन को पारंपरिक ऊर्जा कूटनीति में शामिल किया जाना चाहिए और यह ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने के समान ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह नए ऊर्जा भागीदारों के साथ की गई उपलब्धियों को मजबूत करने के अलावा पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में अपने लंबे समय से आपूर्तिकर्ताओं के साथ अपने सम्बंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करे। भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए तेल और प्राकृतिक गैस को सुरक्षित करना भी इस कूटनीति का एक अनिवार्य घटक है।

संदर्भ सूची

वार्षिक रिपोर्ट 2011-12 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, (Pg. 7).

डॉ. अशोक शर्मा द्वारा ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत की खोज (23 फरवरी, 2020) (https://www.daylypioneer.com/2020/sunday-edition/india---s-quest-for-energy-security.html)

(https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/india.aspx#Notes references)

"भारत में परमाणु ऊर्जा" (अद्यतन मई 2022) (https:// world-nuclear.org/information-library/country- profiles/countries-g-n/india.aspx)

"भारत की विकसित होती ऊर्जा कूटनीति", हिंदुस्तान टाइम्स संपादकीय (09 दिसंबर, 2020)

भारत की ऊर्जा सुरक्षा की खोजः घरेलू उपाय, विदेश नीति और भू-राजनीति अशोक शर्मा द्वारा (1 जुलाई, 2019) सेज पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड लि.

ज़ोरावर दौलेट सिंह, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा "शक्ति और कूटनीतिः शीत युद्ध के दौरान भारत की विदेशी नीतियां" (September 15th, 2018).

लेख-"खंडित और उपयुक्तः भारत की ऊर्जा कूटनीति" प्रमित पाल चौधरी द्वारा (13 मार्च, 2015) (https://rhg.com/research/fragmented-and-fitful-indias-energy-diplomacy/)

"ऊर्जा पर भारत का नया रुख बयानबाजी प्रभावशाली है, लेकिन सरकार की नीतियां अस्थिर दिखती हैं"- मैत्रेयी मुखर्जी और असित विश्वास (May 19th, 2015).

विदेश मंत्रालय की ई-बुक "ब्रेकथ्रु डिप्लोमेसी: न्यू विजन, न्यू वाइगर" (December 31st, 2014).

डॉ. अशोक शर्मा द्वारा ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत की खोज (23 फरवरी, 2020) (https://www.daylypioneer.com/2020/sunday-edition/india---s-quest-for-energy-security.html)

एन. राम, राइडिंग द न्यूक्लियर टाइगर, नई दिल्लीः लेफ्टवर्ड बुक्स, 1999, p.vii.

"सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस और भारत द्वारा सह- स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में सब कुछ"-पिया कृष्णकुट्टी, द प्रिंट (January 29th, 2021).

भारत ऊर्जा आउटलुक, 2021 (Pg. 12)

वनाश्रित जनजातीय जीवन में महिलाओ की भूमिका

मंजुला वर्मा*
भगवंता सिंह बघेल**
चिंतामणि टांडिया***
शिवाजी चौधरी****

सारांश

प्रस्तुत शोध में जनजातीय समाज में महिलाओं द्वारा ईंधन एकत्रण एवं घरेलू निर्णय जैसे पहलुओं पर चर्चा की गयी है। मध्य भारत में जनजातीय महिलाएं ना केवल घरेलू कार्य करती है बल्कि वह बाहरी कामकाज में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। वह मजदूरी, नौकरी, स्व- रोजगार द्वारा अपने परिवार की आर्थिक सहायता करती हैं। ग्रामीण जनजातीय महिलाएं समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण अंग हैं। ईंधन एकत्रण, कृषि कार्यो, लघु-वनोपज एवं जलाऊ लकड़ी एकत्रण एवं संग्रहण और बिक्री कर जीवकोपार्जन के लिए महिलाएं अग्रिम हैं। जंगल के सच्चे रखवाले यह जनजातीय समाज ही हैं। जनजातीय समाज का रहन-सहन वनों के ऊपर आश्रित है पर वनों का छरण इनके सामान्य जीवन और आजीविका के लिए नुकसानदायक है। अध्ययन से यह पता लगाया गया कि किस तरह आज जनजातीय समाज की महिलाएं जंगल के साथ अन्य सामजिक कार्यो में अपनी भूमिका निभा रही हैं। एक तरफ जहाँ हम विकास की असीमित ऊचाइयों को छू रहे हैं वहीं दूसरी तरफ हमारा जंगल और जनजातीय जीवन दोनों खतरे में हैं।

बीज शब्द : जनजातीय समाज, लघु वनोपज एकत्रण, ईंधन एकत्रण, जनजातीय महिलाएं, वनाश्रित

प्रस्तावना

वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की विशाल विविधता उन्हें मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक बनाती हैं। विकासशील देशों में वन, जीवन और अस्तित्व दोनों के लिए आवश्यक हैं। वन कई विकासशील देशों में करोड़ों लोगों की आजीविका को बनाए रखते हैं जिनमें अधिकतर गरीब और कमजोर तबके के लोग शामिल हैं (Forestry & Interventions, 2016)। प्रकाशित शोध और साहित्य के अनुसार महिलाएं विशेष रूप से ग्रामीण महिलाएं, समाज में सबसे कमजोर वर्ग हैं। महिलाएं अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं, फिर भी उन्हें श्रम विभाजन, पहुंच, नियंत्रण और वनों जैसे प्राकृतिक संसाधनों की समझ के मामले में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वह महिलाएं जिनकी आधी आमदनी वनो से आती है इस भेदभाव से ज्यादा ग्रसित पायीं गयी हैं इसलिए, उन्हें इस तक सुरक्षित पहुंच की आवश्यकता है (World Bank 2016; Moss and Swan 2013)। ना केवल भारत में बल्कि अधिकांशतः क्षेत्रो में महिलायें ही घरेलू निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

****सहायक प्राध्यापक, पर्यावरण विज्ञान विभाग, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.)

अभी भी महिलाएं पर्यावरणीय गिरावट से सबसे अधिक प्रभावित हैं और संसाधन उपयोग के संबंध में उनके साथ भेदभाव किया जाता है (Shandra et al., 2008)। भारत में आदिवासी महिलाएं बेहद मेहनती हैं और उनका काम सिर्फ घरेलू कामों तक ही सीमित नहीं है। आदिवासी महिलायें घरेलू , जंगल एवं कृषि कार्य के साथ परिवार की बाकी जिम्मेदारियों में भी सहयोग देती हैं, जैसे बच्चो की देखभाल, बच्चो की शिक्षा जैसे जरुरी कार्यों में भी अपना दायित्व निभाती हैं। अध्ययन से पता चलता है कि ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग लगभग 50000 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है और यह ऊर्जा के सबसे पुराने स्रोतों और मनुष्य को ज्ञात सबसे आम सेवा सामग्री में से एक है। ईंधन की लकड़ी, जो जंगल से शाखाओं को काटकर, गिरी हुई लकड़ी को इकट्ठा करके, या सूखे और रोगग्रस्त पेड़ों को काटकर इकट्ठा की जाती है, कई विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू ऊर्जा का सबसे आम स्रोत जलाऊ लकड़ी है। ईंधन लकड़ी की मांग, जो जानवरों के गोबर और कृषि अपशिष्ट अवशेषों के साथ-साथ खाना पकाने के मुख्य ईंधन में से एक है। उनके निर्णयों के आधार पर पशुधन का पोषण, रखरखाव और ग्रामीण क्षेत्रों में जैव ऊर्जा आपूर्ति भी की जाती है। मध्य भारत में अधिकांश आदिवासी ग्रामीण गरीब हैं और उनके पास एलपीजी कनेक्शन और बिजली तक पहुंच नहीं है। यह 70% भारतीय आबादी के लिए प्रमुख ऊर्जा सेवा प्रदाता है , ईंधन की लकड़ी की प्राहर्तिक स्थिति, विकेन्द्रित एकत्रण एवं उपलब्द आंकड़ों की वजह से इसे समझने में कठिनाई बनी हुई है (Swaminathan, n.d.)।

प्राकृतिक वनों से निकाली गई ईंधन की लकड़ी कई उष्णकटिबंधीय देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। ईंधन की लकड़ी का निष्कर्षण ,प्राकृतिक वनों की संरचना और प्रजातियों की संरचना पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इस सन्दर्भ में दीर्घकालिक अध्ययन बहुत कम हैं (Rüger et al., 2008)। पहाड़ी एवं शीतोष्ण प्रदेश में रहने वाले लोग अपने घर में लकड़ी इकट्ठा करते हैं और ठण्ड से बचने तथा भोजन पकाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। साथ ही इसे इकट्ठा करके आय के लिए बेचा भी जा सकता है (Muzirikazi, 2016)। कठोर सर्दियाँ और कम आय के कारण उन्हें ईंधन की लकड़ी पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है । वनों की कटाई से महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका बनाए रखने में कठिनाई हो रही है (Agarwal, 2017)। जंगल ईंधन की लकड़ी का प्रमुख स्रोत रहे हैं लेकिन तेजी से ईंधन की लकड़ी गैर-वन स्रोतों से प्राप्त की जा रही है। कुछ प्रजातियों का कैलोरी मान बेहतर होता है इसलिए उन पर अधिक प्राथमिकता और अधिक दबाव हो सकता है। इससे ईंधन की लकड़ी की प्रजातियों पर मानवजनित दबाव बनता है और इस प्रकार उनकी प्राकृतिक आबादी और पुनर्जनन में बाधा आती है। वर्तमान वानिकी नीति (Ganesanen, 2013) के संदर्भ में वन प्रजातियों की संरचना और संसाधन उपयोग पर मानवजनित गड़बड़ी (आग, मवहशी चराई, और गैर-लकड़ी वन उत्पाद निष्कर्षण) के प्रभाव का पता लगाया गया था। कई विकासशील देशों में ईंधन की लकड़ी विभिन्न घरेलू उपयोगों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है; संरक्षण सबसे प्रभावी होता तब होता है जब घरेलू जरूरतों के पैटर्न को समझकर वन संसाधनों के लिए उपयुक नीति बनाई जा सके (Kegode et al., 2017)। आदिम आवासों के पास रहने वाले मानव समुदाय अक्सर अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए जंगलों की लकड़ी पर निर्भर होते हैं (Kahlenberg et al., 2021)। अनुसंधान इंगित करता है कि वैश्विक वनों की कटाई और भूमि क्षरण का विस्तार, अप्रभावी वन भूमि प्रबंधन प्रथाओं और वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधनों की कमी के साथ वन जैवभार के बढ़ते उपयोग के कारण होता है। अध्ययन में हमने जन एवं जंगल दोनों को एक दूसरे के परिपूरक बताने की कोशिश की है तथा जनजातीय समाज में महिलाओ के योगदान को बताने की बात की

है और जलाऊ लकड़ी के महत्व को प्रमुखता से स्पष्ट किया है।

कार्यप्रणाली

यह शोध पत्र द्वितीयक स्रोत पर आधारित है। हमने कई प्रकाशित शोध पत्रों से जानकारी प्राप्त कर इस अध्ययन के लिए जरुरी तथ्यों को प्रस्तुत किया है जिसमें कई सूचना एवं संचार तकनीकों की सहायता से जैसे की गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट इत्यादि जानकारी एक्कठी की गयी हैं। इस अध्यन हेतु लगभग 30 रिसर्च पेपर की समीक्षा गयी है।

परिणाम

जनजातीय समाज

अनेक संस्कृति से परिपूर्ण हमारा देश विश्व में विख्यात है जहां अनेक तरह की विविधता देखने को मिलती है। जनजातीय समाज का एक ऐसा समुदाय है जो इस धरा के मूल निवासी हैं या कहें अभिन्न अंग हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने आदिवासियों को पृथक रूप से विस्तारित किया है जैसे लिंटन, हावल, ए. आर. देसाई, मजूमदार, गिलिन। इन सभी ने आदिवासियों के संस्कृति-सभ्यता को अपने-अपने समझ से बताया है। जनजातीय समाज की अपनी एक पहचान है। आदिवासी समाज अंतर्विवाही होते है। विश्व के मूल आबादी का लगभग 1/3 जनसंख्या आदिवासी समूह का है। 104 मिलियन (8.6%) से अधिक आदिवासी भारत में रहते हैं। 2011 की जनगणना की जनजातीय जनसंख्या के राज्य-दर-राज्य प्रतिशत वितरण के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम (94.4%), नागालैंड (86.5%), मेघालय (86.1%), अरुणाचल प्रदेश (68.8%) में सबसे अधिक संख्या में आदिवासी समुदाय रहते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर, लक्षद्वीप द्वीप समूह की जनजातीय आबादी 94.8% है। जनजातियों की सबसे बड़ी संख्यात्मक सघनता मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जो भारत की कुल जनजाति का 14.7% है (Naresh, 2014)। परंतु एक अध्ययन ने यह बताया है कि जनजातीय समूह सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं (Kumar M. et al.2020)। जनजाति व्यक्तियों का एक समूह है जो एक ही भौगोलिक स्थिति साझा करते हैं और एक साथ रहते हैं और काम करते हैं। एक जनजाति की एक साझा भाषा, धर्म और संस्कृति होती है। वह एक समूह के रूप में भी काफी एकजुट हैं। आमतौर पर एक मुखिया जनजाति का नेतृत्व करता है। जनजातीय समाज का रहन-सहन मुख्यतः जंगलों पर आश्रित होता है।

जनजातीय समाज में जंगलों का महत्व

जनजातीय समाज में जंगलों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। ना केवल आर्थिक रूप में बल्कि अन्य और बहुत से कारण हैं। जिनमें जनजातीय समाज जंगलों पर निर्भर है। हमने यह पाया है कि जंगलों के सबसे ज्यादा करीबी जो समुदाय है यह जनजातीय समाज ही है। यह समाज प्रकृति को पूजते हैं। आदिवासी समुदाय जल, जंगल और जमीन के सच्चे रखवाले हैं। जनजातीय सामाजिक जीवन जंगलों के इर्द-गिर्द घूमता है जिनका आर्थिक मूल्य के अलावा धार्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक महत्व भी है। जनजातीय समाज की धार्मिक मान्यताएँ जिनमें कुलदेवता, पवित्र वृक्ष और उपवन की अवधारणाएँ शामिल हैं भू-परिदृश्य में पौधों और जानवरों की विविधता को संरक्षित करने में मदद करती हैं (Singhal et al., 202)। जनजातियों की मान्यता है कि उनके पूर्वजों और देवताओं की आत्माएँ जंगल में रहती हैं जहाँ वह पेड़ों, झाड़ियों और जानवरों की पूजा करते हैं जो जंगल को अपना घर कहते हैं। यह समुदाय वनों से

लकड़ी, चारा, ईंधन, खाने योग्य फल-सब्जियाँ, औषधीय एवं अन्य वन लघु-वनोपज एकत्रण करते हैं। जनजातीय समाज की रोजी-रोटी जंगलों पर निर्भर है।

जनजातीय समाज में महिलाओ का योगदान

किसी समाज में महिलाओं की स्थिति उस समाज के सामाजिक न्याय के स्तर का एक महत्वपूर्ण संकेतक होती है। अलग-अलग सभ्यताओं में महिलाओं के लिए अलग-अलग स्थितियाँ होती हैं। हमारे अध्ययन स्थल में हमने पाया कि जनजातीय समाज में महिलाएं ही पारिवारिक बोझ ढोती हैं। तात्पर्य सभी कार्यों की जिम्मेदारी उनकी ही होती है। ना केवल घरेलू कार्य बल्कि बाहरी कामकाजों में भी महिलाएं ही जिम्मा लेती हैं ,जैसे जीवकोपार्जन के लिए एक राज्य से दूसरे राज्यों में भी दैनिक मजदूरी के लिए जाती हैं। आदिवासी समाज में महिलाओं को अन्य सामाजिक दायरों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ केवल यह सच है कि वह अधिक प्रयास करती हैं जो कि परिवार के वित्त और प्रबंधन के लिए आवश्यक होता है (Bhattacharya and Murmu, 2019)। आदिवासी महिलाएं और पुरुष दोनों ही घरेलू अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए समान रूप से सहयोग करते हैं। महिलाएं अक्सर जंगलों और कृषि क्षेत्रों में आदिवासी पुरुषों की तुलना में अधिक शारीरिक श्रम करती हैं। आर्थिक प्रयासों में महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ, महिलाएं गैर-आर्थिक प्रयासों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं (Marawi and Modi, 2017)। ऐसे उदाहरण भी हैं जहां स्वदेशी महिलाओं की कार्य नीति पुरुषों से बेहतर है। विभिन्न समूहों में, आदिवासी महिलाएं को आम तौर पर समग्र भारतीय महिलाओं की तुलना में अधिक सामाजिक स्थिति प्राप्त हुई है। समाज का दूसरा रूप जहां, पितृसत्तात्मक आदिवासी समुदाय, जो अधिकांशत क्षेत्रो में सभ्यताओं का निर्माण करते हैं, ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्रो में पुरुषों का वर्चस्व देखने को मिलता है। भारत में सात सौ अनुसूचित जनजातियाँ हैं। देश की लगभग 40% आदिवासी आबादी छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में रहती है (Naresh, 2014)। भारत में महिलाएं हमेशा घर के अंदर और बाहर, दोनों जगह अपनी "दोहरी जिम्मेदारियों" के लिए जिम्मेदार होती हैं। वास्तविकता में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक मेहनत करती हैं। वह जुताई को छोड़कर, कृषि के सभी पहलुओं और स्वदेशी कुटीर उद्योग में संलग्न हैं। उत्पादन प्रक्रिया में उनके बहुत सारे कर्तव्य समान होते हैं (Bhasin, 2007)। जब अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने की बात आती है तो आदिवासी समाज में महिलाएं आमतौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जनजातीय समाज की संस्कृति अपने आप में अद्भुत है। इस संस्कृति की जानकारी के लिए आदिवासी महिलाएं वाहक का काम करती हैं। जहां लिखित अभिलेख की कमी होती हैं आदिवासी महिलाएं अपनी धरोहर के संरक्षण भी योगदान देती हैं (Bhasin, 2007)। आदिवासी महिलाएं कला, कहानी कहने, रीति-रिवाजों और देशी भाषाओं के रूप में पारंपरिक ज्ञान की संरक्षक हैं। आम तौर पर खेती निर्वाह, वन उत्पादों के संग्रहण, मिट्टी के बर्तन और बुनाई, टोकरी बनाने जैसे पारंपरिक शिल्प के अभ्यास की देखरेख करने में भी महिलाएं सक्षम होती हैं (सारणी क्र. 2)। जनजातीय समुदायों में महिलाओं को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुंच। इन चुनौतियों की स्वीकार्यता और समाधान स्वदेशी महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके समुदायों के समग्र विकास के बारे में हमें अवगत कराता है।

लघु वनोपज एकत्रण में महिलाओ की भूमिका

विभिन्न प्रकार के जंगलों में मौजूद जैविक प्रजातियाँ जिन्हें लोग लकड़ी के अलावा बेचने और उपभोग के लिए इकट्ठा करते हैं, उन्हें गैर-लकड़ी वन-उत्पाद(एनटीएफपी) कहा जाता है। जनजातीय समाज अधिकतर जंगलों से लघु-वनोपज एकत्रण करते हैं। अलग-अलग मौसमो में यह एकत्रण किया जाता हैं (सारणी क्र.1) । बहुत से भौगोलिक क्षेत्र जहाँ जनजातीय महिलाएं मुख्यतः वानिकी क्षेत्र में अग्रणी हैं जैसे, वन उत्पादों के उपयोग और संग्रहण, पेड़ों के उत्पादक और वन उत्पादों से बने सामानों के खुदरा विक्रेता, तथा वन संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में निर्णय महिलाओ द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ किसान जिनकी कृषि प्रणाली और पशुधन उत्पादन अप्रत्यक्ष रूप से वन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। बहुत सी मूल जनजातियां जिनके पास भूमि कम है उनके आय का मुख्य स्रोत लघु वन उत्पाद है जिसमे अधिकांशतःमहिलाएं एवं बच्चे वनोपज एकत्रण और संग्रहण करते हैं (Molnar, 1991,Naresh, 2014)। कई स्वदेशी समाज आय के स्रोत के रूप में लघु वन उत्पादों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। अन्य अध्ययन जैसे, Rahman et al., 2021 पूर्वोत्तर बांग्लादेश में ; Mushi et al., 2020 उप-सहारा अफ्रीका में; Jalonen et al., 2023 इन सभी द्वारा एनटीएफपी संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन लगभग पूरी तरह से करने में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया हैं। वनों से महिलाएं जलाऊ लकड़ी के अलावा,घर निर्माण हेतु लकड़ी तथा अन्य गैर-लकड़ी वन उत्पाद जैसे भोजन के रूप में वन्य शाक-फल, बीज, पत्तियां और स्वास्थ्य सम्बन्धी दवाएं भी इकट्ठा करती हैं और मवहशियों को चारा उपलब्ध कराती हैं। गरीब और विकासशील देशों के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत, एनटीएफपी जंगलों में पाए जाने वाले संसाधन हैं, जैसे गोंद, औषधीय पौधे, मशरूम, सब्जियां, आदि। अधिकांश क्षेत्रो में यह पाया गया है कि ग्रामीण महिलाएं घर में खाना पकाने और हीटिंग के लिए ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने वाली मुख्य सदस्य हैं, साथ ही कई जगहों में शहरी और औद्योगिक बाजारों में ईंधन की लकड़ी एवं उससे बने कोयले को बेच कर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों, विशेषकर महिलाओं के लिए पूंजी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है (ceselsky 1987, De Beer, & Mc Dermott,1989, कौर,1988, Sarin, 1995)। अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका में अध्ययन से पता चलता है कि वहां की ज्यादातर ग्रामीण महिलाएं मुख्यतः कृषि एवं पेड़ लगाने में अपना ज्यादा समय व्यतीत करती हैं जिससे अपना आर्थिक जीवन-यापन करती हैं (Molnar, 1991)। केंद्रीय आदिवासी बेल्ट, जिसमें पांच राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ शामिल हैं, जहां एनटीएफपी का 70% से अधिक एकत्र किया जाता है (World Bank 1992)। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से आदिवासी महिलाओं द्वारा लघु वनोपज एकत्र किया जाता है जो सालाना 21 अरब रुपयह से अधिक कीमत देता है (Sahoo & Das, 2020)। वियतनाम में एक अध्ययन से पता चला कि एनटीएफपी उन लोगों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है जो जंगलों में या उसके करीब रहते हैं (चित्र क्र. 1)। अन्य श्रेणियों की तुलना में गरीब परिवार एनटीएफपी संग्रह पर अधिक निर्भर हैं (Viet Quang & Nam Anh, 2006)। भारत के जनजातीय क्षेत्रों में वन उत्पादों के निष्कर्षण में महिलाओं की बड़ी भूमिका है, जहाँ लोग उन पर बहुत अधिक निर्भर हैं। चूंकि आजादी के 7 दशक बाद भी इन जगहों पर महिलाएं अभी भी सबसे गरीब हैं, एनटीएफपी संग्रह और विपणन उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनने में मदद कर सकता है (Thapa & Singh, 2021)। मध्य भारत के शुष्क पर्णपाती जंगलों में रहने वाली स्वदेशी आबादी के लिए एनटीएफपी आय का मुख्य स्रोत हैं (P. Bhattacharya & Hayat, 2004)।

महिलाओं द्वारा घरेलू निर्णय और उसका प्रबंधन

महिलाओं पर बोझ और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। महिलाओ को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है या तो घर में माँ बनने के लिए या महिला होने की जिम्मेदारियां, जैसे कृषि का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं द्वारा किया जाता है,साथ ही महिलाओं द्वारा घर, बच्चों और जानवरों की देखभाल भी किया जाता हैं। वह निराई-गुड़ाई करती हैं, कुदाल चलाती हैं, कटाई करती हैं और गहाई भी करती हैं (Bhasin, 2007)। मध्य प्रदेश के गोंड आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण समुदायों में अक्सर महिलाएं लघु वनोपज को बिक्री कर घरेलू आर्थिक सहायता करती हैं। परंपरागत रूप से आदिवासी महिलाएं बिक्री के बजाय उत्सव के लिए शराब बनाती हैं। पर अब इसे बेचना उन महिलाओं के लिए आय का एक नया स्रोत पाया गया है जिनके परिवारों में आर्थिक स्रोत बहुत कमजोर है (Maravi and Modi, 2017)। अलग-अलग क्षेत्रो में महिलाओ की स्थिति अलग हैं। कई विकासशील देशों में घर की दैनिक जरूरतों के लिए आवश्यक वन उत्पादों का संग्रह और प्रबंधन महिलाओं के दायरे में आता है। एक शोध अध्ययन भारत के बिहार राज्य के पटना शहर में पारिवारिक निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका पर गहराई से प्रकाश डालता है। किसी क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण माप समाज में महिलाओं की स्थिति है। अनुसंधान क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की सीमा निर्धारित करने के लिए महिलाओं की महत्वपूर्ण विशेषताओं, जैसे उनकी आवाजाही की स्वतंत्रता, पारिवारिक मामलों में भागीदारी, घरेलू संपत्ति अधिग्रहण में विकल्प, परिवार नियोजन आदि का चयन किया गया है।

ईंधन संग्रहण एवं ग्रामीण महिला

बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण एवं जन-स्वास्थ्य पर खतरा कहीं ना कहीं घरेलू ईंधन के लगातार उपयोग के परिणाम हमें देखने को मिल रहे है। ना केवल ठोस भोजन पकाने वाले ईंधन अपितु कारखानों द्वारा भी पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। जंगलों पर आश्रित जन-जीवन द्वरा मुख्यतःईंधन के रूप में जलाऊ लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण किया जाता है। भारत में लगभग 98% महिलाएं आज भी भोजन पकाने में मुख्य भूमिका निभाती हैं साथ ही लकड़ी पर आश्रित घरो में महिलाएं और बच्चे ही ज्यादातर ईंधन के लिए लकड़ी का संग्रहण करते हैं। ईंधन की लकड़ी की खपत अक्सर स्वयं की कीमत पर होती है, जिसका अर्थ है कि जब ईंधन की लकड़ी की कीमतें बढ़ती हैं तो घरेलू ईंधन की लकड़ी का खर्च बढ़ जाता है, लेकिन कीमतें बढ़ने के साथ खपत में गिरावट आती है। ईंधन की लकड़ी से संबंधित खर्चों में यह वृद्धि आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है। संग्रहण के लिए समर्पित अधिक श्रम के रूप में। सरकार द्वारा ठोस कदम उठायह गए हैं जिससे स्वच्छ ईंधन, उर्जा के रूप में लोगों तक पहुंचाया जा सके। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के 2023 सर्वेक्षण में यह पता चला कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, एलपीजी की खपत में मार्च 2023 में 17.3% की वृद्धि देखी गई। मार्च 2022 की तुलना में इसके साथ 200 रुपयह की सब्सिडी प्रति वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत में सिलेंडर की सरकार ने घोषणा की है (LPG Consumption Report, 2023)।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्रदान करके महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करना और जलाऊ लकड़ी और गोबर के उपलों के संग्रह में शामिल कठिन परिश्रम को कम करना था। सरकार कई पहलू अपनाती है जिससे आम जनता को

पारंपरिक ईंधन पर कम से कम आश्रित होना पड़े जैसे एलपीजी पर भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, जिसकी देखरेख राष्ट्रीय और राज्य सरकारें करती हैं। लेकिन बाजार से उच्च प्रतिस्थापन लागत पर स्वच्छ ऊर्जा खरीदने के बजाय, सार्वजनिक नेटवर्क के अस्थिर आपूर्ति श्रृंखला वितरण के कारण घर के मालिकों को अक्सर बायोमास और कोयला चुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

निष्कर्ष

महिलाएं समाज की अभिन्न अंग हैं और किसी भी जनसँख्या में लगभग 50% हिस्सेदारी रखती हैं। जनजातीय समाज और आर्थिक रूप से विपन्न समाज में महिलाओं की भूमिका अहम होती है। गरीब और आदिवासी समाज में महिलाएं ना सिर्फ घर के काम बल्कि बाहरी कामो में भी पुरुषों से अधिक बढ-चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। घर के काम जैसे कि चूल्हा-चौका, परिवार, बच्चे, भोजन आदि महिलाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी है। घर के बाहर की भूमिका में ईंधन एकत्रण, पानी लाना, मवहशी का चारा, वन्य शाक, वन्य फल एकत्रण यह सभी महिलओं के मुख्य कार्य में शामिल हैं। महिलाएं समाज को सही दिशा और दशा दिलाने में सक्षम हैं साथ ही पुरुष से कदम से कदम मिलाकर चलने में भी। एक शिक्षित महिला अपने बच्चों को अच्छी दिशा दे सकती है और वही आर्थिक रूप से सक्षम महिला अपने परिवार का वर्त्तमान भी सुधार सकती है। वन अंचल और आदिवासी क्षेत्र में महिलाएं सुबह उठने से रात को आंख मूंदने तक अथक परिश्रम करती हैं। वह वन्य शाक, फल और परिवार के लिए पुष्टिकर भोजन बनाने की जिम्मेदारी लेती हैं, साथ ही परिवार में भोजन के लिय प्रयुक्त ईधन की मात्रा एवं गुणवक्ता का ध्यान भी रखती हैं। समाज जहाँ पित्रसत्ता से चलता है ऐसे में महिलाओं के साथ भेदभाव प्रायः देखने को मिलता है, बेहतर वनों का प्रबंधन और उज्जवल भविष्य के लिए महिलाओं की भागीदारी भी पुरुषों के बराबर सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

सारणी क्र. 1. वनोपज एकत्रण समय अवधि

क्रमांक	वनोपज	एकत्रण करने का समय
अ.	जंगली फल	बसंत ऋतु
आ.	मशरूम	वर्षा ऋतु
इ.	जंगली भाजी	शीत ऋतु
ई.	जलाऊ लकड़ी	शीत एवं ग्रीष्म ऋतु
उ.	औषधियां	सभी मौसम में
ऊ.	साल पत्ता	अप्रैल से जून
ऋ.	शहद	ग्रीष्म ऋतु
ऌ.	बॉस	जुलाई से सितम्बर
ऍ.	लाख	मई एवं नवम्बर में
ऐ.	तेंदू पत्ता	अप्रैल से जून

सारणी क्र. 2: जनजातीय महिलाओं की भूमिका विभिन्न क्षेत्रो में

क्र.	महिलाओ द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य	जनजातीय महिलाओ की भूमिका	अध्ययन क्षेत्र	स्रोत
1.	ईंधन एकत्रण	ईंधन एकत्रण और संग्रहण मुख्यतःमहिलाओं द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग भोजन तैयार करने,शीतोष्ण क्षेत्र में ठण्ड से बचने के लिए किया जाता है। अलग-अलग क्षेत्रों में,महिलाएं और लड़कियाँ (बच्चे) नियमित रूप से ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के लिए 2-3 दिनों के अंतराल में सुबह और शाम जंगल जाती हैं। परंतु इसमें अधिक समय लगता है और इसे प्राप्त करना कठिन हो गया है।	उडीसा	(S. Bhattacharya & Murmu, 2019); (Naresh, 2014);
2.	लघु वनोपज संग्रहण	लघु वनोपज आर्थिक सहायता के साथ जीवकोपार्जन में भी जनजातीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण हैं। परिवार का आकार तथा संग्रहण समय दोनों की लघु वनोपज संग्रहण में प्रभावी कारक हैं। गरीब परिवार एनटीएफपी संग्रहण पर अधिक निर्भर हैं। आमतौर पर महिलाओं द्वारा एन टी एफ पी संग्रहण किया जाता है तथा उनसे जीवकोपार्जन चलाया जाता है।	जापान ,वियतनाम	(Rahman et al., 2021);(Viet Quang & Nam Anh, 2006)
3.	कृषि कार्य	महिलाएं विभिन्न प्रकार के कार्यों में भाग ले रही हैं विशेष रूप से फसल उत्पादन और कटाई के बाद में गतिविधियाँ, सब्जियाँ उत्पादन, पशुधन और मुर्गी पालन, और मजदूरी। पुरुषों की तुलना में जनजातीय महिलाएं ज्यादा मेहनती पाई गयी हैं।	उडीसा	Pramanik (1967)
4.	घरेलू कार्य एवं निर्णय	घरेलू गतिविधियों के साथ -साथ भोजन, पानी ईंधन आदि का रख-रखाव आदिवासी महिलओं द्वरा मुख्य रूप से किया जाता है। इसके अलावा घर के जरुरी मुद्दों पर भी महिलाओं द्वार निर्णय लिया जाता है। महिलाएं घर में केन्द्रीय भूमिका निभाती है। महिलाएं वह बुनियादी इकाई हैं जो जीवनयापन के लिए वस्तुओं का उत्पादन, वितरण एवं संग्रहण करती हैं।	लद्दाख, उडीसा	(Bhasin, 2007); Pramanik (1967)

5.	बच्चो की शिक्षा एवं उनके परवरिश	आदिवासी महिलाओं में शिक्षा की दर कम है ,परंतु अब समय बदल रहा हैं। आधुनिक दौर में जहां एक ओर बढ़ती जनसंख्या तो वहीं शिक्षा में बढ़ती महिलाओ की संख्या, चिकित्सा, राजनीतिक, प्रशासनिक और अनुसंधान विकास क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति प्रदर्शित कर रही हैं। जिससे वह अपने बच्चो की शिक्षा पर भी ध्यान दे पाती हैं।	भारत, लद्दाख	(Naresh, 2014);(Bhasin, 2007) ;""
6.	औषधीय	अध्ययनों से यह मालूम होता है कि स्थानीय से लेकर वैश्विक तक, सभी स्तरों पर इन संकटों के कारणों और प्रभावों को समझने के लिए स्वदेशी और स्थानीय ज्ञान पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।	ऑस्ट्रेलिया	(Jones et al., 2019)
7.	आर्थिक गतिविधियों में योगदान	एक महिला अपना भरण-पोषण करने के लिए एवं अपने परिवार के लिए आर्थिक क्षेत्र में काम करना शुरू कर देती है। ग्रामीण महिलाएं स्वरोजगार हेतु स्वयं सहायता समूह से जुड़ कर आर्थिक रूप से मजबूत बनती हैं	पश्चिम बंगाल	(The_Role_of_Tribal_Women_in_Development.Pdf, n.d.);(Forestry & Interventions, 2016)

चित्र क्र. 1: महिलाओं की भूमिका : वन संसाधन के उपयोग में

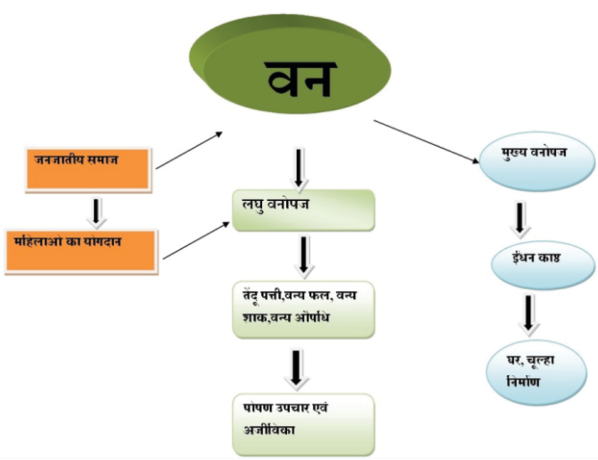

संदर्भ सूची

Forestry, S., & Interventions, F. (2016). Forest Action Plan FY16 – 20. April, 1–4.

Shandra, J. M., Shandra, C. L., & London, B. (2008). Women, non-governmental organizations, and deforestation: A cross-national study. Population and Environment, 30(1–2), 48–72. https://doi.org/10.1007/s11111-008-0073-x

Swaminathan, M. S. (n.d.). Status Report on use of fuelwood in.

Rüger, N., Williams-Linera, G., Kissling, W. D., & Huth, A. (2008). Long-term impacts of fuelwood extraction on a tropical montane cloud forest. Ecosystems, 11(6), 868–881. https://doi.org/10.1007/s10021-008-9166-8

Muzirikazi, R. (2016). The role of women in the deforestation of Mugabe Communal Land in Masvingo District (Doctoral dissertation, BUSE).

Agarwal, B. (2017). Rural Women , Poverty and Natural Resources: Sustenance , Sustainability and Struggle for Change Rural Women , Poverty and Natural Resources: Sustenance , Sustainability and Struggle for Change Author (s): Bina Agarwal Published by: Economic and Poli. January 1989.

Ganesanen, G. (2013). Extraction of Non-Timber Forest Products , including Fodder and Fuelwood , in Mudumalai , India Author (s): Balachander Ganesan Published by: Springer on behalf of New York Botanical Garden Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/4255521 . EXTRA. 47(3), 268–274.

Kegode, H. J. S., Oduol, J., Wario, A. R., Muriuki, J., Mpanda, M., & Mowo, J. (2017). Households' Choices of Fuelwood Sources: Implications for Agroforestry Interventions in the Southern Highlands of Tanzania. Small-Scale Forestry, 16(4), 535–551. https://doi.org/10.1007/s11842-017-9369-y

Kahlenberg, S. M., Bettinger, T., Masumbuko, H. K., Basyanirya, G. K., Guy, S. M., Katsongo, J. K., Kocanjer, N., Warfield, L., & Mbeke, J. K. (2021). A case study of improved cook stoves in primate conservation from Democratic Republic of Congo. American Journal of Primatology, 83(4). https://doi.org/10.1002/ajp.23218

Naresh, G. (2014). Work Participation of Tribal Women in India: A Development Perspective. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 19(12), 35–38. https://doi.org/10.9790/0837-191223538

Singhal, V., Ghosh, J., & Bhat, S. S. (2021). Role of religious beliefs of tribal communities from Jharkhand (India) in biodiversity conservation. Journal of Environmental Planning and Management, 64(13), 2277–2299.

https://doi.org/10.1080/09640568.2020.1861587

Bhattacharya, P., & Hayat, S. F. (2004). Sustainable NTFP management for rural development: A case from Madhya Pradesh, India. International Forestry Review, 6(2), 161–168. https://doi.org/10.1505/ifor.6.2.161.38399

Maravi PS. and Modi S. (2017). CHANGING STATUS OF TRIBAL WOMEN IN ANUPPUR DISTRICT OF MADHYA PRADESH THROUGH MINOR FOREST PRODUCTS (MFPS) Abhinav National Monthly Refereed Journal of Research In. 6(8), 53–59.

Naresh, G. (2014). Work Participation of Tribal Women in India: A Development Perspective. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 19(12), 35–38. https://doi.org/10.9790/0837-191223538

Bhasin, V. (2007). Status of Tribal Women in India. Studies on Home and Community Science, 1(1), 1–16. https://doi.org/10.1080/09737189.2007.11885234

Molnar, A. (1991). Policy review: Women and international forestry development. Society and Natural Resources, 4(1), 81–90. https://doi.org/10.1080/08941929109380744

Naresh, G. (2014). Work Participation of Tribal Women in India: A Development Perspective. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 19(12), 35–38. https://doi.org/10.9790/0837-191223538

De Beer, J. H., & McDermott, M. J. (1989). The economic value of non-timber forest products in Southeast Asia: with emphasis on Indonesia, Malaysia and Thailand. The economic value of non-timber forest products in Southeast Asia: with emphasis on Indonesia, Malaysia and Thailand.

Molnar, A. (1991). Policy review: Women and international forestry development. Society and Natural Resources, 4(1), 81–90. https://doi.org/10.1080/08941929109380744

Sahoo, S. R., & Das, H. K. (2020). Contribution of non-timber forest produces (NTFPs) in the socio-economic development of forest dwellers in Odisha. ~ 81 ~ Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 9(4), 81–85. www.phytojournal.com

Viet Quang, D., & Nam Anh, T. (2006). Commercial collection of NTFPs and households living in or near the forests. Case study in Que, Con Cuong and Ma, Tuong Duong, Nghe An, Vietnam. Ecological Economics, 60(1), 65–74. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.03.010

Thapa, A., & Singh, K. (2021). Women's Role in Non-Timber Forest Product

Management: A Review. Role of Women in Nation Development, July, 116–121. https://doi.org/10.47531/mantech.2021.13

Bhattacharya, P., & Hayat, S. F. (2004). Sustainable NTFP management for rural development: A case from Madhya Pradesh, India. International Forestry Review, 6(2), 161–168. https://doi.org/10.1505/ifor.6.2.161.38399

Bhasin, V. (2007). Status of Tribal Women in India. Studies on Home and Community Science, 1(1), 1–16. https://doi.org/10.1080/09737189.2007.11885234

Maravi PS. and Modi S. (2017). CHANGING STATUS OF TRIBAL WOMEN IN ANUPPUR DISTRICT OF MADHYA PRADESH THROUGH MINOR FOREST PRODUCTS (MFPS) Abhinav National Monthly Refereed Journal of Research In. 6(8), 53–59.

LPG Consumption Report. (2023)

Jalonen, R., Ziegert, R. F., Lamers, H. A. H., & Hegde, N. (2023). From Within and Without: Gender, Agency and Sustainable Management of Non-Timber Forest Products in Two Indian States. Small-Scale Forestry, 22(2), 323–349. https://doi.org/10.1007/s11842-022-09531-x

Jones, C., Hadley, F., Waniganayake, M., & Johnstone, M. (2019). Find your tribe! Early childhood educators defining and identifying key factors that support their workplace wellbeing. Australasian Journal of Early Childhood, 44(4), 326–338. https://doi.org/10.1177/1836939119870906

Mushi, H., Yanda, P. Z., & Kleyer, M. (2020). Socioeconomic Factors Determining Extraction of Non-timber Forest Products on the Slopes of Mt. Kilimanjaro, Tanzania. Human Ecology, 48(6), 695–707. https://doi.org/10.1007/s10745-020-00187-9

Kaur, R. (1988). Women's Role in Forestry in India. Consultant Report for the India Country Women in Development Study, World Bank, Washington, DC.

Sarin, M. (1995). Regenerating India'S Forests: Reconciling Gender Equity With Joint Forest Management. IDS Bulletin, 26(1), 83–91. https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.1995.mp26001012.x

Pramanik R. (1967) ,Contribution of tribal women towards household economy.Pp 1-10.

Rahman, M. H., Roy, B., & Islam, M. S. (2021). Contribution of non-timber forest products to the livelihoods of the forest-dependent communities around the Khadimnagar National Park in northeastern Bangladesh. Regional Sustainability, 2(3), 280–295. https://doi.org/10.1016/j.regsus.2021.11.001

The_Role_of_Tribal_Women_in_Development.pdf. (n.d.).

मेकल मीमांसा

(ISSN-0974-0118)

मेकल मीमांसा: एक परिचय

सन 2009 में आरंभ मेकल मीमांसा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित डबल ब्लाइंड पीअर रिव्यूड शोध पत्रिका है। राष्ट्रभाषा हिंदी में प्रकाशित अर्धवार्षिक शोधपत्रिका हेतु ज्ञान-विज्ञान के सभी क्षेत्रों से मौलिक शोध प्रकाशन हेतु आमंत्रित किया जाता है। शोध पत्रिका का उद्देश्य शोधार्थियों, नीति नियामकों, एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों के ज्ञानवर्धन तथा संवर्धन हेतु उपयोगी नवोन्मेषी, मौलिक और नूतन शोध को सामने लाना है। प्रकाशन में उच्च मानकों को बनाए रखने हेतु पत्रिका के लिए एक निर्धारित, वस्तुनिष्ठ ब्लाइंड पीअर रीव्यू पद्धति से शोध पत्रों का चयन किया जाता है।

पत्रिका का उद्देश्य एवं क्षेत्र-

मेकल मीमांसा शोध पत्रिका का मूल उद्देश्य राष्ट्रभाषा हिंदी में गुणवत्तायुक्त मौलिक शोध को सामने लाना है। पत्रिका सैद्धांतिक, अनुप्रयुक्त एवं नीति निर्धारण आदि सभी क्षेत्रों में होने वाले अनुसन्धान को प्रकाशित करने का कार्य करती है। पत्रिका का विशेष आग्रह आदिवासी विकास, संस्कृति एवं जीवन पद्धति आदि से जुड़े स्तरीय, वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक शोध के प्रकाशन के प्रति है।

पत्रिका की सदस्यता हेतु सहयोग राशि

क्रम संख्या	श्रेणी	अवधि	सहयोग राशि रुपयों में
1	संस्थागत सदस्यता हेतु	अर्धवार्षिक	300.00
		वार्षिक	550.00
		आजीवन	5000.00
2	व्यक्तिगत सदस्यता हेतु	अर्धवार्षिक	250.00
		वार्षिक	475.00
		आजीवन	4500.00
3	आन्तरिक व्यक्तिगत सदस्यता एवं शोधार्थियों हेतु	अर्धवार्षिक	200.00
		वार्षिक	350.00
		आजीवन	3250.00

सहयोग राशि का भुगतान ऑनलाइन/बैंक ट्रान्सफर के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। बैंक डिटेल हेतु सम्पादकीय टीम से संपर्क किया जा सकता है।

मेकल मीमांसा के आगामी अंको हेतु शोध पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। शोध पत्र मौलिक, वस्तुनिष्ठ एवं ज्ञान के क्षेत्र और समाज तथा संस्कृति के संवर्धन में योगदान करने में सक्षम हों। मौलिकता प्रमाणपत्र एवं अन्यत्र प्रकाशन हेतु नहीं भेजे जाने सम्बंधी घोषणा के साथ शोध पत्र mekalmimansa@igntu.ac.in पर ई-मेल किए जा सकते हैं। विस्तृत निर्देश हेतु हमारी वेबसाइट देखें।

http://www.igntu.ac.in/mekalmimansa.aspx

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
अमरकंटक (म.प्र.)

मेकल मीमांसा

अंतर-अनुशासनात्मक डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड यूजीसी केयर सूचीबद्ध अर्धवार्षिक शोध पत्रिका

http://www.igntu.ac.in/mekalmimansa.aspx